लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

[पांचवां सत्र]

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 25, शुक्रवार, 20 मार्च, 1981/ 29 फाल्गुन, 1902 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	...	...	1—19
तारांकित प्रश्न संख्या 453 से 458 और 461	...	...	1—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	....	...	19—154
तारांकित प्रश्न संख्या 459, 460, 462 से 469, 471 और 472		...	19—29
अतारांकित प्रश्न संख्या 4343, 4345 से 4382, 4384 से 4459 4461 से 4465, 4467 से 4502, 4504 से 4515 और 4517 से 4542		...	29—154
अतारांकित प्रश्न संख्या 770 दिनांक 20-2-81 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	...	...	154—155
श्री विद्याचरण शुक्ल द्वारा मन्त्रिपरिषद से त्यागपत्र के बारे में	...	...	155—156
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	...	156—161
लोक लेखा समिति	...	...	—162
25 वां प्रतिवेदन और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर छठा प्रतिवेदन	...	...	—162
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	...	...	—162
9वां प्रतिवेदन	...	...	—162
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	...	...	—162
तीसरा प्रतिवेदन			
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	...	...	162—169
नई दिल्ली स्थित अमरीका की दूतावास में हुए एक प्रैस सम्मेलन में भारतीय पत्रकारों के प्रति कथित भेदभाव का समाचार			
श्री राम स्वरूप राम	...	...	162—165
श्री पी० वी० नरसिंह राव	...	...	162—169
श्री एडुआर्डो फैलीरो	...	...	165—166
प्रो० के० के० तिवारी	...	..	167—169
समिति के लिए निर्वाचन	...	...	169—170
केन्द्रीय रेशम बोर्ड			

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	... ...	**170—173**
(एक) कन्याकुमारी जिले में रबड़ पर आधारित उद्योग की स्थापना		
श्री एन० डेनिस	... ...	—170
(दो) आन्ध्र प्रदेश में अंगोल को तम्बाकू तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान कोयले की सप्लाई	... ...	170—171
श्री पी० राजगोपाल नायडू		
(तीन) केरल में काजू उद्योग में संकट	... ...	171—172
श्री पी० के० कोडियन		
(चार) तमिलनाडु में सूखा तथा पीने के पानी की कमी के लिए धनराशि		—172
श्री एस० ए० दोराई सेविस्तियन		
(पांच) दिल्ली में आवास समितियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन के लिए पट्टे के कागजातों को स्वीकृति प्रदान करना	...	172—173
श्री राम विलास पासवान		
(छ) दिल्ली महानगर परिषद के लिए निर्वाचन	... ...	—173
श्री अटल विहारी वाजपेयी		
दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक	... ...	**173 – 179**
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में		
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	... ...	173—176
श्री जैल सिंह	... ...	177—193
श्री बापूसाहिब परुलेकर	... ...	178 – 181
श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार	... ...	182—184
श्री सोमनाथ चटर्जी	... ...	184—187
श्री जी० एस० निहालसिंहवाला	... ...	187—188
श्री नारायण चौबे	... ...	188—189
श्रीमती सुखवंश कौर	... ...	189—190
श्री एच० के० एल० भगत	... ...	190—191
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 18 वां प्रतिवेदन	... ...	**—194**
विधेयक पुरःस्थापित	... ...	**194—195**
(एक) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक (धारा 4,5 आदि का संशोधन)	... ...	—194
श्री मुकुन्द मण्डल		
(दो) एकान्तता अधिकार विधेयक	... ...	—194
श्री वी० एन० गाडगिल		
(तीन) विकलांग, निशक्त और मानसिक रूप से अवरुद्ध व्यक्ति कल्याण विधेयक,	... ...	194 — 195
श्री वी० वी० देसाई		

विषय			पृष्ठ
(चार) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (हमीरपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक,	...	...	—195
प्रो० नारायण चन्द पराशर			
(पांच) पेंशन (विनियमन) विधेयक	...	...	—195
श्री अटल बिहारी वाजपेयी			
नेत्रहीन व्यक्ति (रोजगार) विधेयक—वापस लिया गया	...	...	**195—222**
प्रो० मधु दण्डवते			
विचार किये जाने का प्रस्ताव			
श्री मूलचन्द डागा	...	...	195—200
श्री जेवियर अराकल	...	...	200—203
प्रो० एन० जी० रंगा	...	...	202—203
श्री सुधीर गिरि	...	...	203—205
श्री उत्तम राठौर	...	...	205—208
श्रीमती कृष्णा साही	...	...	208—209
श्री हरिकेश बहादुर	...	...	209—210
हरीशचन्द्र सिंह रावत	...	...	211—213
श्री पी० के० कोडियन	...	...	213—214
श्री राम विलास पासवान	...	...	214—216
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा	...	...	216—218
प्रो० मधु दण्डवते	...	...	219—222
संविधान (संशोधन) विधेयक के बारे में (अनुच्छेद 326 का संशोधन)	..	...	—223
श्री जार्ज फर्नांडीज			
छोटे किसान सहायता विधेयक	...	...	**223—228**
श्री के० लकप्पा			
विचार किये जाने का प्रस्ताव			
श्री के० लकप्पा	...	...	223—228
श्री पी० राजगोपाल नायडू	...	...	—228

लोक सभा

शुक्रवार, 20 मार्च, 1981 29 फाल्गुन, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

एक माननीय सदस्य : आज भी लेट।

अध्यक्ष महोदय : आदत तो नहीं पड़ गई है ? आदत पड़ गई मालूम होती है। चव्हाण साहब, पंजाबी का यह शेर तो नहीं सुना आपने :—

पैयां आदतां जांदियां नई वारिस शाह

प्रो० मधु दंडवते : यदि हम आपकी आलोचना करें तो क्या विशेषाधिकार भंग माना जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसा है ? ठीक है। श्री दास।

पश्चिम बंगाल के लघु एवं सीमांत पटसन उत्पादकों के लाभ की योजना

*453. **श्री रेणुपद दास :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के लघु एवं सीमांत पटसन उत्पादों के लाभ के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित अग्रगामी (पाइलट) योजनाओं के कार्यान्वियन के लिये क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) पश्चिम बंगाल के चुनिन्दा जिलों में लघु एवं सीमान्त पटसन उत्पादकों के लाभ के लिये भारतीय पटसन निगम ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ परामर्श करके एक मार्गदर्शी योजना बनाई है। भारतीय पटसन निगम के बोर्ड ने 23-2-81 को हुई इसकी बैठक में योजना का अनुमोदन कर दिया है और विभिन्न फुटकर खर्चे वहन करने के लिये 36,000 रु० की राशि की मंजूरी दे दी है।

यह योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है और इस लिये सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए राशि मंजूर करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रेणुपद दास : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार ने कोई प्रायोगिक योजना प्रायोजित नहीं की है, क्या मैं मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि इस सरकार द्वारा नियुक्त की गई दास समिति के सुझावों के अनुसार लघु तथा सीमांत पटसन उत्पादकों की सहायता करने की दृष्टि से उन्हें उनकी मेहनत के अनुसार लाभप्रद मूल्य तथा उचित मूल्य प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का अन्य कौनसी योजनाएं शुरू करने का विचार है ।

श्री प्रणव मुखर्जी : जैसा कि मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि पास समिति की रिपोर्ट हमें अभी हाल ही में प्राप्त हुई है और उसका अध्ययन किया जा रहा है। जहां तक अन्य योजनाएं शुरू करने का प्रश्न है, इस समय हमारे पास कोई ऐसी योजना नहीं है । जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की देने तथा बाजार में समर्थन मूल्य को बनाए रखने का निषेध है, हमने बहुत से कदम उठाए हैं. विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारतीय पटसन निगम की कार्य प्रणाली को अधिक कारगर बनाया है । जहां तक ऋण देने की व्यवस्था का संबंध है हमने बैंकों में इन किसानों को ऋण देने की व्यवस्था की है ।

श्री रेणुपद दास : क्या सरकार बाजार में मूल्यों में आई गिरावट के कारण सामान्यतौर पर किसानों और विशेषकर लघु तथा सीमांत पटसन उत्पादकों को हुई हानि को पूरा करने के लिए मुआवजे के रूप में एक योजना प्रायोजित करने पर विचार करेगी जैसाकि पिछले वर्ष महाराष्ट्र में कपास उत्पादकों के लिए किया गया था ?

श्री प्रणव मुखर्जी : यह प्रश्न काफी व्यापक है । इसका महाराष्ट्र कपास निगम के वसूली कार्यों के साथ कोई संबंध नहीं है । मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि जितनी पैदावार होगी वह सारी भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीद ली जाएगी । अतः मूल्यों में गिरावट या बाजार तेज होने के कारण हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : देश भर में पाट-उत्पादकों की हालत बदतर हो रही है । खास तौर पर वैस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में, जहां पाट ही कैश क्राप है, उनकी बहुत बुरी हालत हो रही है—इस माने में कि छोटे उत्पादक पाट ले कर बाजार जाते हैं, और जे सी आई के जो परचेज सैंटर बने हुए हैं, सपोर्ट प्राइस भी फिक्स कर रखी है, वे उनसे नहीं लेते हैं । उनको परेशान किया जाता है । परिणाम यह होता है कि वे मिडलमैन के पास जाते हैं, जिनसे जे सी आई के लोग खरीदते हैं । मैं अपने क्षेत्रों का दौरा कर के आया हूं और मैंने देखा है कि मध्यम और बड़े उत्पादकों का पाट भी पड़ा हुआ है और जे सी आई के परचेज सैंटर अभी तक उसको नहीं खरीद रहे हैं । यद्यपि पाट खरीदने का समय बढ़ा दिया गया था, लेकिन आज तक वह नहीं खरीदा गया है । अगर पाट-उत्पादकों की इन कठिनाइयों को दूर नहीं किया जाएगा और उन्हें अपनी उपज के वाजिब दाम नहीं मिलेंगे, तो मुमकिन है कि कल की वे पाट पैदा करना ही छोड़ दें । क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि उन लोगों का पाट वाजिब दाम पर खरीदा जाये और वे आगे भी पाट का उत्पादन कर सकें ?

श्री प्रणब मुखर्जी : जब यह प्रश्न सभा में यथार्थ पेश हुआ, तो मैंने अनेक बार कहा है कि यह सच है कि भारतीय पटसन निगम का कार्यकरण इतना अच्छा नहीं है कि वह कतिपय

क्षेत्रों में मूल्यों में गिरावट को रोक सकें। इसके कारण अनेक अवसरों पर बता दिये गये हैं।

अत: इस समस्या का हल भारतीय पटसन निगम की कार्य प्रणाली में सुधार है। जैसा कि मैंने कहा है भारतीय पटसन निगम की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए मैं विभिन्न पटसन उत्पादक राज्यों के साथ सम्पर्क बनाए हुए हूं।

श्री त्रिदिब चौधरी : मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर में एक बात स्पष्ट नहीं की गई है। यह बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार ने कोई योजना प्रायोजित नहीं की है। ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से कोई योजना शुरू की गई है और उसके लिए केवल 36,000 रुपये मंजूर किए गए हैं, यह हमें नहीं पता कि यह मंजूरी किसने दी है। किसने इस योजना को प्रायोजित किया है और इसकी विशेषताएं क्या हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से भारतीय पटसन निगम इस योजना को प्रायोजित कर रहा है। 36,000 रुपये प्रबन्ध व्यवस्था की लागत के लिए हैं, आप इसे योजना को चलाने की लागत कह सकते हैं। यह उत्पादकों के लिए नहीं है। जहां तक उत्पादकों का सम्बन्ध है उन्हें धन राशि मिलेगी। इस योजना के अन्तर्गत हम वेहतर किस्म के बीज पटसन उत्पादन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिक और उत्पादन की किस्म में सुधार करने की व्यवस्था कर रहे हैं। और भारतीय पटसन निगम सभी सूचीबद्ध उत्पादकों से सारा पटसन खरीदेगा। पटसन का उत्पादन करने वाले प्रत्येक जिले में से दो पंचायतों को चुना गया है और ऐसे 9 जिले हैं। जिलाधीश या इस जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया गया है जिसे राज्य सरकार के प्रतिनिधि, विभिन्न कृषि विस्तार अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी और प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। अत: इन योजनाओं के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्पादन की कोटि, इन उत्पादों की बाजार में मांग बढ़ाने और पटसन के स्तर में सुधार किस प्रकार किया जा सकता है।

मानक वजन से कम वजन वाले साबुनों की बिक्री करने के कारण हिन्दुस्तान लीवर के विरुद्ध मामले

*454. **श्री के० ए० राजन** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घोषित वजन से कम वजन वाले साबुनों की बिक्री करने के कारण हिन्दुस्तान लीवर, जो ब्रिटेन की बनी-लीवर की एक सहायक कम्पनी है, के विरुद्ध विभिन्न राज्यों में अनेक मुकदमे चल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब्रज मोहन महन्ती) (क) : जी नहीं। भारत सरकार की ओर से मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर के विरुद्ध बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 के संबंधित उपबन्धों के अन्तर्गत कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया है।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

श्री के० ए० राजन : मुझे खेद है कि सरकार यह कह देती है कि उनके पास सूचना नहीं है या बड़ी चतुराई से यह कह दिया जाता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मेरे पास जो

सूचनाएं हैं उनके आधार पर मैं यह कहता हूं कि साबुन का मानक वजन से कम वजन होने के बारे में उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में, शिकोहाबाद और कोटद्वार के तथा हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में कुछ मामलों की जांच की गई थी और कुछ मामले दर्ज किए गए थे। महोदय, मंत्री महोदय के सूचनार्थ मैं, कम वजन, मूल वजन, कितना कम वजन और किस तारीख को वजन कम किया गया, अभी बता देता हूं।

लाइफबाय का मूल वजन 170 ग्राम, घटा हुआ वजन 165 ग्राम और यह वजन 5-8-1968 को कम किया गया।

सनलाइट का मूल वजन 165 ग्राम, घटा हुआ वजन 150 ग्राम और यह वजन 6-8-1970 को कम किया गया।

फिर, लाइफबाय का मूल वजन 165 ग्राम घटा हुआ वजन 150 ग्राम और यह वजन 6-8-1970 को कम किया गया।

विम का मूल वजन 610 ग्राम, घटा हुआ वजन 600 ग्राम और यह वजन 1-1-1969 को कम किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछें।

श्री के० ए० राजन : ये वे विशिष्ट तारीखें हैं जिस दिन साबुन का वजन कम किया गया और जैसा कि आप जानते हैं मूल्य कम नहीं किया गया। अतः वजन कम करने के इन विशिष्ट मामलों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के साथ छल तथा धोखा किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं बहुराष्ट्रीय कम्पनियां सरकार चला रही हैं या सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियां चला रही है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस मामले में इन आरोपों की जांच कराएंगे ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस अधिनियम के कार्यकरण को समझें इस अधिनियम का क्रियान्वनय राज्यों के माध्यम से होगा। परन्तु जिन उत्पादकों का देश के विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर खुदरा बिक्री व्यापार है उनके विरुद्ध राज्य सरकारों द्वारा मुकदमें चलाए जाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा क्योंकि एक ही उत्पादनकर्त्ता के विरुद्ध एक ही आरोप के लिए विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न न्यायालयों में विभिन्न निर्णय दिए जाने का भय है। अतः जिन उत्पादनकर्त्ताओं का सारे देश में अन्तर राज्य स्तर पर व्यापार है उन पर इस अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास रखा गया है और यह कम्पनी भी उनमें से एक है। किसी विशेष वस्तु के उत्पादन के कुछ समय पश्चात् उसके साइज में कमी या वजन में कमी को जानने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में की गई कटौती का पता लग सकता कौर इसका पता लगाना बहुत ही कठिन है। अतः मुकदमे के लिए उत्पादन के समय निबल भार की जांच की जानी चाहिए। वस्तु का वजन पैकेज पर लिखा होता है जैसा कि साबुन पर लिखा जाता है। राज्य अभिकरण, नाप तोल निदेशक, राज्य में अपने निरीक्षक और अन्य बहुत से अधिकारियों को नियुक्त करते हैं जो उत्पादन या पैकेजिंग के समय वजन की जांच करते हैं। अतः यह कहना गलत है कि जांच नहीं की जा रही और केन्द्र सरकार कुछ नहीं करती। हमें विभिन्न राज्यों से केन्द्रीय निदेशालय में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हमने यह जानने के लिए कि क्या कम्पनी के विरुद्ध सफलतापूर्वक मुकदमा चलाया जा सकता है, और आगे जानकारी मांगी है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्री राव प्रश्न का उत्तर क्यों दे रहे हैं ? हमें औपचारिक रूप से किसी बात का नहीं पता । हम यह जानते हैं कि श्री शुक्ल मंत्री हैं हम समाचार पत्रों की खबरों पर विश्वास नहीं कर सकते । क्या हम सरकारी तौर पर जान सकते हैं कि क्या हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : सरकारी सूचना मेरे डेस्क में है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सरकारी तौर से हमें सूचित नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको सूचना दे दी जाएगी ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उनको बधाई भी देनी है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप एक पार्टी भी दें तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा ।

श्री के० ए० राजन : मेरा संदेह दूर नहीं हुआ है । इस विशिष्ट मामले में 15 ग्राम तक वजन में कमी की गई है । अत: मंत्री महोदय द्वारा दिया गये स्पष्टीकरण से संदेह दूर नहीं होता। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामला है । मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अन्य घोखाधड़ी भी की जा रही है । हिन्दुस्तान लीवर के मामले में 1979 में अनुज्ञप्त क्षमता जमा अनुज्ञप्त विमुक्ति 67635 टन है । 1979 की रिपोर्ट और लेखों में उत्पादन 1,63,774 टन दिखाया गया है । इन दोनों के बीच का अन्तर स्पष्ट है । उस विशिष्ट फर्म विरोध में एक ही वस्तु का अंतर हजारों टन हैं । मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं । ये बहुराष्ट्रीय कम्पनी आपके अधीन मौज कर रही हैं । आपका इन पर कोई नियंत्रण नहीं है । इस संबंध में आपके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है.....(व्यवधान) यह लोगों के साथ धोखाधड़ी है । यह कहते हुए मुझे बहुत दुःख हो रहा है । मैं स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं ।

राव वीरेन्द्र सिंह : बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बुरा भला कहने से कोई मतलब हल नहीं होता । यदि इसका कोई परिणाम निकले तो मैं भी ऐसा ही कर सकता हूं । मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां से शिकायतें मिली हैं वहाँ से राज्यों से हमने विशिष्ट जानकारी मांगी है । जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि उत्पादन अवस्था में कम वजन या वजन में कटौती किए जाने पर मुकदमा चलाया जा सकता है, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता । परन्तु यदि माननीय सदस्य को किसी खुदरा व्यापारी के विरुद्ध कोई विशेष शिकायत है तो मैं अवश्य ही इसकी जांच कराऊंगा ।

श्री के० ए० राजन : मैं आपकी मदद चाहता हूं । मेरा प्रश्न यह था कि हिन्दुस्तान लीवर की 1979 में साबुन उत्पादन के लिए अनुज्ञप्त क्षमता से इतना अधिक उत्पादन कैसे हुआ (व्यवधान) ।

राव वीरेन्द्र सिंह : इस प्रश्न की जांच के लिए मैं अलग से नोटिस की अपेक्षा करता हूं ।

मेरा मतलब यह है कि जब तक हमें यह पता नहीं चलता कि एक विशिष्ट खुदरा बिक्री की दुकान पर वस्तु के भार में कमी पाई गई, हम इसकी जाँच नहीं कर सकते ।

श्री के० ए० राजन : मैं आपसे सुरक्षण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्पादन में कुछ अवैध वृद्धि के बारे में पूछ रहे हैं ।

राव वीरेन्द्र सिंह : यह विषय नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता । उन्हें उद्योग मंत्री को नोटिस देना होगा ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं इस बारे में विश्वस्त नहीं हूं कि मुझे यह प्रश्न इस समय पर श्री राव से पूछना चाहिए कि नहीं।

इस कम्पनी तथा अन्य महत्वपूर्ण कम्पनियों द्वारा निर्मित साबुन के मूल्यों में बहुत ही वृद्धि हो रही है।

क्या उनके मंत्रालय अथवा किसी दूसरे मंत्रालय में इसकी कोई जांच होती है ? क्या उस पर कोई कानूनी नियन्त्रण है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या उचित मार और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार कुछ कानूनी कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : मूल्यों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत नियन्त्रित किया जाता है। अभी तक इन वस्तुओं के मूल्यों पर कोई नियन्त्रण नहीं है।

श्री एच० के० एल० भगत : क्या आप इसकी जांच करेंगे।

राव वीरेन्द्र सिंह : यह एक सुझाव है। हम इसकी जांच करेंगे।

चमड़ा उत्पादों के डिजाइन तथा किस्म में सुधार

*455. श्री हरिहर सोरन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापार विकास प्राधिकरण (टी० डी० ए०) ने चमड़ा उत्पादों के डिजाइन तथा किस्म में सुधार करने के लिए भारतीय फर्मों की सहायता हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक क्या उपाय किये गये हैं।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खां) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

व्यापार विकास प्राधिकरण ने यात्रा में काम आने वाले चमड़े के माल, चमड़े से बनी छोटी वस्तुओं और महिलाओं के फैशन बैगों के डिजाइन तथा क्वालिटी में सुधार करने के लिये इन उत्पादों का उत्पादन करने वाली भारतीय फर्मों की सहायता करने के लिए हाल ही में एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रयोजनार्थ, व्यापार विकास प्राधिकरण ने निम्नलिखित उद्देश्य से एक उत्पाद सलाहकार की सेवाएं प्राप्त की हैं :

(1) भारतीय उद्योग में उत्पादन के मौजूदा तरीकों का मूल्यांकन करना और व्यापार विकास प्राधिकरण तथा तैयार चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों के निर्यातों से सम्बन्धित अन्य संवर्धनात्मक संगठनों के अधिकारियों के साथ उत्पाद विकास उपायों पर विचार-विमर्श करना;

(2) उत्पादों के डिजाइनों, तकनीकों तथा क्वालिटी का अध्ययन करने के लिए चुने हुए उत्पादन एककों का दौरा करना;

(3) एककों में तकनीकी कार्मिकों के साथ कार्य करना और उत्पाद विकास आवश्यकताओं पर सलाह देना;

(4) संयंत्र रूपरेखा, उत्पादन प्रक्रियाओं में उपयुक्त संशोधनों, क्वालिटी सुधारने की तकनीकों पर सलाह देना और लागत में कमी करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं इसका सुझाव देना;

(5) संसाधन तथा परिष्करण के लिए अतिरिक्त उपस्करों की आवश्यकता तथा अधिप्राप्ति साधनों पर सलाह देना;

(6) क्वालिटी नियन्त्रण तथा परीक्षण तरीकों पर सलाह देना और

(7) सही क्वालिटी के कच्चे माल के प्रयोग पर सलाह देना।

2. सलाहकार जनवरी, 1981 में पहुंचा और उसके मार्च, 1981 के अन्त तक भारत में रहने की संभावना है जिसके बाद वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

श्री हरिहर सोरन : सभा पटल पर रखे गए विवरण में यह कहा गया है कि व्यापार विकास प्राधिकरण ने उत्पादन के मौजूदा तरीकों के मूल्यांकन के उद्देश्य से एक उत्पाद-सलाहकार की सेवाएं प्राप्त की हैं। इस बारे में मैं देश में चुने हुए उत्पादन एककों के नाम जानना चाहूंगा। उनमें से कितने उड़ीसा में स्थित हैं ?

श्री खुर्शीद आलम खां : यह योजना इसलिए शुरू की गई है क्योंकि भारत के पास देश में सबसे अधिक पशुधन है परन्तु वह चमड़ा जिसका निर्माण किया जाता है बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए एक डच विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त की गई हैं ताकि वह उन सभी महत्वपूर्ण एककों का दौरा कर सके जो चमड़ा बनाने में लगे हुए हैं और फिर कार्यरत व्यक्तियों में तकनीक, ले आउट, अपेक्षित मशीनों, अपेक्षित रसायनों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन दे, ताकि क्वालिटी में सुधार किया जा सके। जैसे ही यह प्रतिवेदन प्राप्त होगा, हम यह बता पाएंगे कि उसने कितने एककों का दौरा किया है, वे यूनिट कौन से हैं और उसने क्या विशिष्ट सुझाव दिए हैं।

श्री हरिहर सोरन : क्या उत्पाद सलाहकार के उड़ीसा में स्थित फर्मों का दौरा किए जाने की सम्भावना है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : इस विशेषज्ञ का दो चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा परामर्श दिया जाएगा। उचित प्राधिकरणों के परामर्श से उन उद्योगिक अथवा उत्पादन एककों का चयन किया जाएगा जो वास्तव में उसके ध्यान देने के योग्य होगी।

श्री अनादि चरण दास : जैसा कि आप जानते हैं बहुत सी खालें पूरे साल उड़ीसा में उपलब्ध रहती हैं। हमारे राज्य में इस कार्य में लगे अनुसूचित जाति के लड़कों को प्रशिक्षण देने के लिए कोई प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है।

इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या व्यापार विकास प्राधिकरण ने चमड़े की वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र शुरू करने का सुझाव दिया है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : यह विचार करने के लिए एक सुझाव है।

संसोधित अभ्रक के लिये खरीद-प्रक्रिया

*456. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभ्रक व्यापार निगम के मार्गदर्शन के लिये संसाधित अभ्रक की खरीद संबंधी प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अभ्रक की हजारों किस्में होने के कारण संसाधित अभ्रक की केवल देख कर ही निर्धारित की जाती हैं; और

(ग) अभ्रक व्यापार निगम के अधिकारियों को अपने व्यक्तिगत विवेक के आधार पर किसी भी कीमत पर संसाधित अभ्रक खरीदने में खुली छूट देने के क्या कारण हैं जिसके फलस्वरूप अनुमानतः 30 से 50 लाख रुपये की सार्वजनिक धनराशि की हानि हुई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अभ्रक व्यापार निगम केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत नीति के ढांचे के अन्तर्गत समय-समय पर प्रचलित बाजार की परिस्थितियों के अनुसार संसाधित अभ्रक खरीदने की प्रक्रिया अपनाता है।

(ख) अभ्रक की क्वालिटी सारी दुनिया में देखकर जांची जाती है। भारतीय मानक संस्था से कहा गया है कि वह विभिन्न ग्रेडों के अभ्रक की क्वालिटी निर्धारित करने के लिये वैकल्पिक साधन निकाले।

(ग) मिटको ने अभ्रक की खरीद कीमत तय की है। मिश्रित और अर्द्ध संसाधित अभ्रक की खरीद निश्चित प्रक्रिया के आधार पर की जाती है। मिटको द्वारा की गई खरीद के कारण सार्वजनिक धनराशि की किसी हानि का समाचार नहीं मिला है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह मेरे प्रश्नों की लीपा-पोती है। मेरे संसदीय क्षेत्र में केवल अभ्रक का ही एक मात्र व्यापार चलता है, जिससे लगभग 1 लाख लोगों को आजीविका मिलती है, लेकिन आज लगभग 50 हजार आदमी रोड पर घूम रहे हैं—इसलिए यह बहुत गम्भीर मामला है। इसमें करोड़ों रुपयों का घपला है लेकिन मन्त्री महोदय अपने जवाब में बतलाते हैं—"समय-समय पर प्रचलित बाजार की परिस्थितियों के अनुसार उसके नियम बदलते हैं।" उनके अधिकारियों को पूरी छूट दे दी गई है कि वे जिस तरह से चाहें अभ्रक खरीदें। इन्होंने अपने उत्तर के (सी) भाग में बतलाया है कि धनराशि की कोई गड़बड़ नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देकर बतलाना चाहता हूं कि मिटको को अभी 40 करोड़ के रुपये का विदेशों का आर्डर आया है और इसमें निर्यातकों और मिटको के बीच में 50 : 50 का शेयरिंग फार्मूला है और इस समय 15 हजार मजदूर इन डीलरों और एक्सपोर्टरों के कारखानों में काम करते हैं और मिटको में केवल 1 हजार मजदूर हैं, उससे ज्यादा नहीं हैं। किस प्रकार से ये 1 हजार मजदूर उस 20 करोड़ रुपये के माइका को प्रोसेस करेंगे क्योंकि 20 करोड़ रुपये का काम उन डीलरों और एक्सपोर्टरों के यहाँ 15 हजार मजदूर करेंगे। असल बात यह है कि मिटको के अधिकारी जो डीलरों और एक्सपोर्टरों से माइका की खरीद करते हैं, वे कह देते हैं कि वह सेमी-प्रोसेस्ड और मिक्स्ड प्रोसेस्ड माइका होता है और फिर उस को एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करिए ?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : जरा प्रश्न क्लियर हो जाए, इसलिए मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं। इसमें करोड़ों रुपयों का घपला है।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करिए।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैं इसलिए इसको स्पष्ट कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन पर ही आ रहा हूं। आज तो भीड़ भी नहीं है और होली का अवसर है।

श्री रामप्यारे पनिका : ये होली के अवसर का लाभ ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करिए वरना मैं सारा रूल आऊट कर दूंगा।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैं यह कहना चाहता हूं कि आई० एस० आई० जो है, वह इसकी क्वालिटी को निर्धारित नहीं कर रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि इसकी जांच की जाए क्योंकि माइका की क्वालिटी की जांच न होने से मिटको के जो अधिकारी हैं, उनको एक अच्छा अवसर घपला करने का मिल जाता है और निश्चित रूप से इसमें घपला हो रहा है। इसलिए मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि झुमरी तलैया और गिरडीह में जो मिटको के खरीद विभाग के अधिकारी दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह वर्षों से वहां पर पड़े हुए हैं और व्यापारियों और डीलरों से कमीशन लेकर करोड़ों रुपये का अनुचित रूप से घपला करते हैं, उनको क्या मन्त्री जी गुडूर और राजस्थान ट्रान्सफर करेंगे और उनसे निगम को बचाएंगे ?

एक सवाल और करूंगा। यह इसका (ख) भाग है।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या कोई आप इसके लिए निगरानी कमेटी बनाएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आपके दो सप्लीमेंटरी हो गए। इन दोनों का जवाब दे दीजिए।

श्री प्रणव मुखर्जी : माननीय सदस्य ने कोई प्रश्न नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : स्थानांतरण के लिए यह एक सुझाव है।

श्री प्रणव मुखर्जी : बात केवल इतनी है कि 'मिटको' का कार्य अभ्रक में लगे उत्पादकों के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मेरा जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक ढंग से आप सवाल नहीं करते।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैंने जो सवाल पूछे हैं, उनका जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने सवाल पूछा था कि ट्रान्सफर कर सकते हैं या नहीं ? और क्या सवाल है ?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : उसका जवाब नहीं आया है। जो प्रश्न मैंने पूछे हैं उनका मंत्री जी जवाब दें।

श्री प्रवण मुखर्जी : माननीय सदस्य शायद यह भूल गए हैं कि स्वामीनाथन समिति पहले से ही इसकी जांच कर रही है और मैं उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

मुरादाबाद में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सहायता

*457 **श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंक लोगों की, दंगों के बाद व्यापार को फिर से प्रारम्भ करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए सहायता नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त बैंक उन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं जिन्हें इन बैंकों को ऋण का भुगतान करना है; और

(ग) क्या सरकार का इसमें हस्तक्षेप करके ऋणधारियों के खिलाफ मुकदमों को वापस कराने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) जी, नहीं।

(ख) बैंकों को सलाह दी गई है कि दंगों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए व्यक्तियों को, राहत एवं पुनर्वास उपायों के रूप में, उन पर बकाया, मौजूदा ऋण किस्तों का पुनर्निधारण कर दें। बैंकों द्वारा, इस सलाह का पालन न किए जाने का कोई विशिष्ट मामला सरकार की जानकारी में नहीं लाया गया है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री पी० राजगोपाल नायडु : प्रश्न के भाग (क) के संदर्भ में, मैं यह जानना चाहूंगा कि दंगों के पश्चात् बैंकों द्वारा कितने ऋण दिए गए हैं ?

श्री मगनभाई बारोट : महोदय, वहां पर सिंडिकेट बैंक प्रमुख बैंक है और उपलब्ध सूचना के अनुसार इसने डी० आर० आई० के अन्तर्गत 124 व्यक्तियों को जिनसे इसे आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, 3,86,150 रुपये की सहायता दी है।

अनुसूचित जातियों के लोग प्राप्त करने वाले इन सतरह मामलों में, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति संघ और विकास निगम 50 प्रतिशत तक राजसहायता उपलब्ध करने पर सहमत हो गया है।

सिंडिकेट बैंक द्वारा 2 मामलों में और सहायता भी उपलब्ध की गई है।

इन व्यक्तियों के अतिरिक्त, छः अन्य व्यक्तियों को भी बैंक द्वारा सहायता दी गई है।

जहां तक अन्य बैंकों का सम्बन्ध है। बड़ौदा बैंक के पास भी एक ऐसा मामला विचाराधीन है और अन्य बैंक भी प्राप्त आवेदन पत्रों पर दिए गए मानदण्डों के अनुसार विचार कर रहे हैं।

श्री पी० राजगोपाल नायडु : ऋणों के भुगतान के रि-शैडुलिंग की शर्तें क्या हैं ?

श्री मगनभाई बारोट : जहां तक इस क्षेत्र का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग-निर्देश प्राकृतिक विपत्ति में कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।

एक ऐसा सैल है जो प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित व्यक्तियों के मामलों, अथवा जिन्हें अपने जन धन का नुकसान हुआ है अथवा जिन्दे व्यक्तिगत चोटें आई हैं के मामलों की जांच करता है। सैल मामलों की वास्तविकता की जांच करता है और फिर आवेदन पत्र हमें भेज दिए जाते हैं। इस प्रकार, डी. आर. आई. के हित आदि की सुविधाएं दी गई हैं।

जहां तक ऋणों के भुगतान की रि-शैडुलिंग का सम्बन्ध है, हमें विभिन्न प्रकार के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। हाल ही में एक एसोसिएशन आया और उसने कहा कि क्योंकि बैंक की कार्यवाही नहीं की जा सकी है, इसलिए दण्ड की धारा को हटा दिया जाय और कुछ सुविधाएं दी जाएं। यह अनुरोध केवल एक सप्ताह पूर्व प्राप्त हुआ है और इस पर विचार किया जा रहा है ?

श्री नवल किशोर शर्मा : प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर देते समय मंत्री जी ने कहा है कि मुरादाबाद के मामलों में रि-शैडुलिंग के लिए मार्गनिर्देश जारी कर दिए गए हैं। क्या मैं मन्त्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या इन जिलों में अथवा इन क्षेत्रों में—विशेषकर मैं राजस्थान के संदर्भ में कह रहा हूं—जहां प्राकृतिक विपत्तियां होती है—क्या अनुदेश जारी कर दिए गए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस प्रश्न की सीमा में नहीं आता है।

श्री नवल किशोर शर्मा : यह प्रश्न दिए गए उस उत्तर में से उठा है। मन्त्री जी कहते हैं

कि प्राकृतिक विपत्तियों के मामले में इस प्रकार के मार्गनिर्देश जारी किए जाते हैं। इसलिए यह प्रश्न उठता है। क्या इस प्रकार के मार्गनिर्देश राजस्थान, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक और देश के अन्य भागों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जारी किए गए थे और यदि यह जारी नहीं किए गए थे तो क्या मन्त्री जी सदन को यह विश्वास दिलाते हैं कि इस प्रकार के मार्गनिर्देश जारी किए जाएंगे ?

श्री मगनभाई बारोट : इस विषय पर स्थाई अनुदेश है।

स्वर्ण नीलामी सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

*458. **श्री बी० वी० देसाई†**
श्री चित्त बसु } : क्या **वित्त मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है जिसने जनता शासन के दौरान की गई नीलामी के बारे में जांच की थी;

(ख) यदि हां, तो उस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसकी सिफारिशों पर विचार किया है;

(घ) इन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) क्या सरकार के पास नीलामकर्ताओं की कोई सूची है; और

(च) क्या उसे भी सभा पटल रखा जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया :)

विवरण

(क) से (घ) श्री के० आर० पुरी की रिपोर्ट हाल ही में मिली है। भारत सरकार ने श्री पुरी को, सरकारी खाते में रखे सोने की वर्ष 1978 में नीलामी के जरिए बिक्री से संबंधित विभिन्न नीतियों और कार्यविधि सम्बन्धी पहलुओं की जांच करने के लिए नियुक्त किया था।

इस रिपोर्ट की प्रतियां माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं। सरकार रिपोर्ट की जांच कर रही है।

(ङ) तथा (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रत्येक नीलामी के अन्त में सूचियाँ प्रकाशित करके अपने नोटिस बोर्डों पर चिपकाई थीं, इन सूचियों में सफल बोली दाताओं के नाम और पते, बेचे गए सोने की मात्रा तथा भाव निहित थे। इन सभी सूचियों की प्रतियां 24-7-78, 1-8-78, 23-10-78 और 4-11-78 को माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ संसद-पुस्तकालय में रख दी गई थी।

श्री बी० वी० देसाई : महोदय, पुरी समिति की वह रिपोर्ट जिसकी लम्बे समय से प्रतीक्षा थी, प्राप्त हो गई है और उन्होंने उस घोखाधड़ी के तरीके, जिसके जरिए वर्ष 1978 के दौरान सोना बेचा गया था, के सम्बन्ध में भूतपूर्व प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री पर आरोप लगाया है। इस बिक्री में.....

एक माननीय सदस्य : सोने की नीलामी में जनता पार्टी ही एकमात्र पक्ष था।

श्री बी० वी० देसाई : इस बिक्री में बम्बई के केवल कुछेक लखपति और करोड़पति व्यापारियों को ही पूरे के पूरे सोने पर अपना अधिकार जमाने का अवसर प्रदान कर दिया गया।

इसको दृष्टि में रखते हुए क्या मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जान सकता हूं कि पुरी समिति की मुख्य-मुख्य टिप्पणियां और सिफारिशें क्या-क्या हैं और उन पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : महोदय, पुरी समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। कतिपय अनधिकृत विवरण प्रकट होने शुरू हो गए, अतः मैंने इसे आवश्यक समझा कि इसे शीघ्र ही पुस्तकालय में रखवा दिया जाए। (व्यवधान)

यह आपकी आदत है। मैं क्या कर सकता हूं ?

जब हम सही काम करते हैं, तो भी हमारी आलोचना होती है।

मैं सभी प्रतियां प्रकाशित करवा कर और आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट को औपचारिक रूप से सभा पटल पर रख दूंगा।

सरकार ने इन मामलों की जांच करने के लिए एक मंत्री-मंडलीय दल का गठन किया है, जिसमें श्री पी० वी० नरसिम्हा राव, विदेश मंत्री और मेरे आदरणीय मित्र श्री प्रणव मुखर्जी और विधि मन्त्री तथा मुझे सम्मिलित किया गया है। मैं नहीं समझता कि बिना पर्याप्त जांच-पड़ताल के सरकार को अपनी राय प्रकट कर देनी चाहिए और इसलिए, इसकी जांच करने के बाद मैं रिपोर्ट तथा सरकार के निष्कर्ष सभापटल पर रख दूंगा।

मैं अपने माननीय दोस्तों से यह अपील करता हूं कि इस सम्बन्ध में अधिक प्रश्न न करें। तथापि, यदि आप गलत उत्तर लेना चाहते हों, तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

मैं तो केवल आपकी मदद करना चाह रहा हूं.....

अध्यक्ष महोदय : एक बात साफ हो जानी चाहिए। मैं अपने सम्मानित मित्र श्री वेंकटरामन को भी गलत उत्तर देने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं तो केवल यह देखना चाह रहा हूं कि जब तक इस मामले में सरकार अपने निष्कर्ष लेकर सामने नहीं आती है, तब तक सभी प्रकार के अन्दाजों, अनुमानों और अटकलबाजियों को प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री देसाई, क्या आप अब भी इस पर जोर दे रहे हैं ?

श्री बी० वी० देसाई : नहीं, महोदय। माननीय वित्त-मंत्री के वक्तव्य को दृष्टि में रखते हुए मैं इस सम्बन्ध में कोई और प्रश्न नहीं पूछना चाहता। लेकिन क्या मैं माननीय वित्त-मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या यह कार्यवाही मात्र मरणोपरान्त आप्रेशन ही होगी अथवा जिस समिति के बारे में उन्होंने बताया है, वह वास्तव में, इस सम्बन्ध में कुछ मौलिक कार्यवाही करेगी, चूंकि यह अत्यन्त गम्भीर मामला है।

श्री आर० वेंकटरामन : समिति से आगे की कार्यवाही के सम्बन्ध में सिफारिशें करने का अनुरोध किया गया है। अतः यह इस बात की सिफारिश करेगी कि क्या कार्यवाही की जाए।

श्री चित्त बसु : पिछली सरकार सोने से सम्बन्धित, उसकी नीलामी करने सहित, नीति का निर्धारण करने के लिए स्वयं सक्षम थी। उस समय श्री वेंकटरामन इस ओर बैठते थे। उनके पास उस नीति की आलोचना करने के अनेक अवसर थे। आखिरकार, यह एक ऐसी नीति थी जिसे संसद ने स्वीकार किया था। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि इस नीति की क्रियान्विति के बाद ऐसा कौन सा विशेष, विशिष्ट या खास कारण पाया गया, जिससे

श्री पुरी के अधीन इसकी विशेष जांच आवश्यक समझी गई ? क्या यह सच नहीं है कि इसमें राजनीतिक स्वर है ? क्या इसमें राजनीतिक बदले की भावना नहीं है ? क्या यह एक बुरा पूर्वोदाहरण नहीं है ? मिसाल के लिए विशेष धारक बाँड विधेयक पारित किया गया है। यह संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। यदि अगली सरकार इनके विरुद्ध इसलिए जांच बैठाए क्योंकि देश के कतिपय काला-बाजारियों से इनकी सांठ-गांठ थी और इन्होंने उनके अवैध धन को कानूनोचित करने की अनुमति दे दी थी, तो क्या यह उचित होगा ? क्या यह संसदीय प्रणाली के अनुरूप है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या पुरी समिति ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई से भी पूछताछ की थी ? क्या पुरी समिति ने भूतपूर्व वित्त मंत्री से भी पूछताछ की थी और क्या उनके विचार दर्ज किए गए थे ? और क्या यह सच नहीं है कि इस समिति का इसलिए गठन किया गया था क्योंकि श्री पुरी और श्री पटेल के बीच कोई मतभेद या विवाद या द्वेष अथवा हितों के संघर्ष की कोई बात थी ?

श्री एच० के० एल० भगत : इन्हें इस प्रकार किसी के विरुद्ध परोक्ष टीका-टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें। यह मेरा काम है। आप क्यों मेरा काम खुद संभाल रहे हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : संसदीय लोकतन्त्र में अगली सरकार अपने से पहले की सरकार के कार्यों की छानबीन कर सकती है और आपने तो इस मामले में अति कर दी थी।

जहां तक नीति का सम्बन्ध है, मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि विपक्ष में रहते हुए मैंने इसकी आलोचना की थी और मैंने अपने आदरणीय दोस्त, श्री पटेल, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, को यह बताया था कि वे भावी पीढ़ियों द्वारा भारत के अपव्ययी पुत्र कहे जाएंगे। कोई नीति ठीक है या गलत है, उसका जांच से ही पता चलता है और जब मेरे मित्र श्री चित्त बसु यह पूछते हैं कि क्या धारक बाँडों या काले बाँडों, जैसा वे कहते हैं, से सम्बन्धित मेरी नीति की भी जाँच हो सकती है अथवा नहीं, तो मुझे पता है कि इसकी जाँच की जा सकती है और मैं इस पर अटल रहने के लिए तैयार हूं।

आखिरकार, इस जांच-पड़ताल का क्या प्रयोजन है ? यही ना, कि गलतियां पुनः न की जाएं। और जब ये जांच-पड़ताल किसी विरोध अथवा द्वेष की भावना से न की गई हो, तो इन सार्वजनिक जांच-पड़ताल का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना होता है कि भविष्य के लिए हम उससे कुछ सीख लें।

अब, इस रिपोर्ट का एक अच्छा प्रभाव यह होगा कि अब कोई भी व्यक्ति सोना या चांदी बेचने के विषय में नहीं सोचेगा। मैं स्वयं सार्वजनिक आलोचना और संसदीय आलोचना से लाभान्वित हुआ हूं, क्योंकि निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों द्वारा—वायदा बाजार द्वारा तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मेरे पर चांदी बेचने तथा चांदी का निर्यात करने का दबाव डाला जाता रहा है—और मैं सदैव उनसे कहता हूं, 'उन लोगों के अन्त को देखो जिन्होंने सोना बेचा था। मुझे भी उसी स्थिति में न डालो।'

इसमें कुछ अनुचित नहीं है.....

अध्यक्ष महोदय : बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ सीखते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : अतः यह अच्छा है कि इनमें से कुछ बातों की वास्तविक रूप से जांच-पड़ताल की जाए और तब भविष्य के लिए कुछ शिक्षा ग्रहण करें।

फिर मेरे माननीय मित्र ने पूछा कि जांच की क्यों आवश्यकता पड़ी। मैं पहले ही इसका उत्तर दे चुका हूं। इस मामले को सदन में उठाया गया था और बहुत से लोगों ने इसका सम्पूर्ण ब्यौरा जानना चाहा था। महोदय, यह अधिक बेहतर है कि उसकी जांच करवा ली जाए और मामले को संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए, बजाए इसके कि उसके बारे में लोग अटकल-बाजी लगाते रहें और अफवाहें उड़ाते रहें तथा निराधार कल्पनाएं करते रहें। इसीलिए जांच के आदेश दिए गए थे।

फिर प्रश्न यह हुआ कि क्या भूतपूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मन्त्री से पूछ-ताछ की गई। मेरे विचार में पूरी समिति को ऐसा करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी क्योंकि यह जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त आयोग नहीं था। यह केवल तथ्यों का पता लगाने और उनका अध्ययन करने वाली एक समिति थी। इसीलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि संसदीय उप-समिति द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और उनकी सिफारिशें आगे भेजी जानी चाहिए।

अन्तिम प्रश्न यह है : क्या इस जांच के पीछे द्वेष अथवा मन-मुटाव की कोई भावना तो नहीं है। मैं इसे नकारता हूं। ऐसी कोई भावना नहीं थी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं पहले आपका ध्यान प्रश्न के उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रश्न में यह पूछा गया है : 'उस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?' उत्तर में यह बताया गया है : 'इस रिपोर्ट की प्रतियां माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ संसद पुस्तकालय में रख दी गयी है।' मेरी समझ में नहीं आता कि यह बताने में क्या शरम महसूस की जा रही है कि समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं। रिपोर्ट पुस्तकालय में है। पुस्तकालय में बहुत सी चीजें रखी रहती हैं, लेकिन जब प्रश्न पूछा जाए, तो उसका उत्तर दिया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि उत्तर क्यों नहीं दिया गया है। क्योंकि सरकार इस तथ्य से एकदम हतप्रभ हो गई है कि वास्तव में पुरी समिति को कुछ नहीं मिला (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : यह भी एक अटकल है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि यह समिति आवश्यक है और दिन प्रतिदिन श्री मोरारजी देसाई की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है··· (व्यवधान)।

मुझे कोई विश्वास नहीं है कि यह सरकार कोई अभियोग चलाने जा रही है क्योंकि हम पिछले एक वर्ष और दो महीने से वैद्यलिंगम आयोग रिपोर्ट पर संसद में वाद-विवाद करने का और सम्बन्धित लोगों पर अभियोग चलाने का अनुरोध करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है। मैं जानता हूं कि पुरी समिति रिपोर्ट पर भी वे कुछ नहीं कर सकते।

श्री के० लकप्पा : यह तो अभी शुरू भी नहीं हुआ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्री लकप्पा, काश मुझे भी आपकी भांति आजादी होती।

अध्यक्ष महोदय : आपको वह आजादी प्राप्त है। कृपया अपना प्रश्न पूछें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, इस तथ्य को कि ये सब काम बिना किसी द्वेष-भाव के किए जाने चाहिएं, दृष्टि में रखते हुए मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या श्री पुरी को, जो रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर के पूर्वाधिकारी थे, नियुक्त करने से पहले उन्होंने शाह आयोग की वह रिपोर्ट देखी थी, जिसमें भूतपूर्व वित्त मन्त्री, श्री सुब्रह्मण्यम द्वारा साक्ष्य दी गई थी, तो फिर श्री पुरी की नियुक्ति क्यों की गई और उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है तथा जनता सरकार को उन्हें क्यों हटाना पड़ा था ?

श्री के० लकप्पा : वे शाह आयोग की रिपोर्ट का हवाला क्यों दे रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वित्त मन्त्री यहां उपस्थित हैं और वे इसका उत्तर दे देंगे ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वित्त मन्त्री उत्तर देने में अति सक्षम हैं और उत्तर टालने में भी वे बड़े योग्य हैं । श्री लकप्पा, आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि आपने कहा था कि बिना द्वेष-भाव के आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिए, क्या ऐसे आदमी की, अपने उत्तराधिकारी, डा० आई० जी० पटेल के आचरण की जांच करने के लिए नियुक्ति की जानी उचित थी और क्या इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि शाह आयोग में भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्री सुब्रह्मण्यम ने संकेत दिया था कि श्री पुरी किस प्रकार के व्यक्ति थे और वह किस प्रकार अर्नहता प्राप्त व्यक्ति थे और रिजर्व बैंक के उत्तराधिकारी गवर्नर के कार्यों की जांच करने के लिए श्री पुरी जैसे एक व्यक्ति को नियुक्त करना वर्तमान वित्त मन्त्री और इस सरकार के लिए गलत नहीं था ।

अध्यक्ष महोदय : इससे वह पिछली सरकार के खिलाफ नहीं जा सकेंगे ।

श्री आर० वेंकटरामन : श्री पुरी से सम्बन्धित एक प्रश्न के बारे में मेरे माननीय सहयोगी, श्री सिसोदिया, ने संसद में यह उत्तर दिया था । श्री पुरी ने 2-5-1977 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के गवर्नर पद से सेवा-निवृत्ति मांगी थी । श्री पुरी ने सेवा-निवृत्ति मांगने के लिए कोई कारण नहीं दिये थे । सेवा-निवृत्ति के लिए उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया था ।

अत: मेरे माननीय मित्र द्वारा दिया गया यह वक्तव्य, कि उन्हें हटाया गया था, पुरी तरह से गलत है । अब वह उनकी सेवा-निवृत्ति के लिए किसी ऐसी बात को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं जो उन्होंने चोरी-चोरी की है । ये सभी ऐसी बातें हैं जो उस रिकार्ड से, जो मेरे पास है, नहीं निकलती हैं । वह इसका श्रेय ले सकते हैं लेकिन ये बातें उन तथ्यों से, जो मेरे पास हैं, नहीं निकलती हैं ।

प्रयोजन का मानना गलत है । उन्होंने अपना कार्य कर लिया है । उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । यह सदन के लिए है कि वह इस पर विचार करे और निष्कर्ष निकाले कि तथ्य क्या हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री के० लकप्पा । मुकाबला बराबर का है ।

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, श्री चित्त बसु ने एक प्रश्न किया था ।

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं ।

श्री के० लकप्पा : जी नहीं । सरकार द्वारा पिछली कार्यवाही की जांच की गई है । उन्होंने वाहक बंध-पत्र योजनाओं और ऐसी सभी बातों के बारे में कुछ भी उद्धृत नहीं किया

था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि माननीय वित्त मन्त्री जानते हैं कि क्या सोने की बिक्री के बारे में कोई संसद का अधिनियम अथवा मंत्री मण्डल का कोई निर्णय था। क्या यह सच नहीं है कि केवल कुछ लोगों का गुट, भूतपूर्व वित्त मन्त्री और तत्कालीन प्रधान मन्त्री इस समस्त सोने को बटोरने के लिए जिम्मेदार हैं? मैंने यह प्रश्न पूछा था और संजय ने भी यह पूछा था। आपको इसका पता है। उस प्रश्न के आधार पर ही इस जांच का आदेश दिया गया था।

अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या पुरी समिति के प्रतिवेदन के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों और विनियमों की अवहेलना करने के लिए भूतपूर्व वित्त मन्त्री और भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए थे और यह कहा गया था कि सोना बटोर लिया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसकी जांच के लिए गठित की जा रही उप-समिति द्वारा इन बातों की भी जांच की जाएगी। (व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : श्रीमान्, पुरी समिति ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है कि सोने की नीलामी करने संबंधी निर्णय इस प्रयोजन के लिए एक बैठक में मन्त्रिमण्डल द्वारा नहीं लिया गया था। पुरी समिति ने यह भी बताया था कि सी० सी० पी० ए० की बैठक – प्राय: राजनीतिक मामलों संबंधी समिति की कैबिनेट बैठक होती है और निर्णय लेती है—नहीं बुलाई गई थी।

इसके साथ ही मैं निष्पक्षता से कहना चाहता हूं कि बजट को प्रस्तुत करने से पूर्व यह मामला केबिनेट में ले जाया गया था और यह बजट प्रस्तावों का हिस्सा था। ये दोनों बातें पुरी समिति के प्रतिवेदन में दर्ज की गई हैं। जैसे मैंने कहा है, हमें इन सभी बातों पर विचार करना पड़ेगा।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय मैं प्रक्रिया सम्बन्धी मामला उठाना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि बजट के पूर्व कैबिनेट में क्या हुआ था। क्या किसी मन्त्री के लिए यह उल्लेख करना ठीक है कि कैबिनेट में क्या हुआ था? कृपया आप अपना विनिर्णय दें।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने किसी बात का उल्लेख नहीं किया था जो कैबिनेट में हुई थी। मैंने कहा है कि पुरी समिति ने कहा है कि यह मामला इस प्रयोजन के लिये किसी निर्णय के लिए कैबिनेट में नहीं ले जाया गया था। मैंने यह भी कहा है कि यह मामला राजनीतिक मामलों सम्बन्धी मन्त्रिमण्डलीय समिति में नहीं ले जाया गया था जो आमतौर पर परम्परा है। इसके विपरीत यह बजट प्रस्तावों के अंग के रूप में ले लिया गया था। कैबिनेट के निर्णय के बारे में मैंने कोई बात कहाँ कही थी?

श्री नीरेन घोष : महोदय, शाह जांच आयोग का गठन किया गया था। यह सार्वजनिक जांच आयोग था और एक लम्बे अर्से तक साक्ष्य लिए गए थे। इसके बाद इस आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। जांच आयोग से कुछ मामले सामने आए थे। वर्तमान सरकार ने केवल इस कार्यवाही को रद्द कर दिया था और शाह आयोग के प्रतिवेदन को वापस ले लिया है। इस समय जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत एक जांच आयोग बैठाने की बजाए केवल एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। यद्यपि पुरी समिति के इस प्रतिवेदन पर टीका-टिप्पणी हो रही है तथापि यह हैरानी की बात है कि इस पर विचार करने के लिये एक मन्त्रिमण्डलीय

उप-समिति बनाई जा चुकी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले पर एक जाँच आयोग का गठन किया जाएगा और श्री मोरारजी देसाई और श्री आई० जी० पटेल को इसके समक्ष बुलाया जाएगा और उन्हें अवसर दिया जाएगा कि वे इस समस्त मामले को स्पष्ट करें?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं इस प्रश्न को ठीक प्रकार से समझ नहीं सका हूं। क्या माननीय सदस्य इस मामले पर एक जाँच आयोग बैठाना चाहते हैं? यदि प्रतिपक्ष के सदस्यों की यह माँग है

कुछ माननीय सदस्य : यही माँग है।

श्री आर० वेंकटरामन : यदि सभी पक्षों की यही माँग है तो मैं उसे प्रधान मन्त्री को बतलाने के लिए तैयार हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप इसी समय एक जाँच आयोग नियुक्त करें। लेकिन मैं जानता हूं कि आप ऐसा नहीं करेंगे।

श्री आर० वेंकटरामन : ये सभी डींग मार रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : हम आपकी भारी भूलों को दोहराना नहीं चाहते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि यदि मन्त्रिमंडल की उप-समिति इन अभिलेखों का अध्ययन करने के बाद अपने विवेक से विचार करती है कि जाँच आयोग न्यायसंगत है तो वह ऐसा करने से पीछे नहीं हटेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 461। मैंने अगला प्रश्न पुकारा है। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)**

हिमाचल और कश्मीर के सेब का निर्यात

*461. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात की किस्म के सेबों के खाली खोखे बनाने और निर्यात स्थान तक होने वाले माल भाड़े के अधिभार के प्रारम्भिक खर्च को पूरा करने के लिए सेब उत्पादकों/निर्यातकर्ताओं को वित्तीय सहायता के रूप में आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करके विदेशों को हिमाचल तथा कश्मीर के सेब के निर्यात को सरकार प्रोत्साहित कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष कितनी मात्रा में सेबों का निर्यात किया गया और चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में निर्यात किए जाने का विचार है; और

(ग) दिए गए अथवा दिए जाने वाले प्रस्तावित प्रोत्साहनों का विवरण क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) तथा (ग) : केन्द्रीय सरकार निर्यात क्वालिटी के सेबों के खाली खोखों और निर्यात स्थल तक माल भाड़े के प्रभार के प्रारम्भिक खर्च की पूर्ति के लिये सेब उगाने वालों/निर्यातकों को अलग से कोई वित्तीय सहायता नहीं देती है। तथापि, सरकार एफ० ओ० बी० मूल्य के 15 प्रतिशत की दर से नकद मुआवजा सहायता और पैकेजिंग सामग्री के आयात के लिए एफ० ओ० बी० मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से आयात प्रतिपूर्ति देती है।

(ख) 1.4.1979 से लेकर 3.1.1980 तक के दौरान कुल 2164 मे. टन सेब का निर्यात

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

किया गया। चालू वर्ष के दौरान निर्यात मांग तथा सप्लाई की स्थिति पर निर्भर करेगा। क्योंकि इसके निर्यात की अनुमति बिना किसी मात्रा संबंधी प्रतिबंध के है।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : सेब हिमाचल प्रदेश और जम्मू-काश्मीर कुमाऊ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यह एक फारेन एक्सचेंज अर्निन्ग कामोडिटी है। क्या सरकार के पास इस फारेन एक्सचेंज अर्निन्ग कामोडिटी के बारे में ग्रोअर को कोई फ्रेश इनसेन्टिव देने की कोई योजना है; अगर है, तो मंत्री महोदय उसकी डीटेल्ज दें, अगर नहीं है, तो क्या सरकार सेब के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखती है ?

श्री खुर्शीद आलम खान : मैं बता चुका हूं कि 15 प्रतिशत नकद मुआव्जा सहायता दी गई है। सेबों के निर्यात के बारे में पूरी दिक्कत यही है। ऊपरी परिवहन भाड़ा बहुत अधिक है। यूरोप, अमरीका और अन्य स्थानों से, उन देशों को जहाँ सेब का आयात किया जाता है, निर्यात करने वाले देशों की तुलना में उन आयात करने वाले देशों को भारत से विमान भाड़ा शुल्क अपेक्षाकृत बहुत अधिक है।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : मैंने सवाल किया है कि क्या सरकार ग्रोअर्ज को कोई इनसेन्टिव देने के बारे में सोच रही है या नहीं। उसका जवाब नहीं आया है।

श्री खुर्शीद आलम खान : यह राज्यों के हार्टीकल्चर (उद्यान) विभागों का दायित्व है।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या सरकार ने वर्ल्ड मार्केट का कोई सरवे किया है कि सेब की खपत कहां हो सकती है ? क्या सरकार ने कोई जानकारी हासिल की है कि आईंदा आने वाले साल में सेब के एक्सपोर्ट की मिकदार क्या होगी ?

श्री खुर्शीद आलम खान : विश्व बाजार में हमारा हिस्सा केवल 2 प्रतिशत है। निर्यात उस फसल पर निर्भर करता है जो इस देश में उत्पादित की जाती है। जैसा आप जानते हैं केवल दो प्रदेश हैं अर्थात् हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर जो सेबों का ही उत्पादन करते हैं। जब कभी प्रोत्साहन अथवा सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो हम उन्हें यथासंभव अधिकतम देते हैं।

श्री पी० नामग्याल : जहां तक ऐपल एक्सपोर्ट का सवाल है, प्रापर और साइंटिफिक पैकिंग और साइंटिफिक ग्रेडिंग न होने की वजह से हमारे ऐपल बाहर के कन्ट्रीज में कम्पीट नहीं कर पाते हैं। मैं आनरेबल मिनिस्टर से यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने इस सिलसिले में क्या स्टेप्स लिए हैं कि ऐपल्ज का साइंटिफिक ग्रेडिंग और प्रापर पैकिंग किया जाए, ताकि वे बाहर के मुल्कों की प्राडक्ट से कम्पीट कर पायें।

श्री खुर्शीद आलम खान : पैकिंग के बारे में मैं उल्लेख कर चुका हूं कि हम पैकिंग सामग्री का आयात करने के लिए 5 प्रतिशत आयात प्रतिपूर्ति देते हैं। लेकिन वास्तविक दिक्कत यह है कि जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश से बम्बई और अन्य स्थानों के निर्यात स्थल तक ऊपरी परिवहन में इन्हें पैकिंग करने में वास्तव में ये सेब सड़-गल जाते हैं।

श्री पी० नामग्याल : ग्रेडिंग के बारे में क्या है ?

श्री खुर्शीद आलम खान : यह निर्यात स्थल पर किया जाता है। वे इसका ग्रेड निर्धारित करते हैं। वे इन्हें अलग करते हैं। वे सभी सेब, जो अच्छी किस्म के नहीं होते हैं, निर्यात नहीं किए जाते हैं। उन्हें हटा लिया जाता है।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : हिमाचल प्रदेश में सेबों को पैक करने के लिए लकड़ी के बक्स बनते हैं। लेकिन अब वहां पर बेशुमार दरख्त काटे जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है और क्या किसी दूसरी चीज के बक्स बनाने की कोई व्यवस्था की है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार ने सेब के छोटे उत्पादकों को क्या प्रोत्साहन दिया है।

श्री खुर्शीद आलम खान : यह सेबों के निर्यात से संबंधित प्रश्न है। सेब लकड़ी की पेटियों में निर्यात नहीं किए जाते हैं। ये हल्की-सामग्री के बक्सों में निर्यात किए जाते हैं। अतः यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विदेशों में बिक्री एवं मार्किटिंग के लिये अन्तर्राष्ट्रीय होटल समूहों के साथ सहयोग

*459 **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में होटल उद्योग को विदेशों में बिक्री एवं मार्किटिंग के लिए विख्यात अन्तर्राष्ट्रीय होटल समूहों के साथ सहयोग की अनुमति देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) जी, हां।

(ख) होटल उद्योग में विदेशी पूंजी-निवेश और सहयोग के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत संलग्न विवरण में दिए गए हैं, जो सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

होटल उद्योग में विदेशी पूजी-निवेश और सहयोग के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

भारत में उपयुक्त स्तरों के होटल के आवास के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए, ताकि विदेशी पर्यटक यातायात में हो रही वृद्धि के साथ-साथ कदम से कदम मिलकर चला जा सके, और ऐसे आवास की अपर्याप्तता को रोकने के लिए जो देश में विदेशी पर्यटन के संवर्धन के लिए नकारात्मक है, भारत सरकार ने होटल उद्योग के क्षेत्र में पूंजी लगाने के लिए आकर्षित करने की दृष्टि से समय-समय पर विविध कर संबंधी/वित्तीय और अन्य प्रोत्साहनों की पेशकश की है। इनसे और अन्य सहायक उपायों से देश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक होटलों की स्थापना हो सकी है और ऐसे होटलों के प्रबंध और संचालन में स्वदेशी क्षमताओं और विशेषज्ञताओं का विकास हो सका है।

तथापि, कुछ मामलों में, उद्यमकर्ता होटल की प्रारम्भिक आयोजना, डिजाइनिंग और साज-सज्जा करते समय और इससे भी बढ़कर होटल के चालू हो जाने के बाद विदेश में मार्केटिंग करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखलाओं में उपलब्ध कुछ विशिष्ट तकनीकी सेवाओं की अभी भी जरूरत महसूस करते हैं। इसलिए, भारत सरकार ने प्रत्येक मामले के गुणों पर निर्भर रहते हुए विदेशी पूंजी—निवेश और सहयोग की मोटे तौर पर निम्नलिखित आधार पर अनुमति दी है :—

(1) केवल प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखलाओं के साथ ही होटल उद्योग में विदेशी सहयोग करने की अनुमति दी जाएगी ।

(2) ऐसी होटल श्रृंखलाओं के साथ विदेशी सहयोग केवल विक्रय और प्रचार/विदेशी होटल श्रृंखलाओं द्वारा विदेशों में मार्केटिंग करने के उद्देश्य के लिए किया जाएगा ।

(3) जब कोई विदेशी सहयोगी भारतीय कम्पनी में विदेशी मुद्रा में इक्विटी कैपिटल लगाना चाहे; उसे कम्पनी की कुल इक्विटी कैपिटल का 30 प्रतिशत तक ऐसा करने की अनुमति होगी । विदेशी सहयोगी भारतीय करों का भुगतान करने के बाद विदेशी मुद्रा में लगाई गई पूंजी पर मिलने वाले डिविडेंड या अन्य किसी भुगतान को और साथ-साथ मूल्य-वृद्धि के साथ पूंजी को वह स्वदेश ले जाने के लिए स्वतंत्र होगा ।

(4) जब भारतीय पार्टी अपने विदेशी सहयोगी से ऋण सहायता लेना चाहे तो उसे सरकार द्वारा अनुमोदित की जाने वाली शर्तों और ब्याज की दरों पर परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत तक ऐसा ऋण लेने की आज्ञा होगी । मूलधन और ब्याज स्वदेश ले जाया जा सकता है ।

(5) विक्रय, प्रचार और मार्केटिंग के लिए विदेशी पार्टी को दी जाने वाली फीस केवल रूम सेल्स से संबंधित होगी ।

(6) पूर्व-प्रारम्भिक अवस्था में अर्पित की गई विशेषीकृत तकनीकी सेवाओं जैसे, आयोजना, डिजाइनिंग, एक्विपिंग आदि के लिए विदेशी होटल श्रृंखला एक-मुश्त भुगतान पाने की हकदार होगी ।

(7) ट्रेनिंग, ब्रैंड नाम के इस्तेमाल जैसी पश्च-प्रारम्भिक तकनीकी सेवाएं अर्पित करने के लिए विदेशी होटल श्रृंखलाएं पारिश्रमिक पाने की हकदार होंगी ।

(8) भारतीय होटलों के साथ सहयोग करने वाली विदेशी होटल श्रृंखलाओं को सभी भुगतान समय-समय पर लागू इण्डियन टैक्सेशन लाज एण्ड दि फारेन एक्सचेंज रेगुलेशन्स के अनुसार किए जाएंगे ।

(9) ऐसे होटलों को विदेशी सहयोग की अनुमति दी जाएगी जो 4-स्टार या 5-स्टार या रिसॉर्ट होटल श्रेणियों के स्तर और सुविधाओं के अनुरूप होंगे ।

निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अधीन आने वाली वस्तुओं का नौभरण पूर्व निरीक्षण

*460 **श्री समर मुखर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत भारत से निर्यात की गई कुल कितनी वस्तुओं को अब तक अनिवार्य किस्म नियंत्रण और नौभरण पूर्व निरीक्षण के अन्तर्गत लाया गया है;

(ख) वस्तुओं का नौभरण पूर्व निरीक्षण करने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद ने अपनी निर्यात निरीक्षण एजेंसियों के अलावा कुल कितनी गैर-सरकारी एजेंसियों को प्राधिकृत किया है;

(ग) सरकार ने और अधिक वस्तुओं को अनिवार्य किस्म नियंत्रण और नौभरण पूर्व

पूर्व निरीक्षण के अन्तर्गत लाने के लिए ऐसे क्या कदम उठाए हैं जिससे कि निर्यात किये गये माल की किस्म के बारे में विदेशी क्रेताओं को थर्ड पार्टी गारण्टी दी जा सके; और

(घ) कुछ गैर सरकारी निरीक्षण एजेंसियों द्वारा निर्यातकों के साथ सांठ-गांठ करके अपनाए गए अनुचित तरीकों पर रोक लगाने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित की गई अनिवार्य किस्म नियंत्रण तथा नौभरण पूर्व निरीक्षण एजेंसियों के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अभी तक निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की परिधि के अन्तर्गत 831 वस्तुएं लाई गई हैं।

(ख) अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत सरकार द्वारा स्थापित किये गये निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के अलावा, अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं का लदान पूर्व निरीक्षण करने के लिए 37 गैर-सरकारी निरीक्षण अभिकरणों को भी मान्यता दी गई है।

(ग) नई वस्तुओं अर्थात् मशीनी औजार, तैयार चमड़ा, खाद्य उत्पाद, पटसन उत्पाद, काजू खोल, चीनी मिट्टी उत्पाद, एक्स-रे उपस्कर, रबड़ के टायर तथा ट्यूबें आदि जिन्हें अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण तथा लदान पूर्व निरीक्षण की परिधि में शामिल किये जाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। अधिनियम की परिधि के अन्तर्गत किसी भी वस्तु को शामिल किये जाने से पहले व्यापारियों के विचारों तथा आपत्तियों, यदि कोई हों, पर विचार किया जाता है।

(घ) गैर-सरकारी निरीक्षण अभिकरणों के कार्य निष्पादन पर निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा निरन्तर निगरानी रखी जाती है। निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 में संशोधन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसमें ये शामिल हैं : अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए अधिक कड़े आर्थिक दंड की व्यवस्था तथा तलाशी, छीनना, जब्त करना, अधिनिर्णय एवं दंड के लिए नई शक्तियां प्रदत्त करना।

दिल्ली में सामान की तस्करी में अन्तर्ग्रस्त इंडियन एयरलाइन्स के व्यक्ति

*462. **श्री रशीद मसूद**
श्री राम विलास पासवान } : **क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स के कुछ कर्मचारी हाल ही में दिल्ली में सामान की तस्करी करते पाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किए गए तो कितने और उनसे किस प्रकार का सामान जब्त किया गया तथा उसका अनुमानित मूल्य क्या है; और

(ग) पिछले एक साल में इंडियन एयरलाइन्स के कितने व्यक्तियों को तस्करी की गतिविधियों में संलग्न पाया गया तथा उनका काम करने का ढंग क्या था और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स के तीन कर्मचारियों, अर्थात् श्री पी. एल. वडेरा, कार्यालय अधीक्षक, श्री एस. पी. रटेजा, यातायात सहायक तथा श्री एच. सी. मल्होत्रा, कार्यालय सहायक को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। सर्वश्री वडेरा तथा रटेजा को 19-2-1981 को और श्री मल्होत्रा को 26-2-1981 को गिरफ्तार किया गया था। पकड़े गए माल में रेडियो कैस्सेट रिकार्डर, साड़ियां, रिस्ट वाचें, कम्प्यूटर तथा फोटोग्राफिक सामग्री आदि शामिल थीं। इनका बाजार भाव के अनुसार मूल्य लगभग 81,000/-रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान इन तीन को छोड़कर इण्डियन एयरलाइन्स का और कोई कर्मचारी तस्करी करता नहीं पाया गया।

उपरोक्त मामलों में इन व्यक्तियों के सूटकेसों को संबंधित एयरलाइनों ने "मिस-हैंडल्ड बेयरहाउस" में जमा करा दिया था और उन्हें सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा खोला गया था। बाद में, यह पता चला कि ये सूटकेस इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों के थे।

काण्डला निर्बाध व्यापार क्षेत्र पर हुआ व्यापार

*463. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काण्डला निर्बाध व्यापार क्षेत्र पर कितने मूल्य का व्यापार हुआ;

(ख) क्या व्यापार के वार्षिक मूल्य में वृद्धि हो रही है;

(ग) निर्बाध-व्यापार क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्या सुविधाएं दी जाती हैं; और

(घ) निर्बाध व्यापार क्षेत्र के विकास का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

बहु उत्पाद मुक्त व्यापार जोन होने के कारण काण्डला मुक्त व्यापार जोन के सभी एकक 100% निर्यात दायित्व के अन्तर्गत हैं। निम्नोक्त तालिका में जोन के आरंभ से उसके वर्षवार निर्यात के आंकड़े दिए गये हैं। उससे यह देखा जा सकता है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान निर्यातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है :—

वर्ष	कुल निर्यात (लाख रु० में)
1966-67	7.48
1967-68	8.94
1968-69	51.30
1969-70	60.13
1970-71	34.44
1971-72	79.78
1972-73	151.17
1973-74	176.95

(जारी.....)

1	2
1974-75	180.15
1975-76	219.20
1976-77	352.36
1977-78	471.65
1978-79	552.75
1979-80	940.00
1980-81	2356.00
(11 मार्च, 1981 तक)	
योग :	5642.35

2. जोन एककों को निम्नोक्त सुविधाएं उपलब्ध हैं :—

(1) एक ही मंच अर्थात् काण्डला मुक्त व्यापार जोन बोर्ड में सभी आवेदनपत्रों (औद्योगिक लाइसेंस, विदेशी सहयोग, पूंजीगत माल तथा एम. आर. टी. पी. के क्लीयरेन्स के लिए सरलीकृत क्रिया विधि;

(2) ओ. जी. एल. के अन्तर्गत रखे गए पूंजीगत माल, कच्चे माल, संघटक, फालतू उपभोक्ता माल, औजार, जिग्स, गाज एवं फिक्सचर्स का शुल्क मुक्त आयात;

(3) नगरपालिका शुल्क तथा चुंगी से छूट;

(4) उत्पादन तथा अन्य केन्द्रीय लेवियों से छूट;

(5) बने बनाए शेडों तथा प्लाटों के लिए रियायती दर का किराया;

(6) निर्यात उत्पादन के लिए माल की खरीद पर जोन एककों द्वारा दिए गए केन्द्रीय बिक्री कर की पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति;

(7) निर्यात के एफ. ओ. बी. मूल्य के 2% की दर पर परिवहन उपदान;

(8) 1 नवम्बर, 1977 के बाद स्थापित एककों के लिए 25 लाख रु० की अधिकतम नकद अनुदान के अध्यधीन लघु उद्योग एककों के लिए निर्धारितपूंजी निवेश का 15% तथा मध्यम/भारी उद्योग एककों के लिए निर्धारित सम्पत्तियों का 15% नकद उपदान;

(9) गुजरात राज्य वित्तीय निगम तथा गुजरात औद्योगिक पूंजी निवेश निगम से कम ब्याज दरों पर उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध हैं;

(10) गुजरात सरकार द्वारा जोन में सभी उद्योगों को विद्युत उपदान योजना लागू की गई है; तथा

(11) 1981-82 के लिए बजट में 5 वर्ष की अवधि के लिए करावकाश की घोषणा की गई।

3. जैसा कि निर्यात के आंकड़ों से देखा जा सकता है, जोन के कार्यकलापों में वृद्धि के कारण सरकार जोन में अतिरिक्त क्षेत्र के विकास करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

डिब्बाबन्द वस्तुओं का न्यूनतम विक्रय मूल्य प्रदर्शित करना

*464. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिब्बा बन्द वस्तुओं पर दिखाई गई कीमतें सुझाई गई अधिकतम खुदरा कीमतें

होती हैं और उपभोक्ता से ली जाने वाली वास्तविक एवं उचित कीमतें नहीं होतीं जिससे कि दुकानदारों को खरीदारों का शोषण करने के अवसर प्राप्त होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निर्माताओं को यह आदेश देने का है कि डिब्बाबन्द वस्तुओं पर न्यूनतम विक्रय मूल्य भी दिखाए जायें जिससे कि दुकानदारों द्वारा कमाए जा रहे भारी मुनाफे को कम करने के साथ-साथ खरीदारों के हितों की रक्षा की जा सके और कीमतें कम की जा सकें ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

विवरण

(क) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के तहत, पहले से पैक की गई वस्तु, जिसका अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य होता है, के पैकेज पर, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नांकित में से किसी एक तरीके से उस वस्तु के मूल्य की घोषणा अंकित होनी चाहिये :—

(1) अधिकतम मूल्य..... स्थानीय कर अतिरिक्त

(2) अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य.....(अर्थात् वह अधिकतम मूल्य, जिस पर वस्तु वास्तविक उपभोक्ता को, सभी करों, प्रभारों आदि को मिलाकर, बेची जानी है) ।

उपर्युक्त उपबन्ध मुख्यतः इस दृष्टि से किया गया है कि खुदरा व्यापारी ग्राहकों का शोषण न कर पायें ।

(ख) जी, नहीं ।

इंडियन प्रोजेक्ट एक्सपोर्टस द्वारा पश्चिम एशियाई क्षेत्र में भाग लेना

*465. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र की विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए क्षेत्रीय सहयोग की बढ़ती हुई अवधारणा के प्रति भारतीय उद्योग द्वारा ज्यादा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय परियोजना निर्यातकों द्वारा पश्चिम एशियाई क्षेत्र में भागीदारी का हिस्सा बढ़ाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) सरकार को विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग के संबंध में दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में भारतीय उद्योग द्वारा सहयोग के लिए बढ़ती हुई गुंजायश की जानकारी है । भारत एस्केप (एशिया तथा प्रशान्त के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग) का एक सदस्य देश है जो इस क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए एक मंच तथा एक ढांचा प्रदान करता है । वस्तुतः इस क्षेत्र में भारतीय उद्योग का विस्तृत परियोजना सहयोग है । लगभग 57 संयुक्त उद्यम कार्यरत हैं जिनमें दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के देशों में भारतीय फर्मों का भाग लेना अन्तर्ग्रस्त है और लगभग 4 ऐसे संयुक्त उद्यम दक्षिण एशियाई क्षेत्र में है । सहयोग के क्षेत्रों में शामिल है—विद्युत

उत्पादन, संचारण एवं वितरण, असैनिकनिर्माण, वस्त्र मिलें, चीनी संयंत्र आदि। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के देशों में संयुक्त उद्यम संबंधी कई प्रस्ताव कार्यान्वयनाधीन हैं। हाल ही में जनवरी-फरवरी, 1981 में एसियन देशों और हांगकांग, ताइवान तथा दक्षिण कोरिया को फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा प्रतिनिधिमण्डल प्रायोजित किए गए थे।

इस क्षेत्र की परियोजनाओं में भारतीय परियोजना निर्यातकों द्वारा अधिक भागीदारी प्राप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। मुख्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

—संयंत्र, मशीन तथा उपस्कर के विनिर्माण। निर्यात हेतु भारतीय क्षमताओं एवं सम्भाव्यताओं की अभिज्ञा सृजित करने के लिए इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद ने प्रत्येक एसियन देश में हर दूसरे वर्ष पूर्ण रूप से भारतीय प्रदर्शनियाँ (जिन्हें इन्डी कहा जाता है) आयोजित करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। इस प्रकार की पूर्णतया भारतीय प्रदर्शनियां 1977 में सिंगापुर, में 1979 में जकार्ता में और 1981 में बैंकाक में आयोजित की गई थी। उसी प्रकार की प्रदर्शनियां 1983 में कुआलालुम्पुर में और 1985 में मनीला में आयोजित करने का प्रस्ताव है। व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा भी इस क्षेत्र के देशों में प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं।

—भारत एशियाई विकास बैंक (ए. डी. वी.), जो इस क्षेत्र की अनेक परियोजनाओं में पूंजी लगाता है, का एक सहायक सदस्य है। ए. डी. बी. द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं के लिए सक्षम भारतीय फर्मों को सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

— विदेश स्थित भारतीय परियोजनाओं के संवर्धन से संबंधित सभी मामलों को देखने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त अन्तः मंत्रालय समिति, जिसे विदेश परियोजना विकास समिति के नाम से पुकारा जाता है, स्थापित की गई है।

—बैंक गारंटियों आदि के लिए परियोजना निर्यातकों द्वारा पैकेज क्लियरेंस प्राप्त करने हेतु कार्याविधि संबंधी औपचारिकताओं को कम करने की दृष्टि से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में एक कार्यकारी दल की स्थापना की गई है।

—परियोजना निर्यातों से सम्बन्धित संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अस्थगित ऋण (जिसमें ऋण स्थगन शामिल है) की अवधि, अस्थगित प्राप्तियों पर ब्याज, वित्त आदि को पूरा करने की व्यवस्था के बारे में प्रमुख छूट दी गई है। टर्नकी संविदाओं के सेवा खण्ड में चयनात्मक आधार पर अस्थगित ऋण के विस्तार के संबंध में एक नई सुविधा आरम्भ की गई है।

आयकर अधिकारियों द्वारा 'कामरोको' हड़ताल

*466. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री रामजीभाई मावणि } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 फरवरी, 1981 को लगभग 3500 आयकर अधिकारियों और सहायक आयुक्तों ने दो घंटे की 'कामरोको' हड़ताल की थी और अपनी मांगों के समर्थन में मध्याह्न-भोजन अवकाश में प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इतने उच्च अधिकारियों की ओर से अनुशासनहीनता के इन कार्यों को रोकने के

लिए, जिससे जनता को भारी असुविधा भी होती है, सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया : (क) कुछ आयकर आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने 23 फरवरी, 1981 को कलम बन्द हड़ताल की और भोजनावकाश के दौरान प्रदर्शन किए ।

(ख) उनकी माँगें इस प्रकार हैं :—

(1) अन्त: परिवर्तनीय पदों पर कार्य कर रहे आयकर अधिकारियों के बीच श्रेणी भेद-भाव समाप्त करना;

(2) पाँच वर्ष अथवा उससे अधिक की सेवा वाले समूह 'ख' के सभी आयकर अधिकारियों की समूह 'क' वरिष्ठ वेतनमान में तत्काल पदोन्नति;

(3) समूह 'ख' के आयकर अधिकारियों को 840—1200 रु० का वेतनमान प्रदान करना;

(4) 1973 के वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को समाप्त करना;

(5) विभाग के सभी ग्रेडों के अधिकारियों के लिए युक्तिसंगत तथा वैज्ञानिक कार्य-प्रतिमानों का निर्धारण; तथा

(6) महासंघ के साथ परामर्श करके सभी अधिकारियों के लिए उचित संवर्ग व्यवस्था ।

इन माँगों की समय-समय पर सावधानीपूर्वक जाँच की गई है किन्तु इन्हें स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है । लेकिन, आयकर विभाग में अधिकारियों की पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के प्रश्न की बराबर समीक्षा की जाती है और जब भी आवश्यक समझा जाता है, इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की जाती है ।

(ग) सरकार ने, राजपत्रित अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले आयकर राजपत्रित सेवा संगठनों के महासंघ द्वारा अपनाये गए आन्दोलनात्मक रवैये को गम्भीर रूप से लिया है । कलम-बन्द हड़ताल, प्रदर्शन आदि जैसे आन्दोलनात्मक तरीकों से आचरण नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन होता है । महासंघ का ध्यान इन नियमों की ओर दिलाया गया था ।

महासंघ ने अब अपना आन्दोलन वापस ले लिया है ।

तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि

*467. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अहमदाबाद के उत्पाद शुल्क कलेक्टर द्वारा 11 दिसम्बर, 1980 को जारी की गई उस अधिसूचना की ओर दिलाया गया है जिसके द्वारा "गडाकू" तथा "हुक्के" के लिए उपयोग में आने वाले तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की गई है जिसके कारण सामान्य तथा निर्धन लोगों पर बोझ पड़ने की आशंका है;

(ख) उत्पाद शुल्क में कितनी वृद्धि की गई है और इससे कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है;

(ग) क्या सरकार को उक्त अधिसूचना के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, अहमदाबाद ने ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। लेकिन, उसने, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली, द्वारा 11-12-1980 को जारी की गई एक टैरिफ सलाह के आधार पर दिनांक 23-12-1980 को एक व्यापार सूचना जारी की थी, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि दानों के रूप में, "गुड़ाकू" पाइपों और सिगरेटों के लिए धूम्रपान मिश्रण के रूप में वर्गीकरण-योग्य है, न कि हुक्का तम्बाकू के रूप में।

(ख) वर्गीकरण में किए गए इस परिवर्तन के कारण, (मूल), बिक्री करके स्थान पर (अतिरिक्त और विशेष) उत्पादन शुल्क की दर मूल्यानुसार 20.75 प्रतिशत से बढ़कर मूल्यानुसार 311 25 प्रतिशत हो गई। इस परिवर्तन के कारण प्रतिवर्ष लगभग 50,000 रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा थी।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने अब दिनांक 12-3-1981 की अधिसूचना सं० 59/81-केन्द्रीय उत्पादन शुल्क जारी कर दी है, जिसके अनुसार दानों के रूप में गुड़ाकू पर कुल उत्पादन शुल्क उस स्थिति में वही उद्ग्रहणीय होगा, जो हुक्का तम्बाकू पर लागू है, अर्थात् मूल्यानुसार 20.75 प्रतिशत, यदि उसकी बिक्री किसी ब्राण्ड नाम के अन्तर्गत की जाती है और यदि उसकी बिक्री बिना किसी ब्राण्ड नाम से की जाती है तो उसे शुल्क से पूरी छूट प्राप्त होगी।

"कैयर इन्क" द्वारा विदेशी मुद्रा स्वदेश भेजना

*468 **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कोई आदेश पास किया है जिसमें "कैयर इंक" को अमरीका स्थित अपने प्रधान कार्यालय में विदेशी मुद्रा भेजने का अधिकार दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस देश में कार्य कर रही ऐसी किन्हीं अन्य विदेशी धर्मार्थ स्वैच्छिक संस्थाओं को देश से कोई धनराशि स्वदेश भेजने की अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी संस्थायें कौन-कौन सी हैं और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी, हां। सी. ए. आर. ई. के साथ सरकार द्वारा किए गए समझौते के अनुसार, यह संस्था भारत में अनुमोदित अपने कार्यक्रमों के लिए आयातित प्रत्येक 1000 पौण्ड खाद्य पदार्थों के लिए 1 अमेरिकी डालर के बराबर रुपया राशि को परिवर्तित करा सकती है और उसे अमेरिका वापस भेज सकती है। यह रकम सी. ए. आर. ई. द्वारा भारत से बाहर माल के उठाने-धरने और प्रशासनिक लागत को पूरा करने के लिए है। इस प्रबन्ध के अन्तर्गत, 1964-65 से कुल 59,80,472,12 डालर की रकम अमेरिका भेजी गई है।

(ग) सी. ए. आर. ई. जैसी कोई और विदेशी धर्मार्थ/स्वयंसेवी संस्था नहीं है जिसे हमारे देश से बाहर कोई रकम भेजने की इजाजत हो।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

हथकरघा बुनकरों को धागे की सप्लाई

*469. श्री चिन्तामणि जैन
श्री जी० वाई० कृष्णन } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा बुनकरों को कम काउन्ट का धागा सप्लाई किए जाने के बारे में प्रोत्साहन देने सम्बन्धी अपनी नीति की पुनरीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की योजना का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) हथकरघा बुनकरों को कम काउन्ट के यार्न की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सभी कताई मिलों पर कानूनी दायित्व डाला है कि वे बाजार में दिए जाने वाले कम से कम 50 प्रतिशत यार्न को हैंक की शक्ल में पैक करें। इसमें से 85 प्रतिशत 40 काउन्टों से कम का है। इसके अलावा, हाल ही में आई. सी. एम. एफ., एस. आई. एम. ए. और एन. टी. सी. के साथ एक व्यवस्था की गई थी जिसके अनुसार 20 काउन्टों से लेकर 40 काउन्टों तक के हैंक यार्न की 14000 गांठें जनवरी 1981 के तीसरे सप्ताह में प्रचलित बाजार कीमतों से 10 प्रतिशतकम कीमतों पर सप्लाई की जानी थी। जिसका उद्देश्य "जनता" कपड़े के उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करना था।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र

*471. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए निर्धारित धनराशि का उपयोग करने में कितनी कमी रही है, और

(ख) उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख) वर्ष 1980-81 के संशोधित बजट अनुमानों में विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के लिए 66.46 करोड़ रुपये की व्यवस्था के मुकाबले में 31-3-81 तक वास्तविक खर्च 50 करोड़ रुपये के लगभग होने की सम्भावना है। बजट में की गई व्यवस्था के उपयोग में कमी के मुख्य कारण ये हैं कि सिविल और संरचनात्मक कार्यों तथा बस्ती तथा ऑफ-साइट सुविधाओं के विकास की गति धीमी रही है।

छोटे सिक्कों का चलन बन्द करना

*472. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुपए की क्रय शक्ति में कमी के साथ 5,3,2 और एक पैसे के सिक्कों का बहुत कम मूल्य है अथवा कोई मूल्य नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकांश विभागों में लेखा कार्य निकटतम दस पैसे के अंक तक लाकर लिखा जाता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि एक, दो अथवा तीन पैसे के सिक्के अप्रचलित हो गए हैं और बाजार में नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार धातु और इन सिक्कों की ढलाई की लागत को ध्यान में रखते हुए इन सिक्कों का प्रचलन बन्द करने का है?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनाभई बारोट) : (क) से (घ) तीन, दो और एक पैसे के सिक्कों का निर्माण पहले से ही बन्द किया जा चुका है। 5 पैसे के सिक्के की अभी तक

माँग है क्योंकि अधिकांश विभाग लेन-देनों को 5 पैसे की निकटस्थ राशि में पूर्ण कर लेते हैं और विभिन्न अदायगियों के लिए इसे 25 पैसे के सिक्कों के साथ मिलाकर भी प्रयोग में लाया जाता है और इससे 10 पैसे के सिक्कों की मांग में कमी हो जाती है। किन्तु 5 पैसे के सिक्कों के निर्माण की लागत और इसे प्रयोग में लाए जाने के सीमित प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए इसके वार्षिक उत्पादन की मात्रा में उत्तरोत्तर कमी किए जाने का प्रस्ताव है।

अफ्रीका देशों में संयुक्त परियोजनाएं

4343. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीका देशों में, देशवार कितनी-कितनी संयुक्त परियोजनाओं की स्थापना की गई है और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनका (परियोजना-वार) मुख्य शर्तें क्या-क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) अफ्रीकी देशों में 23 संयुक्त उद्यम स्थापित किए गए हैं। अपेक्षित ब्यौरे देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अफ्रीकी देशों में स्थापित भारतीय संयुक्त उद्यम

क्रमांक	भारतीय संवर्धक का नाम	सहयोग का क्षेत्र	भारतीय इक्विटी (हजार रु० में)
1	2	3	4
	कीनिया		
1.	आर. एम. गोकुलदास	वस्त्र मिल	4415
2.	दी रेमन्ड वूलन मिल्स लि०	ऊनी वस्त्र	1890
3.	कालिन्दी इन्वेस्टमेंट्स प्रा० लि०	भेषजीय माल	345
4.	ओरियन्ट पेपर मिल्स लि०	लुग्दी तथा कागज	41288
5.	साल्वी प्रा० लि०	ढलवां लोहा फाउण्ड्री	42
6.	जे. के. सिन्थेटिक्स लि०	संश्लिष्ट फिलामेंट यार्न	21684
7.	वोल्टन इण्डिया	मोटर गाड़ियों के सहायक सामान	552
8.	एल. आई. सी. एण्ड जी. आई. सी. आफ इण्डिया	जीवन तथा सामान्य बीमा	5830
9.	किर्लोस्कर ब्रादर्स लि०	किर्लोस्कर उत्पादों का विपणन	889
10.	गंगाप्पा केबल्स लि०	तांबा तथा अल्यूमीनियम तार	300
	मारीशस		
1.	सिद्धार्थ जासुभाई लालभाई	मोसेक्टाइल्स तथा रोलिंग शटर्स	60
2.	दी रेमण्ड वूलन मिल्स लि०	सिले-सिलाए परिधान	1319

(जारी.....)

1	2	3	4
3.	शाहीबाग इंटरप्रेन्योर्स प्रा० लि०	सूती धागे, टेरी-टावल तथा शीटिंग।	648
4.	इंफिन कन्सल्टेंट्स प्रा० लि०	इस्पात रोलिंग मिल	648
5.	श्रीकांत रूपारेल	वस्त्रों की रंजक तथा संमाधन सामग्री।	173
6.	एक्सपोटर्स इण्डिया	सिले-सिलाए परिधान	933
7.	किर्लोस्कर ब्रादर्स लि०	विद्युतचालित पम्प	113
	नाइजीरिया		
1.	बिरला ब्रदर्स प्रा० लि०	हल्के इन्जीनियरी माल	9010
2.	बिरला ब्रादर्स प्रा० लि०	परामर्शी सेवाएं	78
3.	दी सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कं० लि०	शिपिंग कम्पनी	2100
4.	वेस्ट एंड क्रम्पटन इन्जी० लि०	ट्रांसमिशन लाइनों के लिए संविदाएं	600
5.	रेनबक्सी लेबोरेटोरीज लि०	औषधि तथा भेषज	840
	युगांडा		
1.	बिरला जूट मैन्यू० कं० लि०	पटसन माल	2807

चूंकि विदेशों में संयुक्त उद्यमों में भारतीय कम्पनियों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का मूल्य सम्बन्ध विदेशी मुद्रा की शर्तों में दर्शाया गया है इसलिए भारतीय मुद्रा में दर्शाए गए भारतीय इक्विटी का मूल्य अनन्तिम है।

कान्सन्ट्रेट पर उत्पाद शुल्क

4345. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) शीतल पेयों और शर्बतों (बेवरेज) के निर्माताओं के लिए सभी कान्सन्ट्रेट निर्माताओं के क्या नाम हैं;

(ख) क्या कान्सन्ट्रेट का आयात किया जा रहा है और यदि हां, तो उस पर कोई उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है और इस विषय में सरकार की नीति क्या है;

(ग) क्या कान्सेन्ट्रेट के भारतीय निर्माता उस पर कोई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान कर रहे हैं और यदि हां, तो सरकार और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान कर रहे हैं उनके क्या नाम हैं और जो उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं उनके क्या नाम हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि सरकार कान्सन्ट्रेट पर उत्पाद शुल्क वसूल करने के लिए दोहरे मानकों का प्रयोग कर रही है और कुछ निर्माताओं को इसका भुगतान करने से छूट है और यदि

हां, तो कान्सेन्ट्रेट पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने से किन एककों को छूट दी गई है और इस छूट का क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ग) ।

1. मैसर्स इण्डियन बीवरेज कं० लि०, सिकन्दराबाद — शुल्क अदा नहीं कर रहे हैं ।
2. मैसर्स कैम्पा बीवरेजिस प्रा० लि०, नई दिल्ली — शुल्क अदा नहीं कर रहे हैं ।
3. मैसर्स पिओमा इण्डस्ट्रीज — शुल्क अदा नहीं कर रहे हैं ।
4. मैसर्स वेस्को लेबोरेटरीज प्रा० लि० — शुल्क अदा नहीं कर रहे हैं ।
5. मैसर्स अम्बिका विजय कोल्ड ड्रिंक — शुल्क अदा नहीं कर रहे हैं ।
6. मैसर्स विभु ड्रिंक्स प्रा० लि०, नागपुर — शुल्क अदा नहीं कर रहे हैं ।
7. मैसर्स स्पैक टामस, बम्बई — शुल्क अदा नहीं कर रहे हैं ।
8. सेंट्रल फूड टेक्नोलोजिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, मैसूर (सरकारी क्षेत्र) — शुल्क अदा नहीं कर रहे हैं ।
9. मैसर्स पुष्पक ऐलन इण्डिया लि० — शुल्क की अदायगी विरोध-स्वरूप कर रहे हैं ।
10. मैसर्स रोबिन्स कैमिकल्स — शुल्क की अदायगी विरोध-स्वरूप कर रहे हैं ।
11. मैसर्स देहली बाटलिंग कं० प्रा० लि०, नई दिल्ली — शुल्क अदा कर रहे हैं ।
12. मैसर्स पारले (एक्सपोर्ट्स) प्रा० लि० — शुल्क अदा कर रहे हैं ।
13. मैसर्स एशियन कैमिकल्स वर्क्स, बम्बई — शुल्क अदा कर रहे हैं ।
14. मैसर्स किस्मत रिमझिम बीवरेजस प्रा० लि०, बम्बई (अब मैसर्स बिसलेरी बीवरेजिस प्रा०लि०) — शुल्क अदा कर रहे हैं ।

(ख) मृदु पेयों के निर्माण के लिए सान्द्र के आयात किए जाने का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है । इसलिए आयात शुल्क उगाहने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं । सांद्र मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकरण योग्य हैं और उनका शुल्क निर्धारण तदनुसार किया जाता है । तथापि, उनका निर्माण करने में बिजली का इस्तेमाल नहीं करने वाले एककों को शुल्क की अदायगी से छूट मिली हुई हैं । इसके अलावा, ऐसे कारखानों को भी, जो कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2(ड) में दी गई कारखाने की परिभाषा के अनुरूप नहीं हों, शुल्क की अदायगी से छूट मिली हुई है । इसके अतिरिक्त, किसी निर्माता द्वारा अथवा उसकी तरफ से एक अथवा अधिक कारखानों से घरेलू खपत के लिए की गई तीस रु० से अनधिक मूल्य तक की प्रथम निकासियां शुल्क की अदायगी से मुक्त हैं ।

सेवानिवृत्त व्यक्तियों की एसोसिएशन द्वारा दिया गया ज्ञापन

4346. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एसोसिएशन आफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायर्ड पसेनिल ने उन्हें एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) संघ द्वारा की गई मांग विभिन्न तारीखों को सेवा-निवृत होने वाले व्यक्तियों की पेंशन में असमानता को दूर करने के संबंध में थी।

(ग) संघ को सूचित कर दिया गया था कि उनकी मांग पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है परन्तु उसे स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया। तथापि, सरकार तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन भोगियों को महंगाई संबंधी राहत दे रही है। अब तक राहत की 11 किश्तें मंजूर की गई हैं जिनकी राशि कम-से-कम 55 रु० और अधिक से अधिक 275 रुपये प्रतिमास है। इसके अलावा, ऐसे केन्द्रीय सरकारी पेंशन भोगियों को जो 1-1-1973 से पहले सेवा निवृत हुए हैं, तदर्थ राहत दी गई है जो 15 रुपये से 35 रुपये प्रतिमास तक है। इसके अलावा, जैसा कि वित्त मन्त्री ने 28-2-81 को अपने बजट भाषण में घोषणा की है, भविष्य में पेंशन भोगियों को कुछ न्यूनतम और अधिकतम की शर्त के अधीन रहते हुए, महंगाई संबंधी राहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रत्येक 16 अंकों की वृद्धि के लिए 5% की दर की बजाए, जैसा कि वर्तमान में है, प्रत्येक 8 अंकों की वृद्धि के लिए पेंशन के 2.5% की दर पर दी जाएगी। पेंशन भोगियों को महंगाई संबंधी राहत की अदायगी के लिए कार्यविधि को भी सुव्यवस्थित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आयकर में मानक कटौती की वर्धित दर पेंशन भोगियों पर भी लागू होगी। इन परिवर्तनों से पेंशन-भोगियों को हो रही कठिनाइयाँ और कम हो जाएंगी।

सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में अन्तर

4347. **श्री सुन्दर शर्मा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के एक ही वर्ग के 1975 में सेवा-निवृत हुए कर्मचारियों और 1975 के पश्चात् सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में भारी अन्तर है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) ऐसा अनुमान है कि माननीय सदस्य का संकेत 31 मार्च, 1979 की ओर है जब सेवानिवृत होने वाले सिविल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की मात्रा के निर्धारण के लिए उस समय प्रचलित फार्मूले को स्लेब पद्धति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 31-3-1979 से पहले और उसके बाद सेवा-निवृत होने वाले व्यक्तियों की पेंशन में उक्त तारीख से पेंशन की संगणना के लिए फार्मूले में लागू किए किए परिवर्तनों के कारण अन्तर है। सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सेवानिवृति की तारीख को लागू नियमों के संदर्भ में निर्धारित की जाती है और नियमों में किसी प्रकार के उदारीकरण केवल बाद की तारीख से प्रभावी किए जाते हैं। तथापि, सरकार तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशनभोगियों को मंहगाई संबंधी राहत दे रही है। अब तक राहत की 11 किश्तें मंजूर की गई हैं जिनकी राशि कम से कम 55 रु० और अधिक से अधिक 275 रुपये है। इसके अलावा ऐसे केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को जो 1-1-1973 से पहले सेवा-निवृत हुए हैं, तदर्थ राहत दी गई है जो 15 रुपये से 35 रुपये प्रतिमास तक है। इसके अलावा, जैसा कि वित्त मन्त्री ने 28-2-81 को अपने बजट भाषण में घोषणा की है, भविष्य में पेंशनभोगियों को कुछ न्यूनतम और अधिकतम की शर्त के अधीन रहते हुए मंहगाई संबंधी राहत

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रत्येक 16 अंकों की वृद्धि के लिए 5% की दर की बजाए, जैसा कि वर्तमान में है, प्रत्येक 8 अंकों की वृद्धि के लिए पेंशन के 2.5% की दर पर दी जाएगी। पेंशन-भोगियों को महंगाई संबंधी राहत की अदायगी के लिए कार्यविधि को भी सुव्यवस्थित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आयकर में मानक कटौती की बर्धित दर पेंशन भोगियों पर भी लागू होगी। इन परिवर्तनों से पेंशन-भोगियों को हो रही कठिनाइयां और कम हो जाएंगी।

क्रोम अयस्क निक्षेप

4348. **श्री अनादि चरण दास** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी मात्रा में क्रोम निक्षेप होने का अनुमान है;

(ख) प्रति वर्ष क्रोम अयस्क का कितनी मात्रा में निर्यात किया जाता है; और

(ग) देश में गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में कितनी मात्रा में क्रोम अयस्क की खपत होती है ;

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) देश में क्रोमाइट के अब तक अनुमानित कुल भंडार 89.227 मिलियन टन हैं।

(ख) गत तीन वर्षों में क्रोमाइट का निर्यात निम्नलिखित रहा :—

वर्ष	निर्यात मात्रा (लाख मी० टनों में)
1978-79	1.04
1979-80	2.32
1980-81 (फरवरी, 81 तक)	1.81

(ग) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में क्रोम की अयस्क कुल खपत मोटे तौर पर निम्नलिखित थी :

वर्ष	खपत (लाख टनों में)
1977	1.09
1978	1.07
1979	1.21

गांवों में दिये जाने वाले ऋणों के बारे में गारंटी और जमानतें

4349. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि 6000 रुपये से कम राशि के ऋणों के संबंध में गारंटी और जमानतें मांगे जाने से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों तथा

समाज के अन्य कमजोर वर्ग हतोत्साहित हुए हैं और उन्हें ऋणों के संबंध में विशेषकर गांवों में पर्याप्त लाभ नहीं मिला है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि कम ऋण लेने के लिए भी लोगों को बैंक में बार-बार आने के लिए फार्म भरने, तथा इन स्पष्ट अनुदेशों के बावजूद कि शिक्षित किसानों से फोटों न मांगे जाएं, फोटो चिपकाने के लिए कहा जाता है ; और

(ग) मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिक लोगों को ऋण देने तथा ऋण प्राप्त करने में बाधाओं को दूर करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को परामर्श दिया है कि वे कृषि तथा तत्संबंधी कार्यकलापों के लिए 5000 रुपये तक के ऋणों के सम्बन्ध में जमानत सम्बन्धी उदार मानदंड अपनाएं । इस प्रकार के ऋण, फसलों अथवा उन चल परिसम्पत्तियों को, जहां ऐसी परिसम्पत्तियां ऋण राशि से निर्मित की गई हों, दृष्टिबंधक रख कर दिये जाते हैं । इस प्रकार के ऋणों के सम्बन्ध में कोई जमानत अथवा गारन्टी की आवश्यकता नहीं होती । 1000 रुपये तक के छोटे ऋणों के मामलों में एक और रियायत यह दी जाती है कि ऋण मंजूर करने के लिए मांग वचन-पत्र अथवा ऋण आवेदन पत्र ही एक मात्र आधार माना जाता है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों से इसके भी सुनिश्चित उपाय करने को कहा गया है कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों से सम्बद्ध व्यक्तियों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति बढ़ी हुई मात्रा में की जाए ।

(ख) रिजर्व बैंक ने बैंकों को अनुदेश जारी किये हैं कि शाखा-स्तर पर प्राप्त 80 प्रतिशत आवेदनों को शाखा स्तर पर स्वीकृत कर दिया जाना चाहिये । इसके अलावा, एक लाख रुपये तक के प्रस्तावों को आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर निपटा दिया जाना चाहिये । उपर्युक्त कदम ऋणकर्ताओं को बैंकों से ऋण स्वीकृत कराने में होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए उठाये गए हैं ।

बैंकों ने, कृषकों को अग्रिम देने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं में सरलीकृत ऋण आवेदन पत्रों को अपनाया है । ऋण आवेदनों पर फोटो चिपकाने के सम्बन्ध में अनुदेश यह कि वे ऋणकर्ता, जो शिक्षित हैं तथा आवेदन पत्रों पर अपने हस्ताक्षर करने योग्य हैं, उन्हें आवश्यक रूप से अपने फोटो की प्रति नत्थी करने को नहीं कहा जाना चाहिये । अशिक्षित ऋणकर्ताओं के लिए आवेदन पत्रों पर फोटो चिपकाना आवश्यक समझा गया है, लेकिन बैंकों को अनुदेश दिया गया है कि उन्हें स्वयं ऐसे फोटो की लागत वहन करनी चाहिए तथा छोटे एवं सीमांतिक किसानों के लिए 5000 रुपये तक के ऋणों के लिए फोटो खिचवाने का प्रबंध भी स्वयं बैंकों को करना चाहिये ।

(ग) मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि करने के वास्ते कुछ योजनाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

विवरण

अनुसूचित जातियों/जनजातियों को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं इस प्रकार हैं ।

1. विभेदी ब्याज दर योजना

भारत सरकार की विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत यह आशा की जाती है कि

वाणिज्यिक बैंक अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सदस्यों को अपने अग्रिम के 40 प्रतिशत तक वित्त पोषित करें ।

2. आवास ऋण

बैंक अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सदस्यों, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और कम आय वर्ग के लोगों को लागत के 80 प्रतिशत ऋण मंजूर करते हैं । अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सदस्यों को दिये जाने वाले ऋणों की ब्याज दर 4 प्रतिशत है बशर्ते कि किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला आवास ऋण 2500 रु० से अधिक न हो ।

3. शिक्षा

भारत में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को दिये जाने वाले अग्रिम न्यूनतम ऋण दर संबंधी हिदायतों से मुक्त हैं । बैंक ऋण के लिए अनुसूचित जातियों/जनजातियों के छात्रों से प्राप्त आवेदन-पत्रों को प्राथमिकता देते हैं ।

4. अति लघु क्षेत्र के लिये नयी मार्जिन मनी योजना

अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए भारत सरकार की नयी मार्जिन मनी योजना के अन्तर्गत अनुसूजित जातियों/जनजातियों के मामले में आधार घन (सीड मनी) 15 प्रतिशत है जबकि अन्य ऋणकर्ताओं के मामले में यह 10 प्रतिशत है ।

5. जिला ऋण आयोजना

बैंक, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से प्राप्त ऋण के प्रस्तावों पर बहुत सहानुभूति और हमदर्दी के साथ विचार करते हैं । प्रखंड स्तर पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभ की योजनाओं को महत्व देना होता है और इन क्षेत्रों को ऋण मंजूर करने में उनकी भागीदारी के बारे में सुनिश्चित व्यवस्था करने के उद्देश्य से इन समुदायों के सदस्यों के अनुकूल बैंक सहायता योग्य योजनाएं तैयार की जाती हैं ।

6. उपभोग ऋण

बैंकों को कहा गया है कि वे अनुसूचित जातियों/जनजातियों समेत कमजोर वर्गों को चिकित्सा खर्च, शैक्षिक आवश्यकताओं, विवाह, दाह संस्कार तथा अन्य धार्मिक कार्यों के लिए प्रति ऋणी को कुल 500 रुपये से अनधिक ऋण दें ।

7. 20-सूत्री कार्यक्रम

20-सूत्री कार्यक्रम विषयक कार्यक्रम विषयक कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुपालन में, यह सुनिश्चिय करने के लिए कि कमजोर वर्गों को बैंक ऋण प्राप्त हो, कमजोर वर्ग की परिभाषा को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में शामिल किया गया है । ये हैं (i) ऐसे छोटे तथा सीमान्तिक किसान जिनकी जोतें 5 एकड़ तथा उससे कम हो तथा खेतिहर मजदूर (ii) अन्य संबंधित कार्यकलापों के लिए ऋण की सीमाएं 10,000/-रुपए से अधिक न हो । 25,000/-रुपए और इससे कम की ऋण सीमाओं वाले सभी लघु उद्योगों को इस श्रेणी में कमजोर वर्ग समझा जाना चाहिए । इसमें अधिकांश कारीगर और कुटीर उद्योग शामिल होंगे ।

बैंक डिपाजिट कलेक्टरों के लिए सेवा शर्तें

4350. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया बैंक्स डिपाजिट कलेक्टर्स फैडरेशन के कोचीन स्थित केन्द्रीय

कार्यालय ने सितम्बर, 1980 में बैंक डिपाजिट कलेक्टरों की सेवा-शर्तों से संबंधित कोई मांग की थी ;

(ख) उक्त मांग का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त मांगों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

(घ) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा फेडरेशन के बीच 30 अक्टूबर, 1980 को कोई समझौता-कार्यवाही हुई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) जी, हां ।

(ख) फैडरेशन की मांगें निम्नलिखित हैं :—

(1) काम में सुरक्षा के साथ रोजगार को नियमित करना । (2) न्यूनतम गारंटी शुदा मजदूरी तथा कार्य निष्पादन से जुड़ा हुआ प्रोत्साहन कमीशन । (3) बोनस (4) सवेतन साप्ताहिक अवकाश, राष्ट्रीय त्यौहारों की छुट्टियां और वार्षिक छुट्टी तथा (5) सामाजिक सुरक्षा अनुलाभ, बीमारी छुट्टी, बीमारी अनुलाभ तथा चिकित्सा मदद, भविष्य निधि और उपदान (ग्रेच्युटी) ।

(ग) से (ङ) 30 अक्टूबर, 1980 को तथा उसके बाद क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), मद्रास द्वारा समझोता कार्यवाही की गई थी । सुनवाई के पश्चात्, 20-2-1981 को समझौता कार्यवाही भंग हो गयी । क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), मद्रास की समझौता वार्ता-भंग विषयक प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किये गये आय-कर और उत्पादन शुल्क अधिकारी

4351. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव**
श्री धर्मवीर सिंह } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किये गये आय-कर तथा उत्पादन शुल्क कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्राधिकारियों द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

आयकर और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापे

4352. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 की अवधि में आय-कर और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मद्रास और बम्बई तथा अन्य स्थानों पर जिन फर्मों पर छापे मारे गये उनके कार्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में मामले दर्ज किये गये हैं तथा गिरफ्तारियां की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) आयकर

विभाग ने 1-4-1980 से 28-2-1981 तक की अवधि के दौरान, मद्रास, बम्बई और भारत के अन्य स्थानों पर 3339 तलाशियां लीं, जिनके परिणामतः आयकर अधिनियम तथा अन्य प्रत्यक्ष कर कानूनों के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए प्रथम दृष्ट्या लगभग 17.07 करोड़ रु० की बेहिसाब-किताब की परिसम्पत्तियाँ पकड़ी गयीं। आयकर अधिनियम में कोई ऐसे उपलब्ध नहीं हैं जिनके अन्तर्गत तलाशी के दौरान गिरफ्तारी की जा सके।

1-1-1980 से 28-2-81 तक की अवधि के दौरान प्रवर्त्तन निदेशालय ने, मद्रास, बम्बई और भारत के अन्य स्थानों पर 1749 तलाशियाँ लीं, जिनके परिणामतः, अपराध आरोपणीय दस्तावेजों के अतिरिक्त, लगभग 40.07 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा और लगभग 37.62 लाख रु० के बराबर की विदेशी मुद्रा पकड़ी गयी।

1-1-1980 से 28-2-1981 तक की अवधि के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत 87 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

तलाशियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण, फर्म आदि के सम्बन्ध में अलग-अलग विस्तृत जानकारी को एकत्र करके उसे संकलित करने में लगने वाला समय और श्रम बहुत ही अधिक होगा। माननीय सदस्य यदि फर्म (फर्मों) विशेष का विवरण दें तो तत्संबंधी सूचना एकत्र करके भेज दी जाएगी।

पोम्फ्रेट मछली के निर्यात पर प्रतिबन्ध

4353. **श्री वी० एन० गाडगिल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोटे एवं आकार के आधार पर पोम्फ्रेट मछलियों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाये हैं;

(ख) क्या इन असामयिक प्रतिबन्धों के परिणामस्वरूप देश को विदेश मुद्रा में करोड़ों रुपयों की हानि हुई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन प्रतिबन्धों को हटाने का है।

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हाँ, । 300 ग्राम से कम के परिमाण के सफेद पाम्फ्रेट के निर्यात की अनुमति नहीं है। 300 ग्राम तथा उससे ऊपर के लेकिन 500 ग्राम से कम के परिमाणों के सफेद पाम्फ्रेट का निर्यात कोटा प्रतिबन्धों के अध्यधीन है। 500 ग्राम तथा उसमें ऊपर के परिमाणों के सफेद पाम्फ्रेट का निर्यात जी० जी० एल० आधार पर किया जाता है।

(ख) तथा (ग) : प्रतिबन्धों का हमारा विदेशी मुद्रा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। कलैण्डर वर्ष 1980 के दौरान 611 लाख रु० मूल्य के 4137 मैं० टन पाम्फ्रेट निर्यात किए गये जब कि 1979 में 327 लाख रु० मूल्य के 2194 मैं० टन पाम्फ्रेट निर्यात किए गए। पाम्फ्रेट के निर्यात के बारे में नीति को हाल ही में उदाराकृत किया गया है।

इटली के साथ तकनीकी सहयोग

4354. **श्री एस० एम० कृष्णा**
श्री कृष्ण कुमार गोयल
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली के विदेश मन्त्री की हाल की यात्रा के दौरान उन्होंने इटली और भारत के बीच तकनीकी सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या इटली के विदेश मन्त्री द्वारा किसी नए ऋण की घोषणा की गई थी और यदि हां, तो क्या ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, हां ।

(ख) तकनीकी सहयोग करार के अन्तर्गत इतालवी विशेषज्ञों तथा भारतीय प्रशिक्षार्थियों पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए और साथ ही उन परियोजनाओं के लिए, जिनका पता लगाया जाना है और जिनके बारे में आपसी सहमति हो चुकी है, सहायक उपस्करों की लागत को पूरा करने के लिए इतालवी अनुदानों के संबंध में एक सामान्य ढांचे की व्यवस्था है शुरू में, यह करार 5 वर्षों तक वैध रहेगा और इसमें इतालवी अनुदान का निश्चित राशि की व्यवस्था नहीं है क्योंकि अलग अलग परियोजनाओं के लिए, जिसका अभी सुनिश्चयन किया जाना है; अलग अलग राशि की व्यवस्था की जायगी ।

(ग) इटली के विदेश मन्त्री ने इतालवी सम्भरक ऋणों की अनुपूर्ति के रूप में कम ब्याज पर सरकारी ऋण देने की गणराज्य की सरकार की सहमति के बारे में सूचित किया है । दोनों सरकारों के अधिकारियों केबीच आगे होने वाले विचार विमर्श में विस्तत ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जायगा ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये ऋण

4355. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन से ऋण जारी किए गए तथा कितनी राशियों और किन-किन अवधियों के लिए जारी किये गये;

(ख) इन ऋणों पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है और क्या किसी ऋण पर पूरी धन-राशि प्राप्त नहीं हो सकी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा, 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान जारी किए गए ऋणों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) और (ग) सभी ऋणों के सम्बन्ध में न केवल पूरी राशियां प्राप्त हो गई बल्कि सामान्यत: अधिसूचित रकमों से 10 प्रतिशत अधिक धन राशि प्राप्त हुई ।

विवरण

केन्द्र सरकार द्वारा 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान जारी किए गए ऋणों के नामों का विवरण

वर्ष	ऋण का नाम	प्राप्त राशि	(करोड़ रुपए) परिपक्वता की तारीख
	(1)	(2)	(3)
1978-79	$5\frac{1}{2}$ प्रतिशत ऋण, 1984	75.00	1-7-1984
	6 प्रतिशत ऋण, 1988	140.49	22-11-1988
	6 प्रतिशत ऋण, 1989	68.49	22-11-1989

(जारी.....)

1	2	3
	6¼ प्रतिशत ऋण, 1993 93.61	1-7-1993
	6¼ प्रतिशत ऋण, 1995 125.70	15-5-1995
	6¼ प्रतिशत ऋण, 1996 76.52	1-12-1996
	6½ प्रतिशत ऋण, 2001 93.61	1-7-2001
	6¾ प्रतिशत ऋण, 2006 788.70	15-5-2006
	6¾ प्रतिशत ऋण, 2007 371.50	22-11-2007
	1833.62	
1979-80	5¾ प्रतिशत ऋण, 1984 99.48	29-10-1984
	6 प्रतिशत ऋण, 1987 161.24	2-7-1987
	6 प्रतिशत ऋण, 1988 103.87	22-11-1988
	6¼ प्रतिशत ऋण, 1989 80.12	25-5-1989
	6¼ प्रतिशत ऋण, 1991 121.40	29-10-1991
	6½ प्रतिशत ऋण, 1995 94.29	25-5-1995
	6½ प्रतिशत ऋण, 1997 157.00	2-7-1997
	6¾ प्रतिशत ऋण, 2007 250.00	22-11-2007
	7 प्रतिशत ऋण, 2009 1197.41	25-5-2009
	2258.81	
1980-81	6 प्रतिशत ऋण, 1986 254.02	12-5-1986
	6.50 प्रतिशत ऋण, 1990 581.61	18-7-1990
	6.75 प्रतिशत ऋण, 1994 271.76	16.2.1994
	7 प्रतिशत ऋण, 1998 256.48	12.5.1998
	7.50 प्रतिशत ऋण, 20.10 1455.01	12-5-2010
	6¼ प्रतिशत ऋण, 1989 50.00	25.5.1989
	2868.88	

जीवन बीमा निगम के कार्यक्रम के बारे में सुझाव

4356. **श्री आर० के० महालगी** : क्या वित्त मन्त्री भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यकरण के बारे में सुझावों के संबंध में दिनांक 19 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4546 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के नागपुर (महाराष्ट्र) के डिवीजन कार्यालय (महाराष्ट्र) का 5 नवम्बर, 1980 को दौरा करने वाले संसद सदस्य द्वारा दिए गए प्रत्येक सुझाव पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) जीवन बीमा निगम द्वारा उक्त सुझावों पर विचार कब तक पूरा किया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क) से (ग) माननीय सदस्य श्री आर० के० महालगी के सुझावों के संबंध में की गई कार्रवाई की स्थिति इस प्रकार है :—

(1) जीवन बीमा निगम ने अपनी विकास नीति के अंग के रूप में अपने शाखा जाल का उत्तरोत्तर विस्तार किया है। शाखा विस्तार की गति कारबार के विकास और नई शाखाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों की सेवा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की जाती है। वर्ष 1980-81 के दौरान नागपुर डिवीजन के भंडारा और वाशिम नामक स्थानों पर दो नई शाखाएं खोली गई हैं।

(2) जीवन बीमा निगम जनता के सामने अपनी अच्छी छवि बनाए रखने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है और इस दिशा में प्रयत्न भी कर रहा है। विभिन्न प्रकार के माध्यमों के जरिए काफी प्रचार किया जाता है। डिवीजनल प्रबंधक और उनका प्रचार अधिकारी बीमा कराने वाले लोगों और जन अभिमत नेताओं के साथ बराबर सम्पर्क बनाए रखते हैं।

(3) डिवीजन के पालिसीधारकों की परिषद के नामों का डिवीजन के कार्यालय परिपत्रों तथा बुलेटिनों और निगम की वार्षिक रिपोर्ट के जरिए प्रचार किया जाता है। जीवन बीमा निगम के एजेंट और विकास अधिकारी भी इस सूचना के प्रसार का एक स्रोत है। जीवन बीमा निगम इस सूचना के प्रचार के लिए अन्य माध्यमों के संबंध में भी विचार करेगा।

गैर सरकारी कम्पनियों के व्यापार अधिकारियों/निदेशकों की विदेश यात्रा

4357. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार संवर्धन अथवा संयंत्र और उपकरणों की खरीद अथवा विदेशी फर्मों के साथ सहयोग का समझौता करने के नाम पर गैर-सरकारी कम्पनियों के व्यापार अधिकारियों/निदेशकों के विदेशी दौरों की कोई सीमा निर्धारित है;

(ख) यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनको पता है कि इस समय ये अधिकारी जब जी चाहें तब विदेशों का दौरा करते हैं तथा यद्यपि वे विदेशों में अपने व्यापारी सहयोगियों का आतिथ्य सरकार स्वीकार करते हैं वे विलास सामग्रियों के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं; और

(घ) क्या उन्होंने इस बात की अपेक्षा पर विचार किया है कि उनके लिये यह अनिवार्य कर दिया जाये कि वे होटल की रसीद प्रस्तुत करें अथवा कोई ऐसा अन्य उपाय खोजा जाये जिससे विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग को रोका जा सके ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि निर्यातकों को उनके निर्यात कारोबार के संवर्धन के प्रयोजन से विदेश यात्रा करने के लिए, जिसमें बाजारों का पता लगाने के लिए की जाने वाली यात्राएं भी शामिल हैं, विदेशी मुद्रा की सुविधाएं दी जाती हैं बशर्ते कि आवेदनकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक की तसल्ली करा दे कि उसकी प्रस्तावित यात्रा के परिणामस्वरूप मौजूदा निर्यात कारबार के बढ़ने या भारतीय माल के लिए नए बाजार प्राप्त होने की पूरी-पूरी संभावना है। इस संबंध में यदि वस्तु बोर्डों, निर्यात संवर्धन परिषदों और निर्यात संवर्धन क्षेत्र की विशेषज्ञता प्राप्त अन्य एजेंसियों द्वारा कोई सिफारिशें की जाती हैं तो उन पर यथोचित रूप से विचार किया जाता है। संयंत्र और मशीनों का चुनाव करने अथवा मशीनों की खरीद के संबंध में बातचीत करने के लिए विदेश यात्राओं पर भी

चयनात्मक आधार पर विचार किया जाता है बशर्ते कि सरकार द्वारा आयात लाइसेंस अथवा आशय पत्र जारी कर दिया गया हो और प्रस्तावित खरीद महत्वपूर्ण हो और व्यक्तिगत यात्रा की अनिवार्यता सिद्ध कर दी जाए। विदेशी सहयोग को अन्तिम रूप देने के लिए विदेश यात्राओं की अनुमति तब दी जाती है जब सरकार द्वारा आशय पत्र या औद्योगिक लाइसेंस जारी कर दिया गया हो और यात्रा की अनिवार्यता के लिए लिखित साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया जाए। जहां न तो आशय पत्र और न ही औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया हो; वहां तकनीकी अथवा वित्तीय सहयोग के संबंध में विदेशी फर्मों/कम्पनियों से प्रारंभिक विचार-विमर्श के लिए विदेश यात्राओं पर साधारणतया केवल तब ही विचार किया जाता है जब सरकार द्वारा सहयोग की अनुमति दिए जाने की संभावना हो और व्यक्तिगत यात्रा का उद्देश्य अनिवार्य रूप से सरकार को स्वीकार्य शर्तों के संबंध में बातचीत करना हो।

एक ही प्रयोजन के लिए बार-बार विदेश यात्रा करने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। लेकिन, किसी अनुवर्ती यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा की सुविधाओं के संबंध में आवेदन-पत्रों पर प्रत्येक मामले में गुण दोषों के आधार पर विचार किया जाता है बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि पहली यात्रा के दौरान पहले से शुरू की गई कार्रवाई के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए स्पष्टतः एक अन्य यात्रा का मामला बनता है। ऐसे मामलों में दूसरी और उसके बाद की यात्राओं के परिणामों के संबंध में रिपोर्टें मांगी जाती हैं।

खुली छूट सुविधा (ब्लैंकिट परमिट फेसिलिटि) से लाभ उठाने वाली कम्पनियों के प्रतिनिधियों की विदेश यात्राओं के मामले में यात्राओं की संख्या अथवा बारंबारता पर कोई रोक नहीं है लेकिन परमिटधारियों को इस सुविधा के उपयोग के संबंध में रिपोर्ट देनी होती है।

(ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 8(3) के उपबंधों के अनुसार, उस व्यक्ति के लिए, जिसने विदेशी मुद्रा प्राप्त की है, यह जरूरी है कि वह उसका उपयोग उसी काम के लिए करे जिसके लिए उसने वह प्राप्त की है और जहां इस प्रकार प्राप्त विदेशी मुद्रा का उपयोग न किया जा सके अथवा शर्तें पूरी न की जा सकें, वहां उस व्यक्ति को वह विदेशी मुद्रा किसी प्राधिकृत डीलर/मुद्रा विनिमयकर्ता (मनी चेंजर) को वापस कर देनी होती है।

प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के उपर्युक्त मामलों में, उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई करता है।

(घ) वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त मानी गई है।

आसाम में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का खोलना

4358. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में पिछले वर्ष राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गयी;

(ख) क्या सरकार की नीति राज्य के प्रत्येक खण्ड (ब्लाक) मुख्यालयों में शाखाएं खोले जाने की है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितनी शाखाएं खोली जाएंगी, इन बैंकों के नाम क्या हैं तथा नई शाखाएं किन-किन स्थानों पर खोली जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) वर्ष 1980 (नवम्बर तक) में वाणिज्यिक बैंकों ने असम राज्य में 11 शाखाएं खोली।

(ख) जी, हाँ। बैंकों से कहा गया है कि वे सभी प्रखंड मुख्यालयों में एक शाखा की व्यवस्था करें।

(ग) रिजर्व बैंक की वर्तमान लाइसेंसिंग नीति 1979-81 तक की तीन कलैण्डर वर्षों की अवधि के लिए है। नवम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों के पास असम में शाखाएं खोलने के लिए 232 लाइसेंस/अधिकार पत्र थे। बैंक-वार तथा स्थान-वार ब्यौरे अनुबंध में दिये गए हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2171/81]

वस्तुओं पर मूल्य अंकित किया जाना

4359. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यापारियों द्वारा अपनी वस्तुओं पर मूल्य अंकित किए जाने की योजना को पुनः लागू करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) व (ख) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को प्रदर्शित करने की योजना को पुनः लागू करने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत मूल्य/स्टाक प्रदर्शन आदेश जारी कर दिए हैं और उन्हें बराबर लागू कर रहे हैं। बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के अन्तर्गत पैकेज में रखी वस्तुओं पर भी मूल्य अंकित करना अनिवार्य है।

तमिलनाडु की तिरुवन्नमलाई पहाड़ियों में लौह अयस्क के भंडार

4360. **श्री एन० डेनिस** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई पहाड़ियों में लौह अयस्क के भंडारों का पता लगाया गया है;

(ख) क्या इन लौह भंडारों का वाणिज्यिक दोहन शुरू किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) इसके मुख्य कारण हैं—पूंजी और बिजली संबंधी ऊंची लागत होना तथा इन निक्षेपों का निम्न ग्रेड का होना।

वित्त मंत्रालय में कर्मचारियों की संख्या

4361. **श्री एन० सुन्दरराजन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में कर्मचारियों की श्रेणी-वार कुल संख्या कितनी है; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उनकी श्रेणीवार प्रतिशतता क्या है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) नई दिल्ली स्थित वित्त मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	कालम 2 की तुलना में कालम 3 के कर्मचारियों का प्रतिशत	अनुसूचित जन जाति कर्मचारियों की संख्या	कालम 2 की तुलना में कालम 5 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
'क'	423	19	4.5	7	1.7
'ख'	1137	115	10.1	6	0.5
'ग'	1444	144	10.0	10	0.7
'घ'	839	229	27.3	11	1.3

दमण स्थित हवाई अड्डे की मरम्मत

4362. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दमण स्थित हवाई अड्डे की मरम्मत कराने का है जो कि वर्ष 1961 में विजय-अभियान के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात के उत्पादन में कमी

4363. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोकिंग कोयले की कमी के कारण इस्पात के उत्पादन को भारी नुकसान पहुंचा है यदि हां, तो वर्ष 1980 के प्रत्येक महीने में कितना-कितना नुकसान पहुंचा है,

(ख) दिनांक 28 फरवरी, 1981 को विभिन्न इस्पात संयंत्रों के पास कोकिंग कोयले का कितना-कितना भंडार था, और

(ग) क्या सरकार का विचार कोकिंग कोयले के आयात करने का है। यदि हां, तो वर्ष 1980 के दौरान कोकिंग कोयले की कितनी मात्रा का आयात किया गया और वर्ष 1981 के दौरान कितनी मात्रा के आयात करने की योजना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां, यद्यपि वर्ष 1980 में कोककर कोयले की लगातार कमी के कारण इस्पात के उत्पादन में काफी कमी हुई है तथापि यह बताना संभव नहीं है कि केवल इसके कारण उत्पादन में कितनी हानि हुई है।

(ख) 28 फरवरी, 1981 को छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में कोककर कोयले (देशीय और आयातित) के स्टाक की स्थिति इस प्रकार थी :—

(टनों में)

	देशीय	आयातित
भिलाई इस्पात कारखाना	52,600	5,400
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	53,300	—
राउरकेला इस्पात कारखाना	41,600	14,600
बोकारो इस्पात कारखाना	44,300	—
इस्को	48,100	—
टिस्को	19,800	—
कुल	2,59,700	20,000

(ग) देशीय स्रोतों से कोककर कोयले की सप्लाई में कमी को पूरा करने और उचित संमिश्रण द्वारा देशीय कोयले की क्वालिटी में सुधार करने के लिए समय-समय पर राख की कम मात्रा वाला कोककर कोयला आयात करने की अनुमति दी गई है। वर्ष 1980 के दौरान कुल 6,20,000 टन के लगभग कोयला आयात किया गया था। आशा है कि वर्ष 1981 के दौरान लगभग 15 लाख टन कोयला आयात किया जायेगा।

केरल में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के शो-रूमों में बिक्री में कमी

4364. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल स्थित राष्ट्रीय कपड़ा निगम के शो-रूमों में गत एक वर्ष से बिक्री कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी हुई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि शो-रूमों को उनकी मांग के अनुसार माल सप्लाई नहीं किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रदर्शन कक्षों को उनकी आवश्यकता के अनुसार माल सप्लाई किया जाता है बशर्ते माल उपलब्ध हो।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम कोयम्बत्तूर डिवीजन के माल का परिवहन

4365. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम कोयम्बत्तूर डिवीजन के माल के परिवहन का काम गत पांच वर्षों से परिवहन कम्पनियों या एजेंसियों को दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वे परिवहन कम्पनियां कौन-कौन सी हैं; और

(ग) प्रत्येक वर्ष उन्हें कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शीर्षस्थ 15 औद्योगिक गृहों के विरुद्ध आय कर का बकाया

4366. **श्री वी० के० नायर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976, 1977, 1978, 1979 और 1980 से सम्बन्धित शीर्षस्थ 15 औद्योगिक गृहों की ओर आय-कर की यदि कोई राशि बकाया है, तो कितनी-कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत, 15 उच्च औद्योगिक घरानों से सम्बद्ध पंजीकृत कम्पनियों के संबंध में प्रत्येक मामले में 10 लाख रु० से अधिक की आयकर की वकाया के मामलों के बारे में अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है। यह सूचना यथासंभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

कोलम्बो जाने वाले विमान को वापस मोड़ा जाना

*4367. **श्री एस० सिंगारावांडी वेल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मद्रास से त्रिची होकर कोलम्बो जाने वाले एवरो विमान, उड़ान संख्या 575 को 1 मार्च, 1981 को त्रिची के मार्ग में मद्रास से त्रिवेन्द्रम् के लिए वापस मोड़ दिया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि उस दिन मद्रास से त्रिवेन्द्रम् होकर मालदीव जाने वाले बोइंग विमान के कर्मी दल द्वारा पीछे छोड़ दी गई "डिंगी" लाने के लिए त्रिवेन्द्रम् वापस लाया गया था ;

(ग) इस प्रकार विमान को वापस मोड़े जाने के कारण विभाग को कितनी हानि हुई ; और

(घ) इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अन्नत प्रसाद शर्मा) (क) : जी, हां।

(ख) जी, हां। ध्यान से उतर जाने के कारण मद्रास में डिंघियों की व्यवस्था नहीं की जा सकी, क्योंकि सप्ताह के उस दिन सामान्यतः विमान माले के लिए उड़ान नहीं करता।

(ग) लगभग 13 हजार रुपये।

(घ) यह घटना—विशेष एक इक्का-दुक्का मामला है तथा संबंधित कर्मचारी को इस चूक के लिये सख्त चेतावनी दे दी गई है और चेतावनी की प्रतिलिपि उसके सेवा-रिकार्ड में भी रख दी गई है।

अन्य देशों में प्रचलित वित्तीय नीतियों का मूल्यांकन

4368. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य विकासशील देशों में प्रचलित वित्तीय नीतियों का कोई तुलनात्मक मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो हमारे मामले की अनन्यता को ध्यान में रखते हुए, अन्य देशों के अनुभव की दृष्टि से हमारी नीति में क्या परिवर्तन किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) (क) और (ख) : अपनी राजकोषीय नीति तैयार करते समय अन्य विकासशील देशों के अनुभव को ध्यान में रखा जाता है। जिन राजकोषीय उपायों को अपनाया जाता है उनकी इस दृष्टि से बराबर पुनरीक्षा की जाती है कि उनके द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था का सर्वोत्तम ढंग से हितसाधन किए जाने की सुनिश्चित व्यवस्था हो सके।

वर्ष 1981-82 के लिए तीन सूत्री वित्तीय नीति

श्री के० मालन्ना क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी राज्य सरकारों से वर्ष 1981-82 के लिए तीन-सूत्री वित्तीय नीति अपनाने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और क्या इसने 'विपुल घाटे' के बारे में चिन्ता भी व्यक्त की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक ने 1980-81 के दौरान राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति संबंधी अपने वार्षिक अध्ययन में, जो सितम्बर, 1980 के बुलेटिन में प्रकाशित हुआ, 1981-82 के दौरान राज्यों द्वारा अपनाये जाने वाली राजकोषीय नीति के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि आगामी वर्ष के लिए राजकोषीय नीति के प्रति अपनाये जाने वाले साख में (1) वे तत्व शामिल होने चाहिए जो गैर-विकास व्यय की वृद्धि को रोकते हैं (2) जिससे कृषि क्षेत्र में उच्चतर आय समूहों के कराधान के सीमा क्षेत्र में वृद्धि होती हो और (3) जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से बचत जुटाई जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने बजट संबंधी घाटे पर चिन्ता व्यक्त की है।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान

4370. **श्री राजेश कुमार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्ष वार और श्रेणी वार समयोपरि भत्ते के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(ख) क्या सरकार का विचार जीवन बीमा निगम में समयोपरि भत्ते को कम से कम करने का है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ही समयोपरि भत्ता दिया जाता है। पिछले पांच वर्षों में समयोपरि भत्ते के रूप में अदा की गई रकम का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	समयोपरि भत्ता (लाख रुपए)		
	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	जोड़
1975-76	41	7	48
1976-77	1	2	3
1977-78	1	2	3
1978-79	1	2	3
1979-80	8	3	11

(ख) : जीवन बीमा निगम को, समयोपरि भत्तों की राशि को यथासंभव कम करने के निदेश दिए गए हैं।

टाटा आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की बकाया राशि

4371. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड द्वारा "स्कैल्प" जैसे विभिन्न उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के कारण प्रचुर धनराशि का भुगतान किया जाना बाकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां ।

(ख), से (घ) : मांगी गयी सूचना संलग्न टिप्पणी में दी गयी है ।

विवरण

स्कैल्प—

यह बताया गया है कि मैसर्स टिस्को के खिलाफ 23.1.1968 से 1980 तक (1.3.1975 से 31.10.1975 की अवधि छोड़कर) की अवधि के संबंध में स्कैल्प पर लगभग 19,28,57,540.35 रुपये के विभेदी उत्पादनशुल्क की बाबत जारी की गई मांगें बकाया हैं । उनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

क्रम सं०	अवधि	ग्रस्त रकम	
		(रुपये)	
1.	23.1.68 से दिसम्बर, 1971	3,02,79,241·52	
2.	1972	2,41,37,410·82	
3.	1973	2,06,55,548·80	
4.	1974	1,66,83,861·42	
5.	1975	1,44,48,652.73	(1.3.75 से 31.10.75 तक की अवधि को छोड़कर)
6.	1976	1,63,55,958.80	
7.	1977	1,67,84,427.02	
8.	1978	1,51,95,692.21	
9.	1979	2,17,46,180.18	
10.	1980	1,65,70,521.85	
		जोड़ 19,28,57,540.35	

लौह अथवा इस्पात उत्पादों पर 24.4.1962 से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाया गया था । 24.4.62 से 29.2.64 तक की अवधि के दौरान "स्ट्रिप" पर उद्ग्रहणीय शुल्क दर "स्कैल्प" पर लगने वाली शुल्क दर से अधिक थी । मैसर्स टिस्को ने स्वयं ही अपने उत्पाद की व्याख्या स्कैल्प के रूप में की थी और उन्होंने, 24.4.62 से 29.2.64 तक की अवधि के दौरान उनके द्वारा निकासित "स्कैल्प" पर शुल्क की अपेक्षाकृत कम दर का लाभ उठाया था । लेकिन जब स्थिति

इससे उलट हो गई, और 1.3.64 से "स्कैल्प" पर शुल्क की दर, "स्ट्रिप" पर लगने वाले शुल्क की दर की अपेक्षा अधिक हो गई तो टिस्को ने अपने उत्पाद को "स्ट्रिप" के रूप में में वर्गीकरण करना शुरू कर दिया और सहायक समाहर्ता के समक्ष यह तर्क देते हुए अभिवेदन किया कि उनका उत्पाद (जो उस समय तक "स्कैल्प" था) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद सं० 26 कक के अन्तर्गत "स्ट्रिप" के रूप में वर्गीकरण योग्य होगा। सहायक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, जमशेदपुर उनके इस तर्क से सहमत नहीं हुए और उन्होंने उक्त उत्पादन को "स्कैल्प" ठहराया। मैसर्स टिस्को ने 1964 में अपीलीय समाहर्ता के समक्ष एक अपील दायर की तथा उसके बाद भारत सरकार के सम्मुख पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की परन्तु उनमें उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। विभाग ने उक्त उत्पाद को चूंकि स्कैल्प के रूप में माना और उस पर अपेक्षाकृत ऊंची दर पर शुल्क निर्धारित किया था, इसलिए टिस्को ने 27.11.67 को शुल्क निर्धारण की उपर्युक्त प्रणाली के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिक दायर कर दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23.1.68 को एक अन्तरिम आदेश पारित करके, मामले के विचाराधीन रहने तक विभेदी शुल्क की वसूली स्थगित कर दी और विभाग को कानून के अनुसार माल का शुल्क निर्धारण करने की इजाजत दी। तदनुसार, 24.4.62 से 22.1.68 तक के दौरान उक्त माल पर, स्कैल्प पर लगने वाले शुल्क की दर से, शुल्क वसूल किया गया था और 23.1.68 से विभेदी शुल्कों के लिए मांगें जारी की गई थीं परन्तु उनको प्रवृत्त नहीं किया गया था। यह स्थिति 14.12.1973 तक बनी रही जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपना अन्तिम निर्णय टिस्को के पक्ष में सुनाते हुए उक्त उत्पाद को "स्ट्रिप" ठहराया और तदनुसार विभाग को, टिस्को द्वारा निर्मित "स्कैल्प" पर अपेक्षाकृत ऊंची दर से शुल्क प्रभावित करने से रोका तथा यह निर्देश दिया कि उन पर लगाए गए और वसूल किए गए शुल्क की वापस अदायगी की जाए। इसलिए, उक्त मांगों को वापस लिया जाना था परन्तु विभाग ने इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की। उसके बाद, 31.1.1975 तक यथा पूर्व स्थिति बनाए रखी गई, जब उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में उच्च न्यायालय के निर्णय को कायम रखा। तब मांगें वापस ले ली गई और वापस अदायगी के दावे भी दाखिल किए गए। परन्तु सरकार ने वित्त अधिनियम, 1975 द्वारा मद सं० 26 कक में की टैरिफ प्रविष्टि में संशोधन करके उसमें "स्कैल्प" की एक ऐसी विशिष्ट परिभाषा जोड़ दी जिसके अन्तर्गत टिस्को का उत्पाद आ जाएगा। इस संशोधन को 24.4.1962 से भूतलक्षी प्रभाव दिया गया। तब वापस अदायगी के दावे नामंजूर कर दिए और 14.7.75 को एक कारण बताओ नोटिस के जरिए, 23.1.68 से 23.2.75 तक की अवधि के लिए 11,95,50,037.04 रुपये की रकम के विभेदी शुल्क की मांग की गई। 1.3.75 से, टिस्को ने "स्कैल्प" दर पर उक्त माल की निकासी शुरू कर दी। टिस्को ने उपर्युक्त संशोधन को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसमें उन्होंने टैरिफ (केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद सं० 26 कक) में पिछली तारीख से कोई परिवर्तन करने संबंधी सरकार की विधायी क्षमता पर आपत्ति उठाई थी। 29 अक्तूबर, 1975 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभेदी शुल्क की वसूली के संबंध में, रिट याचिक के निपटान होने तक, इस शर्त पर अन्तरिम स्थगन-आदेश (जिसकी 12.12.75 को पुष्टि कर दी गई थी) जारी किया कि टिस्को, दो महीने के भीतर, सहायक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, जमशेदपुर के समाधान प्रदरूप में 20 करोड़ रुपये की रकम के बराबर अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति पेश करे और भविष्य में सरकार को कानून के अनुसार शुल्क निर्धारण करने की छूट होगी। उच्च न्यायालय के स्थगन-आदेश के अनुसरण में, मैसर्स टिस्को ने 31.10.75

तक उत्पादन शुल्क की अदायगी स्कैल्प दर पर की और 1.11.75 से वे, अपने उत्पाद "स्कैल्प" की निकासी, उसे हॉट रोल्ड स्ट्रिप बताकर तथा ऐसी स्ट्रिप पर समय समय पर लागू होने वाली दर से शुल्क अदा करके, करते रहे हैं। विभाग ने भी विभेदी शुल्क की मांगें, उन्हें प्रवृत्त किए बिना, जारी करना शुरू कर दिया। बाद में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 3-5-79 के आदेश के द्वारा अपने मूल आदेश में संशोधन करके यह निर्देश दिया कि मैसर्स टिस्को, "उपाबद्ध" सम्पत्तियों की सूची और याची कम्पनी के कानूनी लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए प्रमाण पत्र सहित, ड्राफ्ट फार्म में, एक प्रतिभूति बन्ध-पत्र प्रस्तुत करेंगे जो याची कम्पनी के एडवोकेट द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित होगा। उक्त प्रतिभूति बन्ध-पत्र, इस माननीय न्यायालय के रजिस्ट्रार के पक्ष में विष्पादित किया जाएगा। और 30 मई 1979 को दाखिल किया जाएगा। मैसर्स टिस्को द्वारा उच्च न्यायालय के इस निदेश का पालन किया गया है। उक्त रिट याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन पड़ी है और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्रालय के मुकदमा अनुभाग ने वरिष्ठ कांउसेल को हिदायत जारी की है कि वह इस मामले में फैसले के लिए जल्दी सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष समावेदन करे।

अन्य उत्पाद—

अन्य उत्पादों के सिलसिले में मैसर्स टिस्को के प्रति केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की एक करोड़ रुपये से अधिक की बकाया रकम के संबंध में, रिपोर्टानुसार, तथ्य निम्नलिखित हैं :—

(1) 1,13,00,000 रुपये के शुल्क की बकाया, टिस्को द्वारा उन इस्पात-सिल्लियों पर लिए गए शुल्क के मुजरे के प्रति जारी की गई मांगों के कारण उत्पन्न हुई थी जिनकी निकासी, दिनांक 1.3.1969 की अधिसूचना संख्या 26/69—के०उ०शु० के अन्तर्गत "अन्य" दर पर की गई थी। मार्च, 1969 से पहले मैसर्स टिस्को, शुल्क प्रदत्त इस्पात सिल्लियाँ प्राप्त किया करते थे जिनका निर्माण विद्युत भट्टी की मदद से, लौह और इस्पात उत्पादों के रूप में और आगे रोलिंग के लिए, किया जाता था। छूट प्रदायी अधिसूचना संख्या 26/69 जारी करके इन सिल्लियों को शुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान कर दी गई। मार्च, 1969 से टिस्को द्वारा लौह और इस्पात उत्पादों के और आगे विनिर्माण के लिए चूंकि शुल्क मुक्त इस्पात-सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इस्पात-सिल्लियों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के नियम 56—क के अन्तर्गत शुल्क के मुजरे की इजाजत नहीं दी गई थी। मैसर्स टिस्को ने अधीक्षक, जमशेदपुर-I रेंज के न्यायनिर्णयन आदेश के खिलाफ अपीलीय समाहर्ता, कलकत्ता के समक्ष अपील की। चूंकि उक्त अपीलों का अभी फैसला नहीं हुआ है, इसलिए मांग की वसूली बकाया पड़ी है। अपीलीय समाहर्ता को सलाह दी गई है कि वे मैसर्स टिस्को द्वारा की गई अपीलों में, जो अभी अनिर्णीत पड़ी हैं शीघ्र फैसले के लिए कार्यवाही करें।

(2) मैसर्स टिस्को ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 56-क के अन्तर्गत सिल्लियां प्राप्त कर शुल्क के मुजरे का लाभ उठाया था। उनसे निर्मित माल की निकासी शुल्क की अदायगी करके की गई थी। परन्तु ऐसे माल के विनिर्माण के समय निकलने वाले अपशिष्ट की निकासी, दिनांक 18-6-77 की अधिसूचना सं० 150/77-के०उ०शु० के अन्तर्गत बिना शुल्क अदा किए; की गई थी। चूंकि सिल्लियों को निगम 56-क की प्रभाव सीमा के अन्तर्गत ले आया गया था, इसलिए उनसे निकलने वाले अपशिष्ट की निकासी शुल्क की अदायगी करके ही की जानी

चाहिए थी । सहायक समाहर्ता द्वारा 1,21,64,675/-रु० की मांगों की पुष्टि पहले ही की जा चुकी हैं । परन्तु अपील करने की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है ।

(3) चार मामलों में, जिनमें कुल 14,73,267/-रु० का शुल्क ग्रस्त था, मैसर्स टिस्को के खिलाफ मांगों की पुष्टि इस तथ्य के आधार पर की गई थी कि उनके द्वारा शीट-मिल में निकलने वाले अपशिष्ट की निकासी दिनांक 18.6.77 की अधिसूचना सं० 150/77-के०उ०शु० के अन्तर्गत "बट्स" और "शार्ट्स" की नामावली के अन्तर्गत की गई थी । मामले में, शीघ्र अदायगी के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

(4) शुल्क की कुल लगभग 57,345/-रु० की रकम वाले नौ मामलों में, मैसर्स टिस्को के खिलाफ मांगों की पुष्टि इस तथ्य के आधार पर की गई थी कि 15-11-78 से उन्होंने, उनके द्वारा लायी गयी सिल्लियों के सम्बन्ध में, खाते-जमा का उठाना बन्द कर दिया था और दिनांक 18-6-77 की अधिसूचना सं० 152/77-के०उ०शु० के अनुसार, अपेक्षाकृत निम्न दर से शुल्क अदा करने लगे थे । उन्होंने, ऐसे लोह और इस्पात उत्पादों की निकासी, जिनका विनिर्माण 15-11-78 से पूर्व प्राप्त सिल्लियों से किया गया था, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 56-क के अन्तर्गत अपेक्षाकृत निम्न शुल्क दर पर की थी और इस प्रकार उन्होंने खाते जमा और शुल्क की घटी दरों, दोनों का, दावा किया था । इसलिए, मांगें जारी की गई और उनकी पुष्टि की गई थी। मामले पर शीघ्र कार्यवाही की जा रही है ।

सलूर जूट फैक्ट्री, सलूर, मध्यप्रदेश द्वारा ऋण के लिए औद्योगिक वित्त निगम की प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र

4372. **श्री वी० किशोरचन्द्र एस० देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्रप्रदेश के जिला श्रीकाकुलम में सलूर स्थित सलूर जूट फैक्ट्री ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को कोई ऋण-आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) क्या इस संबंध में आंध्रप्रदेश राज्य सरकार ने कुछ करना है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) तथा (ख) आंध्रप्रदेश में सलूर नामक स्थान एक जूट फैक्ट्री स्थापित करने के वास्ते, जुलाई, 1979 में, आंध्रप्रदेश फाइबर्स लि० (ए० पी० एफ०) ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) को एक ऋण-आवेदन दिया था । चूंकि, परियोजना की अर्थ-क्षमता संदिग्ध थी, आई० एफ० सी० आई० ने, परियोजना में फेरबदल के लिए समुचित उपाय सुझाय जिससे कि उसकी अर्थक्षमता सुनिश्चित हो सके । ए० पी० एफ०, आई० एफ० सी० आई० के प्रस्तावों से सहमत हो गयी है । संशोधित योजना भेजे जाने पर इस आवेदन पर विचार किया जाएगा ।

(ग) तथा (घ) आवेदक कम्पनी, अर्थात् आंध्र फाइबर्स लि०, आंध्रप्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित की गयी है । वैसे भी, आम तौर पर ए० पी० एफ० द्वारा बनाई गयी परियोजना की तरह की योजना यदि अर्थक्षम आधार पर क्रियान्वित तथा संचालित की जानी है तो, भूमि की व्यवस्था तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं जुटाने, जूट की खेती के विकास, वित्तीय राहत/रियायतें/वित्तीय सहायता आदि प्रदान करने जैसे मामलों में राज्य सरकार की मदद की आवश्यकता होगी ।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन राजहरा और हिर्री खान श्रमिकों के नेता की गिरफ्तारी

4373. श्री सुभाष यादव
श्री कृष्ण प्रताप सिंह } : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र के राजहरा और हिर्री खान श्रमिकों के नेता को आतंक का वातावरण उत्पन्न करने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया है,

(ख) क्या इन दो खानों के श्रमिकों ने अनिश्चितकाल के लिये हड़ताल की है, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) छत्तीसगढ़ खान श्रमिक संघ के नेता श्री शंकर गुहा नियोगी व श्री सहदेव साहु की गिरफ्तारी के बाद ठेकेदार के अधीन काम करने वाले कुछ श्रमिक, जो दल्ली-राजहरा खानों और दानी टोला क्वार्टराइट खानों में काम कर रहे थे, 12 फरवरी, 1981 को अचानक काम छोड़कर चले गये और तब से काम पर वापिस नहीं लौटे हैं । न तो ठेकेदार और श्रमिकों में न ही प्लांट के प्रबन्धकों व श्रमिकों के बीच कोई औद्योगिक विवाद हैं । इसके बावजूद प्लांट के प्रबन्धकों ने स्थानीय मध्यस्थता व्यवस्था को स्थिति से अवगत रखा है और ठेकेदार से भी सम्पर्क बनाये हुए हैं ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के दावों का निपटान करने के सम्बन्ध में सी० आई० सी० कर्मचारी संघ के संगठन सचिव द्वारा जारी किया गया परिपत्र

4374. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान्य बीमा कर्मचारी संघ, दक्षिण जोन (त्रिची एकक) के संगठन सचिव ने दिनांक 27 अगस्त, 1980 का परिपत्र जारी किया है जिसमें उसने दावा किया है कि यू० आई० एफ० जी० द्वारा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० के लगभग 13 लाख रुपए से अधिक के दावे का निपटान किए जाने में संदिग्ध सौदा किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह परिपत्र जारी करने के बाद संगठन सचिव को मुअत्तिल कर दिया गया था और बाद में बहाल कर दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या परिपत्र की विषय-वस्तु के बारे में कोई जांच की गई थी यदि हां, तो रिपोर्ट का क्या परिणाम निकला ;

(घ) यदि कोई जांच नहीं की गई थी तो इसके क्या कारण हैं और संगठन सचिव को मुअत्तिल तथा बहाल करने की क्या पृष्ठभूमि है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि जांच इसलिए नहीं की गई थी कि संदिग्ध सौदा था । जैसाकि परिपत्र में उल्लेख है और उसको बहाल करके समूचा मामला – दबा दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ङ) साधारण बीमा कर्मचारी संघ के संगठन मंत्री ने एक परिपत्र जारी किया था जिसमें उन्होंने भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के दावों के निपटारे के सम्बन्ध में कुछ आरोप लगाए थे । चूंकि परिपत्र आचरण, अनुशासन और अपील नियमों के विरुद्ध था, इसलिए उक्त कर्मचारी को मुअत्तिल कर दिया गया

था । कम्पनी का यह मत था कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के दावे का निपटारा पालिसी की शर्तों के अनुसार ही किया गया है। लेकिन चूंकि कर्मचारी ने खेद प्रकट कर दिया था इसलिए प्रबन्धकों ने इस मामले में नर्म रुख अपनाया और अब उसे बहाल कर दिया गया है ।

भारतीय तथा विदेशी युवकों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले यूथ होस्टल

4375. **श्री के० पी० सिंह देव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने यूथ होस्टल स्थापित किये गये हैं और गत दो वर्षों में उन यूथ होस्टलों की सुविधाओं का कितने भारतीय तथा विदेशी युवकों द्वारा उपयोग किया गया है; और

(ख) क्या और यूथ होस्टल स्थापित करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने अमृतसर, औरंगाबाद, भोपाल, डलहौजी, दार्जिलिंग, गान्धी नगर, सिकन्दराबाद, जयपुर, मद्रास, नैनीताल, पंचकुला, पटनी टाप, पणजी, पुरी, त्रिवेन्द्रम पांडिचेरी में 16 यूथ होस्टलों का निर्माण किया है और इन्हें चालू कर दिया है । मैसूर और पोर्ट ब्लेयर में एक-एक यूथ होस्टल का निर्माण किया जा रहा है । ऐसे भारतीय और विदेशी पर्यटकों की संख्या, जिन्होंने पिछले दो वर्षों के दौरान इन यूथ होस्टलों की सुविधाओं का उपयोग किया, के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) जी, हां ।

पशुओं के खाद्य पदार्थों का निर्यात

4376. **श्री टी० दामोदर रेड्डी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उत्पादित पशुओं के साथ पदार्थों का विदेशों को निर्यात किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, इस प्रकार इसकी निर्यात की गई मात्रा क्या है और इन्हें कौन से देश आयात कर रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) खलियां पशु खाद्य पदार्थ का प्रमुख अंग हैं । भारत ने सभी एक्सपेलर खलियों के निर्यात पर रोक लगी हुई है । तेल रहित सांद्रणों की प्रमुख मदों के निर्यात सीमित मात्रा में प्रतिबंधित हैं । भारत से पशु खाद्य पदार्थ का सीमित मात्रा में निर्यात करने की अनुमति है जो बहुत देशों द्वारा आयात किया जाता है जिसका ब्यौरे मन्थली स्टेटिक्स आफ दी फारेन ट्रेड आफ इंडिया में दर्शाए गये हैं ।

एल्यूमिनियम अनुसंधान तथा विकास केन्द्र की स्थापना

4377. **श्री रामप्यारे पनिका :** क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक एल्यूमिनियम अनुसंधान तथा विकास केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्र कब तथा कहां पर स्थापित करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकार ने भारत में एल्यूमिनियम अनुसंधान, विकास और डिजाइन संस्थान की स्थापना हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से साध्यता रिपोर्ट तैयार कराने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है ।

(ख) यह संस्थान कहां और कब स्थापित किया जाएगा, इसका निर्णय साध्यता रिपोर्ट मिलने के बाद ही किया जा सकता है ।

मजदूर संघों को मान्यता देना

4378. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों में (भारतीय स्टेट बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर) काम कर रहे मजदूर संघों को मान्यता देने संबंधी नियम क्या हैं ;

(ख) उक्त बैंकों में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित बैंकों में 1979-80 में पंजीकृत मजदूर संघों की सदस्यता कितनी थी और उनमें से कौन-कौन से संघ अखिल भारतीय मजदूर संगठनों से सम्बन्ध हैं; और

(घ) मान्यता प्राप्त मजदूर संघों तथा उनके महासंघों के नाम क्या हैं तथा उन्हें किस-किस तारीख को मान्यता दी गयी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट : (क) से (घ) यथा उपलब्ध सूचना इकट्ठी की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

स्टैपल यार्न के मूल्य में वृद्धि

4379. **श्री राम अवध** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत चल रहे उत्तर प्रदेश राज्य निगम के टन्डा (फैजाबाद) की नैनी मिल के स्टैपल यार्न के मूल्यों में 7 फरवरी से 10 फरवरी के बीच प्रति गांठ लगभग 180 रु० की वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में जल्दी जल्दी संशोधन के क्या कारण हैं; और

(ग) स्टैपल यार्न के मूल्य पर नियन्त्रण रखने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क)तथा(ख) स्टैपल रेशे की कीमतों और रंगने की लागत में वृद्धि और उससे मिलों को होने वाली हानि के परिणामस्वरूप टांडा में स्वदेशी काटन मिल, नैनी के 22 एन. एफ. और 26 एन. एफ. काउंटों के स्टैपल यार्न की कीमतें फरवरी, 1981 के दौरान क्रमश: 5.00 रु० और 7.00 रु० प्रति बंडल (अर्थात लगभग 100 रु० से लेकर 140 रु० प्रति गांठ) बढ़ गई । इन दोनों काउंटों की कीमतें 9 मार्च, 1981 से 1 रु० कम कर दी गई हैं । इसकी तुलना में नैनी मिल्स के स्टैपल यार्न की दरें अन्य मिलों की दरों से अभी भी कम हैं ।

(ग) यार्न की कीमतों पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है । तथापि, उचित कीमतों पर यार्न की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं । उठाये जा रहे हैं :

(1) छठी पंचवर्षीय योजना में तकुओं की संख्या 20 लाख से भी अधिक की वृद्धि करने का विचार है;

(2) वेस्ट कताई यूनिटों को 40 काउंटों तक का यार्न कातने की अनुमति दी गई है;

(3) मिलों को पुराने और प्रतिस्थापित तकुओं का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है ; और

(4) मिलों पर हैंक यार्न का दायित्व लागू किया जा रहा है ।

"यू० एस० एस० आर० टु ऐड ए० पी० एल्यूमिना प्रोजेक्ट शीर्षक समाचार"

4380. श्री एन० के० शेजवलकर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 जनवरी, 1981 के 'इकनामिक टाइम्स' में "यू० एस० एस० आर० टु ऐड ए० पी० एल्यूमिना प्रोजेक्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जिस सोवियत प्रतिनिधिमंडल ने भारत की यात्रा की उसके नेता तथा अन्य सदस्यों के नाम तथा स्तर क्या हैं ; उनके भारत में रहने की अवधि के दौरान भारतीय साथियों से हुई उनकी चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उस परियोजना में एल्यूमिनियम का उत्पादन भी किया जाएगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या भारत में इस तरह की परियोजनाओं की स्थापना के लिए अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों से भी वैसे ही अनुरोध मिले हैं, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :(क) जी हां ।

(ख) आन्ध्र एल्यूमिना परियोजना पर भारत और सोवियत रूस के बीच सहयोग के विषय पर भारत-सोवियत आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के अन्तः सरकारी आयोग की जनवरी, 81 को नई दिल्ली में हुई छठी बैठक में चर्चा हुई थी । सोवियत शिष्टमंडल का ब्यौरा विवरण में दिया गया है । अधिकारी स्तर की बातचीत 12 से 21 जनवरी, 1981 के दौरान और मंत्री-स्तर की बातचीत 22 और 23 जनवरी, 1981 को हुई । बातचीत के दौरान सोवियत रूस से अनुरोध किया गया कि वे परियोजना के लिए अधिकांश वित्त की व्यवस्था करने के बारे में विचार करे। उनके सामने यह सुझाव भी रखा गया कि वे सम्पूर्ण उत्पादित एल्यूमिना या उसकी एक बड़ी मात्रा अंशतः सोवियत वित्त की अदायगी के रूप में और अंशतः दीर्घकालीन अनुबंधों पर ले सकते हैं ।

(ग) उपर्युक्त बातचीत के दौरान यह सहमति हुई थी कि एल्यूमिना संयंत्र के निर्माण, व्यावसायिक और वित्तीय पहलुओं पर अन्तः सरकारी करार हो जाने के बाद, दोनों पक्षों के प्रतिनिधि आन्ध्र एल्यूमिना परियोजना के अन्तर्गत उत्पादित होने वाले एल्यूमिना पर आधारित एल्यूमिनियम प्रद्रावक के बारे में साध्यता अध्ययन में सहयोग के प्रश्न पर बातचीत करेंगे ।

(घ) एल्यूमिना परियोजनाओं की स्थापना के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से इस प्रकार के कोई प्रस्ताव नहीं मिले हैं । फ्रांस सरकार ने उड़ीसा में एक एल्यूमिना/ एल्यूमिनियम परियोजना की स्थापना हेतु ऋण देने की पेशकश की थी । इस परियोजना के लिए फ्रांसीसी वित्त के बारे में शर्तें पहले ही तय की जा चुकी हैं और परियोजना के कार्यान्वयन की मंजूरी भी पहले ही दी जा चुकी है ।

विवरण

भारत-सोवियत आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के अन्तः सरकारी आयोग की छठी बैठक में उपस्थित सोवियत शिष्टमंडल के सदस्यगण—

1. श्री आई० वी० आर्खोपोव, आयोग के सोवियत अध्यक्ष, यू० एस० एस० आर० की मंत्रि-परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष ।

2. श्री वी० आई० लितविनेन्कों, आयोग के सोवियत उपाध्यक्ष, यू० एस० एस० आर० की विदेशी आर्थिक संबंधी की स्टेट कमेटी के उपाध्यक्ष ।
3. श्री वाई० एम० वोस्तोव, भारत में सोवियत रूस के राजदूत ।
4. श्री वी० वी० वेलयी, यू० एस० एस० आर० के कोयला उद्योग के प्रथम उपमंत्री ।
5. श्री एन० ए० लोगातिन, यू० एस० एस० आर० के बिजली और विद्युतिकरण उपमंत्री ।
6. श्री डी० ए० ताकोएव, तेल उद्योग के उपमंत्री ।
7. श्री वी० ए० यारमोलक, यू० एस० एस० आर० के भूविज्ञान उपमंत्री ।
8. श्री आई०डी० वेझविशाव, यू०एस०एस०आर० मंत्रिपरिषद के उपाध्यक्ष सचिवालय के प्रधान ।
9. श्री आई० पी० नेस्तेरनको, आयोग के सोवियत पक्ष के कार्यकारी सचिव ।
10. श्री ए० आई० तुरिशीन, यू० एस० एस० आर० की मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सलाहकार ।
11. श्री के० वी० मीशाक, आयोग के सोवियत पक्ष के सलाहकार ।
12. श्री आई० के० मिनिआव, यू० एस० एस० आर० की विदेशी आर्थिक संबंधों की राज्य समिति के विभागाध्यक्ष ।
13. श्री एम० ए० किसेलेव, यू० एस० एस० आर० के विदेश व्यापार मंत्रालय के विभागाध्यक्ष ।
14. श्री एन० डी० रेडियोनोव, भारत में यू० एस० एस० आर० के दूतावास में आर्थिक कार्यों के कौंसलर ।
15 श्री वी० पी० सेनिन, भारत में यू० एस० एस० आर० के व्यापार प्रतिनिधि ।
16. श्री वी० ए० कझिन, यू० एस० एस० आर० की विज्ञान और प्रौद्योगिक राज्य समिति के विदेशी सम्बन्धों के विभागाध्यक्ष ।
17. श्री ए० एम० केडाकिन, यू० एस० एस० आर० के विदेश उपमंत्री के सहायक ।
18. श्री पी० आई० कुपरेविच, अध्यक्ष, वी/ओ 'स्वेनमेत प्रोमेक्सपोर्त' ।
19. श्री वी० ए० मेडवेडेव, अध्यक्ष, वी/ओ 'सैलकोस प्रोमेक्सपोर्त' ।
20. श्री वाई० वी० चुगुनेव, अध्यक्ष, वी/ओ 'तेकनोएक्सपर्त' ।
21. श्री के० वी० एनानिचेव, अध्यक्ष, ग्तावसागररानिनेर्गो' ।
22. श्री एन० एन० सखारोव, अध्यक्ष, वी/ओ 'जारुवेझूगोल' ।
23. श्री ए० एन० यूसोव, यू० एस० एस० आर० की राज्य योजना समिति के उपविभागाध्यक्ष ।
24. श्री वी० एम० केप्तोवस्की, यू० एस० एस० आर० की विदेशी आर्थिक सम्बन्धों की राज्य समिति के उपविभागाध्यक्ष ।
25. श्री वाई० ए० कार्मेस्की, उपाध्यक्ष वी/ओ 'तियाझप्रोमेक्स पोर्त' ।
26. श्री एम० आई० स्किविस्की, उपाध्यक्ष, वी/ओ 'तेकोप्रोमेक्पोर्त' ।

जाली आई. एस. आई. चिन्ह लगाकर उत्पाद बेचने वाली कम्पनियां

4381. श्री के० लकप्पा
श्री एच० एन० गौडा
श्री डी० एस० पुत्ते गौडा } : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक कम्पनियां जाली "आई० एस० आई०" चिन्ह लगा कर अपने उत्पाद बेच रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनके बारे में सरकार को सूचना मिली है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) भारतीय मानक संस्था, भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम, 1952 तथा उनके तहत बनाये गये नियमों व विनियमों के उपबंधों के अन्तर्गत चलाई जा रही प्रमाण चिन्ह योजना के अधीन उत्पादकों को उन उत्पादों पर मानक चिन्ह का प्रयोग करने के लिए लाइसेंस देती है जो संगत भारतीय मानक विशिष्ठियों के अनुसार विनिर्मित किए जाते हैं। ऐसे मामले हुए हैं जब ऐसे कुछ विनिर्माताओं द्वारा आई. एस. आई. चिन्ह का दुरुपयोग किया गया जो आई. एस. आई. चिन्ह का उपयोग करने के लिए अधिकृत नहीं थे।

(ख) व (ग) मैसर्स किसान पेस्टिसाइड्स, बड़ौदा; पटवारीजी, नई दिल्ली; ज्योति पेस्टिसाइड्स, सहारनपुर; हिन्दुस्तान पलवराइजिंग मिल्स, दिल्ली; चोरड़िया एन्टरप्राइजिस, मद्रास; तथा सिंधल टी कम्पनी, सिलीगुड़ी जैसे कई विनिर्माताओं पर मुकदमे चलाये गये और उन्हें सजा मिली। मैसर्स झावर पेस्टिसाइड्स, हौशंगाबाद; जमींदार कैमिकल्स राजपुरा; तथा यूनाइटेड एजेन्सीस, ग्वालियर के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई चल रही है।

तीसरे विश्व के देशों में फ्रांसीसी कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम

4382. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फ्रांसीसी कम्पनियों द्वारा तीसरे विश्व के देशों में परियोजनाएं आरम्भ करने के लिये भारतीय कम्पनियों के साथ करार करने में दिखाई गई रुचि की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार इस प्रकार के करारों को उस सीमा तक प्रोत्साहित करती है जहां तक वे भारतीय कम्पनी को अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर प्रतियोगी बनाते हों और नये बाजारों में स्वीकार्यता हासिल करते हों। सरकार अपनी समग्र नीति के प्राचल के भीतर ऐसे करारों को प्रोत्साहित करने के लिये सभी उचित सुविधाएं भी देती है।

उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना

4384. **श्री जैनुल बशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश को सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कुल पूंजी निवेश का केवल चार प्रतिशत मिला है;

(ख) उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की संख्या कितनी है और इनमें कितनी पूंजी निविष्ट की जायेगी;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उत्तर प्रदेश में किस सीमा तक पूंजी निवेश का प्रतिशत बढ़ाए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) 31-3-1980 को उत्तर प्रदेश में सकल परिसम्पत्ति के रूप में पूंजी निवेश का प्रतिशत 4.42 बैठता है ।

(ख) और (ग) वर्तमान संकेतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में छठी योजना की अवधि के दौरान लगाई जाने वाली पूंजी का ब्यौरा इस प्रकार है :

	(करोड़ रुपयों में)
1. भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेशर्स लि०	10.37
2. स्कूटर्स इण्डिया लि०	9.30
3. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	5.00
4. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, हरिद्वार	76.53
5. ट्रांसफार्मर कारखाना, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, झांसी	1.21
6. मथुरा तेलशोधक कारखाना	63.19
7. सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि०	6.00
8. इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०	79.00
9. एरोमेटिक्स निकर्षण संयंत्र	—
10. उर्वरक संयंत्र	—
11. भारत लैदर कारपोरेशन	—
12. कोल इण्डिया लि०	—

एरोमैटिक संयंत्र और उर्वरक संयंत्र के लिए राज्यवार आवंटन का निर्णय अभी नहीं किया गया है । जहां तक उपर्युक्त मद 11 और 12 का सम्बन्ध है, यह पूंजी निवेश सार्वत्रिक स्वरूप का है, जिसमें से कुछ पूंजी उत्तर प्रदेश में लगाई जाएगी । इसका यथार्थ आवंटन कार्यान्वयन सम्बन्धी वास्तविक कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा । उपर्युक्त के अलावा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की दो विद्युत परियोजनाओं, अर्थात् (1) सिंगरौली उच्च ताप बिजली घर (1980-85 के दौरान 474 करोड़ रुपए), (2) नरौरा परमाणु बिजली संयंत्र (1980-85 के दौरान 180.02 करोड़ रुपए) का निर्माण कार्य चालू है । इसके अलावा 1980-85 की अवधि के दौरान इस राज्य में विद्युत विकास कार्यक्रम के लिए 2153 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें 6 चालू पनबिजली और 6 चालू तापबिजली योजनाओं के लिए 991.31 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है ।

(घ) इस अवस्था में इस प्रकार का आकलन व्यवहार्य नहीं है ।

विद्युतचालित करघा बोर्ड की स्थापना

4385. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युतचालित करघा उद्योग की समस्याओं पर विचार करने के लिये विभिन्न समितियां नियुक्त की गई थी; यदि हां, तो उनके नाम और सिफारिशें क्या हैं और प्रत्येक सिफारिश के बारे में की गई कार्यवाही क्या है; और

(ख) क्या यह सच है कि एक प्रमुख सिफारिश विद्युतचालित बोर्ड की स्थापना करने की थी; यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) हाल के वर्षों में (1977-78) संसद की प्राक्कलन समिति ने शक्तिचालित करघा उद्योग की समस्याओं का अध्ययन किया। सदस्यों के नाम, की गई सिफारिशें तथा की गई कार्यवाही समिति की चौदहवीं तथा चौबीसवीं रिपोर्टों में दी गई हैं जो कि सरकारी दस्तावेज हैं। समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश शक्तिचालित करघा बोर्ड स्थापित करने के बारे में थी। सरकार ने उस सिफारिश के उत्तर में बताया कि बोर्ड को स्थापित करने के प्रश्न पर, समिति द्वारा सिफारिश किये गये तथा सरकार द्वारा सिद्धान्त रूप में स्वीकार किये गये व्यापक अध्ययन के परिणामों के मिलने के बाद, गहराई के साथ विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक के चतुर्थ श्रेणी/अधीनस्थ कर्मचारी

4386. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों में चतुर्थ श्रेणी/अधीनस्थ कर्मचारियों की बैंक-वार, अलग-अलग, संख्या कितनी है;

(ख) उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों (सफाई कर्मचारियों सहित) की बैंक-वार, अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा पूरा हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो आरक्षित कोटा पूरा न करने के क्या कारण हैं; और यह आरक्षित कोटा कब पूरा किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (घ) यथा उपलब्ध सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

त्रिपक्षीय सहयोग के लिये हालैंड के साथ करार

4387. **श्री कृष्ण कुमार गोयल**
श्री भीकूराम जैन } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में आये उच्च व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बातचीत के दौरान कृषि, पशुपालन, मुर्गीपालन तथा अन्य सम्बद्ध कार्यों के लिये हालैंड के साथ कोई त्रिपक्षीय करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) फरवरी, 1981 में नीदरलैंड के महामहिम प्रिंस क्लाज के नेतृत्व में नीदरलैंड के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई वार्ताओं के दौरान भारतीय एवं नीदरलैंड दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने कृषि, फसल पश्चात प्रौद्योगिकी तथा पशुपालन के विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में तृतीय देशों में संयुक्त सहयोग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। इन क्षेत्रों में सहयोग के कुछ मुख्य क्षेत्रों का पता लगाया गया।

आदिवासियों की आर्थिक पुनर्वास योजना

4388. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय स्टेट बैंक ने देश में आदिवासियों के आर्थिक पुनर्वास के लिए कुछ योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो ये योजनाएं क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चालू वर्ष के दौरान ऐसी आदिवासी पुनर्वास (आर्थिक) योजनाएं उड़ीसा में भी चलाई जाएंगी; और

(घ) इन योजनाओं का क्रियान्वयन संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) तथा (ख) जनजातियों के आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था करने की कोई योजनाएं भारतीय स्टेट बैंक की विभिन्न शाखाओं द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक कार्य कलापों, जैसे खेती बकरी तथा भेड़ पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, रेशम के कीड़ों का पालन, टोकरी निर्माण ग्राम उद्योग, वन उत्पाद संग्रह आदि शुरू करने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाती है। शाखाओं को यह भी कहा गया है कि वे अपने द्वारा तैयार की गई सामान्य सहायता योजनाओं में अनुसूचित जनजातियों के लोगों को महत्वपूर्ण स्थान दें। इन जन-जातियों को, विशेषकर, इनके लाभ के लिए स्थापित किए गए राज्य प्रायोजित निगमों के माध्यम से भी सहायता दी जाती है। उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए अधिकांश अग्रिम विभेदी ब्याज दर (डी० आर० आई०) योजनाओं के अन्तर्गत मंजूर किए जाते हैं। हालांकि, विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों को दी गई सहायता के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है पर दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों को मंजूर किए गए इस प्रकार के अग्रिमों की कुल इकट्ठी राशि 26 करोड़ रुपये थी जो चार लाख खातों में बंटी हुई थी।

(ग) और (घ) इस प्रकार की योजनाएं उड़ीसा में पहले ही कार्यान्वित की जा रही हैं 31 दिसम्बर, 1980 की स्थिति के अनुसार राज्य के 288 जन जाति ग्राम अंगीकार किए गए थे। जिनमें जन जातियों के 18,405 व्यक्तियों को कुल 94.02 लाख रुपये की ऋण सहायता दी गई थी।

माल का निर्यात एवं आयात

4389. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार कलैण्डर वर्षों के दौरान किन-किन देशों को प्रत्येक राज्य ने किस-किस प्रकार के सामानों का निर्यात किया गया और वर्षवार तथा राष्ट्रवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) गत चार कलैण्डर वर्षों के दौरान किन-किन देशों से किस-किस सामान का आयात किया गया और कितनी धनराशि खर्च हुई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान): (क) भारत के विदेश व्यापार के सरकारी आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर संकलित किए जाते हैं। उन्हें राज्य-वार आधार पर संकलित और प्रकाशित नहीं किया जाता और इसलिए प्रत्येक राज्य के निर्यातों के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदें हैं : चाय, काफी, तम्बाकू, सूती कपड़े, सिले-सिलाए परिधान, पटसन वस्तुएं, इन्जीनियरी सामान, चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएं, समुद्री उत्पाद, रत्न तथा आभूषण और अन्य हस्तशिल्प की वस्तुएं, लौह अयस्क, खली तथा रसायन

और भेषज उत्पाद । गत 4 वर्षों के दौरान प्रमुख बाजारों को भारत से हुए निर्यातों का कुल मूल्य निम्नोक्त प्रकार है :

(मूल्य करोड़ रु० में)

देश	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80 (अनन्तिम)
1. सं० रा० अमरीका	569.06	677.02	777.18	608.81
2. ईरान	146.98	116.59	92.48	100.25
3. जापान	544.38	505.83	599.25	644.91
4. कुवैत	117.42	112.80	120.04	133.58
5. संयुक्त अरब अमीरात	167.30	143.30	134.98	137.63
6. सोवियत संघ	453.81	656.88	410.59	645.65
7. बैल्जियम	115.08	202.26	232.72	159.72
8. फ्रांस	178.39	146.14	177.60	179.28
9. जर्मन संघीय गणराज्य	229.98	244.51	287.37	365.27
10. इटली	118.98	100.60	137.87	221.18
11. नीदरलैंड्स	194.56	137.13	181.23	228.41
12. ब्रिटेन	521.44	525.27	534.02	473.60

(ख) पिछले 4 वर्षों के दौरान आयात की गई प्रमुख मदें हैं : पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पाद, वनस्पति तेल, उर्वरक, लोहा तथा इस्पात, अलौह धातुएं, मशीनें, रसायन आदि ।

पिछले चार वर्षों के दौरान प्रमुख बाजारों से भारत में किए गए आयातों का कुल मूल्य निम्नोक्त प्रकार रहा है :

(मूल्य करोड़ रु० में)

देश	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80 (अनन्तिम)
कनाडा	129.42	181.20	240.30	223.40
सं० रा० अमरीका	105.01	755.87	761.90	869.80
ईरान	507.97	543.49	348.50	620.10
जापान	297.36	427.44	565.00	610.20
इराक	280.17	331.12	583.20	857.90
सऊदी अरब	331.98	246.80	198.90	371.20
सोवियत संघ	3 6.05	446.38	470.60	728.60
फ्रांस	140.30	158.46	226.10	187.90
जर्मन संघीय गणराज्य	316.81	554.82	629.60	644.50
ब्रिटेन	366.67	461.07	569.90	663.50

कच्चे लोहे की कमी के कारण फाउण्ड्रियों का बन्द किया जाना

4390. श्री एन० ई० होरो : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में कच्चे लोहे की बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कच्चे लोहे की कमी के कारण कुछ फाउण्ड्रियां बन्द कर दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसी फाउण्ड्रियों की राज्यवार संख्या क्या है, और

(घ) सरकार ने उनको पुनः खोलने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अप्रैल, 1980 से फरवरी, 1981 की अवधि में स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० ने 1,105,300 टन कच्चे लोहे की घरेलू बिक्री की थी जबकि गत वर्ष की इसी अवधि में घरेलू बिक्री 814,500 टन थी। इस प्रकार सप्लाई की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। लेकिन यह सच है कि मांग की तुलना में कच्चे लोहे की कम उपलब्धि होने की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। कच्चे लोहे के उत्पादन में और अधिक वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच आयात की वर्तमान नीति में सामान्य खुले लाइसेंस के अन्तर्गत कच्चे लोहे के आयात के लिए भी अनुमति दी गई है।

(ख) सरकार को इस बात की कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है कि कच्चे लोहे की कमी के कारण कोई फाउन्ड्री बन्द हुई है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते।

इस्पात संयंत्रों में उत्पादन की हानि

4391. **श्री नीरेन घोष** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दामोदर घाटी निगम द्वारा विद्युत की कम सप्लाई के कारण 1980-81 में इस्पात संयंत्रों में उत्पादन की कितनी हानि हुई ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : इस्पात का उत्पादन आवश्यक आदानों, जिनमें बिजली भी शामिल है, की पर्याप्त उपलब्धि पर निर्भर करता है; अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि किसी एक कारण से जैसे दामोदर घाटी निगम से बिजली की कम सप्लाई होने से उत्पादन की कितनी हानि हुई है।

रुपए का मूल्य

4392. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपए का वर्तमान मूल्य कितना है और गत 34 वर्षों के दौरान इसमें कितनी कमी हुई है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) रुपए की क्रय शक्ति, जैसा कि उसे औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता कीमत सूचकांक (आधार 1960-61 = 100 1947 तक समायोजित) के व्युत्क्रम में मापा गया है 1980 में 18.38 पैसे बैठती है। एक अवधि में रुपए की आन्तरिक क्रय शक्ति में ह्रास, किसी भी अन्य करेंसी के समान, कीमतों में वृद्धि होने के कारण होता है। किन्तु इस बात पर ध्यान दिया जाए कि इस अवधि के दौरान धन के रूप में प्रति व्यक्ति आय में तो 460 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है, किन्तु वास्तविक रूप में इसमें 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

(ख) कीमतों में होने वाली वृद्धि के कारणों की चर्चा आनुक्रमिक आर्थिक समीक्षाओं में की गई है ।

बैंकों में भत्तों और आनुषंगिक व्यय में असमानता

4393. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य सरकारी कार्यालयों की तुलना में बैंकों में भत्तों और अन्य आनुषंगिक व्यय के मामले में असमानता विद्यमान है; और

(ख) यदि हाँ, तो अन्य सरकारी कार्यालयों की तुलना में समयोपरि भत्ते तथा महंगाई भत्ते आदि की औसत के बारे में ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च होती है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, हां । बैंकों तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध होने वाले भत्तों आदि के मामलों में भिन्नता है ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को समयोपरि (ओवरटाइम) तथा महंगाई भत्ते का भुगतान एक ऐसे फार्मूले के अधीन किया जाता है जो कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के पर लागू फार्मूले से भिन्न है । इसलिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले समयोपरि भत्ते तथा महंगाई भत्ते आदि के औसत की केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले समयोपरि भत्ते तथा महंगाई भत्ते के औसत के साथ तुलना करना संभव नहीं है । जहाँ तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को समयोपरि (ओवरटाइम) तथा महंगाई भत्ते (डी०ए०) भत्तों के भुगतान पर होने वाले व्यय का सम्बन्ध है, पिछले चार वर्षों के बारे में जो सूचना तुरन्त उपलब्ध है वह नीचे दी गई है :—

समाप्त वर्ष (करोड़ रुपयों में)

	1977	1978	1979	1980
समयोपरि भत्ता (ओवरटाइम)	10.31	19.32	22.99	30.84
महंगाई भत्ता (डी० ए०)	151.09 (केवल 20 बैंकों के लिए)	158.71 (केवल 18 बैंकों के लिए)	174.17 (केवल 20 बैंकों के लिए)	उपलब्ध नहीं

कपड़ा मिलें

4394. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सार्वजनिक क्षेत्र में कपड़ा मिलों की कुल संख्या क्या है और क्या उन सबको रुग्ण होने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र में ले लिया गया था;

(ख) उनमें से कितनी मिलें घाटे में चल रही हैं, उनमें से कितनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है और शेष मिलों को जल्दी ही आधुनिक बनाए जाने में क्या बाधाएं हैं;

(ग) कितनी कपड़ा मिलें निजी क्षेत्र में हैं और बीच की अवधि के दौरान उनमें से कितनी मिलों को रुग्ण घोषित किया गया है;

(घ) उनकी संगत संख्या तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कपड़ा मिलों की कुल क्षमता क्या है और सस्ते कपड़े को मिलाकर उनका कुल उत्पादन कितना है; और

(ङ) क्या समूचे कपड़ा उद्योग का अधिग्रहण किए जाने का प्रस्ताव है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर्नाटक में स्थित विजयनगर इस्पात संयंत्र के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन

4395. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्नाटक में विजयनगर इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलनों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त पुनरीक्षित प्राक्कलनों पर निर्णय करने के लिए सरकार को कितना समय लगेगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने मेकन से वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के बारे में रिपोर्ट तैयार करने को कहा है जिससे कोककर कोयले का इस्तेमाल कम से कम किया जाए तथा प्राडक्ट-मिक्स को भावी मांग के क्षेत्रीय स्वरूप के अनुकूल बनाया जाए, दूरवर्ती क्षेत्रों को तैयार उत्पादों की ढुलाई में कमी हो तथा परियोजना की लाभदायकता में सुधार हो सके। आशा है कि मेकन द्वारा यह रिपोर्ट मार्च, 1981 के अन्त तक प्रस्तुत कर दी जाएगी।

मेकन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को भी अद्यतन करेगी ताकि देश के अन्य कारखानों में लगाई जा रही मुख्य उत्पादन इकाइयों का आकार वही हो जो देश में अन्य कारखानों में अब लगाया जा रहा है। अद्यतन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परियोजना के संशोधित लागत अनुमान भी शामिल होंगे।

प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जालसाजी का पता लगाना

4396. **प्रो० मधु दंडवते**
श्री एस० एम० कृष्ण } : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रवर्तन अधिकारियों ने दिल्ली, बम्बई और आगरा में छापों के दौरान विदेशी कम्पनियों के भारतीय एजेंटों द्वारा कम राशि दिखाकर विदेशों को धनराशि भेजने के 10 लाख रुपयों के घोटाले का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा मारे गये छापों के निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) दिनांक 2 दिसम्बर 1980 से 5 दिसम्बर, 1980 तक की अवधि के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने मैसर्स वृन्दावन एन्टरप्राइजिज प्रा० लि० की दिल्ली में, और दिल्ली, बम्बई और आगरा में इसके सम्बन्ध परिसरों की तलाशियाँ लीं और कुछ अपराध आरोपणीय दस्तावेज पकड़े जिन से पता चलता है कि मैसर्स वृन्दावन एन्टरप्राइजिज कुछ विदेशी कम्पनियों के व्यादेश-अभिकर्ता (इंडेंटिंग एजेंट) हैं और यह कि उन्होंने इन कम्पनियों से भारत में विभिन्न आटा मिलों को मशीनों,

फालतू पुर्जों और संघटकों के आयात में न्यून बीजकांकन की व्यवस्था की थी। कम्पनी के प्रबन्ध—निदेशक श्री आर० सी० गुप्ता और निदेशक श्री पी० के० गोयल को 23-2-81 को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वे जमानत पर हैं।

इस मामले की जांच की जा रही है और प्रभावशाली जांच के हित में अभी अतिरिक्त ब्यौरे देना समयोचित नहीं है।

आवश्यक वस्तुओं का वितरण सरकारी नियंत्रण में लिया जाना

4397. **श्री जेवियर अराकल** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार भारत में आवश्यक वस्तुओं का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का है; यदि हां, तो उसके लिए कौन सा तंत्र होगा और उनका वितरण किस प्रकार किया जाएगा ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न, लेवी चीनी, मिट्टी के तेल, आयातित खाद्य तेल और नियंत्रित कपड़ा जैसी कुछ चुनी आवश्यक वस्तुएं पहले से ही वितरित की जा रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गठन और प्रबंध की जिम्मेदार राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से इन आवश्यक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था करती हैं। इन वस्तुओं की अधिप्राप्ति और राज्य सरकारों को इनकी आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के तेल निगमों, राज्य व्यापार निगम तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ जैसे केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा की जा रही है।

राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर मंहगाई भत्ता दिया जाना

4398. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर मंहगाई भत्ता देने का प्रयत्न कर रही है; और

(ख) इन राज्यों को वित्तीय कठिनाई का मुकाबला करने के लिए यदि कोई वित्तीय सहायता दी गई है तो कितनी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, श्रीनगर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आम तौर पर मंहगाई भत्ते के मामले में केन्द्रीय पद्धति का अनुसरण करते हैं, हालांकि मंहगाई भत्ते की वास्तविक स्वीकृति में संशोधन कर दिए जाते हैं।

(ख) कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

व्यापारिक समझौते

4399. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने देशों के साथ भारत के व्यापारिक समझौते हैं जिनमें दोनों पक्षों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाता है;

(ख) इन समझौतों से भारत और इसके भागीदारों के बीच व्यापार की कुल राशि बढ़ाने में कहां तक सहायता मिली है;

(ग) क्या अन्य देशों के साथ भी ऐसे व्यापारिक समझौते किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय वाणिज्यिक सहयोग करार, जिसकी एक "एम एफ एन" धारा है, के अतिरिक्त 43 देश।

(ख) गत कुछ वर्षों के दौरान भारत और उन देशों के बीच, जिनके साथ हमने एम एफ एन प्रकार के करारों पर हस्ताक्षर किये हैं, व्यापार में वृद्धि हुई है। तथापि, केवल इन देशों के साथ व्यापार करारों पर हस्ताक्षर करने को व्यापार के विस्तार के साथ जोड़ना उचित नहीं होगा क्योंकि व्यापार का विस्तार अनेक कारकों पर निर्भर है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन करारों ने व्यापार के विस्तार के लिए एक आधार प्रदान किया है।

(ग) तथा (घ) जी हां। फिलहाल सात और देशों अर्थात् घाना, मोजम्बीक, लाइबेरिया, अर्जेन्टीना, मैक्सिको, ग्वाटमाला और मालदीव के साथ ऐसे व्यापार करारों पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव है।

तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना

4400. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में 28 फरवरी 1981 तक विभिन्न स्थानों पर कुल कितनी राशि की तस्करी की विदेशी वस्तुएं पकड़ी गई उन वस्तुओं का ब्यौरा मूल्य क्या है;

(ख) इस सम्बंध में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनका ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या उनमें से कुछ सरकारी कर्मचारी है और यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सीमाशुल्क अधिकारियों ने वर्ष 1980 के दौरान कुल लगभग 52.83 करोड़ रुपए मूल्य का तस्करी का माल जैसे कलाई घड़ियां, संश्लिट फैब्रिक्स, सोना और चांदी पकड़ा।

(ख) से (घ) : तस्करी के अपराधों में ग्रस्त होने के कारण जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और जिनको सिद्ध-दोष पाया गया, उनकी संख्या नीचे दी गई है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से, 21 व्यक्ति सरकारी/सार्वजनिक कर्मचारी थे, जो सीमाशुल्क विभाग, पुलिस विभाग, एअर इंडिया और अन्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विभागों से सम्बन्धित थे। उनके खिलाफ कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही शुरू की गई थी :—

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया उनकी संख्या	जिन व्यक्तियों को सिद्ध-दोष पाया गया उनकी संख्या
1854	1351	783

मिजोरम के लिए थर्ड लेवर एयर सर्विस का शुरू किया जाना

4401. **डा० आर० रोथूआमा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजोरम के लिए थर्ड लेवल एयर सर्विस किस तारीख तक शुरू किए जाने का विचार है;

(ख) थर्ड लेवल एयर सर्विस को न बढ़ाये जाने के क्या विशेष कारण हैं, जो मिजोरम तक पहले से हैं;

(ग) क्या यह सच है कि एजावल के समीप लेंगपुई गांव में पक्के विमान क्षेत्र का निर्माण कार्य शुरू किया गया है; और

(घ) यदि हां, इस विमान क्षेत्र का निर्माण करने के लिए वर्ष 1981-82 के लिए कितना वित्तीय अनुदान नियत किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अन्नत प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) ऐजवाल में रनवे के तैयार हो जाने के तुरन्त बाद "वायुदूत" वहां के लिए परिचालन प्रारम्भ कर देगी।

(ग) और (घ, ऐजवाल के निकट लेंगपुई में नए हवाई क्षेत्र का निर्माण सरकार के विचाराधीन है।

शहरों का दर्जा बढ़ाया जाना

4402. **श्री अशोक गहलोत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शहरों को श्रेणी बी-2 के शहरों के रूप में घोषित करने में सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनायी गई है और उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अब तक श्रेणी बी-2 के रूप में घोषित शहरों की संख्या कितनी है और उन शहरों के नाम क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) विद्यमान नीति के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराए भत्ते/प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की अदायगी के लिए नगरों का वर्गीकरण 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जबकि मकान किराए भत्ते की अदायगी के लिए नगर पालिका सीमाओं के अन्तर्गत नगर की जनसंख्या को हिसाब में लिया जाता है, लेकिन प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की अदायगी के लिए नगर के शहरी समूह जहाँ भी 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार यह विद्यमान हो, की जनसंख्या को हिसाब में लिया जाता है; अन्यथा शहर के नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या ऐसे वर्गीकरण का आधार होती है। केवल वे ही शहर जिनकी इस आधार पर न्यूनतम जनसंख्या 4 लाख से अधिक हो, ख-2 श्रेणी के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र होते हैं। तथापि, कुछ समय पूर्व ऐसे कुल शहरों का, जिनके मामले में 1971 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या वर्गीकरण करने/दर्जा बढ़ाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम जनसंख्या से मामूली-सी कम रह ई थी, भारत के महा पंजीयक तथा जनगणना आयुक्त द्वारा उनके संबंध में प्रस्तुत मध्य-जनगना जनसंख्या के अनुमानों के आधार पर वर्गीकरण किया गया था/दर्जा बढ़ाया गया था।

(ख) 1978, 1979 और 1980 की 3 वर्षों की अवधि के दौरान निम्नलिखित पांचरों का 'ख-2' श्रेणी के रूप में दर्जा बढ़ाया गया है :—

1. ग्वालियर
2. विशाखापत्तनम
3. हुबली-धारवाड़
4. कालीकट
5. मैसूर

चाय निर्यातक देशों का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

4403. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'ओपेक' की पद्धति पर चाय निर्यातक देशों का एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की दिशा में अब तक प्रगति हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) तथा (क) (ख) चाय की कीमतें स्थिर करने और उनमें सुधार लाने के लिए संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता संबंधी चाय निर्यातक देशों के बीच हालांकि एक सामान्य करार है तथापि, सप्लाई का प्रबन्ध करने के उपायों को कार्यान्वित करने के बाबत तरीकों पर मतैक्य होना अभी संभव नहीं हो सका है। फिर भी अंकटाड के तत्वावधान में चाय निर्यातक देशों की विभिन्न बैठकों में हुए विचार-विमर्श के फलस्वरूप इस दिशा में यद्यपि काफी प्रगति हुई है। उत्पादक देशों के प्रतिनिधियों की अगली बैठक मई 1981 में अंकारा (टर्की) में होने की संभावना है।

उड़ीसा में कार्यरत जीवन बीमा निगम की शाखाएं

4404. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या वित्त मंत्री भद्रक, उड़ीसा में जीवन बीमा निगम का शाखा-कार्यालय खोलने के बारे में 20 फरवरी, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 612 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम की उड़ीसा में कार्य कर रहे शाखा-कार्यालयों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक शाखा ने औसतन कितनी राशि के बीमे का व्यापार किया है;

(ख) इस राज्य में उक्त शाखाएं किस किस तारीख को खोली गई थीं; और

(ग) क्या ये शाखाएं निर्धारित मानदण्डों को पूरा करती हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

एयर इंडिया के टिकटों का भ्रष्ट तरीके से खरीदा जाना

4405. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या पर्यटन और नगर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया के कुछ लोगों तथा लंदन और दिल्ली में इसके सामान्य बिक्री एजेंटों के कुछ भागीदारों की नजरअन्दाजी से टिकटों को भ्रष्ट तरीके से खरीदने और बेचने का कार्य 1973 से किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और(ख) : दिल्ली तथा लंदन में एयर इंडिया का जनरल सेल्स एजेंट टिकटों की नाजायज बिक्री में सम्मिलित नहीं था । मैसर्ज वर्ल्ड एक्सप्रेस ट्रेवल सर्विस जो कि लंदन में एयर इंडिया के जनरल सेल्स एजेंट के एक साझीदार के स्वामित्व में एक गैर आई० ए० टी० ए० ऐजेंसी है, विभिन्न अफ्रीकी देशों से दस्तावेज स्वीकार करने में लगी हुई थी, जो दस्तावेज धन के स्वदेश भेजने के लिए अफ्रीकी देशों के मुद्रा विनियमों की कठिनाई को पार करने के विचार से जारी किए गए थे ।

एयर-इंडिया ने जनवरी, 1978 से इस प्रकार के दस्तावेजों की खरीद बन्द कर दी है । एयर इंडिया इस प्रकार के दस्तावेज जारी करने में किसी भी समय साक्षात् रूप से शामिल नहीं थे ।

चाय, काफी और रबड़ के पौधों में सुधार के लिए आवंटित धनराशि

4406. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत में काफी, चाय, रबड़ और इलायची के पौधों के निर्यात से करोड़ों रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित करती है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा की अर्जित होने वाली अनुमानित धनराशि कितनी है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इन पौधों की आवश्यक सुविधाओं के अभाव में हानि होती है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने (एक) बागानों में सड़कों के सुधार के लिए (दो) बागान कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या कार्यवाही की है, और

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में सुधार करने के लिए छठी योजना में कोई धनराशि विनियोजित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) सरकार चाय, काफी तथा इलायची के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करती है । फिलहाल रबड़ का निर्यात नहीं किया जा रहा है ।

(ख) चाय, काफी तथा इलायची के निर्यात से अर्जित वार्षिक विदेशी मुद्रा करीब 600 करोड़ रु० है ।

(ग) से (ङ) : बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत बागान कर्मचारियों के लिए सड़कों के सुधार तथा चिकित्सा सुविधाओं सहित आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना बागान मालिकों का प्रमुख उत्तरदायित्व है । अधिनियम संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है । तथापि संबद्ध वस्तु बोर्डों द्वारा बागान कर्मचारियों के लाभ के लिए पूरक कल्याण उपाय प्रदान किए जा रहे हैं तथा इस संबंध में गैर योजना बजट में प्रत्येक वर्ष व्यवस्था की जाती है ।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पर्यटन की दृष्टि से आकर्षक स्थलों का विकास

4407. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन की दृष्टि से कितने आकर्षक स्थलों का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में विकास किया जायेगा ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए कुल कितने वित्तीय परिव्यय की व्यवस्था की गई है; और

(ग) केरल में किन किन केन्द्रों का विकास किया जाना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सैक्टर में पर्यटन के विकास के लिए 960.00 लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित कर दिया गया है ।

(ग) पर्यटन विभाग और भारत पर्यटन विकास निगम ने संयुक्त रूप से केरल में त्रिवेन्द्रम के निकट कोवलम को एक समुद्र-तट विहार के रूप में विकसित किया है । इस समुद्र-तट विहार पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है । 11.30 लाख रुपए की लागत से एक योग-एवं-मालिश केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । कोवलम में एक समुद्र तट सेवा केन्द्र के निर्माण के लिए 11.15 लाख रुपए की वित्तीय मंजूरियां जारी कर दी गई हैं । कार्य के शीघ्र ही शुरू हो जाने की आशा है । भारत पर्यटन विकास निगम ने कोवलम में विद्यमान होटल और त्रिवेन्द्रम में शुल्क मुक्त दुकान के सुधार/नवीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम पर 12 लाख रुपए का खर्च होने की संभावना है ।

विवरण

चालू वित्त वर्ष अर्थात् 1980-81 के दौरान केन्द्रीय सैक्टर में जिन पर्यटक केन्द्रों पर सुविधाएं प्रदान की गई है/प्रदान की जा रही हैं/कार्य शुरू हो चुका हैं, उन केन्द्रों को दर्शाने वाला विवरण ।

केन्द्र	सुविधाएं
1. पर्यटन विभाग	
(1) कान्हा	वन गृह (30 डबल कमरे) निर्माणाधीन है ।
(2) पोर्ट ब्लेयर	यूथ होस्टल (80 बैड्ज) निर्माणाधीन है ।
(3) मैसूर	यूथ होस्टल (46 बैड्ज) का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है ।
(4) सेवाग्राम	पर्यटक बंगला (80 बैड्ज) का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है ।
(5) मनाली	क्लब हाउस बिल्डिंग (कार्य प्रगति पर है)
(6) पिपरहवा	मास्टर प्लान (भूमि-प्रयोग योजना) तैयार की जा रही है ।
(7) मेवाड़ काम्प्लेक्स	मास्टर प्लान (भूमि-प्रयोग योजना) तैयार की जा रही है ।
(8) श्रावस्ती और कुशी नगर	केन्द्रों की माइक्रो-प्लानिंग चालू है ।

(जारी.....)

केन्द्र	सुविधाएं
(9) फतेहपुर सीकरी	मास्टर प्लान (भूमि-प्रयोग योजना) तैयार की जा रही है।
(10) ब्रज भूमि काम्पलेक्स	मास्टर प्लान (भूमि प्रयोग योजना) तैयार की जा रही है।
(11) बोधगया	पर्यटक सुविधाओं का विकास करने के लिए महाबोधि मन्दिर के आस-पास 21.56 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर रखा है।
(12) ससनगीर	वन्य जीव देखने के लिए दो मिनी-बसों की व्यवस्था की गई है।
(13) नारकन्डा	शीतकालीन स्की पाठ्यक्रमों का प्रबंध किया गया है।
(14) हिमाचल प्रदेश	ट्रेकिंग सुविधाओं को विकसित करने के लिए ट्रेकिंग उपस्करों की खरीद।
(15) कोवलम	योग-व-मालिश केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
	समुद्र-तट सेवा केन्द्र के निर्माण संबंधी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।
भारत पर्यटन विकास निगम :	
(1) दिल्ली	यात्री निवास (1200 बैड्ज) का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
	104 कमरों की वृद्धि करके अशोक होटल का विस्तार संबंधी कार्य पूरा हो गया है।
	150 कमरों की वृद्धि करके अकबर होटल का विस्तार संबंधी कार्य पूरा हो गया है।
	होटल कनिष्क (300 कमरे) का निर्माण कार्य प्रगति पर है।/होटल कौटिल्य का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
(2) जयपुर	जयपुर होटल का द्वितीय चरण प्रगति पर है।
(3) भुवनेश्वर	भुवनेश्वर स्थित 12 कमरों वाले यात्री गृह को 38 कमरों वाले एक 3-स्टार होटल में परिवर्तित कर दिया गया है।
(4) हसन	हसन स्थित 28 कमरों वाले विद्यमान होटल में 10 कमरे और जोड़ कर उसका विस्तार किया जा रहा है।
(5) मदुरै	10 कमरों वाले विद्यमान यात्री-गृह में ३६ कमरों की वृद्धि करते हुए उसका विस्तार किया गया है और उसे एक 3-स्टार होटल में परिवर्तित कर दिया गया है।
(6) वाराणसी	वाराणसी होटल में 32 कमरों की वृद्धि करते हुए उसका विस्तार कार्य प्रगति पर है।
(7) मैसूर	विद्यमान होटल में 36 कमरों की वृद्धि करते हुए उसका विस्तार (पूरा हो गया है)।

(जारी ...)

केन्द्र	सुविधायें
(8) चण्डीगढ़	चण्डीगढ़ स्थित 60 कमरों वाले होटल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है ।
(9) गोहाटी	(1) एक परिवहन यूनिट की स्थापना की गई है जिसमें दो अम्बेस्डर कारें और एक बड़ी कोच शामिल हैं । (2) गोहाटी में एक होटल के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है । प्रस्तावित 100 कमरों वाला होटल एक संयुक्त सैक्टर परियोजना है ।
(10) कोवलम	कोवलम स्थित विद्यमान होटल का सुधार ।
(11) त्रिवेन्द्रम	शुल्क मुक्त दुकान खोलने पर विचार किया जा रहा है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशी सहयोग से संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव

4408. **श्री कमल नाथ** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने देश का आयात बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न देशों के साथ सहयोग करके 14 संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उक्त प्रयोजन के लिए कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में भारतीय प्रौद्योगिकी विदेशी प्रौद्योगिकी का मुकाबला कर सकती हैं बशर्ते कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से आसान शर्तों पर वित्त उपलब्ध करा दिया जाए ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य व्यापार निगम के विचाराधीन परियोजनाओं की एक सूची प्रमुख ब्यौरों के साथ संलग्न है (विवरण)

(ग) जी हां । परियोजनाओं की स्थापना में ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में जिनकी क्वालिटी अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के मुकाबले की हो, जहां तक सम्भव हो सकेगा, घरेलू टेक्नोलाजी का प्रयोग किया जाएगा ।

विवरण

परियोजाओं की सूची

1. आगरा फुटवीयर यूनिट

शू अपर्स के 2,000 जोड़े बनाने के लिए, राज्य व्यापार निगम द्वारा पहले से आयात की गई मशीनों से आगरे में एक फुटबीयर यूनिट की स्थापना ।

2. इन्डो-जर्मन लैदर प्रोजेक्ट

(क) एक संयुक्त उपक्रम चमड़ा उत्पाद एकक में 5 एम टी तक के बंधे प्रयोग के लिए प्रतिपादन 10 एम टी लैदर बोर्ड बनाने के लिए ।

(ख) एफ पं० जर्मनी फर्म के सहयोग से निर्यात उत्पादन के लिए 100 प्र०श० प्रतिक्रय व्यवस्था वाले यात्रा संबंधी सामान, शू अपर्स, आटोमोबाइल अपहोलस्ट्री बनाने वाला एक संयुक्त चमड़ा उत्पाद एकक उपक्रम ।

3. अमरीकी सहयोग से चमड़ा करने की परियोजना ।

तकनीकी सहयोग और तैयार चमड़े का 20 मिलियन वर्ग फुट के उत्पादन के लिए 50 प्रतिशत की प्रतिक्रय गारन्टी । प्रयोग के लिए रीकन्डीशन संयंत्रों का आयात ।

4. बल्गारियाई शू अपर्स परियोजना

500,000 शू अपर्स के जोड़े ।

5. बल्गारियाई जूता परियोजना

जूतों के 4 मिलियन जोड़े ।

6. बल्गारियाई लैम्ब चमाड़ परियोजना

लैम्ब चमड़े के 1.5 मिलियन अददों का विनिर्माण ।

7. बल्गारियाई दस्ताना विनिर्माण परियोजना

दस्तानों के 300,000 जोड़ों का विनिर्माण ।

उपरोक्त चारों बल्गारियाई परियोजनाएं 100 प्रतिशत प्रतिक्रय गारन्टी के अन्तर्गत बल्गारियाई तकनीकी सहयोग से लगाई जानी हैं ।

8. रांष्ट्रीय टेनरी, कलकत्ता ।

तैयार चमड़ा, शू अपर्स और जूते बनाने के लिए टेनरी का आधुनिक ।

9. मद्रास चमड़ा परिधान एकक

वर्तमान एकक के पुनर्गठन के बाद चमड़ा परिधानों के 15,000 अददों का निर्माण ।

10. भारत-अमरीकी संयुक्त उपक्रम परियोजना-1

प्रतिक्रय गारन्टी के साथ एक मिलियन शू अपर्स के विनिर्माण के लिए भारत-अमरीका परियोजना ।

11. भारत-अमरीका संयुक्त उपक्रम-2

जूतों के 150,000 जोड़ों का विनिर्माण ।

12. टून्डला में मास संसाधन लैक्स

यू० आ० समुदाय के स्तर के 10,000 मे० टन भैंसों के मांस के उत्पादन के लिए टुन्डला के लिए टुन्डला के ए० एफ० डी० मांस संयंत्र को पुनः सक्रिया करना ।

13. फल संसाधन एकक

विदेशी सहयोग से विभिन्न फलों का 10,000 मे० टन जूस बनाने के लिए । सहयोग का अभी पता लगाया जाना है ।

14. ट्यूना फिशिंग परियोजना

अनुभवी विदेशी पार्टी (अभी पता लगाया जाना है) के साथ सहयोग जो पहले पट्टे पर लिए गए और बाद में अपने जहाजों द्वारा हिन्द महासागर के गहरे पानी में ट्यूना पकड़ने हेतु ।

प्रत्येक राज्य को इस्पात की मांग और आवंटन

4409. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : प्रत्येक राज्य को छोटे, मध्यम, बड़े उद्योगों तथा नागरिक पूर्ति विभागों के लिए कुल कितने इस्पात का आवंटन किया गया और उनकी मांग के मुकाबले में वास्तव में कितनी मात्रा की सप्लाई की गई; और

(ख) : मध्य प्रदेश द्वारा इस्पात की कितनी मात्रा की मांग गई और वास्तव में इस्पात की कितनी मात्रा आवंटित की गयी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) : लोहा और इस्पात सामग्री के वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। अब इनका वितरण संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा लोहे और इस्पात के वितरण के लिए घोषित किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में राज्यवार आवंटन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए राज्यवार मांग का अनुमान लगाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई पत्तन में राज्य व्यापार निगम के पास पड़ा हुआ खाद्य तेल का भंडार

4410. **श्री चन्द्र जीत यादव**
श्री जगदीश टाईटलर } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के पास खाद्य तेल का पर्याप्त भंडार पड़ा हुआ है जबकि लगभग 40,000 मीट्रिक टन खाद्य तेल का भारी पत्तन भंडार बम्बई में उतारा जाना है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम के पास कितनी अवधि से खाद्य तेलों की कितनी मात्रा बिना निपटाने के पड़ी हुई है और राज्य व्यापार निगम द्वारा इसका निपटान न करने के क्या कारण हैं जबकि वनस्पति के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) सरकार की सोद्देश्य नीति के रूप में राज्य व्यापार निगम को वनस्पति उद्योग के लिए खाद्य तेल की लगभग 2 महीनों की आवश्यकताओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लगभग 2-$\frac{1}{2}$ महीनों का एक न्यूनतम स्टाक स्तर रखना होता है। तदनुसार, राज्य व्यापार निगम अपने आयातों की व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए करता रहा है कि विभिन्न पत्तनों तथा अन्तर्देशीय गन्तव्य स्थानों पर स्टोरेज टैंकों में इतने स्तरों पर स्टाक उपलब्ध रहे। कई बार भीड़भाड़ की वजह से बम्बई पत्तन पर खाद्य तेल के जहाजों को रुकने की जगह मिलने में विलम्ब हो जाता है। यह एक असामान्य बात नहीं है।

(ख) चूंकि स्टाक तथा माल का आना लगभग वनस्पति उद्योग व सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुरूप रहा है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य व्यापार निगम के पास अनबिके स्टाक पड़े हैं।

राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों में खनिज पदार्थ

4411. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों में 1980-81 में कितनी मात्रा में खनिज तथा टंगस्टन ग्रेनाइट पत्थर, सीसा जस्ता, चूना पत्थर निकाले गए और 1981-82 के लिए कितनी मात्रा में निकाले जाने का अनुमान है;

(ख) उनसे 1980-81 के दौरान कितना राजस्व प्राप्त हुआ और अगले वर्ष कितना राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है; और

(ग) केन्द्र द्वारा इन खनिजों के सर्वेक्षण तथा विदोहन के लिए अब तक दिए गए योगदान का ब्यौरा क्या है और इस बारे में संबंधित सरकार की भावी योजना क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख) जानकारी निम्नलिखित है :—

खनिज का नाम	1980-81 में जालोर और सिरोही जिलों में खनिज मात्रा (आंकड़े टनों में)	1981-82 में अनुमानित उत्पादन	1980-81 में अर्जित राजस्व (रुपयों में)	1981-82 में अनुमानित राजस्व
टंगस्टन, सीसा, जस्ता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
चूना-पत्थर	38290	46,000	1,67,000/-	2,04,000/-
ग्रेनाइट स्टोन	4300	5,200	59,000/-	72,000/-

(ग) : प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की एजेंसियां खनिज सर्वेक्षण का काम कर रही हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सिरोही जिले में 564.58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मुख्यतः टंगस्टन और संबद्ध खनिजों के लिए खोज कर रहा है। राज्य के खान और भूतत्व निदेशालय ने डेरी और बसंतगढ़ क्षेत्रों (सिरोही जिला) में ताँबा, सीसा और जस्ते के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। इन क्षेत्रों को क्रमशः मै० राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम और मै० हिन्दुस्तान कापर लि० को पट्टे पर दिया गया है। सिरोही जिले में पिपला में खोज चल रही है।

जालोर जिले में ग्रेनाइट का खनन मै० राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा किया जाता है और उनके जोधपुर स्थित ऐज कटिंग और पालिशिंग प्लांट में उसका परवर्ती परिष्करण किया जाता है। कुछ गैर-सरकारी पार्टियों को भी इस क्षेत्र में ग्रेनाइट के पट्टे मंजूर किए गए हैं।

उपर्युक्त जिलों में निकाले जा रहे कुछ अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं—सिरोही में वोलेस्टोनाइट और संगमरमर तथा जालोर में फ्लूराइट।

भारत-दक्षिण कोरिया संयुक्त व्यापार परिषद

4412. **श्री भीकू राम जैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-दक्षिण कोरिया संयुक्त व्यापार परिषद की हाल ही में नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय लिए गए और उन निर्णयों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी नहीं।

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय चाय समझौते का पुनरीक्षण

4413. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय चाय समझौते का कोई पुनरीक्षण किया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) ब्रिटेन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और सोवियत रूस सहित अन्य देशों में वर्ष 1980 के दौरान चाय के निर्यात की कुल मात्रा कितनी है; और

(ग) क्या गत पांच वर्षों की तुलना में वर्ष 1980 के दौरान चाय के निर्यात व्यापार में कोई कमी अथवा वृद्धि हुई है और इसकी अलग-अलग प्रतिशतता क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) चाय के बारे में एक अन्तर्राष्ट्रीय करार पर अंकटाड के तत्वावधान में अभी भी वार्ता चल रही है।

(ख) तथा (ग) : वर्ष 1980 में भारत से चाय के देशवार निर्यातों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 1980 के दौरान भारत से चाय के कुल निर्यात अनन्तिम रूप से 412.55 करोड़ रु० मूल्य के 224.49 मि० किग्रा हुए।

वर्ष 1975 से 1979 के दौरान हुए चाय के निर्यातों के संबंध में 1980 में हुए चाय के निर्यातों में वृद्धि, कमी निम्नलिखित प्रकार है :—

वर्ष	चाय निर्यात मि० किग्रा०	गत पांच वर्षों के निष्पादन की तुलना में 1980 में हुई वृद्धि (+)। कमी (—)	
		मात्रा मि०किग्रा०	प्रतिशत विभिन्नता
1980 (अनन्तिम)	224.49	---	—
1979	199.63	(+) 24.86	(+) 12.45
1978	176.05	(+) 48.44	(+) 27.51
1977	229.64	(—) 5.15	(—) 2.24
1976	233.61	(—) 9.12	(—) 3.91
1975	218.13	(+) 6.36	(+) 2.91

पंजाब एण्ड सिंध बैंक में मशीनीकरण

4414. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक गत कुछ समय से भारी पैमाने पर मशीनीकरण में लगा हुआ था ;

(ख) : यदि हां, तो उनके कौन-कौन से कार्यालयों को मशीनीकृत किया गया है;

(ग) : इन मशीनीकृत कार्यालयों की 30 दिसम्बर, 1978 और 31 दिसम्बर, 1980 को श्रेणीवार संख्या क्या है ; और

(घ) : उक्त अवधि के दौरान कम्प्यूटर लगाने में कितनी राशि व्यय की गयी ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) (क) तथा (ख) :—बैंक ने सूचित किया है कि उसने गत कुछ समय में अपने प्रधान कार्यालय में केवल दो कक्षों अर्थात् 'अन्तर्शाखा लेखों के समाधान' तथा 'लेखा प्रविष्टि' कक्षों को मशीनीकृत किया है।

(ग) :—30 दिसम्बर, 1978 तथा 31 दिसम्बर, 1980 की स्थिति के अनुसार मशीनीकृत कार्यालयों की संवर्ग-वार संख्या निम्नलिखित थी :—

निम्नलिखित की स्थिति के अनुसार	अधिकारी	क्लर्क	अधीनस्थ स्टाफ
30-12-1978	109	15	8
31-12-1980	83	18	7

(घ) :—कम्प्यूटर लगाने पर किये गए व्ययों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

निम्नलिखित की स्थिति के अनुसार	कम्प्यूटर लगाने पर किये गए व्यय (लाख रुपयों में)
दिसम्बर, 1978	—कुछ नहीं—
दिसम्बर, 1979	6.86
दिसम्बर, 1980	12.02 (1979 वर्ष के लिए 6.86 समेत)

राउरकेला इस्पात संयंत्र में प्रत्येक वर्ग में कर्मचारियों की संख्या

4415. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : राउरकेला इस्पात संयंत्र में प्रत्येक वर्ग में कितने कर्मचारी हैं,

(ख) : क्या सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिये भर्ती नियम बनाये गये हैं,

(ग) : यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(घ) : ऐसे पदों का ब्यौरा क्या है जिनके लिये भर्ती नियमों का पालन नहीं किया गया है और उसके क्या कारण हैं, और

(ङ) : प्रत्येक वर्ग में कुल कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी उड़ीसा राज्य के हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) : 31.1.81 को राउरकेला इस्पात कारखाने में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की स्थिति इस प्रकार थी :—

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या
1. अकुशल कामगार	5218
2. अर्द्ध-कुशल कामगार	5084
3. कुशल कामगार	14000
4. अति कुशल कामगार	7006
5. गैर-तकनीकी कामगार	3992
6. अधिकारी (एग्जीक्यूटिव)	2574
कुल :	37874

(ख) और (ग) : सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए भर्ती नियम बना लिए हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

नान-एग्जीक्यूटिव :

भर्ती नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और सरकारी उद्यम कार्यालय से समय-समय पर प्राप्त हुए अनुदेशों के अनुसार की जाती है । सरकारी उद्यम कार्यालयों द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार ऐसे सभी

पद जिनके वेतनमान 800/-रुपये मासिक से अधिक नहीं होते स्थानीय रोजगार कार्यालय की मार्फत भरे जाते हैं यद्यपि सरकार के निर्देश के अनुसार, केवल ऐसे पद जिनका वेतन 800/-रुपये मासिक तक होता है, रोजगार कार्यालय को अधिसूचित किए जाने चाहिएं तथापि वास्तव में वे नान-एग्जीक्यूटिव पद भी जिनके वेतनमान 800/-रुपये मासिक से भी अधिक होता है, रोजगार कार्यालय को अधिसूचित किए जाते हैं। पदों के लिए विज्ञापन तभी दिए जाते हैं जब रोजगार कार्यालय से अनुपलब्धि प्रमाण-पत्र मिल जाता है। इसके अलावा नान-एग्जीक्यूटिव पदों की भर्ती के लिए सभी सलेक्शन-बोर्डों में राउरकेला के अपर जिला मजिस्ट्रेट, अथवा उनके प्रतिनिधि को शामिल किया जाता है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों/जन-जातियों के उम्मीदवारों, भूतपूर्व सैनिकों तथा लड़ाई में मारे गये लोगों के आश्रित के लिए आरक्षण के बारे में सरकारी निर्देशों का भी पालन किया जाता है।

एग्जीक्यूटिव :

जहां तक एग्जीक्यूटिव पदों के भर्ती नियमों, का प्रश्न है, किसी कलैण्डर वर्ष में आरम्भिक एग्जीक्यूटिव ग्रेड में होने वाली रिक्तियों की कम से कम 50 प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती हैं, शेष रिक्तियां निचले ग्रेडों के पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं। एग्जीक्यूटिव पदों के निम्नतम काडर जैसे स्नातक इंजीनियर प्रशिक्षणार्थी, एग्जीक्यूटिव प्रशिक्षणार्थी, वित्तीय एग्जीक्यूटिव की भर्ती स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय आधार पर की जाती है। इस प्रकार की भर्ती सेल के नियम-कार्यालय द्वारा सेल के अधीन सभी इकाइयों/संयंत्रों के लिए राष्ट्रीय-समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर अखिल भारतीय आधार पर की जाती है और उम्मीदवारों का चयन गुणावगुण के आधार पर किया जाता है। कभी-कभी खिलाड़ी भी भर्ती किए जाते हैं।

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पद आरक्षित रखे जाते हैं।

राउरकेला इस्पात कारखाना कभी-कभार ही एग्जीक्यूटिव पदों के लिए सीधी भर्ती करता है और ऐसे हालात में पदों के लिए अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन लिए जाते हैं। इसके साथ-साथ इसकी सूचना स्थानीय रोजगार कार्यालय को भेजी जाती है और उसकी प्रतिलिपि रोजगार कार्यालय निदेशक, उड़ीसा को भी भेजी है। रोजगार कार्यालयों द्वारा नामित किए गए उम्मीदवारों पर अन्य उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस्पात कारखाने जन्म-स्थान अथवा रिहायश के आधार पर रोजगार के आंकड़े नहीं रखते हैं।

चीनी के निर्यात पर प्रतिबन्ध

4416. **श्री गदाधर साहा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 21 फरवरी, 1981 से चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय लेने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या चीनी के निर्यात के लिए दी जाने वाली राज-सहायता का उपयोग उपभोक्ताओं के लाभ के लिए किये जाने का विचार है, जिससे कि देश के भीतर बाजार में चीनी कम भाव

पर बेची जा सके; और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) घरेलू दबाव के आधार पर रोक लगाई गई थी।

(ग) चीनी का निर्यात राज्य व्यापार निगम द्वारा, जो सरकारी लेखे पर मार्गीकरण अभिकरण है, किया जाता है और इस प्रकार राज्य व्यापार निगम को निर्यात में हुए वास्तविक घाटे की, यदि कोई हो, प्रतिपूर्ति की जाती है।

1973 के पूर्व सेवानिवृत हुये पेंशन भोगियों को राहत देना

4417. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तीसरे वेतन आयोग की उस सिफारिश को मान लिया है कि उन सभी पेंशन भोगियों को जो 1 जनवरी, 1973 से पूर्व सेवा निवृत हुए थे, अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) में 12 महीनों में जब भी औसतन 16 अंकों की वृद्धि होने पर उन्हें राहत दी जाये;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन सेवा निवृत व्यक्तियों को चालू वित्तीय वर्ष में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को दिये गये अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के साथ-साथ दोबारा राहत नहीं दी गई; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में श्री सवाई सिंह सिसोदिया : (क) ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों जो 1-1-1973 से पहले सेवा-निवृत हुए थे तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के दायरे से बाहर थे। आयोग ने भावी पेंशनभोगियों को 12 महीने के सूचकांक औसत में प्रत्येक 16 अंकों की वृद्धि के लिए पेन्शन के 5 प्रतिशत की दर पर, जो कम से कम 5 रुपये और अधिक से अधिक 25 रुपये थी, मंहगाई सम्बन्धी राहत की अदायगी के लिए सिफारिश की थी। लेकिन सरकार ने सभी पेंशनभोगियों को इस दर पर राहत की स्वीकृति दे दी भले ही सेवा-निवृति की तारीख कुछ भी रही हो। इसके अलावा, सरकार ने 1-1-73 से ऐसे कर्मचारियों को, जो उक्त तारीख से पहले सेवा निवृत हुए थे 15 रुपये से 35 रुपये तक तदर्थ राहत की मंजूरी दी है।

(ख) उपर्युक्त फार्मूले के अनुसार पेंशनभोगियों को राहत की किस्तें चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उसी तारीख से मंजूर की गई हैं जिन तारीखों से ये देय हो गई थीं। इसके अलावा, जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने पिछले बजट भाषण में घोषणा की है, भवष्यि में पेंशनभोगियों को, कुछ न्यूनतम और अधिकतम की शर्तों के अधीन रहते हुए, मंहगाई संबंधी राहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रत्येक 16 अंकों की वृद्धि के लिए 5% दर की बजाए जैसा कि वर्तमान में है, प्रत्येक 8 अंकों की वृद्धि के लिए पेन्शन के 2·5% की दर पर दी जायेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न श्रेणियों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दी जा रही पेन्शन

4418. **श्री नवीन रवाणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि विभिन्न श्रेणियों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को इस समय कितनी पेन्शन दी जा रही है ?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : केन्द्रीय सरकार के सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों को पेन्शन-राशि का निर्धारण सेवा निवृत्ति की तारीख को लागू

नियमों के सन्दर्भ में किया जाता है । जो अर्हक सेवा 33 वर्षों से कम नहीं है उसके लिए वर्तमान प्रचलित फार्मूला निम्न प्रकार है :—

औसत परिलब्धियां	मासिक पेंशन की राशि
(1) पेंशन के लिए गणना योग्य औसत परिलब्धियों के पहले 1,000 रु० तक	औसत परिलब्धियों का 50%
(2) पेंशन के लिए गणना योग्य औसत परिलब्धियों के अगले 500 रु०	औसत परिलब्धियों का 45%
(3) पेंशन के लिए गणना योग्य औसत परिलब्धियों का शेष	औसत परिलब्धियों का 40%

यदि अर्हक सेवा 33 वर्ष से कम होती है तो पेन्शन अनुपातिक आधार पर निश्चित की जाती है । पेंशन राशि की अधिकतम सीमा 1500/-रु० प्रति मास है । पेन्शन के अतिरिक्त कुछ न्यूनतम और अधिकतम की सीमा के अधीन रहते हुए, औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रत्येक 16 अंकों की वृद्धि के लिए पेंशन के 5% की दर पर महंगाई राहत भी दी जाती है । (इसमें औसत सूचकांक में प्रत्येक 8 अंकों की वृद्धि के लिए पेंशन के $2\frac{1}{2}$% का संशोधन किया जा रहा है) । इसके अतिरिक्त सेवा निवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों को अर्हक सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए आधे महीने की परिलब्धियों की दर पर मृत्यु एवं सेवा निवृति ग्रेच्युटी की एक मुश्त राशि, किन्तु अधिक से अधिक 16 1/2 महीनों की परिलब्धियाँ या 30,000/-रु० इनमें से जो भी कम हो, दी जाती है ।

केन्द्रीय सरकार सेवा निवृत कर्मचारी संगठन, बलसाड मंडल, गुजरात की मांग

4419. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार सेवा निवृत कर्मचारी संगठन, बलसाड डिविजन, गुजरात से 1 फरवरी, 1980 से 31 जनवरी, 1981 के बीच कोई माँग पत्र प्राप्त हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर क्या कार्रवाई की गई;

(घ) उस के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ड़) उक्त माँगों को पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी हाँ ।

(ख) संघ द्वारा की गई मांग विभिन्न तारीखों को सेवा-निवृत होने वाले व्यक्तियों की पेन्शन में असमानता को दूर करने के संबंध में थी ।

(ग) से (ड़) संघ को सूचित कर दिया गया था कि उनकी माँग पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है परन्तु उसे स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है । तथापि सरकार तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेन्शन भोगियों को मंहगाई संबंधी राहत दे रही है । अब तक राहत की 11 किश्तें मंजूर की गई हैं जिनकी राशि कम से कम 55 रु० और अधिक से अधिक 275 रुपये है । इसके अलावा ऐसे केन्द्रीय सरकारी पेन्शन भोगियों को जो 1-1-1973 से पहले सेवा-निवृत हुए हैं, तदर्थ राहत दी गई है जो 15 रुपये से 35 रु० प्रतिमास तक है । इसके अलावा,

जैसा कि वित्त मन्त्री ने 28-2-81 को अपने बजट भाषण में घोषणा की है, भविष्य में पेन्शन भोगियों को कुछ न्यूनतम और अधिकतम की शर्त के अधीन रहते हुए मंहगाई संबंधी राहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रत्येक 16 अंकों की वृद्धि के लिए 5% की दर की बजाय, जैसा कि वर्तमान में है, प्रत्येक 8 अंकों की वृद्धि के लिए पेन्शन के 2.5% की दर पर दी जाएगी। पेंशन-भोगियों को मंहगाई संबंधी राहत की अदायगी के लिए कार्यविधि को भी सुव्यवस्थित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आयकर में मानक कटौती की वर्धित दर पेन्शनभोगियों पर भी लागू होगी। इन परिवर्तनों से पेन्शन-भोगियों को हो रही कठिनाइयाँ और कम हो जाएंगी।

एयर इण्डिया की उड़ानों में कमी करना

4420. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडियन का विचार इस समय चल रही उड़ानों की संख्या में कमी करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) एयर इण्डिया ने घाटे में कमी करने की दृष्टि से 1.2.81 से निम्नलिखित उड़ानों को स्थगित कर दिया है :—

(1) सप्ताह में एक भारत/यू०एस०ए०/भारत उड़ान।

(2) सप्ताह में तीन भारत/यू०के०/भारत उड़ानें।

राउरकेला इस्पात संयंत्र की धमन भट्टी तथा स्टील रिलेटिंग शाप से बनाये गये स्लेग (कचरा) का निपटान

4421. **श्री रासबिहारी बहेरा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र की धमन-भट्टी तथा स्टील रिलेटिंग शाप से प्रतिदिन कितना स्लेग (कचरा) पैदा होता है और उसका निपटान किस तरह किया जाता है;

(ख) क्या राउरकेला के स्लेग से सीमेंट बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) धमन भट्टियों तथा स्टील मेल्टिंग शाप से प्रतिदिन प्राप्त होने वाले स्लेग की मात्रा धमन-भट्टी व स्टील मेल्टिंग शाप के उत्पादन तथा इन इकाइयों में आदान-सामग्री की गुणवत्ता के साथ-साथ अनेक प्रचलनात्मक प्राचलनों पर निर्भर करती है। पिछले दो वर्षों में राउरकेला की धमन भट्टियों व स्टील मेल्टिंग शॉप से स्लेग की दैनिक औसतन प्राप्ति नीचे दी गई है :—

(टन प्रतिदिन)

वर्ष	धमन भट्टी स्लेग	स्टील मेल्टिंग शॉप स्लेग
1979-80	2044	751
1980-81 (11 महीने)	1950	683

घमन भट्टी स्लेग को अंशत: दानेदार बनाया जाता है और सीमेंट निर्माताओं को बेच दिया जाता है तथा अंशत: स्लेग का ढेर लगा दिया जाता है। स्टील मेल्टिंग शॉप के स्लेग का ढेर लगा दिया जाता है और इसमें से स्क्रैप के रूप में स्टील व अन्य धातुक पदार्थों को निकाल लिया जाता है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) मिलाई और राउरकेला स्टील कारखानों से प्राप्त होने वाले स्लेग के आधार पर 1.89 मिलियन टन के लगभग वार्षिक क्षमता का एक स्लेग सीमेंट प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। इसकी वर्तमान अनुमानित लागत लगभग 120.54 करोड़ रुपये है।

दिल्ली में उचित दर की दुकानों का कुशलता पूर्वक कार्याकरण

4422. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने वाली उचित दर की दुकानें दिल्ली प्रशासन के खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा कुशलतापूर्वक चलाई जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में चलाई जा रही इस तरह की दुकानों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही इस तरह की दुकानों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बृज मोहन महन्ती) (क) से (ग) : दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र में इस समय 170 उचित दर की दुकानें हैं। दिल्ली प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, इनमें से अधिकांश दुकानें संतोषजनक ढंग से चलाई जा रही हैं। इन दुकानों के कार्य-करण में किसी भी अनियमितता का पता चलने पर उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। इस समय 67 उचित दर की दुकानें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा चलायी जा रही हैं। इन दुकानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। स्वतंत्रता सैनानियों द्वारा चलायी जा रहीं उचित दर की दुकानों का अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

विवरण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा चलाई जा रही उचित दर की दुकानों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	उचित दर दुकान का नाम और पता	उचित दर की दुकान संख्या
1.	2.	3.
1.	मैसर्स श्री राम सांची एण्ड सन्स नन्द नगरी, दिल्ली	5045
2.	मैसर्स गणेश दास, कस्तूरबा नगर (शाहदरा दिल्ली)	4865
3.	मैसर्स दिल्लू राम गणेशी लाल, अम्बेडकर बस्ती, घौंडा	3477

1	2	3
4.	मैसर्स चन्दर सिंह, अरबिन्द मोहल्ला, घौंडा	3882
5.	मैसर्स राम किशन, गौतम बिहार	5317
6.	मैसर्स भाव सिंह, एफ–ब्लाक, सीलमपुर	2016
7.	मैसर्स कर्तारी देवी, ग्राम-जौहरी पुर	4905
8.	मैसर्स कुमार किराना स्टोर, परवाना रोड, दिल्ली	3449
9.	मैसर्स महा सिंह, ग्राम कोन्डली	4715
10.	मैसर्स कल्याण सेवक स्टोर, ब्लाक-13, कल्याण पुरी	5021
11.	मैसर्स हरकेश एण्ड सन्स, 10/103, त्रिलोकपुरी, दिल्ली	4147
12.	मैसर्स चालेरिया स्टोर ब्लाक 33 त्रिलोक पुरी	5272
13.	मैसर्स बृज पाल सिंह, ग्राम मंडौली	5315
14.	मैसर्स नारायण दास, नं० 7, त्रिलोक पुरी मार्केट	4050
15.	मैसर्स पन्नू लाल, बाग कडे खां, दिल्ली	4832
16.	मैसर्स देस राज, नई बस्ती, दिल्ली	4814
17.	मैसर्स रतन लाल, जे-281, जहांगीरपुरी, दिल्ली	3868
18.	मैसर्स श्री राम, 57/ए, हरिजन कालोनी, सावन पार्क, दिल्ली	3419
19.	मैसर्स खुमानी राम, जे-11/12, जे०जे० कालोनी, वजीरपुर दिल्ली	4893
20.	मैसर्स प्रभु दयाल दया चन्द, ग्राम मभवल पुर, दिल्ली	4344 (जारी.....)

1	2	3
21.	मैसर्स गंगा देवी, ग्राम नाथू पुरा	4799
22.	मैसर्स हुकम चन्द, ग्राम सामे पुर, दिल्ली	4755
23.	मैसर्स दि हरिजन कल्याण कंख्यु०कोप, स्टोर, ग्राम खेरा कलान, दिल्ली	4773
24.	मैसर्स भूले सिंह, ग्राम बंकनेर, दिल्ली	3510
25.	मैसर्स सूरज सिंह खजान सिंह, ग्राम लामपुर, दिल्ली	5311
26.	मैसर्स जीत राम, ग्राम नरेला, दिल्ली	5412
27.	मैसर्स निदन सिंह, शाहबाद दौलत पुर	3707
28.	मैसर्स जै नारायण, दरयापुर	4746
29.	मैसर्स धर्मू देवी, सुलतान पुर डबास	4833
30.	मैसर्स राम काला विजेन्दर कुमार, बवाना	4929
31.	मैसर्स हनुमान प्रसाद शिव दयाल, 297 सी, सादीपुर	4806
32.	मैसर्स ओम प्रकाश फतेह सिंह, बी-54, सादीपुर	1627
33.	मैसर्स शंकर लाल राज कुमार डब्ल्यू जैड-239, ऋषि नगर	3365
34.	मैसर्स कटारिया एण्ड सन्स (प्रोप-नैदार सिंह) ग्राम व पो० ओ०, किकरी कलान	5003
35.	मैसर्स राजिन्दर प्रसाद, डी-2/174, सुल्तानपुरी, दिल्ली	5096
36.	मैसर्स श्री किशन, सी-2/4, सुल्तानपुरी, दिल्ली	5091
37.	मैसर्स जीवन लाल, बी-4/213 सुल्तानपुरी, दिल्ली	5095
38.	मैसर्स गुरदयाल सिंह जीवन राम, ए-1/144, सुल्तानपुरी, दिल्ली	5139

(जारी.....)

1	2	3
39.	मैसर्स मनसुख, सी-428, कैम्प नं०2, जे०जे० कालोनी, नांगलोई, दिल्ली	4853
40.	मैसर्स राम चरण, टी-319, बलजीत नगर, नई दिल्ली	4800
41.	मैसर्स रामजी लाल कुन्दन लाल, 1554- ई आर्य समाज रोड, बापा नगर, करौल बाग, नई दिल्ली-5	1622
42.	मैसर्स राम सहाय, एच-1/168, मदन गीर	4991
43.	मैसर्स ओम प्रकाश, दुकान नं० 8, मदनगिरी	3454
44.	मैसर्स सूरज मल, डी-11/344, मदनगिरी	2297
45.	मैसर्स कमला देवी, 7-11/344, मदनगिरी	5024
46.	मैसर्स नानक चन्द, एफ-11, मदनगिरी	5437
47.	मैसर्स राजस्थान स्टोर, डी-9, दक्षिणपुरी, नई दिल्ली	5066
48.	मैसर्स सीताराम, 13/234, दक्षिणपुरी एक्स्टे,	5107
49.	मैसर्स तेजपाल नारायण सिंह, बी-4, जे०जे० कालोनी टिगरी	5194
50.	मैसर्स भूलेराम सोहन लाल दुकान नं० 35, मासीगढ़	4933
51.	मैसर्स शिवलाल दिवानचन्द लाल कुंआ बदर पुर, दिल्ली	4882
52.	मैसर्स सत देव, 144, खुह मोहल्ला, तुगलकबाद ग्राम	4879
53.	मैसर्स दुशारी स्टोर, एस-206, तेजपुर पहाड़ी, नई दिल्ली	5280
54.	मैसर्स हीरो देवी एण्ड सन्स, शाहपुर जाट, नई दिल्ली	3466

(जारी.....)

1	2	3
55.	मैसर्स हरियाणा स्टोर, यू-9, गौतम नगर, नई दिल्ली	4820
56.	मैसर्स रामप्रसाद नमकचन्द, 97, सांवलनगर, नई दिल्ली	4849
57.	मैसर्स नन्दकिशोर सुशील कुमार, के-40, पंजाबी बाजार, कोटला मुबारक पुर	4926
58.	मैसर्स श्याम स्टोर, 86-सावल नगर, नई दिल्ली	5084
59.	मैसर्स भगवान सिंह, ग्राम लाडो सराय	4803
60.	मैसर्स पृथी, ग्राम आया नगर, दिल्ली	4819
61.	मैसर्स छत्तर सिंह, ग्राम महिपाल पुर	3716
62.	मैसर्स रामस्वरूप, ग्राम नांगल डेरी	5179
63.	मैसर्स मिथू राम, राजोकरी पहारी	4919
64.	मैसर्स राम चन्दर सहाय, बापू धाम, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	5409
65.	मैसर्स ओम प्रकाश, 60—मोहर्रम नगर, नई दिल्ली	3429
66.	मैसर्स छतरपाल, ग्राम सुल्तान पुर माजरा	5123
67.	मैसर्स सुरेश कुमार, एच-254, मंगोलपुरी, दिल्ली	5289

चाय बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस

4423. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि चाय बोर्ड के कर्मचारी बोनस तथा अन्य मामलों को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को चाय बोर्ड की ओर से इन कर्मचारियों को बोनस देने की कोई सिफारिश प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त मंजूरी कब दे दिये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (घ) : चाय बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस के भुगतान के प्रश्न पर सरकार द्वारा इसके फलितार्थों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है ।

हरियाणा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

4424. **श्री सूरज भान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने हरियाणा में अब तक कोई शाखा नहीं खोली है;

(ख) : क्या यह सच है कि सिंडीकेट बैंक ने कुछ समय पूर्व अम्बाला जिला (हरियाणा) में अपनी शाखा खोलने की अनुमति मांगी थी और रिजर्व बैंक ने इसकी अनुमति नहीं दी थी; और

(ग) : यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से दो बैंकों, अर्थात् आंध्र बैंक तथा कारपोरेशन बैंक की हरियाणा राज्य में कोई शाखा नहीं है ।

(ख) से (ग) : बताया गया है कि, सिंडीकेट बैंक ने हरियाणा राज्य के, पंचकुला जगाधरी तथा अम्बाला छावनी नामक स्थानों पर जो कि सभी बैंक युक्त स्थान हैं; अपनी शाखाएं खोलने के वास्ते लाइसेंसों के लिए आवेदन किया है । पंचकुला तथा जगाधरी के संबंध में बैंक के आवेदनों को, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि इन स्थानों पर यथोचित अनुपात में बैंक मौजूद हैं । 1979-81 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसरण में, अम्बाला छावनी के संबंध में सिंडीकेट बैंक के आवेदन सहित, शहरी स्थानों में शाखाएं खोलने के सभी बैंकों के प्रस्तावों की जांच, रिजर्व बैंक द्वारा, एक साथ, गुणावगुण के आधार पर किये जाने का विचार है।

गुजरात के मेहसाना जिले के गांवों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

4425. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या गुजरात के मेहसाना जिले के प्रमाले फुंधरा, इटादरा, लिम्बोदरा और मनिकपुर गांवों के लोग काफी दिनों से यह मांग करते रहे हैं कि उनके गांवों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोली जाएं;

(ख) : यदि हां, तो शाखाएं न खोलने के क्या कारण हैं; और

(ग) : ये शाखाएं कब तक खोले जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री(श्री मगनभाई बरोट) : (क)से(ग) : रिजर्व बैंक की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति राज्य सरकारों के परामर्श से यह सुनिश्चित करने की है कि 1979-81 के वर्षों के लिए वाणिज्यिक बैंकों के शाखा विस्तार प्रयास, मुख्य रूप से उन बैंक विहीन ग्रामीण तथा अर्ध शहरी केन्द्रों के उन कमी वाले जिलों पर केन्द्रित हों जहां बैंकिंग व्याप्ति प्रति 20 हजार ग्रामीण/अर्धशहरी लोगों के लिए एक शाखा से कम हो । मेहसाना जिला, जहाँ प्रति 16 हजार ग्रामीण/अर्धशहरी लोगों के पीछे एक शाखा है, कमी वाला जिला नहीं है । फिर भी, अलग-अलग आवेदन पत्रों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने मेहसाना जिले के लीड बैंक, देना बैंक को पांच ग्रामीण केन्द्रों अर्थात् ब्रह्मणवाडा, पुंधरा, इटादरा, तिम्बेदार तथा मानिकपुर नामक स्थानों पर शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए हैं । इन शाखाओं के 1981 के अन्त से पहले खुल जाने की संभावना है । प्रमाले में एक कार्यालय खोलने के वास्ते, भारतीय रिजर्व बैंक को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

सरसों के तेल की उपलब्धता

4426. **मक्कुन्द मंडल** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल की राज्य-वार उपलब्धिता क्या थी;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरसों के तेल खुदरा मूल्य (माहवार तथा राज्यवार) क्या थे; और

(ग) मूल्यों में स्थिरता बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूजमोहन महन्ती) : (क) : इस संबंध में राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं ।

(ख) : पिछले तीन वर्षों के दौरान सरसों के तेल के खुदरा बाजार भाव (माहवार तथा राज्यवार) संलग्न विवरण में दिए गए हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2172/81]

(ग) : खाद्य तेलों के मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार मांग तथा आपूर्ति के बीच के अन्तर को खाद्य तेलों का आयात करके तथा उन्हें उचित दर की दुकानों के माध्यम से अधिक मात्रा में उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा कर पूरा कर रही है । इस प्रयोजन के लिए, राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को निरन्तर मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि आयातित खाद्य तेलों की अधिक मात्रा सप्लाई की जा सके । इस दिशा में जो अन्य उपाय किए जा रहे हैं वे ये हैं : कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा तैयार की गई "कार्यवाही योजना" के कार्यान्वयन द्वारा देशी खाने योग्य तिलहनों/तेलों की उपलब्धता बढ़ाना; वनस्पति तथा गैर पारस्परिक तेलों सहित पारस्परिक तेलों के उत्पादन में वृद्धि करना; जमा की गई मात्रा को बाहर निकलवाने के लिए अधिक सख्त कार्रवाई करना; आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, उसके तहत जारी किए गए आदेशों और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदान बनाये रखना अधिनियम, 1980 के विभिन्न उपबन्धों को लागू करना ।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रामेश्वरम् को सुन्दर बनाया जाना

4427. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये रामेश्वरम को सुन्दर बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) : जी, नहीं । केन्द्रीय सेक्टर में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

माचिस उत्पादन क्षेत्र के लिए विभिन्न रंगों के उत्पादनशुल्क झंडियां

4428. **श्री ए० ए० रहीम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हस्तनिर्मित माचिस क्षेत्र में उत्पादनशुल्क झंडियों के व्यापक दुरुपयोग की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए सरकार का माचिस उत्पादन के मशीनीकृत, मध्यम दर्जे के और लघु किस्म के तीनों क्षेत्रों के लिए तीन विभिन्न रंगों में उत्पादनशुल्क झण्डियों की छपाई तथा

वितरण करवाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इसे कब कार्यान्वित करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) : दियासलाई उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न रंगों के बैंडरोल निर्धारित करने संबंधी सुझाव की कुछ समय पूर्व जांच की गयी थी, परन्तु व्यावहारिक कारणों से, इसे साध्य नहीं पाया गया था ।

सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की अखिल भारतीय सेवा परीक्षा, 1978

4429. **श्री टी० नागारत्नम्** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य श्रेणी के उन सभी उम्मीदवारों के परचों का पुनर्मूल्यांकन कराया गया था । जिन्होंने सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की अखिल भारतीय सेवा परीक्षा, 1978 में 41 से 49 तक अंक प्राप्त किए थे;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन उम्मीदवारों के परचों का भी पुनर्मूल्यांकन किया गया था जिन्होंने लिखित परीक्षा में 31 से 39 अंक प्राप्त किये थे; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन सभी उम्मीदवारों को सफल घोषित कर दिया गया है जिन्होंने लिखित परीक्षा में, पास होने के लिए निर्धारित न्यूनतम 40 अंक प्राप्त किए थे; और

(घ) क्या बैंक ने मेजोरिटी यूनियन के साथ किए गए अपने करार के अनुसार सभी प्रतियोगियों को उनके द्वारा प्राप्त अंकों की सूचना दी थी; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) : जी, हां । लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात् पुनर्मूल्यांकन किया गया था क्योंकि इस बीच एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था तथा यह पाया गया था कि कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनके एक से अधिक उत्तर हो सकते थे ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, नहीं । बैंक ने सूचित किया है कि उस समय ऐसा कोई समझौता विद्यमान नहीं था । किन्तु बाद में बहुसंख्या वाली यूनियन के साथ एक समझौता हुआ जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को प्रकट की शर्त थी ।

इंजीनियर के सामान के निर्यात पर इस्पात के मूल्य में हुई वृद्धि का प्रभाव

4430. **प्रो० अजीत कुमार मेहता**
श्री बी० डी० सिंह } : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के मूल्य में हाल ही में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप इंजीनियरी के सामान के निर्यात पर किस हद तक प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) संयुक्त संयंत्र समिति ने 8/9.2. 1981 से इस्पात के मूल्यों में 20 प्रतिशत तथा कच्चे लोहे के मूल्यों में 400 रुपए प्रतिटन की वृद्धि करने की घोषणा की है। संयुक्त संयंत्र समिति ने यह भी घोषणा की है कि 23/24 फरवरी, 1981 की मध्य रात्रि से इस्पात के मुख्य उत्पादक अर्द्ध तैयार इस्पात छड़ों तथा गोल-छड़ों के मूल्य स्वयं निश्चित कर सकेंगे। तदनुसार मुख्य उत्पादकों से बाजार की स्थिति, को देखते हुए इन वस्तुओं के मूल्य संशोधित/निश्चित कर दिए हैं।

(ख) इस बात को देखते हुए कि वर्तमान मूल्य वृद्धि का इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यह निर्णय लिया गया है कि 8.2.1981 को विद्यमान निर्यात के करारों को संशोधन से पहले के मूल्यों पर लोहा और इस्पात सामग्री सप्लाई की जाएगी। आशा है इन तथा अन्य उपायों से इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विन्टेज कारों के निर्यात पर प्रतिबंध

4431. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विन्टेज कारों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि वह भारत में उनका एक संग्रहालय स्थापित करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय कितने वर्ष पूर्व लिया गया था और ऐसा संग्रहालय अभी तक क्यों नहीं स्थापित किया है;

(ग) उक्त संग्रहालय की स्थापना के लिए वर्तमान बजट में क्या प्रावधान रखा गया है; और

(घ) यदि अभी तक कोई प्रावधान नहीं रखा गया है तो क्या सरकार का विचार उक्त प्रतिबंध संबंधी शर्तों में छूट देने के लिए स्थिति पर पुनः विचार करने का है।

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) चालू निर्यात नीति के अनुसार विन्टेज कारों के निर्यात के अनुरोधों पर 'गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) विन्टेज कार संग्रहालय स्थापित करने की प्रस्थापना पर अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) संग्रहालय स्थापित करने के लिए वाणिज्य मन्त्रालय के बजट आवंटित में कोई बजट व्यवस्था नहीं की गई है।

(घ) विन्टेज कारों सहित सभी मदों के लिए 1981-82 के लिए निर्यात नीति बनाई जा रही है तथा शीघ्र ही घोषित की जाएगी।

महाराष्ट्र में रत्नगिरी में हवाई पट्टी

4432. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र में कोंकण में राज्य सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व इस उद्देश्य से रत्नगिरि में लाखों रुपये खर्च करके एक हवाई पट्टी बनाई है कि बम्बई और रत्नगिरि के बीच विमान सेवा आरम्भ हो जाएगी;

(ख) क्या सरकार को पता है कि प्राइवेट ओपरेटर गोल्डन सोन एविएशन कम्पनी ने कुछ महीनों तक बम्बई और रत्नगिरी के बीच विमान सेवाएं चलाईं थीं और पिछले एक वर्ष से

उन्होंने ये सेवा बन्द कर दी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार विमान सेवा आरम्भ करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार रत्नगिरि को थर्ड एयर लाइन की सेवाओं से जोड़ने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार बम्बई और रत्नगिरी के बीच इंडियन एयर लाइन्स की विमान सेवा आरम्भ करने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हाँ। सरकार को मालूम है कि रत्नगिरी में महाराष्ट्र सरकार की एक हवाई पट्टी है।

(ख) विमानन ईंधन की अनियमित सप्लाई तथा ईंधन की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के कारण मैसर्ज गोल्डन सन एविएशन ने मई, 1979 से बम्बई रत्नगिरि सैक्टर पर अपनी सेवा समाप्त कर दी है।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में तीसरी विमान सेवाएं प्रारम्भ करने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। देश के अन्य भागों के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) विमान बेड़े तथा परिचालन संबंधी परिसीमाओं के कारण इंडियन एयर लाईन्स बम्बई तथा रत्नगिरी के बीच विमान सेवा चलाने में असमर्थ है।

15 और 16 फरवरी, 1981 को दिल्ली में हेलिकोप्टर की उड़ान पर व्यय

4433. **श्री सुधीर गिरि** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 और 16 फरवरी, 1981 को दिल्ली के ऊपर उड़ान भरने वाला हैलिकोप्टर भारत सरकार का था;

(ख) ऐसी उड़ानों के लिए ईंधन के सम्बन्ध में कुल कितना व्यय किया गया; और

(ग) हैलिकोप्टर का इस्तेमाल करने वाले कार्मिकों के नाम और पदनाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अन्नत प्रसाद शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) 4,147.50 रुपये।

(ग) किसान रैली के संदर्भ में यातायात तथा कानून व व्यवस्था प्रबंधों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा इस हैलीकाप्टर का अभिग्रहण किया गया था। दिल्ली के पुलिस आयुक्त श्री पी० एस० भिंडर तथा दिल्ली पुलिस के उप-महानिरीक्षक श्री निखिल कुमार इस हैलीकॉप्टर पर सवार थे।

राजभाषा अधिनियम की क्रियान्विति के लिए पदों का सृजन

4434. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को क्रियान्वित करने के लिए पदों के सृजन के प्रस्ताव समेकित वित्तीय सलाहकारों द्वारा इस आधार पर अस्वीकार किए जा रहे हैं कि कार्यालयों में 25 से अधिक कर्मचारी नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि ऐसे कार्यालयों में जहां 25 से कम कर्मचारी नहीं लगाये जाते हैं तो अधिनियम और नियम, विशेषकर राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अन्तर्गत बनाए गए राजभाषा नियमों, 1976 में संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग के लिए कुछ सांविधिक दायित्व निर्धारित किए गए हैं। आयोजना–भिन्न प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन पर लगाया गया प्रतिबंध सांविधिक दायित्वों की पूर्ति के लिए अपेक्षित पदों पर लागू नहीं होता। विभिन्न मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकारों को, हिन्दी कर्मचारियों के लिए स्वीकृति संबंधी प्रस्तावों पर वास्तविक और उचित आवश्यकताओं के आधार पर विचार करने की सलाह दी गई है।

सेन्ट्रल बैंक, सीतापुर के विरुद्ध शिकायतें

4435. **श्री रामलाल राही** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सेंट्रल बैंक, सीतापुर के विरुद्ध आई शिकायतों के आधार पर सतर्कता विभाग द्वारा की गई जांच के परिणाम क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या तथ्य हैं;

(ख) क्या यह सच है कि शिकायतों पर कुछ कार्यवाही करने के बावजूद इसके कार्यकरण में कोई सन्तोषजनक सुधार नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गयी जांच के आधार पर, सैण्ट्रल बैंक आफ इंडिया की सीतापुर शाखा के भूतपूर्व कृषि सहायक, श्री बृज भूषण तथा चार अन्य बाहरी व्यक्तियों के बारे में भारतीय दण्ड संहिता धारा 467 के साथ पठित धारा 120 ख, 420,471 के अधीन विशेष मजिस्ट्रेट, भ्रष्टाचार निरोध, लखनऊ के सामने अभियोग पत्र पेश किया गया है। मामले का निर्णय अभी होना है तथा यह न्यायाधीन है। सैण्ट्रल बैंक आफ इंडिया की सीतापुर शाखा के भूतपूर्व प्रबंधक तथा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध मिली हुई कुछ शिकायतों की जाँच भी बैंक द्वारा की जा रही है।

(ख) और (ग) सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने सूचना दी है कि उसकी सीतापुर शाखा के भूतपूर्व प्रबंधक को इस बीच स्थानांतरित कर दिया गया है तथा कृषि सहायक को मुअतिल कर दिया गया है। सीतापुर शाखा के कार्यकरण में इस कार्यवाही के बाद, उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस शाखा के कार्यकरण को दुरुस्त करने के लिए, बैंक ने अपनी क्षेत्रीय कार्यालय को, अन्य अपेक्षित कदम उठाने के लिए कहा है।

चांदी का जब्त किया जाना

4436. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979-80 और 1980-81 (आज तक) के प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत से तस्करी द्वारा बाहर भेजने की कोशिश करते समय पकड़ी गई चांदी की कुल मात्रा कितनी है;

(ख) कितनी चांदी जब्त की गई है; और

(ग) कितनी चांदी ऐसे प्रत्येक पक्ष को लौटाई गई है जिससे वह जब्त की गई थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) वर्ष 1979,1980 और 1981 (फरवरी,1981 तक) में भारत से चोरी-छिपे ले जाये जाने के प्रयास के दौरान सीमाशुल्क अधिकारियों ने जो चांदी पकड़ी, उसकी कुल मात्रा नीचे दी गई है :—

(ख) भारत सरकार का एक व्यापक राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम है जिसमें रोगियों का पता लगाना, उनका उपचार करना, और रोग की रोकथाम के लिए कारगर उपाय करना शामिल है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले में स्थित सभी वर्तमान चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थाओं के जरिए क्षयरोग से पीड़ित रोगियों का पता लगाने, उपर्युक्त उपचार तथा रोग निरोधक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में उपकरणों तथा कर्मचारियों से सुसज्जित जिला क्षय रोग केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं । शिशुओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए बी. सी. जी. टीका कार्यकलापों को विस्तृत टीका कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कार्यकर्ताओं को बी. सी. जी. टीका लगाने की तकनीकों में प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान जो रकम रखी गई और खर्च की गई उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

(रुपए लाखों में)

	रखी गई रकम	व्यय की गई रकम
(क) 1977-78	190.00	183.46
(ख) 1978-79	200.00	183.44
(ग) 1979-80	225.65	218.41

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए 700 लाख रुपए की रकम केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में रखी गई है ।

पलवल और असावटी स्टेशन के बीच जंजीर का खींचा जाना

4278. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली के बीच चलने वाली मेल/एक्सप्रेस, यात्री तथा शटल गाड़ियों की पलवल और असावटी स्टेशनों (मध्य रेलवे) के बीच रोजाना जंजीर खींची जाती है और जिसके फलस्वरूप प्रत्येक रेलगाड़ी रोजाना 20-25 मिनट विलम्ब से पहुचती है, और

(ख) यदि हां, तो जंजीर खींचे जाने की घटनाओं को रोकने के लिये रेलवे द्वारा अब तक क्या उपाय किये गये हैं और यदि कोई उपाय नहीं किये गये हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मथुरा—दिल्ली खण्ड पर खतरे की जंजीर खींचने की घटनाएं बहुत अधिक होती है । अनेक उपाय किये जाने के बावजूद खतरे की जंजीर खींचने की घटनाएं जारी है ।

कुपोषण और अल्प पोषण से पीड़ित व्यक्ति

4279. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शारीरिक श्रम कर रहे एक औसत व्यक्ति के लिए अपेक्षित कैलोरी में दैनिक भोजन क्या है और इस भोजन में अपेक्षित कैलोरी में प्रोटीन तत्व की मात्रा कितनी है, और

(ख) क्या यह सच है कि भारत में अभी तक ऐसे दस करोड़ व्यक्ति हैं जो कुपोषण और अल्प पोषण से पीड़ित हैं और इसी कारण वे कई रोगों के शिकार हो जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे रोग कौन से हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) शारीरिक श्रम करने वाले एक सामान्य व्यक्ति के दैनिक भोजन में कैलोरी और प्रोटीन की जितनी मात्रा होनी चाहिए, वह इस प्रकार है :

	कैलोरी	प्रोटीन
पुरुष	2800 किलो कैलोरी	55 जी. एम.
महिला	2200 किलो कैलोरी	45 जी. एम.

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर कितने व्यक्ति कुपोषण और अल्पपोषण से पीड़ित हैं, इसके बारे में ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि 5 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे कुपोषण के अधिक शिकार होते हैं। कुपोषण के कारण होने वाले विभिन्न रोगों में से सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रोग प्रोटीन ऊर्जा के कुपोषण से होता है भारतीय आयुविज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में नेशनल न्यूटीशन मानीटरिंग ब्यूरो द्वारा लिए गए सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 3 प्रतिशत बच्चे गम्भीर कुपोषण और अल्प पोषण से पीड़ित हैं और इससे दुगने बच्चों में अधिक मन्द विकास देखा गया है जो छोटी आयु में कुपोषण और अल्पपोषण का परिचायक है। इस तरह लगभग 9 प्रतिशत बच्चे कुपोषण और अल्पपोषण से पीड़ित हैं और उन्हें कुछेक रोगों के लगने का खतरा रहता है।

(ग) इन बच्चों को आम तौर पर श्वसन और दस्त सम्बन्धी रोग होते हैं।

घटकोपर तथा बम्बई वी. टी. के बीच और अधिक स्थानीय रेलगाड़ियों की मांग

4281. डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घटकोपर बम्बई लाईन के यात्रियों की ओर से प्रातः के समय घटकोपर तथ बम्बई वी.टी. के बीच और शाम के समय बम्बई वी. टी. से घटकोपर के बीच और अधि स्थानीय रेलगाड़ियां चलाने की मांग की जाती रही है,

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि उक्त सेवा आरंभ करने से बड़ी संख्या में यात्रिय को लाभ पहुंचेगा, और

(ग) यदि हां, तो इस सेवा को आरंभ करने के लिये सरकार का विचार क्या कद उठाने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां

(ख) और (ग) पिछले कुछ वर्षों के दौरान घटकोपर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली उपनगरीय गाड़ियों की संख्या 1970 में 274 और 1975 में 365 से बढ़कर 198 410 तक पहुंच गयी है। तथापि, घाटकोपर से प्रारम्भ होने वाली/समाप्त होने वाली अतिरिक्त गाड़ियाँ चलाना व्यापक हित में वांछनीय नहीं है क्योंकि इससे अप और डाउन दिशा की रनिं

3. जहां तक इस क्षेत्र के देशों में परियोजनाओं के संवर्धन का सम्बन्ध है, निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) विदेश परियोजना विकास समिति, परियोजना निर्यातों से संबंधित नीति संबंधी मामलों की नियमित रूप से समीक्षा करती रहती है ।

(2) आई०डी०बी०आई० द्वारा समन्वित कार्यकारी दल द्वारा एक ही स्थान पर परियोजना ठेकेदारों के बैंक गारंटी आदि के प्रस्ताव शीघ्रतापूर्वक निपटाये जाते हैं ।

(3) ई०ई०पी०सी० विभिन्न देशों द्वारा जारी किये गये टैंडरों के बारे में जानकारी प्रदान कर रही है ।

(4) दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में परियोजना निर्यातों के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिये और अधिक भारतीय फर्मों में रूचि पैदा करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

पर्यटन और नागर विमानन के कर्मचारियों की आवास सम्बन्धी समस्यायें

4440. **श्री गफरान आजम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय पर्यटन और नागर विमानन के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने में रूचि ले रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना आवंटन किया गया है और दिल्ली, बम्बई तथा अन्य स्थानों पर हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्पादकों से पटसन की खरीद

4441. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति के अनुसार विचौलियों को टालने की दृष्टि से भारतीय पटसन निगम की उत्पादकों से पटसन खरीदने के लिये अनुदेश दिये गये हैं और क्या यह नीति प्रभावी ढंग से और तत्परता से चल रही है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि भारतीय पटसन निगम के पास विभिन्न क्रय केन्द्रों पर उत्पादकों से पटसन खरीदने के लिये उचित मूल ढांचे का अभाव है ;

(ग) क्या भारतीय पटसन निगम अपना कारोबार करने के लिये उपयुक्त मूल ढांचे सहित पर्याप्त धन और उचित सुरक्षा के अभाव में खरीदे गये पटसन के भण्डारण हेतु स्थान की भारी कमी का भी सामना कर रहा है ;

(घ) क्या जहां तक सम्बन्धित पटसन उत्पादकों को राहत देने का संबंध है, कुल उत्पादित पटसन का केवल 40 से 50 प्रतिशत पटसन ही भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीदा जा सका है जिससे कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया है ; और

(ङ) क्या सरकार भारतीय पटसन निगम के लिये पर्याप्त धन, भण्डारण के लिये स्थान, सुरक्षा आदि सहित उचित मूल ढांचे की व्यवस्था करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ताकि,

वह कुल उत्पादित पटसन का 70 से 80 प्रतिशत तक उत्पादकों से खरीद सके ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ङ) चालू वर्ष के दौरान, 15-2-81 तक, भारतीय पटसन निगम ने 10.22 लाख गाँठों की कीर्तिमान अधिप्राप्ति की है जिसमें से 80 प्रतिशत उपजकर्ताओं से थी हालांकि धनराशि की समस्या नहीं थी, फिर भी भण्डारण स्थान को अभाव में अधिप्राप्ति में बाधा आई बावजूद इस तथ्य के कि गोदाम क्षमता को पिछले वर्ष में लगभग 12 लाख गांठों से बढ़ा कर चालू वर्ष के दौरान 20.29 लाख गांठ कर दिया गया। निगम की सभी अपने पुराने स्टाक बेचने में असमर्थता से भण्डारण क्षमता की मांग बढ़ी। स्टाकों का आग, चोरी तथा बाढ़ के प्रति बीमा दिया जाता है और सुरक्षा के लिए यह एक न्यायोचित प्रबंध प्रतीत होता है। तैयार की जा रही अगले वर्ष की कार्यवाही योजना में अधिप्राप्ति के इस स्तर में और वृद्धि करने के लिए भरसक प्रयास किये जाएंगे। सरकार ने निगम के कार्य संचालन में सुधार करने के लिए उपयुक्त सिफारिशें देने के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया है। पटसन उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सहकारिता ऋण तथा विपणन के बीच कारगर संबंध स्थापित करने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए भी एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है।

निर्यातकों द्वारा उत्पाद शुल्क जमा किया जाना

4442. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात की जा रही दबने वाली ट्यूबों पर 44 प्रतिशत उत्पाद शुल्क के लिए बाण्ड भरने की व्यवस्था थी;

(ख) क्या मंत्रालय ने इस नीति में संशोधन किया है और अब वे इस बात का आग्रह करते हैं कि निर्यातकर्त्ता को यह उत्पाद शुल्क जमा करना चाहिए और बाद में, शिपमेंट के पश्चात् इस उत्पाद शुल्क की वापसी का दावा करना चाहिए, और

(ग) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं और क्या इससे दबने वाली ट्यूबों के निर्यातकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 27 (च) के अन्तर्गत, एल्यूमीनियम की "आधानों" के रूप में वर्गीकरण योग्य ट्रिमड तथा चूड़ीदार दबने वाली नलिकाओं को, बन्धपत्र के अधीन, निर्यात किये जाने की अनुमति 1971 के बाद नहीं दी जाती है। एल्यूमीनियम की दबने वाली अन्य नलिकाओं अर्थात जो ट्रिमड नहीं है, और बिना चूड़ी वाली है, उनका निर्यात 19-6-1980 के बाद बन्धपत्र के अन्तर्गत बन्द कर दिया गया है जब उनका भी वर्गीकरण वित्त (सं० २) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 27 (च) के अन्तर्गत आने वाले "आधानों" के रूप में किया गया था।

(ख) मंत्रालय द्वारा उक्त नीति में कोई संशोधन नहीं किया गया है। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने ऐसी नलिकाओं का बन्ध-पत्र के अन्तर्गत निर्यात किया था और यह गलत प्रथा अब बन्द कर दी गई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता है।

हवाई अड्डों पर श्रमिकों की सहकारी समितियों को सामान ढुलाई ठेका देना

4443. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं जहां यात्रियों के सामान को लाने-लेजाने का ठेका श्रमिकों की सहकरी समितियों को दिया गया है,

(ख) उन ठेकों की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार है कि सभी हवाई अड्डों पर सामान लाने-लेजाने का ठेका श्रमिकों की सहकारी समितियों को सौंपा जाये; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) दिल्ली, कलकत्ता, बंगलौर तथा त्रिवेंद्रम । बम्बई तथा मद्रास में ऐसे ठेके एक्स-सर्विसमेन्स एयरलिंक ट्रांस्पोर्ट सर्विसेज (ई०ए०टी०एस०) को दिए गए हैं, जो कि भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों का एक संगठन है और जिसे रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा स्पौंसर किया गया है ।

(ख) ठेकों की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(1)ठेकेदारों को जमानत Security deposit के रूप में तीन महीने की लाइसेंस फीस अग्रिम रूप में देनी होती है ।

(2) लाइसेंस फीस हर महीने अग्रिम रूप में देय है ।

(3) लाइसेंस आम तौर पर 2 से 3 वर्ष की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए होता है ।

(4) ठेकेदारों को 20 किलोग्राम वजन तक के प्रत्येक सामान के लिए एक रुपए की दर से भाड़ा लेने की अनुमति है ।

(5) यात्रियों को अपना सामान स्वयं ले जाने की छूट है ।

(ग) सरकार प्राप्त हुए टैंडरों के साथ-साथ श्रमिकों की सरकारी समितियों के ऑफर पर यथोचित ध्यान देती है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा जीवन बीमा निगम में समयोपरि भत्ता ।

4444. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1979 में राष्ट्रीयकृत बैंकों में समयोपरि भत्ता 25 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है,

(ख) क्या जीवन बीमा निगम में समयोपरि भत्ता इतना ही ज्यादा है;

(ग) क्या सरकार ने अधिक पद बनाने के लिए इस धन का उपयोग करने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार सरकार के कर्मचारियों तथा सरकारी उपक्रमों में उनके समकक्ष कर्मचारियों के बीच वेतन, भत्ते तथा समयोपरि भत्ते, बोनस आदि जैसे अन्य लाभों के मामलों में समानता लाने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को अदा की गयी समयोपरि भत्ते की कुल राशि 22.99 करोड़ रुपये थी।

(ख) वर्ष 1979-80 (अप्रैल से मार्च) के दौरान, जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को 3.08 लाख रुपए की राशि समयोपरि भत्ते के रूप में दी गयी थी।

(ग) जी, नहीं ! कर्मचारियों की संख्या में संस्था में कमी ही एक कारण नहीं है जिसकी वजह से बैंकों में समयोपरि भत्ते की अदायगी आवश्यक हो जाती है। बैंकों में, समयोपरि भत्ते की अदायगी का सहारा, सामान्यतः छमाही तथा वार्षिक खातों को बंद करते समय आकस्मिक रूप से कार्य के बढ़ जाने पर तथा अस्थायी रूप से कर्मचारियों की कमी अथवा हड़ताल, प्रदर्शन आदि के कारण, बड़े पैमाने पर गैर हाजरियों आदि जैसे कारणों से इकठ्ठा हुए बकाया काम को निपटाने के लिए लेना पड़ता है।

(घ) केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों का वर्तमान वेतन ढांचा, तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित है, जिसने वेतनमानों को निर्धारित करने के विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखा था। आयोग का यह भी मत था कि एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वेतनमानों को इस तरह नियत किया जाए कि उसमें अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वयं सरकार के अपने वेतनमानों पर पड़ने वाले प्रभावों का भी ध्यान रखा जाए। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में कोई आम संशोधन करने से पहले सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करें। इस प्रकार के प्रस्तावों की जाँच करते समय सरकार इस बात की सावधानी बरतती है कि एक ओर एक ही उद्योग या क्षेत्र में विभिन्न उपक्रमों के बीच और दूसरी ओर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों के बीच, विशेष रूप से जहां तुलनीयता स्थापित की जा सकती हो वहां समतुल्य स्तरों पर, वेतन ढ़ांचे की असंगत असमानताओं से बचा जाए।

बैंकिंग कर्मचारियों के सेवा निबंधनों तथा शर्तों और उनके कार्यों के स्वरूप की तुलना सही तौर से सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से नहीं की जा सकती। इसलिए, बैंकिंग प्रणाली की मुख्य विशेषताओं की जो पिछले अनेक वर्षों में विकसित हुई हैं ; वजह से भी, कुछ सीमा तक वेतनों में विभिन्नता हो सकती है। पहली जुलाई, 1979 से पिल्लै समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के वेतनमान आदि संशोधित तथा मानकीकृत किए गए हैं। जहां तक, राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिपिक वर्ग तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों तथा अन्य सेवा शर्तों का संबंध है, इन्हें बैंकों के प्रबन्धकों तथा कर्मचारी यूनियनों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से तय किया जाता है।

विशाखापत्तनम पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात

4445. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम पत्तन से 1978, 1979 और 1980 से लौह अयस्क की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ख) 1981 और 1982 में कितना निर्यात किए जाने की योजना बनाई गई है;

(ग) 1978, 1979 और 1980 में इस प्रकार के निर्यात से वास्तव में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(घ) इस सम्पदा के पुनर्भरण न हो सकने वाले स्वरूप को देखते हुए क्या सरकार का विचार लौह अयस्क के निर्यात को प्रोत्साहन देने की अपनी नीति की संवीक्षा करने का है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशाखापत्तनम पत्तन से निर्यात की गई लौह अयस्क की मात्रा निम्नोक्त प्रकार है—

वर्ष	मात्रा मिलियन मै० टन में
1978	5.61
1979	5.43
1980	5.51

(ख) 1981 तथा 1982 के दौरान विशाखापत्तनम पत्तन से प्रत्येक वर्ष 6.0 तथा 6.5 मिलियन मै० टन लौह अयस्क के निर्यात का अनुमान है।

(ग) विशाखापत्तनम पत्तन से लौह अयस्क के निर्यात से अर्जित वास्तविक विदेशी मुद्रा निम्नोक्त प्रकार रही है —

वर्ष	मूल्य करोड़ रु० में
1978	67.87
1979	71.11
1980	81.22

(घ) भारत के पास पर्याप्त मात्रा में लौह अयस्क के भंडार हैं। हम विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए लौह अयस्क का निर्यात करते हैं। तथापि, ऐसे प्रयत्न किए जा रहे हैं कि लौह अयस्क का निर्यात करने से पहले यथासंभव सीमा तक उसे गोलियों, सांद्रणों आदि में बदल दिया जाए।

वर्ष 1980-81 के दौरान निर्यात की गई चीनी की मात्रा

4446. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980-81 के दौरान चीनी का कोई निर्यात किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को चीनी का निर्यात किया गया है और किस भाव पर यह निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) जी हां।

(ख) चीनी 4,900 रु० प्रति मै० टन की औसत कीमत पर ब्रिटेन, मिस्र, श्रीलंका, इंडोनेशिया तथा नेपाल को निर्यात की गई।

एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया का जयकानगर यूनिट

4447. **श्री सोमनाथ चट्र्जी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(घ) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जनवरी, 1981 के 'इकोनोमिक टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के एक समाचार की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबंध अपने अधिकार में लिये जाने के बाद ढाई वर्ष की अवधि गुजर जाने के बावजूद अभी एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया के जयकानगर यूनिट के लिए एक समेकित प्रबन्ध पद्धति अभी बनाई जानी है;

(ख) क्या इस यूनिट का प्रबंध एक वर्ष के लिए भारत एल्यूमिनियम कंपनी को सौंप

दिया गया था और बाद में तीन बार छह महीने तक अवधि बढ़ाई गई थी और पिछली अवधि में वृद्धि अप्रैल, 1981 को समाप्त होनी थी;

(ग) क्या सरकार को इस यूनिट के राष्ट्रीयकरण की मांग करते हुए कार्मिक संघों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस ज्ञापन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) आगे की जाने वाली कार्रवाई पर सरकार विचार कर रही है ।

राउरकेला इस्पात संयंत्र की सहायक इकाइयां

4448. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र की सहायक इकाइयों का निर्माण हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राउरकेला में ऐसी कितनी इकाइयों का निर्माण हुआ है; और

(ग) राउरकेला में इन सहायक इकाइयों में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) राउरकेला इस्पात संयंत्र ने 21 लघु इकाइयों को सहायक इकाइयों के रूप में मान्यता प्रदान की है । 10 और इकाइयों के मामले संयंत्र प्राधिकारियों के विचाराधीन हैं ।

(ग) 21 सहायक इकाइयों में लगभग 1080 लोगों को रोजगार मिला है ।

जनजातियों तथा कमजोर वर्गों को ऋण दिये जाने की योजना

4449. **श्री जयनारायण रौट** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जन-जातियों तथा कमजोर वर्गों को ऋण देने की कोई योजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं और इस योजना के अन्तर्गत ऋण के लिए कितने आदिवासी लोगों ने आवेदन किया है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क)और(ख): विशेष विचार के लिए निर्धारित किए गए, समाज के सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग हैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य । बैंक ऋण प्राप्त करने के वास्ते उन्हें उपलब्ध विभिन्न रियायती शर्तों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है । उन जनजातीय लोगों की संख्या, जिन्होंने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बैंक ऋणों के लिए आवेदन दिया है, उपलब्ध नहीं है । दिसम्बर, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के, अग्रिमों के अन्तर्गत 15.90 लाख ऋण खातों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिए गए ऋणों के कुल अग्रिम 250 करोड़ रुपये के थे ।

विवरण

अनुसूचित जातियों/जनजातियों को उपलब्ध विभिन्न रियायती शर्तें इस प्रकार हैं :

1. विभेदी ब्याज दर योजना

भारत सरकार की विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत यह आशा की जाती है कि वाणिज्यिक बैंक अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सदस्यों को अपने अग्रिम के 40 प्रतिशत तक वित्त पोषित करें।

2. आवास ऋण

बैंक अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सदस्यों, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और कम आय वर्ग के लोगों को लागत के 80 प्रतिशत ऋण मंजूर करते हैं। अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सदस्यों को दिए जाने वाले ऋणों की ब्याज दर 4 प्रतिशत है बशर्ते कि किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला आवास ऋण 2500 रुपए से अधिक न हो।

3. शिक्षा

भारत में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को दिये जाने वाले अग्रिम न्यूनतम ऋण दर सम्बन्धी हिदायतों से मुक्त हैं। बैंक ऋण के लिए अनुसूचित जातियों/जनजातियों के छात्रों से प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राथमिकता देते हैं।

4. अति लघु क्षेत्र के लिए नई मार्जिन मनी योजना

अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए भारत सरकार की नई मार्जिन मनी योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/जनजातियों के मामले में आधार धन (सीड मनी) 15 प्रतिशत है जबकि अन्य ऋणकर्त्ताओं के मामले में यह 10 प्रतिशत है।

5. जिला ऋण आयोजना

बैंक, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से प्राप्त ऋण के प्रस्तावों पर बहुत सहानुभूति और हमदर्दी के साथ विचार करते हैं। प्रखंड स्तर पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभ की योजनाओं को महत्व देना होता है और इन क्षेत्रों को ऋण मंजूर करने में उनकी भागीदारी के बारे में सुनिश्चित व्यवस्था करने के उद्देश्य से इन समुदायों के सदस्यों को अनुकूल बैंक सहायता योग्य योजनाएं तैयार की जाती हैं।

6. उपभोग ऋण

बैंकों को कहा गया है कि वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों समेत कमजोर वर्गों को चिकित्सा खर्च, शैक्षिक आवश्यकताओं, विवाह, दाह संस्कार तथा अन्य धार्मिक कार्यों के लिए प्रति ऋणी को कुल 500 रुपए से अनधिक ऋण दें।

7. 20 सूत्री कार्यक्रम

20-सूत्री कार्यक्रम विषयक कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुपालन में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कमजोर वर्गों को बैंक ऋण प्राप्त हो, कमजोर वर्ग की परिभाषा को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में शामिल किया गया है। ये हैं (1) ऐसे छोटे तथा सीमान्तिक किसान जिनकी जोतें 5 एकड़ तथा उससे कम हो तथा खेतिहर मजदूर (12) अन्य संबंधित कार्यकलापों में लगे हुए व्यक्ति जहां इस प्रकार के कार्यकलापों के लिए ऋण की सीमाएं 10,000/-रुपए से अधिक न हो। 25,000/-रुपए और इससे कम की ऋण सीमाओं वाले सभी लघु उद्योगों को इस श्रेणी में कमजोर वर्ग समझा जाना चाहिए। इसमें अधिकांश कारीगर और कुटीर उद्योग शामिल होंगे।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में सांसदों/विशिष्ट व्यक्तियों की ओर से प्राप्त विचाराधीन पत्र

4450. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में सांसदों/विशिष्ट व्यक्तियों की ओर से प्राप्त (एक) 3 महीने तक के; (दो) 3 से 6 महीने तक के; (तीन) 16 से 2 महीने तक के और एक वर्ष से अधिक अवधि तक के अभी तक कितने पत्र विचारधीन पड़े थे और प्रत्येक मामले में इन पत्रों को विचाराधीन रखने के संक्षिप्त कारण क्या-क्या हैं; और

(ख) उपरोक्त (क) में उल्लिखित पत्रों का कब तक तक निपटान कर दिया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है यथासंभव शीघ्र सदन-पटन पर रख दी जायगी ।

हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

4451. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की यह इच्छा है कि "प्रादेशिक ग्रामीण बैंक एकट" की धारा 17 में की गई व्यवस्था के अनुसार प्रथम पांच वर्षों में ग्रामीण बैंक में आयोजना करने वाले बैंक (स्पानसरिंग बैंक) द्वारा अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाए; और

(ख) यदि हां, तो पंजाब नेशनल बैंक ने 5 वर्ष के बाद भी हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 11 अधिकारियों को नए सिरे से कैसे प्रतिनियुक्ति पर भेजा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, हां उक्त अधिनियम के खण्ड 3 में यह भी विशिष्ट रूप से कहा गया है कि प्रायोजक बैंक का यह कर्तव्य होगा वह ऐसी प्रबंधकीय तथा वित्तीय सहायता प्रदान करके, जिसके बारे में प्रायोजक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपस में सहमत हों । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को मदद तथा सहयोग प्रदान करे । लेकिन, सभी प्रायोजक बैंकों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी स्थापना की तारीख से पांच वर्ष पूरे कर ले तो वे वहां अपने कम से कम कर्मचारियों को नियुक्त करें ।

(ख) हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सुचारु कार्यकरण को ध्यान में रखते हुए तथा विशेष रूप से इसके प्रचालन क्षेत्र में रोहतक जिले के बढ़ जाने के बाद इसके विस्तार कार्यक्रम को सुचारु ढंग से चलाने के लिए भी, बैंक के निदेशक मण्डल ने, प्रतिनियुक्ति के आधार पर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में, सक्षम अधिकारियों को उपलब्ध कराने के लिए, प्रायोजक बैंक (पंजाब नेशनल बैंक) से अनुरोध करने का निर्णय किया । प्रायोजक बैंक ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया है । इसने ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष को यह सलाह भी दी है कि वे स्वयं कर्मचारियों की भरती एवं प्रशिक्षण के लिए अपने यहां इंतजाम करें जिससे कि प्रतिनियुक्ति अधिकारियों को यथा शीघ्र वापस बुलाये जा सके ।

भारतीय स्टेट बैंक, विदिशा द्वारा लघु तथा छोटे किसानों को ऋण न देना

4452. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल मुख्यालय ने भारतीय स्टेट बैंक, विदिशा की कृषि विकास शाखा को अनुदेश जारी किए हैं कि लघु तथा छोटे किसानों को ऋण न दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो जनवरी और फरवरी के पिछले दो महीनों में सामूहिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को ऋण मंजूर किया गया; और

(घ) मार्च, 1980 के अंत तक प्रत्येक मामले में कितना ऋण देने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : छोटे तथा सीमांतिक किसानों को ऋणों का संवितरण न करने के लिए, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जनवरी तथा फरवरी, 1981 के दौरान, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन कुल 1.18 लाख रुपये के 25 ऋणों को वित्त पोषित किया गया।

(घ) मार्च, 1981 के दौरान, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के अन्तर्गत प्राप्त हुए 2048 आवेदनों की छानबीन की जा रही है तथा उपयुक्त मामलों में आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा होने पर संवितरण किया जाएगा।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों और सरकारी उपक्रमों द्वारा जनता से स्वीकार की गयी धनराशि

4453. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977-78 से 1980-81 तक के वर्षों के दौरान (एक) गैर-सरकारी क्षेत्र की पब्लिक लिमिटेड कंपनियों और (दो) सरकारी उपक्रमों द्वारा जनता से कुल कितनी धनराशि स्वीकार की गई;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में एक कम्पनी द्वारा दूसरी कम्पनी में जमा की कुल धनराशि कितनी है;

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में एक कम्पनी द्वारा दूसरी कम्पनी में कुल कितनी धनराशि निविष्ट की गई है; और

(घ) बैंकिंग क्षेत्र में धनराशि के आवागमन पर इस तरह के एक कम्पनी से दूसरी कंपनी में जमा की गई और निविष्ट पूंजी का क्या प्रभाव पड़ा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) (क) 31 मार्च 1978 की स्थिति के अनुसार, रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, निजी क्षेत्र की सीमित दायित्व वाली कंपनियों तथा सरकारी कंपनियों के पास जमा राशियां तथा छूट प्राप्त ऋण इस प्रकार थे :—

(करोड़ रुपए)

	जमा	छूट प्राप्त ऋण	जोड़
निजी क्षेत्र की सीमित दायित्व वाली कंपनियां	776.8	659.4	1436.2
सरकारी कंपनियां	46.1	102.6	148.7

1978-79, 1979-80 तथा 1280-81 के वर्षों से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) 31 मार्च 1978 की स्थिति के अनुसार, सूचना भेजने वाली गैर बैंकिंग कंपनियों के पास अंतः राशियां 134.6 करोड़ रुपए की थी।

(ग) और (घ) इस संबंध में, रिजर्व बैंक के पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं है। किंतु, एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी में की गई जमाओं और निदेशों का बैंकिंग क्षेत्र में निधियों के प्रवाह पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

धर्मार्थ न्यास

4454. आचार्य भगवान देव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में अनेक धर्मार्थ न्यास कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इनमें से अधिकतर न्यास की स्थापना आयकर से बचने और अपने व्यक्तिगत, हितों की पूर्ति के लिए की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार धार्मिक एवं सामाजिक कार्य में संलग्न इन कथित धर्मार्थ न्यासों के कार्यकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। आयकर अधिनियम, 1961 में यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित रक्षोपाय विद्यमान हैं कि ऐसे न्यासों की आय को धर्मार्थ प्रयोजनों में लगाया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

नीम सीड आयल निकालने के लिए संयंत्र की स्थापना

4455. श्री हरिहर सोरन : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1981-82 के दौरान देश में नीम सीड आयल निकालने के लिए कुछ संयंत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में स्थापित लिए जाने वाले ऐसे संयंत्रों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय और राज्यों द्वारा इन संयंत्रों की स्थापना संयुक्त रूप से की जाएगी ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री(श्री ब्रजमोहन महन्ती) (क) से (घ) : केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में केवल नीम सीड के संसाधन के लिए नये सयंत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वृक्ष और वन मूल के विभिन्न तिलहनों से वनस्पति तेलों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक स्कीम छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी है। केंन्द्रीय सरकार द्वारा यह स्कीम उड़ीसा सहित संबंधित राज्य सरकारों की एजेन्सी के माध्यम से कार्यान्वित की जायेगी। इस बारे में, एक विस्तृत परियोजना, जिसमें एक तेल संसाधन संयंत्र भी शामिल किया जा सकता है, तैयार करने के लिए उड़ीसा सरकार के साथ बातचीत चल रही है। इस स्कीम में मुख्य बल साल के बीजों के विकास और उनके उपयोग पर दिया गया है, हालांकि, नीम जैसे अन्य बीजों को भी शामिल करने के बारे में उनके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जा सकता है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को डालरों में ऋण के लिए ब्रिटेन के साथ समझौता

4456. श्री निहाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को 20 करोड़ डालर का ऋण देने के लिए सहमत हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) और (ख) ब्रिटेन के साथ तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए 20 करोड़ डालर के ऋण के संबंध में कोई करार नहीं हुआ है। सम्भवतः

प्रश्न का संबंध 20.00 करोड़ अमेरिकी डालर के उस यूरो डालर ऋण से है जिसके लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने सत्ताईस बैंकों के सिंडीकेट के साथ 6 मार्च, 1981 को लन्दन में हस्ताक्षर किए थे। इन बैंकों में मैन्युफैक्चरर्स हैनोवर ट्रस्ट लिमिटेड, बैंक आफ टोकियो लिमिटेड शामिल हैं तथा भारतीय स्टेट बैंक प्रबन्धक नेता है। ऋण की शर्तों का स्थूल ब्यौरा इस प्रकार हैं :

ऋण की राशि	:	20.00 करोड़ अमेरिकी डालर
प्रयोजन	:	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के सामान्य कार्यों का वित्तपोषण
वापसी अदायगी	:	10 छमाही किस्तों में जो करार के प्रभावी होने की तारीख से 30 महीने के पश्चात आरम्भ होंगी।
ब्याज की वार्षिक दर	:	पहले दो वर्षों के लिए लन्दन अन्तर-बैंक सरकारी दर (लिबर) 3/8 प्रतिशत और शेष अवधि के लिए लन्दन अन्तर-बैंक सरकारी दर 1/2 प्रतिशत
वचनबद्धता शुल्क:	:	ऋण को उपयोग में न लाई गई कुल राशि पर 3/8 प्रतिशत वार्षिक
प्रबन्ध शुल्क	:	कुल वचनबद्ध राशि का 1/2 प्रतिशत
एजेंसी शुल्क	:	50,0001-अमेरिकी डालर
कानून सम्बन्धी और अन्य खर्चे	:	50,0001-अमेरिकी डालर की सीमा के अन्दर अन्दर वास्तविक खर्च

बंगलादेश के साथ व्यापार समझौता

4457. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगलादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य संवर्धन के लिए हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) भारत तथा बंगलादेश के बीच एक व्यापार करार पर 4 अक्तूबर, 1980 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) यह करार, जिसका पाठ संलग्न है, [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी 21/73/81] सामान्यतः 'परम मित्र राष्ट्र' स्वरूप का है जिसके अनुसार दोनों देशों की आयात, निर्यात तथा विदेशी मुद्रा विधियों, विनियमों तथा क्रियाविधियों के अनुसरण में मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में व्यापार किया जाता है।

बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा ऋण दिया जाना

4458. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी नीतियों के बावजूद भी बिहार के पटना जिले में नौबतपुर, दीघा, बीहटा, विक्रम, फूलवाड़ी, मसौदी, पुनपुन और धनरुआ आदि में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा गरीब किसानों, बेरोजगार स्नातकों, छोटे कारीगरों आदि को ऋण नहीं दिए गए हैं :

(ख) क्या उन्हें इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं :

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है : और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को, गरीब किसानों, शिक्षित बेरोजगारों, छोटे शिल्पकारों, इत्यादि की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुदेश जारी किए जाते हैं। कृषि क्षेत्र में तथा लघु उद्योग क्षेत्र में कमजोर वर्गों को समुचित मात्रा में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। किसी कठिनाई या बैंकों द्वारा लापरवाही बरतने का जब भी कोई विशिष्ट मामला, सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी में लाया जाता है, तो उसकी जांच की जाती है।

(ख) से (घ) : माननीय सदस्य द्वारा विहित रूप से अग्रेषित नौबतपुर पंचायत समिति के प्रमुख की एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें विशिष्ट रूप से यह आरोप लगाया गया था कि बिहटा स्थित भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा तथा बैंक आफ इण्डिया की नौबतपुर शाखा छोटे किसानों, ग्रामीण शिल्पकारों तथा अनुसूचित जातियों के सदस्यों को ऋण प्रदान नहीं कर रहीं थीं। उक्त दोनों बैंकों द्वारा मामले की जांच की गयी थी। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उनकी बिहटा स्थित शाखा के विरुद्ध लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं तथा बैंक द्वारा यह बात शिकायतकर्त्ता को भी स्पष्ट कर दी गयी थी। बैंक आफ इण्डिया ने सूचना दी है कि नौबतपुर शाखा में वसूली 7 प्रतिशत से भी कम है जिससे शाखा का अधिकांश समय व्यतिक्रमी खातों के बारे में तकाजे करने में निकल जाता है। फिर भी, बैंक ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय को इस शाखा के कार्यकरण को सुधारने के वास्ते अनुदेश दिए हैं जिससे कि बेहतर कार्यनिष्पादन हो सके।

जबलपुर तथा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के बीच विमान सेवा

4459. **श्री सुन्दर शर्मा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जबलपुर को बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा अन्य नागरों को विमान सेवा द्वारा जोड़ने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) दिल्ली से भोपाल, जबलपुर रायपुर की विमान सेवाओं को कब तक दैनिक सेवा बना दिया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) इण्डियन एयरलाइंस की भोपाल/जबलपुर/रायपुर मार्ग पर अपनी सप्ताह में तीन सेवाओं की संख्या में वृद्धि करने की फिलहाल कोई योजनाएं नहीं हैं।

और अधिक पांच स्टार होटलों का निर्माण करने का प्रस्ताव

4461. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में और अधिक पांच-स्टार होटलों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने होटलों का तथा कहां-कहां निर्माण किया जाएगा और इसके लिये कितनी राशि निश्चित की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) सरकारी सैक्टर के एक उपक्रम भारत-पर्यटन विकास निगम की छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में नई दिल्ली में 1200 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 300 कमरों वाले पांच स्टार श्रेणी के एक होटल के निर्माण का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा एअर-इण्डिया का एक सहायक संगठन भारतीय होटल निगम पांच स्टार श्रेणी के दो होटलों का निर्माण कर रहा है जिनमें एक श्रीनगर में 1448.95 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 275 कमरों वाला होटल है और एक बम्बई में 1603.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 355 कमरों वाला होटल है।

विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए अमेरिका के साथ समझौता

4462. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए दिसम्बर, 1980 में नई दिल्ली में अमेरिका और भारत के बीच कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो प्रति समझौते के अनुसार ऋण एवं अनुदानों की कितनी धनराशि दी जाएगी ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) से (ग) संयुक्त राज्य अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के साथ 9.06 करोड़ डालर के ऋणों और 94 लाख डालर के अनुदान के लिए 15 दिसम्बर, 1980 को चार करारों पर हस्ताक्षरों किए गए थे। ये ऋण उर्वरकों के आयात (3.5 करोड़ डालर), कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के लघु सिंचाई के ऋण कार्यक्रम के समर्थन के माध्यम से कृषि ऋण (3.56 करोड़ डालर) और राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (2.0 करोड़ डालर) के लिए थे। इन ऋणों की वापसी अदायगी 10 वर्षों की रियायती अवधि सहित 40 वर्षों में की जाएगी और इन पर पहले 10 वर्षों में 2 प्रतिशत वार्षिक और उसके बाद 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा। 94 लाख डालर का अनुदान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र के पांच राज्यों के चुने हुए जिलों में भारत सरकार की बुनियादी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं की आदर्श आयोजना के वास्ते और सहायता देने के लिए है।

शिक्षित बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देने की योजना

4463. **श्री निहाल सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हस्त शिल्प बोर्ड ने वर्ष 1969 में शिक्षित बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देने की योजना आरम्भ की थी;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक कितने युवकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ समय बाद राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह योजना राज्यों को सौंप दी थी और योजना के अन्तर्गत काम करने वाले सभी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के नोटिस जारी कर दिए थे और इस प्रकार वे बेरोजगार हो गए हैं; और यदि हां, तो इस प्रकार बेरोजगार हुए कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(घ) बोर्ड द्वारा छटनी किए गए इन सभी कर्मचारियों को सेवा में बहाल करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री(श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गलीचों का निर्यात

4464. **श्री निहाल सिंह** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हस्त शिल्प बोर्ड ने 1969 में गलीचों के निर्यात की योजना आरम्भ की थी;

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य के गलीचों का निर्यात किया गया और इस योजना के व्यपगत होने से पहले कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् का विचार गलीचों के निर्यात की योजना पुनः आरम्भ करने की है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या राष्ट्रीय विकास परिषद का विचार उन कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करने का है जो अखिल भारतीय हस्त शिल्प बोर्ड द्वारा आरम्भ की गई गलीचा योजना के व्ययगत होने पर बेरोजगार हो गए थे; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

ग्रामीण निवेश विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों से ऋण

4465. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दस्तकारों, कमजोर वर्गों तथा किसानों को निवेश विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों से पर्याप्त ऋण नहीं मिल रहा;

(ख) यदि हाँ, तो समाज के इन वर्गों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को उदार बनाने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के ग्रामीण निवेश विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980 के दौरान दस्तकारों, कमजोर वर्गों और किसानों को कितना ऋण दिया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)। शायद, माननीय सदस्य, सरकार के समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजना के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों का उल्लेख कर रहे हैं। सरकार और रिजर्व बैंक, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे विभिन्न ग्रामीण कार्यक्रमों सहित कृषि क्षेत्रों को बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के बारे में, उनके कार्य निष्पादन पर निगरानी रखता है। अलग-अलग व्यक्तियों को बैंक ऋणों की अनुपलब्धता सम्बन्धी शिकायतों की समुचित स्तर पर जांच की जाती है।

(ख) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजना ग्रामवासियों के निर्धन वर्गों के लिए, उनके जीवन स्तर को गरीबी की रेखा से ऊंचा उठाने में सहायता के वास्ते बनाई गई है। इस योजना में ऋण कर्त्ताओं के विभिन्न वर्गों की योजना लागत का एक तिहाई से एक चौथाई तक राज्य सहायता (सब्सीडी) के रूप में देने की व्यवस्था है।

सरकार द्वारा, कमजोर वर्गों के लिए बैंक ऋणों की मात्रा बढ़ाने के वास्ते निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए हैं :—

(1) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले अग्रिमों के भाग को बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है जो कि 1985 तक पूरा किया जाना है।

(2) 20 सूत्री कार्यक्रमों के एक अंग के रूप में, कृषि को दिए जाने वाले 50 प्रतिशत अग्रिमों को छोटे तथा सीमांतिक किसानों एवं कृषक मजदूरों को देने का लक्ष्य 1983 तक पूरा किया जाना है। लघु उद्योगों को दिए जाने वाले 12.5 प्रतिशत अग्रिम उन कमजोर वर्गों के लिए होने आवश्यक हैं जिनकी ऋण सीमा 25,000 रुपए से अधिक नहीं है; यह लक्ष्य 1985 तक प्राप्त किया जाना है।

(3) विभेदी ब्याज दर योजन अधिक सशक्त रूप से शुरू की जा रही है।

(4) बैंक, अपनी जिला योजनाओं के रूप में, 20 सूत्री कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष योजनाएं तैयार करेंगे।

(3) बैंकों से कहा गया है कि वे कृषि को ऋण देने के मामले में क्षेत्रीय भाषाओं में सरलीकृत आवेदन पत्र और सरलीकृत ऋण-प्रदान-प्रक्रिया को अपनाएं जिसमें उदार बनाए गए जमानत और मार्जिन सम्बन्धी मानदंड भी शामिल हैं।

(ग) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में संवितरित ऋणों की मात्रा नीचे दी गई है :—

(लाखों रुपयों में)

	1979-80	1980-81 (अगस्त 1980 तक)
(1) अल्पावधि	18.35	17.76
(2) मध्यमावधि	233.70	79.11
(3) दीर्घावधि	186.66	44.86
जोड़ :	438.31	141.71

विमान मार्गों को सीधा बनाकर ईंधन की बचत

4467. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विमान मार्गों को सीधा बनाकर ईंधन बचाये जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अन्नत प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित मार्गों को नवम्बर, 1980 के मध्य से सीधी विमान सेवाओं से जोड़ दिया गया है :—

—दिल्ली/नागपुर
—रांची/कलकत्ता
—गोहाटी/तेजपुर
—बम्बई/जामनगर
—बम्बई/बंगलौर
—लखनऊ/पटना
—गोहाटी/मोहनबाड़ी
—बम्बई/राजकोट

उपर्युक्त मार्गों को सीधी विमान सेवा से जोड़ने से लगभग 3,800 किलोग्राम ईंधन की

प्रतिदिन बचत होने का अनुमान है अर्थात् ईंधन की वर्तमान लागत के आधार पर लगभग 5.5 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय बचत होवेगी।

उड़ान सुरक्षा के उच्चतम स्तरों के किसी भी प्रकार प्रभावित किए बिना, नागर विमानन के महानिदेशक के परामर्श से ईंधन के व्यय में किफायत करने के उपाय निकालने के लिए निरंतर रूप से निगरानी तथा नियमित अध्ययन के कार्य भी किए जाते हैं।

भारत द्वारा विकासशील राष्ट्रों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम

4468. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने नई दिल्ली में आयोजित गुट-निरेपक्ष राष्ट्रों के विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन के दौरान विकासशील राष्ट्रों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम स्थापित करने और व्यापार की शुरूआत करने का कोई सुझाव दिया था;

(ख) क्या उक्त सम्मेलन के दौरान इस संबंध में कोई निर्णय किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) भविष्य में इस बारे में क्या कदम उठाये जाएंगे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों के नई दिल्ली में हुए सम्मेलन के दौरान भारत, अल्जीरिया व यूगोस्लाविया ने यह प्रस्ताव रखा था कि मन्त्री अपने इस विश्वास को व्यक्त करें कि विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग में गति लाने और विकासशील देशों के परस्पर लाभ व सामूहिक आर्थिक प्रगति के लिए उनकी विद्यमान पूरकताओं, स्रोतों व क्षमताओं का पूरा पूरा उपयोग करने के लिए उपयुक्त क्रियाविधि बनाने के विचार से सामान्य इच्छा का प्रयोग करने की अत्यावश्यकता है। इसके अलावा यह भी प्रस्ताव रखा गया कि विकाशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग के बारे में मई, 1981 में कैराकस में जो उच्चस्तरीय बैठक होनी है, उसमें ठोस पद्धतियों, परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में निश्चयात्मक व कार्योन्मुख विनिश्चय किए जाने चाहिए। संयुक्त उद्यमों की प्रस्थापना में वह सिफारिश भी शामिल थी कि विकासशील देशों के व्यापार मन्त्रियों की एक बैठक करके व्यापार अधिगामों की विश्वव्यापी प्रणाली के लिए वार्ताएं आरंभ की जाएं और उत्पादन तथा संसाधन क्षमताओं के सृजन से सम्बन्धित संयुक्त परियोजनाएं स्थापित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई शुरू की जाये। मन्त्रियों द्वारा स्वीकार की गयी अन्तिम घोषणा में आर्थिक विकास को बढ़ने में विकासशील देशों के बीच सहयोग के अन्तर्निहित महत्व पर जोर दिया गया और यह सिफारिश की गई कि उच्चस्तरीय कैराकस सम्मेलन में विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग के सभी पहलुओं के संबन्ध में निश्चयात्मक कार्योन्मुख तथा ठोस पद्धतियों, परियोजनाएं, व्यवस्थताएं तथा कार्यक्रम स्वीकार किये जाएं।

(ग) तथा (घ) गुट निरेपक्ष देशों के मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन में ऐसी कोई ठोस सिफारिशें नहीं की गई हैं जिन पर फिलहाल अलग अलग सरकारों द्वारा कार्रवाही की जानी हो। उस में केवल यह सिफारिश की गई है कि विकासशील देशों के बीच कैराकस में होने वाले आर्थिक सहयोग सम्बन्धी प्रस्तावित उच्चस्तरीय सम्मेलन में जो कुछ विनिश्चय किए जाए। भारत सरकार का कैराकस सम्मेलन तथा उसकी प्रारंभिक बैठकों में भाग लेने का विचार है।

मछली पकड़ने की मशीनयुक्त नौकाओं में उपयुक्त परिष्कृत डीजल आयल पर उत्पादन शुल्क में छूट

4469. **श्री वी० एन० गाडगिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार है कि मछली पकड़ने की मशीनयुक्त नौकाओं में चाहे उनकी लम्बाई कुछ भी हो और उनके इंजन की हार्स पावर कितनी ही हो उपयोग होने वाले परिष्कृत डीजल आयल पर उत्पादनशुल्क की छूट दी जाये;

(ख) क्या इस प्रकार की छूट मछली पकड़ने वाली उन सभी नौकाओं को दी जाएगी जो मछली के निर्यात के बारे में साक्ष्य दें, और

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि इस प्रकार की छूट दी जानी चाहिए जिससे राज्य सरकारों को मछुओं को राज सहायता न देनी पड़े ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) कृषि मन्त्रालय को महाराष्ट्र सरकार से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें राज्य सरकार ने छोटी यन्त्रीकृत नौकाओं के लिए हाई स्पीड डीजल तेल पर उत्पादन शुल्क से छूट देने का अनुरोध किया है। इसलिए उक्त मन्त्रालय द्वारा, रियायत का लाभ उठाने हेतु निर्धारित कार्यविधि के सम्बन्ध में तथा इस रियायत को सभी यन्त्रीकृत नौकाओं के मामलों में, चाहे उनका आकार कैसा भी हो, लागू किए जाने के सम्बन्ध में मौजूद रियायत में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है।

खाद्य तेल के लिये महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध

4470. **श्री वी० एन० गाडगिल** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मौसम के दौरान खाद्य तेल के कुल कितने उत्पादन की संभावना है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिमास 5000 टन खाद्य तेल की मांग की थी और उसको जनवरी, 1981 के दौरान 1000 मीटरी टन की ही सप्लाई की गई; और

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र की मांग को पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में मंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) (क) : तेल वर्ष 1980-81 के दौरान खाद्य तेलों का कुल उत्पादन इस समय 26 लाख मीटरी टन के लगभग आंका गया है।

(ख) और (ग) : महाराष्ट्र सरकार ने चालू तेल वर्ष (नवम्बर, 1980-अक्तूबर, 1981) के लिए सार्वजनिक वितरण हेतु खाद्य तेलों की अपनी मांग का अनुमान 5000 से 8000 मीटरी टन प्रतिमाह के बीच लगाया है। राज्य सरकार को नवम्बर और दिसम्बर 1980 के महीनों में पांच-पांच हजार मीटरी टन के तदर्थ आवंटन के अलावा जनवरी, 1981 में 3000 मीटरी टन खाद्य तेलों का आवंटन किया गया। खाद्य तेलों के आयात का नियमन करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सप्लाई करने के लिए विभिन्न राज्यों की मांग को पूरा करने की जरूरत को देखते हुए वास्तविक आवंटन सम्बन्धित राज्यों की मांग का यथार्तपरक अनुमान लगाकर किया जा रहा है। राज्य सरकारों को आयातित खाद्य तेलों के समय-समय पर किये जाने वाले आवंटन आम तौर पर सम्बन्धित राज्य की आबादी, उसकी मांग, खपत के स्वरूप राज्य में देशीय खाद्य तेलों की उपलभ्यता और अन्य संगत बातों पर आधारित होते हैं।

बोकारो इस्पात कारखाने में उत्पादित विभिन्न उत्पादों की निर्धारित क्षमता

4471. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : बोकारो इस्पात कारखाने में उत्पादित विभिन्न उत्पादों की वर्तमान निर्धारित क्षमता कितनी है और वर्ष 1979-80 और 1980-81 में (28 फरवरी, 1981 तक) वास्तव में उनका उत्पादन कितना हुआ; और

(ख) बोकारो इस्पात कारखाने के प्रसार के दूसरे चरण में उत्पादन कब आरम्भ होगा और उत्पादों की प्रत्येक श्रेणी की क्षमता में कितनी वृद्धि किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) बोकारो इस्पात कारखाना दो चरणों में लगाया जाना है । पहले चरण में इस्पात पिण्ड की वार्षिक क्षमता 17 लाख टन होगी जिसे दूसरे चरण में बढ़ाकर 40 लाख टन वार्षिक किया जाएगा । पहला चरण फरवरी, 1978 में पूरा हो गया था और दूसरे चरण का कार्य इस समय चल रहा है । इस बीच 25 लाख टन क्षमता का विस्तार कार्य पूरा होने पर इसे 1978-79 की अन्तिम तिमाही में चालू कर दिया गया था । अगले पृष्ठपर दी गई तालिका में इस्पात पिण्ड की 78 लाख टन वार्षिक स्थापित क्षमता की अवस्था, इस समय उपलब्ध स्थापित क्षमता और वर्ष 1979-80 और 1980-81 के पहले 11 महीनों में वास्तविक उत्पादन दिखाया गया है :—

(हजार टनों में)

उत्पाद	स्थापित क्षमता		वास्तविक उत्पादन	
	17 लाख टन	इस समय उपलब्ध क्षमता	1979-80	1980-81 (11 महीने)
तप्त धातु	2735	2735	1694	1525
बिक्री के लिए कच्चा लोहा	880	358	280	683
पिण्ड	1700	2500	1426	811
विक्रेय इस्पात				
गर्म बेलित क्वायल/चादरें । प्लेटें	880	1496	678	496
ठंडे बेलित क्वायल/चादरें/	475	475	156	123
अन्य	—	—	15	107
कुल	1355	1971	849	726

(ख) 40 लाख टन वार्षिक चरण को चालू करने की सम्भावित तारीखें नीचे दी गई हैं :—

40 लाख टन चरण में इस्पात पिण्ड का उत्पादन	सितम्बर, 1982
ठंडी बेलन मिल को छोड़कर 40 लाख टन चरण का विस्तार	दिसम्बर, 1982
ठंडी बेलन मिल का विस्तार	सितम्बर, 1983

40 लाख टन वार्षिक चरण को पूरा कर लेने के पश्चात् क्षमता इस प्रकार होगी :—

(हजार टन)

उत्पाद	40 लाख टन चरण में स्थापित क्षमता
तप्त धातु	4585
बिक्री के लिए कच्चा लोहा	714

(जारी.....)

उत्पाद	40 लाख टन चरण में स्थापित क्षमता
पिण्ड	4000
विक्रेय इस्पात	
गर्म बेलित क्वायल/चादरें/प्लेटें	1496
ठंडे बेलित क्वायल/चादरें	1390
काली प्लेटें	170
जस्ती चादरें	100
कुल	3156

दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार

4472. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और दक्षिण कोरिया ने द्विपक्षीय व्यापार को अगले चार वर्षों में बढ़ा कर दस खरब डालर मूल्य का करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह व्यापार सरकारी माध्यमों के जरिए किया जाएगा अथवा गैर-सरकारी एजेंसियों को भी उससे सम्बद्ध किया जाएगा;

(ग) आयात और निर्यात के लिए चुनी गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या पश्चिम में संरक्षणतावाद का मुकाबला करने के लिए कोई सार्थ समूह (कंसोटियम) बनाने का भी विचार है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और वह किस तरह कार्य करेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) 23 फरवरी, 1981 को सियोल में हुई भारत-दक्षिण कोरियाई संयुक्त व्यवसाय परिषदों की तीसरी संयुक्त बैठक में दोनों परिषदों ने यह सहमति व्यक्त की कि उन्हें 3 से 4 वर्ष की अवधि के अन्दर एक बिलियन डालर तक दो तरफा व्यापार बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

(ख) बैठक में जो विचार विमर्श हुए उनमें यह मामला नहीं था।

(ग) भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण कोरिया से संश्लिष्ट रेशों, उर्वरकों, जहाजों, खाद्य तेलों, कार्बनिक रसायनों तथा लोहा व इस्पात वस्तुओं जैसी प्रमुख निर्यात मदों में अपनी दिलचस्पी दिखाई। कोरियाई प्रतिनिधिमण्डल ने भारत से प्राकृतिक संसाधनों, संघटकों, पुर्जों तथा सहायक सामान, कटाई-घिसाई मशीनों, कृषि सम्बन्धी उत्पादों तथा पशु चारे आदि के आयातों को बढ़ाने में अपनी दिलचस्पी दिखाई।

(घ) सियोल जाते समय रास्ते में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने हांगकांग तथा ताइवान का भी दौरा किया। चूंकि भारत, हांगकांग, ताइवान तथा दक्षिण कोरिया उद्योगीकृत आयातक देशों को वस्त्र मदों के प्रमुख सप्लायर हैं, अतः चारों देशों के बीच एक सामान्य दृष्टिकोण अपनाये जाने पर सर्वसम्मति से निर्णय हुआ ताकि बहु रेशा करार (एम० एफ० ए) संबंधी वार्ताओं के दौरान संयुक्त मोरचे के रूप में कार्य कर सकें। अपनाये जाने वाले इस दृष्टिकोणों के ब्यौरों पर अभी तक विचार विमर्श नहीं किया गया है।

महेन्द्रगढ हरियाणा में लौह अयस्क के निक्षेप

4473. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले में लौह अयस्क के भारी निक्षेप मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो लौह अयस्क का कितना भंडार होने का अनुमान है और वह किस किस्म का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार वहाँ पर एक बड़ा लौह संयंत्र स्थापित करने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) ड्रिलिंग द्वारा की गई प्रारंभिक खोज से हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले के घनचोली क्षेत्र के अन्तर्गत नांगलिया-घोनखेड़ा तथा घनोटा नामक दो जोनों में 7.43 मिलियन टन लौह अयस्क (मैगनेटाइट) भंडार होने के संकेत मिले हैं। ग्रेड 46% से 69% लौह, 0·01 से 0·87% सल्फर और 0·05 से 0·09% फास्फोरस के बीच का है।

(ग) हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम महेन्द्रगढ़ के लौह अयस्क भंडारों पर आधारित प्रस्तावित पिग आइरन प्लांट हेतु खनन साध्यता रिपोर्ट तैयार करने की कार्रवाई कर रहा है।

इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादन में कटौती

4474. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला और बिजली की कमी के कारण देश में अनेक संयंत्रों को हाल में अपने उत्पादन में कटौती करनी पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) अप्रैल,1979 से कोयले और बिजली की लगातार कमी के कारण सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के इस्पात के उत्पादन में काफी कमी हुई है परन्तु पिछले कुछ महिनों में सरकार द्वारा किए गए निम्नलिखित विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप अक्तूबर, 1980 से उत्पादन में वृद्धि होनी शुरू हो गई है :—

(1) कोल इण्डिया लि० और रक्षित कोयला खानों से कोककर कोयले का अधिकाधिक उत्पादन करना ;

(2) राख की कममात्रा वाले बढ़िया क्वालिटी के कोककर कोयले के आयात से कोयले की देशीय सप्लाई की कमी को पूरा करना ;

(3) रक्षित बिजली की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर इस्पात कारखानों को बिजली की सप्लाई में वृद्धि करना,

(4) दामोदर घाटी निगम, मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड और उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड जैसे सरकारी संस्थानों से बिजली लेकर इस्पात कारखानों को बिजली की सप्लाई में वृद्धि करना,

(5) कोयला, बिजली जैसे मुख्य आदानों की सप्लाई करने वाले अभिकरणों और रेलवे के साथ विभिन्न स्तरों पर निकट सम्पर्क बनाए रखना तथा इनकी सप्लाई पर सतत् नजर रखना और औद्योगिक अवस्थापना सम्बन्धी मंत्रिमण्डल की समिति द्वारा स्थिति की प्रायः समीक्षा करना।

हरियाणा की कच्चे लोहे और इस्पात की मांग

4475. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा की कच्चे लोहे और इस्पात की वार्षिक मांग कितनी है; और

(ख) इस मांग को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) लोहे और इस्पात के वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। अब इनका वितरण संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा लोहे और इस्पात के वितरण के लिए घोषित किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में राज्यवार आवंटन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए राज्यवार मांग का अनुमान लगाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्र में और अधिक इस्पात संयंत्रों तथा निजी क्षेत्रों में छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना

4476. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लोहे और इस्पात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में और अधिक इस्पात संयंत्रों तथा निजी क्षेत्र में छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना में विशाखापत्तनम् इस्पात परियोजना को कार्यान्वित करने तथा एक दूसरा नया इस्पात कारखाना लगाने के लिए व्यवस्था की गई है। यह दोनों कारखाने सरकारी क्षेत्र में होंगे। इस योजना में बोकारो और भिलाई की विस्तार योजनाओं को तेजी से कार्यान्वित करने तथा आधुनिकीकरण और पुनःस्थापन कार्यक्रमों द्वारा वर्तमान इस्पात कारखानों की उत्पादन क्षमता और उत्पादिता में वृद्धि करने के लिए भी व्यवस्था की गई है।

जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र में लघु इस्पात कारखानों की स्थापना का सम्बन्ध है पंचवर्षीय योजना में वित्तीय व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विद्युत चाप भट्टीयों (लघु इस्पात कारखानों) में बिजली की खपत अधिक होती है और उनकी पुनः स्थापना अब तक सरकार द्वारा इनकी हालत सुधारने के लिए किए गए विभिन्न उपायों पर निर्भर रही है, अतः औद्योगिक नीति के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में इस क्षेत्र में इस्पात गलन की कोई अतिरिक्त क्षमता लगाने हेतु फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

एक रुपये के नोटों की कमी

4477. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि "एक रुपये' के नोटों तथा सिक्कों विशेषकर '20 पैसे' वाले सिक्कों की काफी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं और इस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) जब से एक रुपये के सिक्कों का प्रचलन किया गया है एक रुपये के नोटों के उत्पादन में उत्तरोत्तर कमी कर दी गई है और निम्न मूल्यवर्ग के नोटों की माँग को पूरा करने के लिए 2 रुपये के नोटों के उत्पादन में काफी अधिक वृद्धि कर दी गई है। इसलिए जनता से यह आशा की जाती है कि वह एक रुपये के सिक्कों और 2 रुपए के नोटों को अधिक प्रयोग में लाएगी। हाल में एक रुपए के सिक्कों की कमी के सम्बन्ध में कुछ इक्की-दुक्की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इसलिए इनके निर्माण में और वृद्धि की जा रही है।

20-पैसे के सिक्कों का निर्माण दिसम्बर 1971 में बन्द कर दिया गया था, और इसलिए ये सिक्के प्रचलन में बहुत ही कम दिखाई देते हैं। किन्तु जनता की माँग को पूरा करने के लिए 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का पर्याप्त भण्डार है।

छात्रों तथा अध्यापकों में पर्यटन की भावना

4478. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छात्रों तथा अध्यापकों को देश के विभिन्न भागों की यात्रा कराने के प्रयोजन से उन्हें पर्यटन के लिये प्रोत्साहित करने का कोई कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके परिवहन तथा निवास के लिये उन्हें किस प्रकार की सुविधायें तथा अन्य रियायतें उपलब्ध कराई जायेंगी ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये कोई ऐसी समेकित पुस्तिका प्रकाशित की जायेगी जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्र सरकार के विभागों, निगमों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं तथा रियायतों का ब्यौरा दिया गया हो ; और

(घ) यदि हां तो ऐसा सम्भवतः किस तारीख तक कर दिया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने विभिन्न योजना अवधियों के दौरान यूथ होस्टलों की एक श्रृंखला निर्मित की है ताकि युवा-यात्रा को संवर्धित और उत्साहित किया जा सके। ये यूथ होस्टल कम कीमत पर आवास अर्पित करने के अतिरिक्त युवा कार्यकलापों जैसे, ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, जल क्रीड़ाओं, आदि के केन्द्र के रूप में भी काम करते हैं। राज्य सरकारों ने भी पर्यटक बंगलों और यात्री गृहों का निर्माण किया है जो सस्ता आवास प्रदान करते हैं। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विभिन्न पर्यटन विकास निगम कम दरों पर एक-मुश्त/संचालित दौरों का संचालन करते हैं। भारतीय रेलवे विभिन्न स्कूलों, कॉलिजों और अन्य संगठनों द्वारा संचालित शैक्षणिक दौरों के लिए रियायतें प्रदान करती हैं। भारत में यात्रा करने के लिए वास्तविक विद्यार्थियों और अध्यापकों को इण्डियन एयरलाइन्स भी रियायतें देती हैं।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

शारजाह तथा बम्बई/त्रिवेन्द्रम् के बीच एयर इण्डिया की विमानन सेवा

4479. **श्री के० ए० राजन्**
श्री सी० चिन्नास्वामी } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारजाह को बम्बई एवम् त्रिवेन्द्रम् के साथ जोड़ने वाली एयर इण्डिया की दो

उड़ानों का उद्घाटन 17 फरवरी से होना निश्चित हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्घाटन उड़ान स्थगित कर दी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण थे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) उड़ान को तकनीकी कारणों की वजह से रद्द/स्थगित करना पड़ा था ।

लौह अयस्क का समग्र निर्यात

4480. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा वर्ष 1979-80 में कुल कितने लौह अयस्क का निर्यात किया गया ;

(ख) वर्ष 1980-81 में कुल कितने लौह अयस्क का निर्यात किये जाने की संभावना है ;

(ग) क्या वर्ष 1981-82 में लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) 1979-80 के दौरान भारत से लौह अयस्क के कुल निर्यात 24.88 मिलियन मे. टन के ।

(ख) 1980-81 के दौरान लौह अयस्क के समग्र निर्यात लगभग 28 मिलियन में, टन होने की सम्भावना है ।

(ग) जी हां ।

(घ) 1981-82 के दौरान भारत से लौह अयस्क के निर्यात 30 मिलियन मे. टन होने की मम्भावना है ।

खनिजों का निर्यात

4481. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज-निर्यात से भारत के विदेश व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है;

(ख) यदि हां, तो 1979 तक इसमें वृद्धि की प्रतिशतता क्या है ;

(ग) 1980 में इसकी स्थिति क्या थी ; और

(घ) 1981 में खनिज निर्यात में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) भारत द्वारा 1950-51 में किए गए कुल निर्यातों में खनिज पदार्थों तथा अयस्कों का निर्यात केवल 40%था । 1978-79 में कुल निर्यातों के 6% खनिज के निर्यात थे । नीचे दी गई सारणी में ब्यौरा दिया गया है :—

वर्ष	खनिज के निर्यात	कुल निर्यात
1950-51	23.3 करोड़	600.6 करोड़
1978-79	333.4 करोड़	5726.2 करोड़

28 वर्षों की अवधि के दौरान, खनिज के निर्यातों में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर रही जबकि समग्र निर्यातों में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर रही।

(ग) 1979-80 में 379.50 करोड़ रु० मूल्य के खनिज के निर्यात हुए और 1978-79 के आंकड़ों की तुलना में 15% की प्रतिशतता वृद्धि दर रही।

(घ) खनिज पदार्थों तथा अयस्कों का निर्यात स्वदेशी मांग तथा आरक्षित भंडार स्थिति को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। खनिज के निर्यातों को बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों में ये उपाय शामिल हैं : विदेशों में नए बाजारों का पता लगाना, अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं का सृजन तथा निर्यात योग्य अधिशेषों के सृजन तथा निर्यात योग्य अधिशेषों के सृजन के लिए उत्पादन की विद्यमान क्षमताओं का इष्टतम उपयोग करना।

वस्त्र समिति में उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का मसला

4482. **श्री आर० के० महालगी** : क्या वाणिज्य मंत्री वस्त्र समिति में उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों की नियुक्ति के बारे में 12 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3542 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र समिति में उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का मसला हल कर लिया गया है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस बारे में निर्णय कब लिया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) वस्त्र समिति अधिनियम तथा नियमों के वर्तमान उपबंधों के अन्तर्गत वस्त्र समिति में उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया गया है। सरकार को यह परामर्श दिया गया है कि उपभोक्ताओं के ऐसे प्रतिनिधि को नियुक्त नहीं किया जा सकता है जिसके पास अधिनियम तथा नियमों में निर्धारित अपेक्षित योग्यताएं न हों।

थाणा स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, महाराष्ट्र से अभ्यावेदन

4483. **श्री आर० के० महालगी** : क्या वित्त मंत्री थाणा स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, महाराष्ट्र से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 12 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3657 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गारंटी शुल्क लागू करने के प्रश्न पर कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं और निर्णय कब तक कर लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) यह फैसला तो ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को करना है कि लघु उद्योगों के सम्बन्ध में ऋण गारंटी योजना के वास्ते शुल्क सम्बन्धी भार वे स्वयं वहन करेंगी अथवा यह भार अंशतः या पूर्णतः ऋणकर्ताओं पर डाला जाना है। देय शुल्क का निर्धारित करते समय, सरकार अथवा ऋण गारंटी निगम जिसके साथ लघु उद्योगों की ऋण गारंटी स्कीम के विलय का निश्चय किया गया है, शुल्क की अदायगी के स्रोत को तय नहीं कर सकता।

स्टेशन मैनेजरों द्वारा एयर इंडिया के मानार्थ टिकट जारी किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाना

4484. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेशन मैनेजर व्यापार/बिक्री में वृद्धि के नाम पर पर्यटन एजेंसियों तथा अन्य एयरलाइन्स के कर्मचारियों को मानार्थ टिकट जारी करने के लिए प्राधिकृत हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें मालूम है कि इस बदले में ये मैनेजर अथवा उनके सहयोगी अन्य विदेशी एयरलाइन्स से अपने अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए इसी प्रकार की रियायतें प्राप्त करते हैं; और

(ग) ऐसे मानार्थ टिकटों के उच्च स्तर पर ही जारी किए जाने, तथा ऐसे कर्मचारियों को एयर इंडिया मुख्यालयों से अनुमति लिए बिना मानार्थ, टिकटें लेने से रोकने तथा ऐसे कदाचारों को समाप्त करने के लिए उनका क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) : जी, नहीं ।

(ख) एयर इंडिया के कर्मचारी एयर इंडिया द्वारा जारी किए गए लिखित अनुरोधों के आधार पर आई० ए० टी० ए० नियमों के अनुसार अन्य एयरलाइनों पर निःशुल्क यात्रा टिकटें प्राप्त करते हैं ।

(ग) इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि इस प्रणाली में कोई भ्रष्टाचार सम्मिलित नहीं है और अन्य विमान कम्पनियों पर निःशुल्क यात्रा के लिए अनुरोध सभी स्तरों के कर्मचारियों के मामले में किए जाते हैं, प्रश्न नहीं उठता ।

बड़े औद्योगिक गृहों के निदेशकों/कार्यकारी अधिकारियों के लिए दी गई विदेशी मुद्रा

4485. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **वित्त मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 (28 फरवरी, 1981 तक) के दौरान देश के पहले पांच बड़े औद्योगिक गृहों के निदेशकों/वरिष्ठ और कनिष्ठ, दोनों प्रकार के कार्यकारी अधिकारियों तथा तकनीकी कार्मियों को अपनी-अपनी विदेशी यात्राओं के लिए विदेशी मुद्रा की कितनी-कितनी धनराशि रिलीज की गई; और

(ख) विदेशी मुद्रा के कुप्रयोग की रोकथाम करने के लिए कौन से स्वतंत्र तंत्र की व्यवस्था की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना, इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग के मामलों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कार्रवाई की जाती है जिसकी स्थापना विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) 1973 की धारा के अन्तर्गत की गई है ।

उड़ीसा के सिमुलीपाल नेशनल पार्क में फोरेस्ट लाज

4486. **श्री चिन्ता मणि जैना** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम, उड़ीसा के सिमुलीपाल नेशनल पार्क में एक फोरेस्ट लाज (डाक बंगला) का निर्माण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; यदि हां, तो वहां

पर्यटन और भारी क्षमता को देखते हुए सरकार ने उक्त प्रस्ताव को शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : जी, नहीं; सिमिलीपाल नेशनल पार्क में एक फारेस्ट लॉज का निर्माण करने के बारे में भारत पर्यटन विकास निगम के पास कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं पड़ा है।

तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग का भारत पर्यटन विकास निगम की एजेंसी के माध्यम से सिमिलीपाल नेशनल पार्क में एक फारेस्ट लॉज के निर्माण का प्रस्ताव है। फारेस्ट लॉज के लिए स्थान का चुनाव कर लिया गया है। आगे का कार्य करने से पूर्व स्थल तक पहुंच-मार्ग में सुधार करने और बिजली की व्यवस्था करने और बिजली की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

एयर इंडिया के निदेशक की सेवा अवधि को बढ़ाया जाना

4487. **श्री सनत कुमार मण्डल:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** सरकार के नियमों में सेवा अवधि बढ़ाये जाने के बारे से 12 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3688 के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का जिनका उल्लेख उत्तर में किया गया है, उल्लंघन करते हुए सेवा-निवृत्ति की आयु के बाद एयर इंडिया में निदेशक के ओहदे के कुछ अधिकारियों की सेवा अवधि को बढ़ाए जाने को हाल ही में स्वीकृति प्रदान की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यूरो ने किन बातों को ध्यान में रखकर ऐसा किया;

(ग) क्या निदेशक, ग्राउंड सपोर्ट, एयर इंडिया जिनकी सेवा अवधि बढ़ाई गई है, के पास एयर इंडिया के वर्तमान विमानों की किसी श्रेणी का एयरक्राफ्ट मेन्टेनेन्स इंजिनीयर लाइसेंस नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सिफारिश करने वाले मंत्रालय द्वारा यह महत्वपूर्ण तथ्य ब्यूरो के ध्यान में लाया गया था और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय ने एयर इंडिया के भू सेवाओं के निदेशक की सेवावधि सेवानिवृति की तारीख, अर्थात् 1-2-81, से छः मास के लिए बढ़ा दी है। यह इस बात को ध्यान में रखकर किया गया कि उस विभाग में पदोन्नति के लिए विचारणीय अगला व्यक्ति, फिलहाल पर्याप्त अनुभव नहीं रखता। इस मामले में बी०पी०ई० की क्लीयरेंस अनिवार्य नहीं थी।

(ग) एयर इंडिया भू सेवाओं के निदेशक, श्री निमकर, जिनकी सेवावधि बढ़ाई गई है,

(1) पी० एंड डब्ल्यू० आर—1830 सीरीज; और

(2) ब्रिस्टल हरक्यूलिस 630 सीरीज के लिए श्रेणी 'ग' (मैंटिनैंस) ए०एम०ई० के लाइसेंस धारक हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान

4488. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा अपने कर्मचारियों को पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार और श्रेणी वार कितने राशि के समयोपरि भत्ते का भुगतान किया गया; और

(ख) क्या सरकार का इस निगम में समयोपरि भत्ते को कम से कम करने का विचार है; और यदि नहीं तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) भारतीय साधारण बीमा निगम के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ही समयोपरि भत्ता दिया जाता है। पिछले पांच वर्षों में समयोपरि भत्ते के रूप में अदा की गई रकम का ब्यौरा इस प्रकार है : —

वर्ष	समयोपरि भत्ता (लाख रुपए)
1976	16.50
1977	18.72
1978	26.05
1979	38.56
1980 (जून, 1980 तक)	19.86

(ख) साधारण बीमा निगम को, समयोपरि भत्ते की राशि को यथासंभव कम करने के अनुदेश दिए गए हैं।

एककों की सक्षमता के बारे में बैंकों का निर्णय

4489. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1979 के अन्त में संकटग्रस्त माने गये 16.947 एककों में से बैंकों ने केवल 4142 एककों को सक्षम माना है तथा 7871 को सक्षम माना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकों को शेष एककों की सक्षमता के बारे में निर्णय करना बाकी है ;

(ग) इन एककों में बैंकों की कुल कितनी पूंजी लगी है ;

(घ) क्या उन संकटग्रस्त एककों की संख्या जो बैंकों से एक करोड़ रुपयों और इससे अधिक राशि की कुल सहायता प्राप्त कर रहे हैं, जून 1979 के अन्त में बढ़ी है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में पुनः यह कहा है कि स्वस्थ एककों के साथ विलय सहित बड़े संकटग्रस्त एककों के लिये पुनर्वास कार्यक्रम अंग के रूप में ऋण प्रस्तावों का अनुमोदन करते समय यह देखा गया है कि कुछ मामलों में बैंकों ने ऐसे वायदे किये जिनमें उन्होंने स्वयं अनुचित घाटा उठाया ; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास ताजा उपलब्ध सूचना के मुताबिक 31-12-79 की स्थिति के अनुसार, छोटे एककों सहित 22366 औद्योगिक एकक रुग्ण एककों के रूप में निर्धारित तथा सूचित किये गए थे। 13-12-79

की स्थिति के अनुसार, अर्थक्षम तथा अक्षम रुग्ण एककों की स्थिति और साथ ही बैंक ऋणों की बकाया राशि नीचे दी गई है :—

	एककों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रुपयों में)
सम्भावित अर्थक्षम एकक	5628	1173.63
अक्षम एकक	10972	245.91
वे एकक जिनकी क्षमता का अभी निर्णय किया जाना है	5766	203.11
	22366	1622.55

(घ) उन रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या, जो एक करोड़ रुपए तथा इससे अधिक के बैंकों ऋणों का उपभोग कर रहे थे और रुग्ण एकक के रूप में निर्धारित तथा सूचित किये गए थे, 30-6-1979 की स्थिति के अनुसार 345 से बढ़कर 31-12-1979 की स्थिति के अनुसार 378 हो गयी।

(ङ) तथा (च) भारतीय रिजर्व बैंक की, वर्ष 1979-80 की, मुद्रा तथा वित्त विषयक नवीनतम रिपोर्ट में ऐसा माना गया था कि स्वस्थ एककों के साथ समामेलन/विलय सहित बड़े रुग्ण एककों के पुनर्वास कार्यक्रम के अंग के रूप में ऋण प्रस्तावों का अनुमोदन करते समय, कुछ मामलों में, बैंक अपनी ओर से ऐसे वचन दे देते हैं जिनमें अनावश्यक बलिदानों की भावना अन्तर्ग्रस्त होती है। रुग्ण एककों के मामलों में, बैंक, पुनर्वास के ऐसे उपयुक्त एकमुश्त कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं जिनमें कुछ बलिदान निहित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को परामर्श दिया है कि ऐसे मामलों में जहां इस तरह के बलिदान सामाजिक दायित्वों के कारण आवश्यक हो, इनके भार को वहन करने में हिस्सेदारी होनी चाहिए ; शर्तों और निबंधनों की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाना चाहिए और जिन मामलों में पुनर्वास योजना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम दर पर ब्याज लिया जाना हो, उनमें भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी चाहिये।

डी० ए० पी० और यूरिया की खरीद के लिये संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन से ऋण

4490. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन ने डी० ए० पी० तथा यूरिया की खरीद हेतु 660 लाख अमरीकी डालरों का ऋण दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस ऋण की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण ने डी० ए० पी०, यूरिया और अमोनियम सल्फेट जैसे उर्वरकों के आयात के खर्च को पूरा करने के लिए अब तक कुल 10.1 करोड़ डालर के ऋण दिए हैं। यह सहायता तीन करारों अर्थात् 28 सितम्बर, 1979 के 2.2 करोड़ डालर के पहले, 27 मई, 1980 के 4.4 करोड़ डालर के दूसरे

और 15 दिसम्बर, 1980 के 3.5 करोड़ डालर के तीसरे करार के माध्यम से गई है।

(ख) इन ऋणों की वापसी अदायगी अमेरिकी डालरों में 10 वर्षों की रियायती अवधि सहित 40 वर्षों में की जाएंगी और इन पर पहले 10 वर्षों में 2 प्रतिशत वार्षिक की दर से और उसके बाद 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा।

पंजाब और सिंध बैंक से धोखाधड़ी से ली गई धनराशि

4491. **श्री आर० एन० राकेश**
श्रीमती गीता मुखर्जी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और सिंध बैंक कनाट प्लेस की 'एच" ब्लाक शाखा से 2.80 लाख रुपये की धनराशि अत्यन्त रहस्यपूर्ण ढंग से धोखाधड़ी द्वारा ली गई है क्योंकि उससे सम्बन्धित रिकार्ड भी गायब है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने सूचित किया है कि इसकी नयी दिल्ली में कनाट सर्कस में, एच ब्लाक में स्थित शाखा में, 2.80 लाख रुपये की राशि की धोखाधड़ी हुई है। यह धोखाधड़ी, शाखा में कुछ समय पहले खोले गए एक चालू खाते में 3 लाख रुपये की राशि के तार द्वारा जाली अंतरण तथा तत्पश्चात् उस खाते से 2.80 लाख रुपये की राशि को निकाल कर की गयी थी। बैंक ने और आगे सूचित किया है कि इस खाते से सम्बन्धित बहुत से महत्वपूर्ण कागजात भी गायब पाए गए हैं। बैंक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है तथा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

मैसर्स अन्साली एण्ड कम्पनी कलकत्ता को चुंगी वापसी का दुगुना भुगतान

4492. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स अन्साली एण्ड कम्पनी को चुंगी-वापसी चाय निर्यात शुल्क छूट का पांच लाख रुपए मूल्य का दुगुना भुगतान किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मामला केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड को भेजा गया था, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सम्बन्धित बांड को नष्ट कर दिया गया है और वह अब मिल नहीं रहा है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस भुगतान से सम्बन्धित मूल फाइल भी गायब हो गई है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि छः महीने की निर्धारित अवधि के भीतर-भीतर "डिमाण्ड" जारी न करके इस मामले को जानबूझ कर गतावधि कर दिया गया था ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड के कार्यालय में एक गुमनाम शिकायत प्राप्त हुई थी और इस मामले की सीमाशुल्क समाहर्ता, कलकत्ता के जरिये जांच-पड़ताल करवा

कर कार्यवाही की गई थी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) और (च) ऊपर (क) और (ख) में दिये गये उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते हैं ।

चाय उद्योग से प्राप्त राजस्व

4493. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1977 से 1980 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के चाय उद्योगों से से विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्यक्षकरों अर्थात् उत्पादन शुल्क तथा उपकर दोनों रूपों में तथा इसके साथ-साथ अप्रत्यक्ष राजस्व के रूप में और बागान के प्रबंधकों द्वारा किए गए आधान निवेश से कम्पनी-वार कितना राजस्व वसूल किया ;

(ख) 1977 से 1980 तक मुख्य कार्यालय से बागान स्तर तक बागान के कर्मचारियों, प्रबंध सम्बन्धी लोगों, चिकित्सा सम्बन्धी और लिपिकीय कर्मचारियों के साथ-साथ चाय बागानों के मालिकों से कम्पनी-वार कितना आय-कर प्राप्त किया गया ;

(ग) 1977 से 1980 तक इसमें से कितने प्रतिशत धनराशि उन पिछड़े क्षेत्रों के लिए, जहां सामान्यत: ये चाय बागान लगे हुए हैं, खर्च की गई, विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत विकास कार्यों के सम्बन्ध में हुए खर्च के वर्ष बार आंकड़े क्या हैं ;

(घ) क्या जनसंख्या बढ़ने और नेपाल तथा बांगला देश के पड़ौसी देशों से लोगों के आने के कारण पैदा हुई बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए चाय बायानों के चारों ओर उत्तर बंगाल में सहायता उद्योग शुरू करने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) उत्तरी बंगाल में चाय बागानों से वसूल किये गये आयकर और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सम्बन्धी जितनी सूचना सरकार के पास उपलब्ध है, एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) चाय बागानों के इर्द-गिर्द पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्यों पर किये गये खर्च का सीधा सम्बन्ध उस क्षेत्र से वसूल किये गये राजस्व से नहीं है । केन्द्र द्वारा वसूल किये जाने वाले राजस्व में वित्त आयोग द्वारा समय-समय पर की जाने वाली सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों का हिस्सा होता है । उत्तरी क्षेत्र में राज्य सरकारें अपने योजना कार्यक्रमों के भाग के रूप में विकास कार्यों के लिए साधन जुटाती हैं । अपने विकास कार्यक्रम तैयार करते समय वे निस्संदेह राज्य-राजस्व और आयकर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क जैसे करों में राज्यों का हिस्सा भी हिसाब में लेंगे । अलग से कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जिनके सम्बन्ध में या तो राज्यों द्वारा रुपया लगाया जाता है या केन्द्रीय अनुदान पर आधारित होती हैं । उत्तरी क्षेत्र में ऐसे विकास कार्यों का पूरा ब्यौरा योजना दस्तावेजों में मिलेगा ।

(घ) सामान्यत: सरकार, स्वयं सहायक उद्योगों की स्थापना नहीं करती । तथापि, लघु एवं सहायक एककों के विकास के लिए निजी क्षेत्र को, पर्याप्त सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जाते

हैं। नये एककों को लाइसेंस देते समय पिछड़े क्षेत्रों और विशिष्ट समस्याओं वाले राज्यों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार 15 प्रतिशत की राजसहायता देती है। राज्य सरकारें, बिक्री कर से छूट, आधारभूत सामग्री के रूप में सहायता आदि जैसी सुविधाएं भी प्रदान करती हैं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा सोवियत रूस को डिब्बाबंद खाद्यान्नों का निर्यात किया जाना

4494. **श्री के० मालन्ना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम को सोवियत रूस को डिब्बा बंद खाद्यान्नों का निर्यात करने का काम सौंपा गया है; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से, किस किस किस्म के और कितने कितने सामान का किस कीमतों पर निर्यात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) संशोधित खाद्य मदें निर्यात के लिये सरणीबद्ध मदें नहीं हैं। इन मदों सम्बन्धी विदेशी आर्डरों के लिये राज्य व्यापार निगम गैर-सरकारी निर्यातकों के साथ प्रतियोगिता में भाग लेता है। तथापि, 1981-82 के दौरान सोवियत संघ को सप्लाई करने के लिए 476.22 लाख रु० मूल्य के 7,900 मे. टन की कुल मात्रा वाले फलों के रूस, डिब्बाबंद फल मिश्रित फल के जैम के निर्यातों के लियें राज्य व्यापार निगम ने सोवियत संघ के व्यापारिक संगठन के साथ संविदाएं की हैं।

चावल का निर्यात

4495. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से चालू वर्ष के दौरान विभिन्न देशों को चावल का निर्यात करने का निर्णय भी किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में; और

(ग) चावल का निर्यात किन किन देशों को किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान : (क) तथा (ख) जी हां, चावल का निर्यात पूर्वानुमानित तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, अधिशेषों में से समग्र अधिकतम सीमा के अन्तर्गत किया जाता है। बासमती चावल की खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमति है।

(ग) निर्यात किसी भी देश को किए जा सकते हैं जिसके साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं।

पोलियेस्टर रेसिन पर उत्पाद शुल्क

4496. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह पोलिएस्टर रेसिन पर उत्पाद शुल्क कम करें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां। बजट से पूर्व एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पोलिएस्टर राल पर उत्पादन शुल्क में कटौती करने का अनुरोध किया गया था।

(ख) 23 फरवरी, 1981 को घोषित बजट-प्रस्तावों में, पोलिएस्टर राल पर उत्पादन शुल्क में कटौती करने संबंधी कोई प्रस्ताव शामिल नहीं है।

कोचीन में बिन्नी लिमिटेड गोदामों में रुई की गांठों का जलना

4497. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई निगम द्वारा सोवियत रूस को निर्यात के लिए कोचीन में बिन्नी लिमिटेड के गोदामों में रखी मूल्यवान रुई की गांठे 5 फरवरी, 1981 को अथवा इसके आस-पास जलकर नष्ट हो गई ;

(ख) यदि हां, तो क्या आग लगने के कारणों और/अथवा इस घटना की जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए कोई जांच की गई है ;

(ग) आग लगने और उससे हुई क्षति के कारण बिन्नी लिमिटेड की सभी गोदामों में रखी कितनी और कितने मूल्य की रुई की कुल कितनी हानि हुई, तथा इसमें भारतीय रुई निगम का कितना हिस्सा था ;

(घ) क्या भारतीय रुई निगम को बिन्नी लिमिटेड द्वारा इस रुई का आग तथा क्षति का बीमा कराया गया था ; यदि हाँ, तो कराये गए बीमे का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सोवियत संघ के साथ किए गए वायदे को पूरा करने के लिए भारतीय रुई निगम द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) कुछ रुई की गांठें जो सोवियत संघ को निर्यात की जानी थी और बिन्नी के गोदामों में रखी थीं, 5.2.81 को आग लग जाने के कारण नष्ट हो गई।

(ख) भारतीय रुई निगम ने स्थानीय पुलिस विभाग के पास शिकायत दर्ज कराई है।

(ग) जिस गोदाम में आग लगी उसमें भारतीय रुई निगम की केवल 5400 गांठें थी। उसमें से 1978-79 फसल की कर्नाटक वारालक्ष्मी ग्रेड-II की केवल 1200 गांठें नष्ट हुई। कुल हानि 9 लाख रु० की होने का अनुमान है।

(घ) जी हां। मैसर्स बिन्नी लि० के गोदाम में रखी रुई की गांठों का बीमा मैसर्ज युनाइटेड इन्डिया इंशोरेंश कम्पनी लि० द्वारा किया हुआ था।

(ङ) निगम से, 1200 गांठें जो आग में नष्ट हो गईं थी उनके बदले सोवियत संघ को ताजी सप्लाई द्वारा पूर्ति करने का आफर दिया था लेकिन सोवियत संघ उसमें अपनी रुचि नहीं दिखा रहा है।

बड़े व्यापार गृहों द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को ब्याज का भुगतान न किया जाना

4498. **श्री राम विलास पासवान**
श्री बी० डी० सिंह } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से मामलों में बड़े व्यापार गृहों ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से उनके

द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज का भुगतान रोका है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के संसाधनों पर दबाव पड़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बड़े व्यापार-गृहों द्वारा ब्याज की बकाया देय राशियों का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री(श्री मगनभाई बरोट): (क) 30 जून 1980 की स्थिति के अनुसार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार(एम०आर०टी०पी०) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत 14 बड़े घरानों की 18 कम्पनियों ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी०आई०) को देय 449.17 लाख रुपये की ब्याज की रकम की अदायगी में व्यतिक्रम किया है। ब्याज की अदायगी में व्यतिक्रम से संबंधित यह राशि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत बडे घरानों को संवितरित रकम के 2.1 प्रतिशत तथा उक्त तारीख को संवितरित कुल राशि के 0.43 प्रतिशत के बराबर बैठती है। इससे यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि इस व्यतिक्रम से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के संसाधनों पर कोई प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है।

(ख) व्यतिक्रम के कारणों में ये शामिल हैं –उद्योग में रुग्णता बिजली की कटौतियों के कारण कठिनाइयां, कच्चे माल की कमी/अनुपलब्धता, अत्यधिक लागत, असंतोषजनक औद्योगिक सम्बन्ध आदि ।

जिन औद्योगिक प्रतिष्ठानों मे किसी समय विशेष में व्यतिक्रम किया है अथवा जो व्यतिक्रम कर रहे हैं उनके नामों को प्रचारित करना सरकार लोकहित में ठीक नहीं समझती ।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करके, व्यतिक्रमी प्रतिष्ठनों आदि के प्रवर्तकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों आदि से समय समय पर बातचीत करने के अवसरों को बढ़ाकर, ब्याज तथा अन्य देय रकमों की समय पर अदायगी की सुनिश्चित व्यवस्था के लिए सभी सम्भव प्रयास करता है। पात्रतावाले तथा अर्थक्षम मामलों में सहायता प्राप्त कम्पनियों के अनुरोधों पर व्यापक रूप से विचार करने के पश्चात् ब्याज की अदायगी के कार्यक्रम को फिर से निर्धारित कर दिया जाता है। जहां तक ऋण एककों का संबंध है व्यापक रूप से जांच करने के बाद उपयुक्त मामलों में पुनर्वास कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। जिन मामलों में रकमों की वसूली के लिए अन्य उपाय असफल हो जाते हैं उनमें प्रबन्धक वर्ग में परिवर्तन, अग्रिमों की वापसी की मांग/कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया जाता है।

हथकरघा उद्योग की छोटी इकाइयों को विपणन सुविधायें

4499. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में हथकरघा उद्योग की छोटी इकाइयों को सरकार द्वारा किस प्रकार की विपणन सुविधायें दी गई हैं :—

(ख) भारत में हथकरघा उद्योग को विपणन सुविधायें देने के कार्य में लगी सरकारी एजेंसियों और गैर-सरकारी निकायों के क्या नाम हैं ; और

(ग) हथकरघा उद्योग की छोटी इकाइयों की सहायता करने में इन एजेंसियों और निकायों द्वारा क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) भारत सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग के लिए सहायता सहकारिता क्षेत्र में बुनकरों और राज्य हथकरघा विकास निगम के अन्तर्गत बुनकरों की सहायता करने के लिए दी जाती है । हथकरघा क्षेत्र में विपणन प्रयास को समर्थन देने की दृष्टि से भारत सरकार, बुनकर सहकारी समितियों के शीर्ष विपणन परिसघों तथा राज्य हथकरघा विकास निगमों को शेयर पूंजी अंशदान के रूप में राज्य सरकारों को सहायता देती है । यह सहायता, जिसके साथ राज्य सरकारों द्वारा भी उतनी ही सहायता दी जाती है, शीर्ष परिसंघ/हथकरघा निगम के शेयर पूंजी आधार में वृद्धि करने की दृष्टि से दी जाती है ताकि वे अपने विपणन कार्यों को बढ़ावा दे सकें । भारत सरकार की सहायता बुनकरों की प्रारंभिक स्तर की सहकारी समितियों को भी उपलब्ध कराई जाती है जो उत्पादन-सह-बिक्री समितियों के रूप में कार्य करती हैं ।

भारत सरकार, हथकरघा क्षेत्र में एक योजना के द्वारा विपणन प्रयासों में सहायता भी प्रदान करती है जिसके अन्तर्गत हथकरघा कपड़े की बिक्री पर वर्ष में निर्धारित अवधि के लिए 20 प्रतिशत की छूट (जो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच बराबर रूप में बांटी जाती है) भी दी जाती है । इसके अलावा, भारत सरकार, हथकरघा वस्त्रों को शहरी उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की दृष्टि से देश के कुछ बड़े शहरों में हथकरघा एल्पकें भी आयोजित करती है । हथकरघा एल्पकों में हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर 20 प्रतिशत की विशेष छूट भी दी जाती है । भारत सरकार हथकरघा के विपणन के लिए उचित नीतियां विकसित करने की दृष्टि से बाजार सर्वेक्षण के लिए निधि भी जुटाती है । हथकरघा वस्त्रों के विपणन में कार्यरत कर्मचारियों को भारत सरकार के तत्वावधान में विपणन मैनेजमैंट में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(ख) हथकरघा उद्योग को विपणन की सहायता देने वाले सरकारी अभिकरणों और सहकारी संगठनों की सूची संलग्न है । जैसा कि ऊपर (क) में कहा गया है कि हथकरघा बुनकरों की प्रारम्भिक स्तर की सहकारी समितियां उत्पादन-सह-बिक्री समितियों के रूप में कार्य करती हैं । सरकार की ऐसे निजी निकायों की संख्या ज्ञात नहीं हैं जो हथकरघा उद्योग को विपणन सुविधायें प्रदान कर रहे हैं ।

(ग) हथकरघा विकास के कार्य में संलग्न सहकारी शीर्ष विपणन परिसंघ तथा राज्य सरकारों के निगम सहकारी क्षेत्र के बुनकरों से या सरकार द्वारा प्रायोजित हथकरघा विकास परियोजनाओं में कार्यरत बुनकरों से हथकरघा वस्तुएं प्राप्त करते हैं । इस प्रकार खरीदी गई वस्तुओं को शीर्ष परिसंघों या राज्य हथकरघा विकास निगम की फुटकर बिक्री की दुकानों के माध्यम से बेचा जाता है । प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां भी अपनी फुटकर बिक्री की दुकानों के माध्यम से या निजी व्यापार के माध्यम से फुटकर और थोक बिक्री करती हैं ।

विवरण

हथकरघा उत्पादों का विपणन करने वाली अभिकरणों/संगठनों की सूची

1. असम गवर्नमेंट मार्किटिंग कार्पोरेशन लि०
2. आसाम एपेक्स वीवर्स एंड आर्टिसंस कोआपरेटिव कार्पोरेशन
3. नार्थ ईस्ट्रन हैंडी क्राफ्ट्स एंड हैंडलूमज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०
4. बिहार स्टेट हैंडलूम, पावरलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन
5. दि चण्डीगढ़ स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०
6. दिल्ली स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन
7. गुजरात स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०
8. हरियणा स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स कार्पोरेशन लि०
9. हरियाणा हैंडलूम वीव एपेक्स कोआपरेटिव सोसाइटीज लि०
10. हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०
11. जम्मू एंड काश्मीर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०
12. कर्नाटक हैंडलूम डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०
13. कर्नाटक स्टेट काटन हैंडलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०
14. कर्नाटक स्टेट सिल्क हैंडलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०
15. कर्नाटक स्टेट वूलन हैंडलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०
16. दि केरला हैंडलूम डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०
17. केरला स्टेट हैंडलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०
18. एम० पी० स्टेट हैंडलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी
19. एम० पी० स्टेट टैक्सटाइल कार्पोरेशन
20. विदर्भ वीवर्स सेंट्रल कोआपरेटिव सोसाइटी लि०
21. वैस्ट्रन महाराष्ट्र कोआपरेटिव एसोसियेशन
22. महाराष्ट्र स्टेट हैंडलूम कार्पोरेशन लि०
23. महाराष्ट्र स्टेट हैंडलूम कोआपरेटिव फेडरेशन लि०
24. मणीपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन
25. उड़ीसा स्टेट हैंडलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०
26. उड़ीसा स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०
27. पांडिचेरी स्टेट वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी
28. पंजाब स्टेट हैंडलूम एंड टैक्सटाइल डेवलपमेंट कार्पोरेशन
29. राजस्थान हैंडलूम प्रोजैक्ट बोर्ड
30. राजस्थान राज्य बंकर सहकारी संघ लि०
31. राजस्थान स्माल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन
32. तमिलनाडु हैंडलूम वीवर्स कोआपरेटिव
33. यू० पी० स्टेट हैंडलूम कार्पोरेशन
34. त्रिपुरा हैंडलूम एंड हैडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०
35. यू० पी० इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसिएशन
36. उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लि.

(जारी).....

37. वैस्ट बंगाल स्टेट हैंडलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०
38. वैस्ट बंगाल हैंडलूम एंड पावरलूम डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०
39. आन्ध्र प्रदेश स्टेट हैंडलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०
40. आन्ध्र प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०
41. आल इंडिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्किटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लि०

दिल्ली में हथकरघा उद्योग की छोटी इकाइयों को लाइसेंस देना

4500. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली में हथकरघा उद्योग की छोटी इकाईयों के लिए जो उद्योग निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा पंजीकृत होना चाहते हैं; दिल्ली नगर निगम द्वारा दिए गए लाइसेंस प्रस्तुत करना आवश्यक है;

(ख) क्या ऐसी छोटी हथकरघा उद्योग इकाईयों के लिए भी, जो विद्युत/शक्ति तथा जल की सुविधायें नहीं लेते, दिल्ली नगर निगम से ऐसा लाइसेंस लेना आवश्यक है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा किए जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) दिल्ली नगरपालिका अधिनियम के अनुसार हथकरघा एकक चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है यदि छपाई एवं रंगाई का कार्य भी किया जाता हो। अतः जहां पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत नगर निगम लाइसेंस अपेक्षित है वहां पर उस लाइसेंस के बिना लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाता है।

पोलियेस्टर धागे पर आयात शुल्क

4501. **श्री निहाल सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पोलियेस्टर धागे पर आयात शुल्क बढ़ाने के लिए विचार कर रह है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यह बढ़ोत्तरी किस दर से की जानी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

एफ० आई० सी० सी० आई० और सोवियत रूस के बीच विवाचन समझौता

4502. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एफ० आई० सी० सी० आई० और सोवियत रूस के बीच हुए विवाचन समझौते की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो एफ० आई० सी० सी० आई० भारतीय विवाचन परिषद् सोवियत रूस वाणिज्य उद्योग मंडल के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) एफ० आई० सी० सी० आई० के नियमों अथवा सोवियत रूस के वाणिज्य नियमों का पालन करने में कहां तक लाभ मिलता है और दोनों पार्टियों द्वारा स्वीकृत नियमों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) भारतीय विवाचन परिषद्, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ और सोवियत रूस वाणिज्य उद्योग मंडल सोवियत रूस तथा भारत के बीच व्यापार में लगी

क्रमश: भारतीय वास्तविक तथा न्यायिक पार्टियों और सोवियत विदेश व्यापार संगठन को यह सिफारिश करने के लिए सहमत हुए हैं कि वे अपनी संविदाओं में निम्नलिखित विवाचन खण्ड शामिल करें :—

वर्तमान संविदा से या उसके सम्बन्ध में उठने वाले किसी भी विवाद या दावे को सामान्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन करते हुए विवाचन द्वारा निर्णय के लिए भेजना है।

यदि ऐसे विवाद अथवा दावे में प्रतिवादी सोवियत विदेश व्यापार संगठन है तो वह विवाचन सोवियत रूस वाणिज्य तथा उद्योग मंडल मास्को के अधीन विदेश व्यापार विवाचन आयोग में उक्त आयोग के प्रक्रिया नियमों के अनुसार चलाया जायेगा।

यदि ऐसे विवाद अथवा दावे में प्रतिवादी भारतीय वास्तविक अथवा न्यायिक पार्टी है तो विवाचन भारतीय विवाचन परिषद्/भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ, नई दिल्ली द्वारा भारतीय विवाचन परिषद्/भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ के विवाचन अभिकरण के प्रक्रिया नियमों के अनुसार चलाया जाएगा।

सम्बन्धित विवाचन का पंचाट दोनों पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा।

संविदाओं में विवाचन खण्ड को सम्मिलित किए जाने से ऐसी आशा है कि दोनों सम्बन्धित पार्टियों के बीच व्यापार विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने में पार्टियों को सहायता मिलेगी।

हाथ से बुनी कालीनों का उत्पादन एवं निर्यात

4504. **श्री आरिफ मोहम्मद खां : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाथ से बुनी कालीनों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो 1980-85 की अवधि के लिए वर्षवार अनुमानित उत्पादन एवं निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) 1980-85 अवधि के लिए निर्धारित आंकलित उत्पादन तथा निर्यात निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(मूल्य करोड़ रु० में)

	उत्पादन	निर्यात
1980-81 :	135	125
1981-82 :	165	150
1982-83 :	215	200
1983-84 :	275	255
1984-85 :	350	325

इंडियन एयरलाइन्स में घोटाला

4505. **श्री आरिफ मोहम्मद खां : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 फरवरी, 1981 के दैनिक "हिन्दुस्तान" में "इंडियन एयर लाइन्स से

लाखों रुपये की धोखाधड़ी" शीर्षक समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और भविष्य में हम इस तरह की धोखाधड़ी रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी हां। 24 जनवरी, 1981 को दिल्ली/हैदराबाद/दिल्ली सैक्टर के लिये जारी किये गये इंडियन एयरलाइंस के अवकाशगत कर्मचारी (SOL) टिकट के दुरुपयोग की एक घटना इंडियन एयरलाइंस के नोटिस में आयी। मामला पुलिस/सी० बी० आई० को रिपोर्ट कर दिया गया है, जिन्होंने इसे भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420, 468 और 471 के अन्तर्गत दर्ज कर लिया है। मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी० बी० आई०) द्वारा जांच की जा रही है।

भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये इंडियन एयरलाइंस ने अवकाशगत कर्मचारी (SOL) टिकटों के जारी करने की प्रणाली और प्रक्रिया का पुनरीक्षण करने के लिये आवश्यक कदम उठा लिये हैं।

छोटे व्यापारियों को अभ्रक के निर्यात आदर्शों का आवंटन

4506 **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक व्यापार निगम का गठन लघु अभ्रक व्यापारियों तथा श्रमिकों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से किया गया है;

(ख) क्या समाजवादी देशों से प्राप्त निर्यात संबंधी क्रयादेश शत प्रतिशत रूप से बड़े पूंजीपतियों को ही दिये जाते हैं;

(ग) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या निर्यात संबंधी क्रयादेशों का आवंटन "जिओ और जीने दो" के आधार पर करने की कोई सीमा नियत की जायेगी; और

(घ) यदि नहीं तो वर्ष 1978-79 के दौरान लघु निर्यातकों को दिये गये क्रयादेशों की प्रतिशतता कितनी थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :—(क) जी हां।

(ख) से (घ) : जी नहीं। साम्यवादी देशों सहित सभी से प्राप्त क्रयादेश समय समय पर उपलब्ध शेयरिंग फार्मूले की शर्तों के अनुसार शेयर किए जाते हैं। मिटको द्वारा खरीदे गए अभ्रक की 70% से अधिक की खरीद कमजोर वर्गों से की गई है, जिसे निम्नोक्त तालिका से देखा जा सकता है :—

मात्रा मे० टन में
मूल्य लाख रु० में

	1977-78		1978-79		1979-80	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कमजोर वर्ग	1534.95	259.71	2092.92	273.09	1296.34	339.77
अन्य	659.79	113.03	385.02	130.19	186.36	80.04

इस्पात उद्योग में प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाना

4507. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व के विभिन्न भागों में इस्पात निर्माण में तेजी से हो रहे प्रौद्यो-

गिक विकास को ध्यान में रखते हुए इस्पात उद्योग में प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष तथा छठी योजना अवधि के दौरान इस्पात प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने के लिए शुरू की जाने वाली योजनाएं क्या हैं;

(ग) चालू दशक के दौरान लगभग एक करोड़ टन तक इस्पात निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने आधुनिकीकरण, नई सुविधाएं बढ़ाने और हरित क्षेत्र स्थल संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस्पात उद्योग की प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने के लिए निरन्तर दीर्घकालिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी को अद्यतन करके तथा उत्पादिता में वृद्धि करने के लिए वर्तमान पंच-वर्षीय योजना में एक प्रावस्था-भाजित कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यान्वयन अथवा आगे और अनुसंधान करने के लिए सुनी गई कुछ मुख्य योजनाओं में घमन भट्टी में चूने की धूलि का प्रयोग, जले मुंह की वर्तमान भट्टी को ट्विन फर्नेस में बदलना कोक ओवन बैटरियों में इस्तेमाल किए जाने वाले कोयले का आंशिक रूप से विकेन्द्रीकरण करना और राउरकेला में हॉट-स्ट्रिप मिल को आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुसार सक्षम बनाना शामिल हैं।

(ग) और (घ) चालू दशक में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात की क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित मुख्य कार्यक्रम बनाए गए हैं :—

(1) छठी योजना (1980-85) में पूरे किए जाने वाले कार्य

—बोकारो का 40 लाख टन तक विस्तार

—भिलाई का 40 लाख टन तक विस्तार

—विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना का प्रथम चरण

—दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला के रक्षित विद्युत संयंत्र; और

—टिस्को का आधुनिकीकरण

(2) सातवीं योजना (1985-90) में पूरे किए जाने वाले कार्य

—भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात कारखानों का आधुनिकीकरण।

—बोकारो का 47.5 लाख टन तक विस्तार तथा छठी घमन भट्टी लगाना।

—भिलाई सिन्टर प्लांट में चतुर्थ कन्वर्टर कम्प्लैक्स और बर्नपुर में इस्को की घमन भट्टियों में प्रौद्योगिक सुधार

—विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना का दूसरा चरण; और

—दूसरे नए इस्पात कारखाने का प्रथम चरण।

बिन्नी मिल्स की आस्तियां

4508. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिन्नी मिल्स की आस्तियों तथा देयतायें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : 30 जून, 1980 को बिन्नी लिमिटेड के दायित्व तथा परिसंपत्तियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

(लाख रु०)

दायित्व		परिसम्पत्ति	
1. शेयर पूंजी (100-100 रु०) 680000 इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त तथा 100-100 रु० के पूर्ण प्रदत्त 26240 9.75 प्रतिशत सह प्रीफेरेन्स शेयर)	706.24	1. स्थायी परिसम्पत्ति (निवल अवरुद्ध)	836.16
2. आरक्षित भंडार तथा अधिशेष	307.72	2. चल रहा पूंजीगत कार्य	115.27
3. रक्षित ऋण	3233.42	3. निवेश	72.83
4. प्रतिभूति रहित ऋण	1089.50	4. वर्तमान परिसम्पत्तियां तथा ऋण और अग्रिम राशियां	4085.92
5. वर्तमान दायित्व	1927.54	5. हानि तथा लाभ लेखा	2246.09
6. व्यवस्था	91.80		
योग	7356.27	योग	7356.27

दलालों, कमीशन एजेन्टों, सटोरियों और व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा कर अपवंचन

4509. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :**
श्री सनत कुमार मण्डल : } : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि दलालों, कमीशन एजेन्टों, सटोरियों वकीलों, डाक्टरों, वास्तुविदों और चार्टर्ड अकाउन्टेन्टों सहित समाज के एक बड़े भाग को या तो आयकर कानूनों से मुक्त ही रख छोड़ा है अथवा इन को उन पर ढिलाई से लागू किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप वे वास्तविक आय छिपा लेते हैं और कर की चोरी करते हैं;

(ख) यदि हां, तो कर सम्बन्धी कानूनों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है जिससे कि उपरोक्त आय-ग्रुप के व्यक्तियों को बचने का कोई अवसर न मिल सके; और

(ग) क्या उनका कुछ इस प्रकार के उपयुक्त कानून बनाने का विचार है कि इन व्यावसायिक व्यक्तियों को केवल चैकों द्वारा ही भुगतान किया जाए अथवा वे प्राप्त की गई धनराशि की रसीद दें और यदि नहीं तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) : यह कहना ठीक नहीं होगा कि दलालों, कमीशन एजेन्टों, सटोरियों, वकीलों, डाक्टरों, वास्तुविदों और चार्टर्ड लेखाकारों सहित समाज के एक बड़े भाग को या तो आयकर कानून की परिधि से जानबूझकर मुक्त

रखा गया है अथवा कानून को लागू करने में ढील दी जाती है जिसके परिणामस्वरूप आय छिपा ली जाती है और कर की चोरी होती है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित सदस्य देशों की परियोजनाओं में भारतीय भागीदारी

4510. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित सदस्य देशों की परियोजनाओं में भारतीय भागीदारी में वृद्धि करने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी, हां। एशियाई विकास बैंक द्वारा सदस्य देशों में वित्तपोषित परियोजनाओं में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में एक परियोजना कक्ष तथा इंजीनियरी नियत संवर्धन परिषद में एक विशेष डेस्क की स्थापना की गई है परियोजना कक्ष भारतीय निर्यातकर्ता समुदाय की परियोजना सूचना देने तथा आवश्यक सहायता प्रदान करने में मदद देता है। परिषद ने इस प्रयोजन के लिए मनीला में भी एक कार्यालय खोला है। मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक में हमारे कार्यकारी निदेशक एशियाई विकास बैंक के साथ खास-खास मामलों में, जिनमें भारतीय निर्यातकों ने विडें दी हों, अनुवर्ती कार्रवाई में भारतीय निर्यातकों को सक्रिय सहायता प्रदान करते हैं।

एशियाई विकास बैंक निविदाओं में भारतीय भागीदारी का हिस्सा

4511. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई विकास बैंक निविदाओं में भारतीय भागीदारी का वर्तमान स्तर जारी की गई निविदाओं का केवल 24 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एक समय बद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय भागीदारी का हिस्सा कम से कम 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हां, । हाल में की गई जांच से पता चलता है कि सिविल निर्माण कार्यों से भिन्न टैंडरों के संबंध में भारत की भागीदारी 24 प्रतिशत है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(घ) सम्बद्ध फर्में अवसर विशेष के आकर्षण और अन्यथा अपने कारबार के निर्णय के आधार पर टैंडरों में भाग लेती है। यद्यपि सरकार फर्मों में इस संबंध में रुचि पैदा कर सकती है और यहां तक कि कई व्यापारिक कारणों के आधार पर स्वैच्छिक प्रतिक्रिया के लिए भागीदारी को सुविधाजनक बना सकती है लेकिन भागीदारी के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है।

चीनी, सब्जियों, मांस और मछली के निर्यात पर प्रतिबंध

4512. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979-80 से 1980-81 की अवधि में देश से चीनी, सब्जियों, मांस और मछली का कितना निर्यात हुआ है;

(ख) क्या उपर्युक्त वस्तुओं के निर्यात से देश में खाद्य वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उपर्युक्त वस्तुओं का निर्यात रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) निर्यात आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

करोड़ रु०

मद	1979-80	1980-81 (केवल अप्रैल, 1980 से जनवरी, 1981 तक) अनन्तिम आंकड़े
(1) चीनी	128.94	11.09
(2) सब्जियां (ताजेफल, प्याज तथा आलू सहित)	21.25	31.07
(3) मांस (जमाया हुआ डिब्बाबन्द तथा ताजा) पोल्टरी उत्पाद तथा जानवरों के खोल) ।	28.68	34.50
(4) मछली (समुद्री उत्पाद)	248.82	198.02

(ख) जी नहीं । अन्तः मंत्रालयीय सलाह मशविरे के परिणामस्वरूप यह मूल्यांकन करने के बाद कि निर्यात से आन्तरिक कीमतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, उपरोक्त वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी जाती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया में ग्रेड-दो के अधिकारी, हैड कैशियर तथा हैड क्लर्क

4513. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या **वित्त मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इंडिया में सर्किल-वार तथा इसके नई दिल्ली स्थित स्थानीय प्रधान कार्यालय में ग्रेड दो के अधिकारियों हैड कैशियरों तथा हैड क्लर्कों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या पृथक-पृथक कितनी है;

(ग) क्या इन श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा पूरा कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त कोटा पूरा न भरने के क्या कारण हैं और इन श्रेणियों में आरक्षित कोटा भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (घ) यथा उपलब्ध सूचना इकट्ठी की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

राजधानी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

4514. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक गत वर्ष राजधानी में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक और विशिष्ट रूप में भारत की रुचि के कौन से विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई और उनकी क्रियान्विति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या उन्होंने भी उक्त बैठक को सम्बोधित किया था; और यदि हां, तो एशियाई और प्रशान्त महासागरीय देशों के लिए, वर्ष 1982-86 की अवधि के दौरान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा दी गई निधियों के पूर्ण उपयोग हेतु एक कार्यवाही योजना तैयार करने के विकासशील देशों को प्रोत्साहित करने हेतु उन्होंने क्या-क्या मुख्य बातें कहीं ?

वित्त मंत्री (श्री वेंकटरामन) : (क) एशिया और प्रशान्त महासागर के देशों में विकास सहायता समन्वयकर्ताओं की अन्तर-सरकारी बैठक, नई दिल्ली में 23 से 28 फरवरी, 1981 तक सयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) के तत्वावधान में हुई जिसमें 1982-86 की अवधि के लिए एशिया और प्रशान्त महासागर के देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर-देशीय कार्यक्रम के मसविदे पर विचार-विमर्श किया गया था।

(ख) भारत की रुचि के जिन विभिन्न क्षेत्रों में अन्तर-देशीय कार्यक्रमों को सुनिश्चित किया गया उनमें ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अन्तरण, कृषि, व्यापार और आर्थिक सहयोग तथा सामाजिक कार्यक्रम शामिल हैं। उन्नत ढंग से परियोजना तैयार करके, सर्वोत्तम उपलब्ध विशेषज्ञों की भर्ती करके तथा सरकारों को कार्यक्रमों और परियोजनाओं की समीक्षाओं में सक्रिय रूप से शामिल करके क्षेत्रीय कार्यक्रमों की किस्म में सुधार तथा उनके प्रभाव में वृद्धि करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर भी चर्चा की गई।

(ग) जी, हां।

अपने उद्घाटन भाषण में मैंने इस बैठक के समक्ष यह परामर्श प्रस्तुत किया था कि राष्ट्रीय सीमाओं से लांघ कर हमें ऐसे अन्तर-देशीय प्रादेशिक कार्यक्रम अपनाने चाहिए जो आर्थिक दृष्टि से जीवनक्षम हो और जिनसे उत्पादन की पद्धति और अधिक युक्तियुक्त बनती हो तथा विद्यमान साधनों के अधिक कुशल उपयोग के द्वारा सामान्य उत्पादन में भी वृद्धि होती हो। यह सुझाव भी दिया गया था कि प्राथमिकता के सुनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अलग से रेखांकित कर लिया जाना चाहिए जहां पर कि प्रादेशिक सहयोग वास्तविक रूप में उपयोगी सिद्ध हों, जिससे राष्ट्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी सहायता मिले।

भारत में बनी विदेशी शराब पर बिक्री कर से आय

4515. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **वित्त मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) संघ शासित क्षेत्रों सहित विभिन्न राज्यों द्वारा वर्ष 1980-81 के दौरान भारत में बनी विदेशी शराब पर लगाई गई बिक्री कर की दरें क्या हैं; और

(ख) 1 अप्रैल, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 की अवधि के दौरान भारत में बनी विदेशी शराब पर लगे बिक्री कर से प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र को कुल कितनी आय हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) किसी राज्य के अन्तर्गत होने वाली माल की बिक्री अथवा खरीद पर कर लगाना, राज्य सरकार के

कराधान का विषय है। भारत में बनी विदेशी शराब पर बिक्री कर की दरें एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अलग-अलग हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है। इसी प्रकार भारत में बनी विदेशी शराब पर बिक्री कर से प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र को हुई राजस्व की प्राप्ति की अपेक्षित सूचना भी संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है। लेकिन हो सकता है सभी संघ राज्य क्षेत्रों में वस्तु-वार बिक्री कर की वसूली के आंकड़े तत्काल उपलब्ध न हों। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भी सूचना उपलब्ध करायी जाएगी वह सदन पटल पर रख दी जाएगी।

एल-बेस के आयात के लिये नामों (टाइटलों की बिक्री)

4517. **श्री चिन्तामणि जैना**
श्री पीयूष तिरकी } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस धारकों द्वारा आयात लाइसेंस की बिक्री आयात व्यापार नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत एक अपराध है और आयात व्यापार नियन्त्रण विनियमों के अन्तर्गत दण्डनीय है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस धारकों ने जिन्हें पहले 'एल-बेस' का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस दिए गए थे, अपने नामों (टाइटलों) और लाइसेंसों को स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड को बेच दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इन लाइसेंस धारकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। कुछ वास्तविक प्रयोक्ताओं से स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० के माध्यम से आयातित एल-बेस प्राप्त करने के लिए अपने लाइसेंस उन्हें दे दिए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में क्रोम अयस्क व्यापार में कमी

4518. **श्री चिन्तामणि जैना**
श्री के० पी० सिंह देव } क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात शुल्क को 15 रु० प्रति टन से बढ़ाकर 200 रु० प्रति टन किए जाने के कारण उड़ीसा राज्य में क्रोम अयस्क के व्यापार में बहुत कमी हुई ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विदेशी खरीदार हमारे लौह अयस्क को खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य हमारे मूल्य से काफी कम हैं?

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह सच है कि लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क बढ़ाने से केन्द्रीय सरकार को 1.35 करोड़ रु० मिल रहे हैं लेकिन निर्यात में कमी के कारण राष्ट्र को पन्द्रह करोड़ रु० प्रति-वर्ष का घाटा हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने विश्व बाजार का मुकाबला करने के लिए निर्यात शुल्क में कमी करने और विदेशी मुद्रा की हानि को कम करने के लिए क्या उपाय किए हैं अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ङ) क्रोम अयस्क के निर्यातों में वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 में गिरावट आने के पश्चात् सारणीबद्ध किए जाने के बाद वर्ष 1979 तथा 1980 के दौरान उनमें वृद्धि हुई। तथापि, विश्व के इस्पात उद्योग में मन्दी तथा फिलीपीन्स, जिम्बावे जैसे देशों से जिन्हें भाड़े की सुविधा है; प्रतियोगिता होने के कारण 1981 के लिए क्रोम के निर्यातों के लिए अच्छी सम्भावना नहीं है तथापि सरकार क्रोम अयस्कों पर निर्यात शुल्कों की विद्यमान दरों और निर्यात व्यापार पर इसके प्रभाव पर पुनर्विचार कर रही है।

अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में राष्ट्रीयकृत बैंकों की भूमिका

4519. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में राष्ट्रीयकृत बैंकों की विशिष्ट भूमिका क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय बैंकों के निवेश का कम से कम 25 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए नियत करने की आवश्यकता महसूस की है जिससे छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उनके लिए न्यूनतम लक्ष्यों को पूरा किया जा सके ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस लक्ष्य समूह के स्वनियोजन वाले उद्यमों को पर्याप्त ऋण सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करके, अनुसूचित जातियों के लोगों को लाभकारी स्वनियोजन के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किए गए विशिष्ट सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता देने के लिए अनुपूरक भूमिका निभाएं।

(ख) विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को कम से कम 40 प्रतिशत ऋण देने की व्यवस्था की जाती है। बैंकों से कहा गया है कि वे इस लक्ष्य समूह के लिए बनाए गए विशिष्ट कार्यक्रमों अर्थात् (आई० पी० डी० पी०) के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लें जिसके अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वालों में से कम से कम 30 प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हों। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण को बढ़ाकर अपने कुल ऋण के 40 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचा दें और यह सुनिश्चिय करें कि उनके कृषि तथा सम्बन्धित कार्यकलापों को दिए जाने वाले प्रत्यक्ष वित्त का कम से कम 50 प्रतिशत तथा लघु उद्योग को दिए जाने वाले ऋण का 12.5 प्रतिशत भाग कमजोर वर्गों को प्राप्त हों जिनमें छोटे और सीमांतिक किसान, भूमिहीन मजदूर, कारीगर, शिल्पी, ग्राम और कुटीर उद्योग आदि शामिल हैं। बैंक जिनसे यह कहा गया है कि वे इन समूहों के लिए स्वनियोजन के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विशिष्ट योजनाएं तैयार करें, इन योजनाओं तथा उन ऋण आयोजनाओं के जरिए जिनमें इन समूहों के लिए विशेषतः व्यवस्था हो, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अपेक्षाकृत अधिक रकमें प्रदान करने का सुनिश्चिय करेंगे।

हैदराबाद असैनिक हवाई अड्डे पर सुरक्षा प्रबन्ध

4520. **श्री आर० के० महालगी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद असैनिक हवाई अड्डे पर सुरक्षा प्रबन्ध अपर्याप्त है क्योंकि इस पर चार दीवारी के रूप में केवल ऊंचे कंटीले तार ही लगे हुए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि एक आम रास्ता "रनवे के बीच से होकर" गुजरता है जोकि रक्षा कर्मचारियों तथा असैनिक कर्मचारियों द्वारा भी उपयोग में लाया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि नागर विमानन विभाग के अधिकारियों तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों की निजी कारों को विमान तक पहुंचने की अनुमति दी जाती है जो कि सामान्य नियमों के विरुद्ध है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस हवाई अड्डे पर असुरक्षात्मक स्थिति को सुधारने के लिए कोई समयवद्ध कार्यक्रम कार्यान्वित करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं। हैदराबाद हवाई अड्डे का अधिकांश परिचालन क्षेत्र 6 फुट ऊंची दीवार द्वारा संरक्षित है।

(ख) जी, नहीं। जिस समय यह रनवे प्रयोग में नहीं होता उस समय केवल इंडियन एयर-लाइंस तथा भारतीय वायु सेना के परिचालन स्टॉफ को ही इसे पार करने की अनुमति दी जाती है।

(ग) अति विशिष्ट व्यक्तियों की निजी कारों को कुछ विशेष मामलों में ही अनुमति दी जाती है। निजी व्यक्तियों की कारों की केवल बीमार/अशक्त व्यक्तियों के परिवहन के लिए ही इजाजत दी जाती है।

(घ) सुरक्षा व्यवस्था का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है तथा सुरक्षा-पत्र में सुधार लाने के लिए निर्णय लिए जाते हैं और उन्हें कार्यान्वित भी किया जाता है।

वस्तुओं पर ऋण संबन्धी नीति के बारे में अर्बन कारपोरेशन बैंक्स एसोसिएशन का ज्ञापन

4521. **श्री आर० के० महालगी : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को चयनात्मक ऋण-नियन्त्रण उपायों तथा व्यापारिक और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण की दरों के अन्तर्गत वस्तुओं पर ऋण दिए जाने की नीति के बारे में अक्तूबर और नवम्बर, 1980 में अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एसोसिएशन आफ बोम्बे एण्ड थाना से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें और मांगें क्या हैं? और

(ग) उनकी प्रत्येक मांग के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी हाँ। इस विषय पर "अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एसोशिएशन आफ बाम्बे एण्ड थाना" से दिनांक 27-10-1980 का एक पत्र भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) उसमें उठाए गए विभिन्न मुद्दे तथा उन पर भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिक्रिया विवरण में दी गई है।

विवरण

एसोसिएशन द्वारा उठाये गये मुद्दे	भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिक्रिया
1. कोई एक-समान ब्याज दर लागू करने से पहले रिजर्व बैंक को प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (प्राइमरी अर्बन कोओपरेटिव बैंक्स) के वर्तमान ब्याज दरों का अध्ययन करना चाहिए।	एसोसिएशन को बताया गया कि सहकारी बैंकों को ये अनुदेश/निर्देश समूची मौद्रिक नीतियों के संदर्भ में जारी किए गए हैं तथा, इसलिए, इनका परिचालन शहरी सहकारी बैंकों के ब्याज दर ढांचे से सम्बन्धित अध्ययन पूर्ण होने तक स्थगित नहीं किया जा सकता।
2. सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में न्यूनतम तथा अधिकतम ब्याज दरों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ब्याज कर अधिनियम, 1974 अर्बन बैंकों पर लागू नहीं होता।	यद्यपि ब्याज दर अर्बन कोआपरेटिव बैंकों पर लागू नहीं है, फिर भी चयनात्मक ऋण नियन्त्रण विषयक केन्द्रीय उपायों में आने वाली वस्तुओं के वास्ते दिए गए अग्रिमों की न्यूनतम ब्याज दरें यह सुनिश्चित करने के लिए बढ़ा दी गई थी कि वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के बीच, इस प्रकार के बैंक ऋणों को प्रदान करने की ब्याज दरों में बराबरी रह सके ताकि इस प्रकार के उपायों के पीछे जो उद्देश्य हैं, उसकी पूर्ति हो सके।
3. अर्बन बैंकों द्वारा व्यापार और गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाई गई 20·50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ऊपरी सीमा में कमी कर दी जाए।	एसोसिएशन को सूचित किया गया कि क्योंकि उपर्युक्त प्रकार के अग्रिमों के लिए निहित ब्याज दर, ऊपरी सीमा है न कि निचली सीमा, अतः अर्बन बैंकों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार के सभी ऋणों पर 20.50 प्रतिशत की अधिकतम ब्याज दर वसूल करें। इस प्रकार इस विषयक विवेकाधिकार बैंकों के पास निहित है।
4. कर्नाटक गुजरात और महाराष्ट्र के प्राइमरी अर्बन बैंकों को जारी किया गया दिनांक 7-10-1980 के निर्देश संख्या ए० सी० डी० (प्लान) (आई० एफ० एस०)—286/पी० आर० 474-80/8। को, जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि ऋण नियंत्रण उपायों के अधीन आने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए दिए गए ऋणों के सम्बन्ध में न्यूनतम ब्याज दर, 1-7-80 से अर्थात् भूतलक्षी रूप से 18 प्रतिशत की बजाय बढ़ाकर 19.40 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दी जाए, कार्यान्वित करना कठिन होगा।	पुनर्विचार के बाद, अर्बन बैंकों को सूचित कर दिया गया कि ब्याज की संशोधित दरों को सहकारी बैंक पहले बताई गई तारीख 1-7-1980 की बजाय, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के जारी होने की तारीख, अर्थात् 7-10-1980 से लागू कर सकते हैं।
5. रिजर्व बैंक को "व्यापारी क्षेत्र" (ट्रेडिंग सेक्टर), "प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र" जैसी शब्दावलियों की परिभाषा दे देनी चाहिए।	भारतीय रिजर्व बैंक ने 21-1-81 को सहकारी बैंकों को एक ब्यौरेवार परिपत्र भेजा है जिसमें निर्देशों/परिपत्रों में प्रयुक्त विभिन्न शब्दावलियों के निहितार्थ स्पष्ट कर दिए गए हैं।

विदेशों में भारतीय लोगों द्वारा स्वदेश धन भेजा जाना

4522. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत चार केलेण्डर वर्षों के दौरान देश को विदेशों में काम करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों से देशवार और वर्षवार कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री वेंकटरामन) : विदेशों में काम कर रहे भारतीय राष्ट्रिकों से प्राप्त रकमों के सम्बन्ध में देश-वार और वर्ष-वार ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि चालू नियमों के अन्तर्गत प्राधिकृत विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक तथा उससे कम राशि की रकमों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना देने की जरूरत नहीं है। फिर भी पिछले चार कैलेंडर वर्षों के सम्बन्ध में निर्यात-भिन्न प्राप्तियों के तुरन्त तथा अनन्तिम अनुमानों के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	रकम (करोड़ रुपये)
1977	1908.33
1978	2218.75
1979	2775.28
1980	4467.28

उपयुक्त निर्यात भिन्न प्राप्तियों में आवक प्रेषणाओं से सम्बद्ध प्राप्तियों के चार शीर्षों अर्थात् (1) परिवार भरण-पोषण, (2) अनिवासियों की बचतें, (3) प्रवासी अन्तरण और (4) मनीआर्डर प्राप्तियों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशियों के अलावा नौवहन प्राप्तियां, बीमा प्राप्तियां, लाभांश प्राप्तियां, पर्यटन प्राप्तियां आदि जैसी प्राप्तियां भी शामिल हैं।

बेरोजगार विमान चालकों को रोजगार

4523. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन कमर्शियल पाइलट्स एसोसिएशन ने सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें एक प्रकार के विमान से दूसरे प्रकार के विमान की शंटिंग की वर्तमान खतरनाक प्रक्रिया के प्रति विरोध प्रकट किया है;

(ख) क्या इसमें विमान तथा यात्रियों की सुरक्षा को खतरा होता है;

(ग) क्या न्यायाधीश भास्म समिति की सिफारिश भी विमान चालकों की मांग के पक्ष में थी;

(घ) यदि हां, तो इस प्रश्न पर सरकार द्वारा क्या अंतिम निर्णय लिया गया है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार कुछ बेरोजगार विमान चालकों को रोजगार देने तथा प्रत्येक टाइप के विमान के लिए उन्हें विशेषज्ञ बनाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां। भारतीय वाणिज्यिक विमान चालक संगठन ने इंडियन एयरलाइंस के कमांडरों द्वारा दो भिन्न-भिन्न प्रकार के विमानों की उड़ान करने की प्रणाली के विरुद्ध नागर विमानन के महानिदेशक को पत्र लिखा था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इंडियन एयरलाइंस के कैरावल विमान की दुर्घटना की श्री जस्टिस एस० वी० भस्मे की अध्यक्षता में गठित जाँच अदालत ने सिफारिश की थी कि इंडियन एयरलाइंस द्वारा केवल फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स प्राधिकार प्राप्त/एग्जामिनर्सस्टेट्स वाले और/अथवा दोनों प्रकार के विमानों पर सक्रिय रूप से सेवा-रत विमानचालकों को ही दोनों में से किसी प्रकार के विमान का उड़ान करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए ।

(घ) सरकार ने जाँच अदालत की सिफारिश स्वीकार कर ली है और इंडियन एयरलाइंस केवल ऐसे विमानचालकों को ही दो भिन्न-भिन्न प्रकार के विमानों की उड़ान करने की अनुमति देती है जो इंस्ट्रक्टर/एग्जामिनर हैं ।

(ङ) इंडियन एयरलाइंस ने बेरोजगार विमान चालकों से नौकरी के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए थे । सभी उम्मीदवारों के लिखित तथा मौखिक टैस्ट लिए गए । चुने गये उम्मीदवारों में से 13 विमानचालकों के पहले बैच को पहले ही बुलाया जा चुका है और 2 मार्च, 1981 को उनका प्रशिक्षण आरम्भ हो गया है ।

उत्पादन शुल्क से छूट

4524. **डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन शुल्क से छूट देने का अधिकार मंत्रालय के सरकारी अधिकारियों के हाथों में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह छूट देने का निश्चय करने के लिए अधिकारियों को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त, नियम और निदेश दिये गये हैं;

(ग) 1979-80 और 1980-81 में उत्पादन शुल्क से दी गई छूट से कुल कितने राजस्व की हानि हुई;

(घ) 1979-80 और 1980-81 के अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से किन-किन कार्यों को किस निर्धारण अवधि के लिए तथा कितनी राशि की छूट दी गई; और

(ङ) क्या कई समितियों ने यह सिफारिश की है कि अधिकारियों को प्राप्त छूट देने के अधिकार के दुरुपयोग से बचाया जाये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं । केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम 1944 के नियम 8 (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी सामान्य छूटें और इन्हीं नियमों के नियम 8 (2) के अन्तर्गत तदर्थ छूटें, दोनों ही, प्रभारी मंत्री आदेशों के अन्तर्गत दी जाती हैं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी अधिकांश छूटें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम 1944 के नियम 8 (1) के अन्तर्गत आने वाली सामान्य छूटें ही हैं जिनका सम्बन्ध किन्हीं निर्धारितियों विशेष के साथ नहीं होता । अतः यह पता लगाना व्यावहारिक नहीं होगा कि अलग-अलग फर्मों द्वारा उठाये गए छूट के लाभ में कितनी-कितनी रकम ग्रस्त है । तथापि, वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी छूटों के कारण हुई राजस्व की अनुमानित समग्र हानि के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जायगी ।

(ङ) उपर्युक्त पैरा (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता है ।

मैसर्स आसाम आयल कम्पनी लिमिटेड से आयकर की बकाया राशि की वसूली

4425. श्री के० लकप्पा
श्री धर्मदास शास्त्री } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स आसाम आयल कम्पनी लिमिटेड की ओर आय कर की भारी राशि बकाया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) आयकर अधिकारियों द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा मामले में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) इस समय, मैसर्स असम आयल कम्पनी लिमिटेड की तरफ आय कर की बकाया मांगें नीचे दिए अनुसार हैं :—

कर-निधारण वर्ष	सकल मांग (लाख रुपयों में)	मूल मांग के जारी किए जाने की तारीख
1971-72	8.63	14-3-;980
1975-76	4.29	27-11-1978
1977-78	113.53	28-3-1980

कर-निर्धारण वर्ष 1971-72 तथा 1977-78 की क्रमश: 8.63 लाख रुपये और 113.53 लाख रुपये की माँगों के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की गई है और आयुक्त से निवेदन किया गया है कि वे इन अपीलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटायें। कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 की 4.29 लाख रुपये की माँग, अभी हाल ही में, एक गलती को ठीक करने के बाद निश्चित हुई है और कर-निर्धारिती से कहा गया है कि वह इस मांग को अदा करे।

मिश्र इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में विद्युत का संकट

4526. **श्री नरेन घोष** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मिश्र इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में विद्युत संकट का बुरा प्रभाव बना हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) बिजली की अपर्याप्त सप्लाई और इसकी कम क्वालिटी मिश्र-इस्पात कारखाने और दुर्गापुर इस्पात कारखाने दोनों के परिचालन में मुख्य बाधा रही, भले ही बाद में बिजली की सप्लाई में सुधार हुआ है। भविष्य में इन कारखानों के लिए बिजली की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु दुर्गापुर में कोयले पर आधारित 60-60 मेगावाट के दो सेटों का एक रक्षित विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। कार्य तेजी से चल रहा है और प्रथम सेट समय-सूची के अनुसार सितम्बर, 1982 में लागू हो जाएगा।

हथकरघा क्षेत्र

4527. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में हथकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादित कपड़े की कुल लम्बाई कितनी है; उसका राज्यवार कितना उत्पादन हुआ और देश में हथकरघाओं की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा कितनी धनराशि इसमें निविष्ट की जा रही है और इस क्षेत्र के विकास के लिए उसका किस तरीके से प्रयोग हो रहा है जिससे गांवों के छोटे जुलाहे आसानी से रोजगार पा सकें और वे साहुकारों के शिकार न बनें ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) 1979-80 के दौरान हथकरघा क्षेत्र में 2900 मिलियन मीटर होने का अनुमान था और 1980-81 के लिए लक्ष्य 3050 मिलियन मीटर का है। यह अनुमान हथकरघा क्षेत्र के लिये रिलीज किये गये कुल हेंक यार्न के उत्पाद पर लगाया गया है। चूंकि यार्न सप्लाई के राज्यवार आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं अतः राज्यवार उत्पादन के आंकड़ों का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। देश में हथकरघों की कुल संख्या 38 लाख करघे होने का अनुमान है।

(घ) हथकरघा बुनकरों के कल्याणार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा अनेक विकासात्मक योजनाएं आरम्भ की गई हैं। योजनाओं की सूची और प्रत्येक योजना के लिए वित्तीय सहायता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	योजना का नाम	1980-81 में निवेश की गई राशि (लाख रु० में)
1.	बुनकर सहकारी कताई मिलें स्थापित करने के लिए एन० सी० डी० सी० को सहायता।	300.00
2.	निर्यात उत्पादन परियोजनाएं।	150.00
3.	हथकरघा बुनकरों की एपेक्स विपणन समितियों को शेयर पूंजी सहायता।	250.00
4.	राज्य हथकरघा विकास निगमों को शेयर पूंजी सहायता।	200.00
5.	प्राथमिक बुनकर समितियों को शेयर पूंजी ऋण सहायता।	350.00
6.	करघा-पूर्व और करघा-पश्चात् प्रोसेसिंग सुविधाओं के सृजन के लिए सहायता।	200.00
7.	प्रबंधकीय कार्मिक प्रशिक्षण।	20.00
8.	प्रचार एवं प्रदर्शनियां।	60.00
9.	बुनकर सहकारी समितियों की प्रबन्धकीय आर्थिक सहायता।	150.00
10.	हथकरघा बुनकरों को निरन्तर रोजगार प्रदान करने और समाज के कमजोर वर्गों को सस्ता कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए हथकरघा जनता कपड़ा योजना।	3000.00

एशियाई खेलों के लिये होटलों का निर्माण

4528. **श्री मूलचन्द डागा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों के लिए कितने होटलों का निर्माण किया जाएगा;

(ख) क्या उक्त होटलों का निर्माण गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तें क्या हैं और उन्हें इन होटलों का निर्माण करने की अनुमति देने के मानदंड क्या हैं; और

(ग) इनमें से प्रत्येक होटल में कितने लोग रह सकेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रशाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1. (क) निर्माण तथा आवास मन्त्रालय ने हाल में पिछले दिनों होटल के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित पार्टियों को भू-स्थल आवंटित किए हैं :—

(1) भारत पर्यटन विकास निगम

(2) नई दिल्ली नगर पालिका

(3) दिल्ली विकास प्राधिकरण

(4) मैसर्स ईस्ट इण्डिया होटल्स लिमिटेड (प्राइवेट कम्पनी)।

आवंटन इस शर्त पर किए गए हैं कि एशियाई खेल, 1982 के शुरू होने से काफी समय पूर्व होटल आवास उपलब्ध करा दिया जाए।

1. (ख) बाराखम्बा मार्ग पर नियत स्थल पर होटल का निर्माण तथा संचालन करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका ने मैसर्स दिल्ली आटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक लाइसेंस करार किया है। (होटल की क्षमता का अभी निर्णय किया जाना है)

1. (ग) सरदार पटेल मार्ग पर आवंटित स्थान पर होटल का निर्माण और प्रचालन करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मैसर्स इण्डियन होटल्स लिमिटेड (ताज ग्रुप) के साथ एक करार किया है (क्षमता—500 गेस्ट रूम)।

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में पिछले दिनों नीलामी द्वारा निम्नलिखित तीन प्राइवेट पार्टियों को होटल स्थल बेचे हैं :—

(1) मैसर्स एशियन होटल्स लिमिटेड (588 गेस्ट रूम)

(2) मैसर्स जयप्रकाश एन्टरप्राइजिज (156 गेस्ट रूम)

(3) मैसर्स कास्मोपालिटन बिल्डर्ज एण्ड होटलियर्स प्राइवेट लिमिटेड (200 गेस्ट रूम)

3. अभी तक नई दिल्ली नगर पालिका ने निम्नलिखित चार होटल परियोजनाओं के निर्माण की मंजूरी दी है :—

(1) वैल्कमग्रुप से संबंधित मौर्य II (150 गेस्ट रूम)

(2) आई टी डी सी द्वारा होटल कौटिल्य (300 गेस्ट रूम)

(3) नार्दर्न एन्टरप्राइजिज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 15, संसद मार्ग पर निर्मित किया जाना वाला होटल (231 गेस्ट रूम)।

(4) सरदार पटेल मार्ग पर स्थल जिसके लिए डी डी ए द्वारा ताज को लाइसेंस दिया गया है। (500 गेस्ट रूम) उपर्युक्त। (ग) में उल्लिखित।

4. इन्टरनेशनल एयरपोर्टस अथारिटी आफ इण्डिया ने पालम एयर पोर्ट काम्पलेक्स में 400 कमरों वाले एक होटल के लिए होटल कार्पोरेशन आफ इण्डिया को स्थान आवंटित किया है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अधिगृहीत कपड़ा मिलों का कार्यकरण

4529. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कब स्थापना की गई थी और इसने कितनी कपड़ा-मिलों का अधिग्रहण किया है और उन पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की है;

(ख) वर्ष 1978,19/9 और 1980 के दौरान, वर्ष-वार किस-किस मिल को कितना-कितना लाभ अथवा हानि हुई; और

(ग) यदि लगातार हानि हो रही है, तो इस स्थिति से उभरने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की स्थापना 1 अप्रैल, 1968 को हुई थी। इस समय, इसके नियंत्रणाधीन 111 वस्त्र मिलें हैं। इन मिलों में निविष्ट पूंजी के मिल-वार ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं। और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी—217/81]

(ग) इन मिलों के कार्यसंचालन में सुधार करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में निम्नलिखित अनुसार हैं :—

(1) मशीनरी का आधुनिकीकरण/नवीकरण;

(2) कार्यभार तथा श्रमिक बल का सुव्यवस्थीकरण;

(3) केन्द्रीय आधार पर कच्चे माल की बल्क अधिप्राप्ति;

(4) उत्पादन पद्धति में विविधीकरण; और

(5) बिजली की कटौतियों पर काबू पाने के लिए कुछ मिलों में डीजल जेनरेटिंग सैटों का संस्थापन।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन

4530. **श्री के० प्रधानी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इनमें से उड़ीसा के राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न जिलों अथवा राज्यों में ऐसे बैंकों के नाम क्या हैं; और

(घ) उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) सभी वाणिज्यिक बैंक, विशेषतः, सरकारी क्षेत्र के बैंक देश में, तथा इसी प्रकार उड़ीसा राज्य में भी 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे हैं।

(ग) उड़ीसा राज्य के विभिन्न जिलों में जिन सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यालय हैं, उनके नाम अनुबंध में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी—2175/81]

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंक उन किसानों को जिन्हें खेती के लिए जमीन आवंटित की गई है, बंधुआ मजदूरी से मुक्त हुए उन व्यक्तियों को जो कृषि और सम्बद्ध सहायक गतिविधियों में लगना चाहते हैं और छोटी सिंचाई योजनाओं, हथकरघा उद्योग तथा विशेषतः कमजोर वर्गों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने वाले कार्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं।

राशन की पखवाड़े के स्थान पर सप्ताह में सप्लाई

4531. **श्री रामावतार शास्त्री**
श्री चित्त महाटा } : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में उचित दर दुकानों को फरवरी के तीसरे सप्ताह में इस आशय का आदेश जारी किया था कि राशन और चीनी पखवाड़े के स्थान पर सप्ताह के लिए दिए जायें;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त आदेश का अतिक्रमण करते हुए फरवरी के चौथे सप्ताह में उचित दर की दुकानों को उपभोक्ताओं का चीनी के मासिक कोटे का आधा सप्लाई करने का आदेश दिया गया था; और

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन से मिली सूचना के अनुसार ये आदेश केवल चीनी देने के बारे में ही जारी किए गये थे और अन्य विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं के बारे में नहीं। ऐसा इसलिए किया गया था कि फरवरी, 1981 के दूसरे पखवाड़े में दिल्ली प्रशासन के पास लेवी चीनी का इतना स्टाक रह गया था, जो सभी खाद्य कार्डधारियों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था इसलिए उचित दर की दुकानों के दुकानदारों को कार्डधारियों को एक सप्ताह का कोटा देने की सलाह दी गई थी, ताकि चीनी की उपलब्ध मात्रा सभी कार्डधारियों को समान रूप से वितरित की जा सके। बाद में, फरवरी, 1981 के महीने की कमी को पूरा करने तथा मार्च, 1981 की पूरी मांग की पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त चीनी का आवंटन उपलब्ध किया गया और पहले जारी किए गए आदेशों, को वापिस ले लिया गया।

इंडियन एयरलाइन्स के टिकटों की बिक्री में धोखाधड़ी

4532. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जाली दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किए गए इंडियन एयरलाइन्स के मुफ्त टिकटों की बिक्री की धोखाधड़ी का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस घोटाले के कारण इंडियन एयरलाइन्स को अनुमानतः कितनी हानि हुई है; और

(ग) इस घोटाले के सम्बन्ध में की गई जांच के दौरान सामने आए ब्यौरे क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) 24 जनवरी 1981 को दिल्ली/हैदराबाद/दिल्ली सैक्टर के लिए जारी किए गए इंडियन एयरलाइन्स के अव-

काश गत कर्मचारी (SOL) टिकट के दुरुपयोग की एक घटना इंडियन एयरलाइंस के नोटिस में आयी। मामला पुलिस/सी. बी. आई. को रिपोर्ट कर दिया गया है, जिन्होंने इसे भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 420,468 और 471 के अन्तर्गत दर्ज कर लिया है। मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है।

भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इंडियन एयरलाइंस ने अवकाशगत कर्मचारी (SOL) टिकटों के जारी करने की प्रणाली और प्रक्रिया का पुनरीक्षण करने के लिए आवश्यक कदम उठा लिये हैं।

समाचार पत्र एसोसिएशन द्वारा अखबारी कागज की सप्लाई को निसरणीबद्ध करने की मांग

4533. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भाषा समाचार पत्र एसोसिएशन ने अखबारी कागज की सप्लाई को राज्य व्यापार निगम के नियन्त्रण से शीघ्र निसरणीबद्ध करने की मांग की है; और

(ख) इस मांग के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय भाषा समाचार पत्र एसोसिएशन ने मांग का जो कारण बताया है वह है अखबारी कागज की नियमित रूप से सप्लाई करना।

छोटे तथा मझौले प्रकार के समाचार पत्रों सहित समाचार पत्र उद्योग को अखबारी कागज की सप्लाई में सुधार लाने के वास्ते राज्य व्यापार निगम द्वारा निरन्तर प्रयास किये जाते हैं। देश में रखे जाने वाले बफर स्टाक का स्तर 10000 मे. टन से बढ़ाकर 30000 मे. टन प्रतिवर्ष कर दिया गया है। अखबारी कागज के बफर स्टाक के स्तर में और अधिक वृद्धि करने के लिए सरकार ने एक कार्य दल बनाया है। मझौले तथा छोटे समाचार पत्रों की सहायता के लिए राज्य व्यापार निगम ने दिल्ली, जयपुर तथा अहमदाबाद में अतिरिक्त अन्तर्देशीय गोदाम खोले हैं। समाचार पत्र उद्योग से परामर्श करके राज्य व्यापार निगम की और गोदाम खोलने की योजना है। चूंकि सरणीकरण द्वारा बल्क खरीद, कम कीमतों तथा नियमित सप्लाइयों के रूप में कुछ निश्चित सफलता मिली है, अतः अखबारी कागज के असरणीकरण विचार नहीं है।

डल्ली-राजहरा लौह अयस्क खानों में अनधिकृत व्यक्तियों की घुसपैठ

4534. **श्री ए० के० राय :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मध्य प्रदेश में 2 और 3 जनवरी, 1981 को डल्ली-राजहरा लौह अयस्क खानों में क्रमशः 69 और 107 अनधिकृत व्यक्तियों के घुसपैठ की जानकारी है;

(ख) क्या यह सच है कि खान अधिनियम धारा 98 के अनुसार ये व्यक्ति पंजीकृत नहीं थे और बी-फार्म में उनका नाम नहीं था;

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त अनधिकृत व्यक्तियों की घुसपैठ से वहां पुराने श्रमिकों में भारी रोष उत्पन्न हो गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत तथ्य क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) लौह-अयस्क की खानों में विभिन्न सहकारी समितियों के काम कर रहे कुछ कामगारों को समितियों के प्रबन्धकों

ने नौकरी से हटा दिया था। इन कामगारों ने एक नई सहकारी समिति नामतः "छत्तीसगढ़ खदान मजदूर सहकारी समिति" बना ली है और कारखाने के प्राधिकारियों को वही काम दिए जाने के लिए कहा है जो उन्हें इस शर्त पर दिया गया था कि समिति केवल उन्हीं कामगारों को नौकरी देगी जिनके नाम बी०-फार्म रजिस्टर में हैं। प्रबन्धकों ने किसी भी ऐसे कामगार को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जिसका नाम बी०-फार्म रजिस्टर में नहीं था।

कोकिंग कोयले का आयात

4535. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1980 तक कुल कितनी मात्रा में कोकिंग कोयले का आयात किया गया है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में कोकिंग कोयले की कितनी मात्रा का आयात किया जायेगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

(क) 13.98 लाख टन।

(ख) 3 लाख टन।

गुजरात में उद्योगों की स्थापना

4536. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अगले वर्ष, सार्वजनिक क्षेत्र में किन्हीं नए उद्योगों की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) गुजरात में बम्बई हाई/दक्षिण घाटी क्षेत्र से प्राप्त गैस आधारित एक पेट्रो रसायन संकुल (कम्प्लेक्स) की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। वित्तीयन के स्वरूप एवं स्वामित्व तथा परियोजना के चरणबद्ध समय के विवरण को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

भारत में विदेशी बैंक

4537. **श्री रामचन्द्र रथ :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कौन-कौन से और कितने विदेशी बैंक कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ विदेशी बैंक भारत से करोड़ों रुपए बाहर भेज रहे थे तथा इन बैंकों के माध्यम से राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए विदेशों से बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) इस समय, भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन विदेशी मुद्रा के अधिकृत व्यापारियों (डीलरों) को, उपयुक्त व्यापारिक कारबार चलाने के लिए, कुछ शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं तथा वे केवल उन्हीं शक्तियों

के अन्तर्गत कार्य कर सकते थे। बाहर जाने वाली (आउटवर्ड) प्रेषणाओं के सभी मामलों में, अधिकृत डीलरों को रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है। जहां तक बाहर से आने वाली (इनवर्ड) प्रेषणाओं का सम्बन्ध है, सामान्य बैंकिंग माध्यमों से राशियां प्राप्त करने पर रिजर्व बैंक द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाए गए हैं हालांकि विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन व्याप्त होने वाली कुछ राशियों के प्राप्तकर्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे या तो गृह मंत्रालय से पूर्व-अनुमति प्राप्त करें अथवा ऐसी राशियों की प्राप्ति की सूचना उसे (गृह मंत्रालय को) भेजें। बाहर से आने वाली प्रेषणाओं के अन्तिम उपयोग पर नजर रखने के लिए, रिजर्व बैंक के पास न तो कोई तंत्र है और न ही कोई प्रक्रिया।

विवरण

भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों के नाम

क्रम सं०	बैंक का नाम
1.	एल्जीमीन बैंक नीदरलैंड
2.	अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कारपोरेशन
3.	बैंक आफ अमेरिका एन० टी० तथा एस० ए०
4.	बैंक नेशनेल डे पेरिस
5.	बैंक आफ तोक्यो लि०
6.	ब्रिटिश बैंक आफ दि मिडल ईस्ट
7.	चार्टर्ड बैंक
8.	सिटी बैंक
9.	मर्केंटाइल बैंक लि०
10.	मित्सुशी बैंक लि०
11.	ग्रिन्डलेज बैंक लि०
12.	सोनाली बैंक
13.	यूरोपियन एसियन बैंक, हेंबर्ग
14.	एमिरेट्स कमर्शियल बैंक, अबूधाबी
15.	बैंक आफ ओमन लि०, दुबई

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और कुछ अन्य राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में अन्तर

4538. **श्री निहाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में सभी श्रेणियों में नए नियुक्त किए गए कर्मचारियों के वेतनमानों (वेतन और भत्तों) में कितना अन्तर है; और

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से अधिक वेतन और भत्ते दे रही हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) वित्त मन्त्रालय के पास पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमानों और भत्तों के बारे में पूरी और अद्यतन सूचना नहीं है। इसलिए अपेक्षित सूचना देना संभव नहीं है।

(ख) संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की 41वीं प्रविष्टि के अन्तर्गत राजकीय सार्वजनिक सेवाएं पूरी तरह से राज्य सरकारों के क्षेत्र में आती हैं। इसलिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों के संशोधन के प्रश्न पर केवल राज्य सरकार को ही विचार करना है। उपर्युक्त संवैधानिक स्थित होने के कारण राज्य सरकारें अन्य बातों के साथ-साथ, अपने-अपने संसाधन की स्थिति पर विचार करते हुए अपने कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करती हैं। केवल केन्द्र और राज्यों के बीच ही वेतनमानों में अन्तर नहीं है, बल्कि स्वयं राज्यों के बीच भी इनमें अन्तर है और इसलिए राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के वेतनमानों की तुलना करना व्यवहारिक नहीं है।

निर्यात समाप्त करने का प्रस्ताव (किस्म नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 19 3

4539. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का प्रस्ताव निर्यात (किस्म नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 को रद्द करने का है और अनिवार्य वस्तु नियंत्रण एवं उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित वस्तुओं का जहाज पर चढ़ाये जाने से पूर्व निरीक्षण करने को समाप्त करने का भी प्रस्ताव है;

(ख) स्व-प्रमाणन (सेल्फ सर्टीफिकेशन) शब्द का क्या तात्पर्य है और निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 द्वारा लागू किए अनिवार्य किस्म नियंत्रण और यह माल के जहाज पर चढ़ाए जाने से पूर्व निरीक्षण के उपबंधों का किस प्रकार से पूरक है;

(ग) क्या सरकार को इस स्थिति की जानकारी है जिसने, जापानी सरकार को इस सम्बन्ध में जापानी कानून रद्द करके निर्यात पर अनिवार्य किस्म नियन्त्रण को वापस लेने के लिए प्रेरित किया; और

(घ) क्या भारत की वर्तमान स्थिति जापान की स्थिति के समान है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी नहीं। फिलहाल केन्द्रीय सरकार का निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 को रद्द करने और साथ ही अधिसूचित वस्तुओं के अनिवार्य क्वालिटी नियन्त्रण तथा लदान पूर्व निरीक्षण को भी समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है, हालांकि निरीक्षण प्रणाली में परिस्थितियों के अनुसार कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं।

(ख) स्व० ब्रिगेडियर साहनी, सचिव (तकनीकी विकास) की अक्षध्यता में उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने "स्व-प्रमाणन" की प्रणाली शुरू करने की बात को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रणाली के अन्तर्गत व्यवस्था है कि जिन विनिर्माताओं के पास उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण तथा परीक्षण सुविधाएं हैं उन्हें निर्यात के प्रयोजनार्थ उनके द्वारा उत्पादित खेपों का निरीक्षण करने और ऐसी जांच के बाद निर्यात के लिए उन्हें उपयुक्त प्रमाणित करने के लिए अधिकार दिये जा सकते हैं। तथापि इस उपाय को लागू करते समय, जिसका आशय स्वयं विनिर्माण स्तर पर क्वालिटी-चेतना का संवर्धन करना है, यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा गया है कि इससे उत्पादों की क्वालिटी में सुधार होगा। देश में विदेशी सरकारी निरीक्षण अधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और कुछ विनिर्माता एककों, जिन्हें उत्पादों की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए उत्तर-

दायी बनाया गया है, के निष्पादन पर निर्यात निरीक्षण अभिकरणों द्वारा यह निर्णय करने के लिए निगरानी रखी जाएगी कि क्या ऐसी सुविधाएं जारी रह सकती हैं अथवा जहां आवश्यक हों, उनमें से किसी से भी वापिस ली जा सकती हैं।

(ग) तथा (घ) जी हां। अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण को जापान में सफलतापूर्वक लागू किया गया और जब जापान में विनिर्माता अपने उत्पादों की क्वालिटी बनाये रखने और ऐसी क्वालिटी सुनिश्चिय करने के लिए अपने यहां अवस्थापना सुविचार उपलब्ध रखने के बारे में पूर्णता चेतन हो गए तो ऐसा पता चला है कि जापान की सरकार ने अनिवार्य क्वालिटी नियन्त्रण तथा लदानपूर्व निरीक्षण के कार्यक्षेत्र से अधिक से अधिक मदें निकालने का निर्णय लिया है। स्व प्रमाणन योजना हाल ही में कुछ इंजीनियरी मदों में शुरू की गई है। इस स्तर पर यह बताना संभव नहीं होगा कि क्या हम अनिवार्य क्वालिटी नियन्त्रण तथा लदान पूर्व निरीक्षण योजना की कार्यक्षेत्र से अधिक वस्तुओं को निकालने की जापानी पद्धति को अपना सकेंगे।

निर्यात निरीक्षण परिषद के सचिवालय का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाना

4540. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात निरीक्षण परिषद के सचिवालय ने सरकार को सूचित किये बिना कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है;

(ख) क्या यह आवश्यक समझा गया कि निर्यात निरीक्षण परिषद के सदस्य सचिव का कार्यालय निर्यात निरीक्षण परिषद के सचिवालय में होना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (खुर्शीद आलम खान) : (क) हाल ही में निर्यात निरीक्षण परिषद तथा अभिकरणों के विभिन्न कार्यालयों के कार्यसंचालन का परिषद की प्रशासनिक समिति द्वारा नियुक्त उप-समिति द्वारा पुनरीक्षण किया गया जिसका उद्देश्य कार्यसंचालन की प्रणाली को सरल तथा कारगर बनाना तथा कार्यसंचालन को अधिक प्रभावी बनाना था। उप-समिति के प्रतिवेदन को देखते हुए परिषद की प्रशासनिक समिति ने महसूस किया कि बम्बई, कलकत्ता तथा कोचीन में परिषद के कार्यालय रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इन स्थानों में निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के पूर्ण कार्यालय हैं। तदनुसार, यह निर्णय किया गया कि इन कार्यालयों का बम्बई, कलकत्ता तथा कोचीन स्थित सम्बन्धित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के साथ विलय कर दिया जाए। इस निर्णय को परिषद द्वारा और साथ ही सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।

(ख) तथा (ग) 9-6-1977 से पूर्व, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अधीन निरीक्षण तथा क्वालिटी नियंत्रण के निदेशक के रूप में नियुक्त वाणिज्य मंत्रालय के निदेशक स्तर के एक अधिकारी 1-1-1964 से ही दिल्ली में रहे। सरकार के निर्णय के अनुसार निर्यात निरीक्षण परिषद के वरिष्ठतम अधिकारी को 6-9-1977 से अधिनियम की धारा 4 के अधीन निरीक्षण तथा क्वालिटी नियन्त्रण के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। जैसा ऊपर बताया गया है निरीक्षण तथा क्वालिटी नियन्त्रण के निदेशक परिषद के सदस्य सचिव भी हैं। निर्यात

निरीक्षण परिषद के अध्यक्ष वाणिज्य सचिव हैं और तदनुसार यह आवश्यक समझा गया कि बेहतर समन्वयन तथा प्रभावी कार्यसंचालन के लिए निरीक्षण तथा क्वालिटी नियन्त्रण के निदेशक का कार्यालय दिल्ली में होना चाहिए ।

विश्व बैंक की सहायता से वित्तपोषितहोने वाली राज्यों में परियोजनाएं

4541. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता से विभिन्न राज्यों में वित्तपोषित होने वाली योजनाओं/परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों में इस समय विश्व बैंक सहायता की कुल कितनी राशि व्यय की जा रही है? और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं का क्रियान्वयन किए जाने से अब तक कुल कितना लाभ हुआ है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) इस समय पूर्णतः विश्व बैंक की सहायता से किसी भी परियोजना का वित्तपोषण नहीं हो रहा है। विश्व बैंक की सहायता परियोजना की कुल लागत के (करों और शुल्कों की रकम को घटाने के बाद) लगभग 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत भाग के लिए होता है ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-2176/81)

(ग) जिन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों अर्थात् कृषि, सिंचाई, ऊर्जा और उद्योग आदि से सम्बन्धित हैं । वर्ष 1978-79, 1979-80 1980-81 के दौरान विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 1860.77 करोड़ रुपए की राशि का संवितरण किया गया ।

विश्व बैंक से प्राप्त ऋण का गुजरात में उपयोग

4542. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977 से 1980 की अवधि में गुजरात में विभिन्न योजनाओं के लिए विश्व बैंक से प्राप्त ऋण-अनुदान की योजनावार राशि क्या है;

(ख) इसमें से 1980 में कितनी राशि खर्च की गई और सारी राशि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बकाया राशि के उपयोग के लिए उठाए जा रहे या उठाए जाने वाले प्रभावशाली कदम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) गुजरात में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त उन परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है जिनके लिए 1977 से 1980 तक ऋण प्राप्त हुए हैं :

परियोजना का नाम	वचनबद्ध विदेशी सहायता की रकम (लाख डालर)	31-12-1980 तक उपयोग की गई रकम (लाख डालर)	परियोजना की अंतिम तारीख
1. गुजरात मीन उद्योग (695-आई० एन०)	40.00	40.00	30-6-83
2. गुजरात मीन उद्योग (1394-आई० एन०)	140.00	27.63	30-6-83
3. गुजरात सिंचाई (808-आई० एन०)	850.00	117.68	30-6-84
4. दूसरी गुजरात सिंचाई (1011-आई० एन०)	1750.00	निकासी नहीं की गई	30-4-86
5. गुजरात सामुदायिक वन पालन (961-आई० एन०)	370.00	29.65	31-12-85
6. संयुक्त कृषि विस्तार (862-आई० एन०)	70.00	11.38	31-12-84

इसके अतिरिक्त राज्य को राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं की विश्व बैंक की सहायता-प्राप्त परियोजनाओं से भी लाभ होगा।

विश्व बैंक से प्राप्त उधार/ऋण की राशि का उपयोग अलग-अलग परियोजनाओं के लिए परस्पर सम्मत समय सारणी के अनुसार किया जाता है और सारी रकम परियोजना की अन्तिम तारीख तक खर्च की जानी होती है।

सरकार ने विश्व बैंक की सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति में सुधार लाने और उनकी प्रगति की निकट से समीक्षा करने और उसका परिवीक्षण करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में और केन्द्रीय स्तर पर प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के सचिवों की अध्यक्षता में समीक्षा समितियों की स्थापना की है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 770 दि० 20-2-1981 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को बैंकों से ऋणों से सम्बन्धित अतारांकित प्रश्न संख्या 770 के उत्तर के भाग (ख) तथा (ग) की दूसरी पंक्ति में आंकड़ों में गलती हो गई थी। उसके दूसरे वाक्य, "प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के कुल अग्रिमों के 34 प्रतिशत" के स्थान पर अब इस वाक्य को इस प्रकार पढ़ा जाए, "दिसम्बर, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को 15.90 लाख ऋण खातों के अधीन कुल 250 करोड़ रुपये के अग्रिम दिये गये जो प्राथमिकता-

प्राप्त क्षेत्र के अधीन दिये जाने वाले समग्र अग्रिमों का 4.1 प्रतिशत है।" इस भूल के लिए खेद है।

क्योंकि इस भूल का पता हाल में ही उस समय लगा जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये आंकड़ों की जांच की जा रही थी। इसलिए शुद्धि पत्र पहले जारी नहीं किया जा सका। इस भूल का पता चलते ही इसे सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

श्री विद्याचरण शुक्ल द्वारा कार्य परिषद से त्याग पत्र के बारे में

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं निदेश संख्या दो के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

मेरी राय में ऐसे मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है जो इतनी अधिक प्राथमिकता का नहीं है। अन्य मामले भी हैं जो आज महत्व के हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उस पर प्रस्ताव दे सकते हैं। मैं उस पर विचार करूंगा। इस पर आप एक और प्रस्ताव दे सकते हैं।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, एक और बात है। नियम 389 के अनुसार आप इस सभा की मर्यादा और इसके स्तर आदि का संरक्षण करने के लिए हैं। जब संसद के सत्र के दौरान किसी मंत्री को हटाया जाता है तो हम इसके बारे में कारण जानना चाहेंगे। यदि मंत्रिमंडल में पुनर्गठन के सामान्य कार्य के समय ऐसा किया जाता है तो हम विचार नहीं करते। गत अवसर पर भी.....

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने नियम पढ़ लिये हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं एक पूर्वोदाहरण प्रस्तुत करूंगा। जब श्री मोहन धारिया को संसद के सत्र के दौरान त्याग-पत्र देने को कहा गया था तो उन्होंने त्याग-पत्र देने के बारे में सभा में एक वक्तव्य दिया था। आज भी वैसा ही कुछ होना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : हमने मोशन दिया है कि नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री वी० सी० शुक्ला.....

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या यह असाधारण स्थिति नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दूंगा (व्यवधान) मैंने इस समस्या का अध्ययन किया है। मैं इस विषय पर नियम 199 के उपबन्ध की ओर सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहूंगा जो अन्य बातों के अलावा इस प्रकार है :

"199 (1) जो सदस्य मंत्रिपद का त्याग कर दे वह अध्यक्ष की सम्मति से अपने पद त्याग के स्पष्टीकरण के लिये व्यक्तिगत वक्तव्य दे सकेगा।"

यहां "दे सकेगा" शब्द का प्रयोग किया गया है और मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा यह विनिर्णय

दिया गया है कि मंत्री के लिए वक्तव्य देना अनिवार्य नहीं है और न ही अध्यक्ष को उनको विवश करने का अधिकार है परन्तु जब कभी भी वह ऐसा करने का निर्णय करे, वह ऐसा कर सकता है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : समाचार-पत्रों में कहा गया है कि उनको कार्यकुशलता के अभाव के कारण हटाया गया है क्योंकि इस बारे में चीनी का घोटाला और अनेक बातें कही गई हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रधान मंत्री के विवेक पर निर्भर है। (व्यवधान) जी नहीं। मैं सभी बैध बातों को देख चुका हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या यह असाधारण स्थिति नहीं है कि संसद के सत्र के दौरान उनको हटाया गया है ?

(व्यवधान)

श्री नीरेन घोष : प्रधान मंत्री वक्तव्य दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने सारे पिछले रिकार्ड देख लिये हैं और उन सब में अन्तिम रूप से कहा गया है कि कुछ नहीं किया जा सकता। अतः मैं मंत्री महोदय को विवश नहीं कर सकता.....

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, आप प्रधानमंत्री से वक्तव्य देने के लिए कह सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास अध्यक्षता का विनिर्णय है। यह विनिर्णय 1965 का है। श्री टाईटलर, आप क्यों बोल रहे हैं ? आप बैठ जाइए। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह अध्यक्ष का विनिर्णय है। यह स्पष्ट विनिर्णय है। मेरे पास बहुत से पूर्वोदाहरण हैं।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं आपके विनिर्णय का प्रतिवाद नहीं कर रहा हूं।.....

अध्यक्ष महोदय : मेरा प्वाइंट यह है कि मैं किसी को विवश नहीं कर सकता। (व्यवधान) कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)** मैं इस विषय पर स्पष्ट रूप से जानता हूं इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। (व्यवधान) अब पत्र सभा पटल पर रखे जायें—श्री प्रणव कुमार मुखर्जी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

1981-82 के लिए वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं वर्ष 1981-82 के लिये वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 2145/81]

** कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, संविधान के अन्तर्गत सरकार सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। यदि आज जैसा कि हमें समाचार-पत्रों से मालूम हुआ है कि चीनी का घोटाला हुआ है, कार्यकुशलता का अभाव है जिससे प्रधान मंत्री को अपने एक वरिष्ठ सहयोगी को त्याग-पत्र देने के लिये कहना, दूसरे शब्दों में उनको बर्खास्त करना आवश्यक हो गया तो इसके बाद पूरा संवैधानिक प्रश्न सामने आता है क्योंकि हमारा सरकार के साथ सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रधान मंत्री अथवा मंत्री पर निर्भर करता है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या आप मुझे अपनी बात पूरी करने देंगे ? मेरा प्वाइंट यह है कि सरकार सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। यदि आज प्रधान मंत्री के कार्यालय से यह बताया जाता है कि मंत्री महोदय उत्तरदायी रहे हैं, मंत्री महोदय कार्यकुशल नहीं रहे हैं, मंत्री महोदय का चीनी घोटाले में हाथ रहा है और मंत्री के विरुद्ध आरोप हैं तो समूची सरकार का सम्बन्ध है। मैं यही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। यह उनका कर्त्तव्य और परमाधिकार है कि वह किसी भी मंत्री को वैसा करने के लिए हटाये या न हटाये। मैं कुछ नहीं कर सकता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं किसी मंत्री को बदलने के प्रधान मंत्री के अधिकार का प्रतिवाद नहीं करता। हम विनिर्णयों आदि से भी पीछे नहीं रहते हैं परन्तु संसद के सत्र में जब किसी मंत्री को हटाया जाता है तो आप मानेंगे कि यह एक असाधारण स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं है। कोई पूर्वोदाहरण नहीं है, मैंने इसे देख लिया है। मुझे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मैंने इसे देख लिया है और इस विषय का पूरा अध्ययन किया है और मैं इस बारे में पूरी तरह तैयार हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या यह असाधारण स्थिति है या नहीं ! मैं केवल आपकी राय जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। वह दूसरी बात है। मैं नियमों के अनुसार चल रहा हूं.....अस्वीकृत कर दिया गया।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : प्रधान मंत्री ने उनको लिया था। वह उनको हटाये जाने के कारण बताने के लिए यहां क्यों नहीं उपस्थित हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तरदायी हैं। (व्यवधान) आप क्यों बोल रहे हैं ? यदि आपका व्ययस्था का प्रश्न है तो एक-एक करके बोलिए।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : आपके प्वाइन्ट आफ आर्डर पर मैं ने अपनी रूलिंग दे दी है।

श्री राम विलास पासवान : आपने सुना नहीं।

अध्यक्ष महोदय : सुनकर दिया है।

श्री राम विलास पासवान : मैंने दो मोशन दिए हैं, आपने रेजेक्ट भी नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने रेजेक्ट कर दिया है एडजर्नमेन्ट मोशन।

श्री राम विलास पासवान : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी ?

अध्यक्ष महोदय : कालिंग अटेंशन नहीं किया है।

मैं यहां ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर चर्चा नहीं करूंगा।

श्री राम विलास पासवान : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर मन्त्री के इस्तीफ़े के ऊपर नहीं है। मन्त्री के इस्तीफे के कारण देश में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके सम्बन्ध में मैंने दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उसे हमें देखना है। वह मेरे विचाराधीन है। मैं इस पर यहां चर्चा नहीं कर सकता; मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा (**व्यवधान**) आप अधीर क्यों हो रहे हैं ?

श्री रशीद मसूद : मैं आपकी इजाजत से एक सवाल उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष महोदय,**

अध्यक्ष महोदय : जब तक वह यह नहीं बताते कि वह किस नियम के अन्तर्गत ऐसा कर रहे हैं तब तक कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (**व्यवधान**)** कुछ नहीं किया जा सकता। केवल मेरे चैम्बर में बताइए, यहां नहीं। वह मेरे विचाराधीन है·····बेमतलब क्यों बोल रहे हैं ? कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (**व्यवधान**)**

आप नियमों को नहीं समझते हैं; आप नियम पढ़ते नहीं हैं। कुछ नहीं हो सकता·····यह कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जायेगा। आप यह क्यों नहीं देखते कि ध्यानाकर्षण की सूचनाओं पर यहां चर्चा नहीं की जाती ?

श्री हरिकेश बहादुर :**

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं होगा; अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, आप इतनी जल्दी में हैं तो मेरी बात नहीं सुनेंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, सुनूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं औचित्य का मामला उठाना चाहता हूं। जब प्रधान मंत्री किसी को मन्त्री बनाती हैं तो उसे सदन में लाकर उसका परिचय कराती हैं मगर जब मंत्रिमंडल से हटाती हैं तो भी सदन को बताना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : परिचय तो पहले हुआ रहता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नियुक्ति के समय परिचय होता है मगर जब अलग किया जाए तब भी सदन को सूचित करना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय : आप कोई प्रिसीडेण्ट या हल हो तो बताइए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मगर पहले कभी इस तरह से हटाया भी नहीं गया है।

** कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मैं इस त्याग पत्र के बारे में एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपने स्पष्ट रूप से यह नियम पढ़ें हैं कि यदि वे चाहें, तो एक वक्तव्य दे सकते हैं। परन्तु मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि यदि कोई मंत्री जो त्यागपत्र दे चुका है वक्तव्य देने में डर महसूस करता है, क्या आप उन्हें संरक्षण देंगें.....

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कोरामाइन का टीका लगाएं।

श्री नीरेन घोष : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

नीरेन घोष : नियम 355 के अन्तर्गत। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रिमण्डल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है.....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, पहले ही अस्वीकार किया जा चुका है। मैं पहले निर्णय दे चुका हूं.....

श्री नीरेन घोष : मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रिमण्डल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है.....

अध्यक्ष महोदय : यह मामला उठाने के लिए पहले ही स्वीकार किया जा चुका है। मैं पहले ही निर्णय कर चुका हूं। अब कोई प्रश्न नहीं। कुछ भी नहीं। मैंने पहले ही अपना निर्णय दे दिया है।

(व्यवधान)**

श्री नीरेन घोष : आप इसे कार्यवाही वृतांत में से क्यों निकाल रहे हैं ? क्या आप रुष्ट हैं ? मैं बैठ जाऊंगा। इसे कार्यवाही वृतांत से न निकालें।

अध्यक्ष महोदय : आप अब जो कुछ कह रहे हैं वह कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जायगा। आपने जो कुछ मेरी अनुमति के बिना कहा है वह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं होगा।

श्री रतन सिंह राजदा : मैं इससे सहमत हूं कि मंत्रियों की नियुक्ति और उन्हें हटाना प्रधान मंत्री का विशेषाधिकार है। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। मैं इस पर कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूं। यहां, यह चीनी का घोटाला है जो पहले ही समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं पहले ही अपना निर्णय दे चुका हूं। यह मात्र पुनरावृत्ति है। अब श्री कुरियन। नहीं, महोदय, मैं पहले ही अपना निर्णय दे चुका हूं। यह प्रधान मंत्री का कार्य है। (व्यवधान)**

इसे उठाने के कई अवसर हैं। (व्यवधान)** मैंने श्री कुरियन को अनुमति दी है।

(व्यवधान)**

नहीं। कुछ भी विशिष्ट नहीं। श्री राजदा अब जो कुछ कह रहे हैं वह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा

प्रो० पी० जे० कुरियन : (मवेली कारा) यह मंत्री के त्याग पत्र अथवा प्रधान मंत्री द्वारा उन्हें हटाने का—जो कि, उनका अधिकार है, का प्रश्न नहीं है। परन्तु प्रश्न यह है कि मंत्री जी को उनके चीनी के घोटाले में संलग्न होने के कारण हटाया गया है, जो कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है।

** कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रधान मंत्री पर निर्भर है। प्रोफेसर साहब, मैं पहले ही इसे कर कर चुका हूं। आप एक ही बात बारबार क्यों दोहराना चाहते हैं? कुछ नहीं हो सकता। (व्यवधान)** कुछ भी नहीं। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री वी० किशोर चन्द एस० देव : (पार्वतीपुरम) जब संसद का सत्र चल रहा है, प्रधान मंत्री ने एक मंत्री को विशिष्ट आरोपों के आधार पर हटाया है, जो कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। सदन को यह जानने का अधिकार प्राप्त है कि यह आरोप क्या है, और प्रधानमंत्री ने किस आधार पर कार्यवाही की है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इसे अस्वीकृत कर चुका हूं। (व्यवधान)** कुछ भी नहीं। अनुमति नहीं है। श्रीमती दण्डवते।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : हम यह जानना चाहेंगे कि क्या उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता। कुछ मत कहिए।

श्री बापू साहिब परुलेकर : (रत्नगिरी) मुझे इस संदर्भ में तीन छोटे से निवेदन करने हैं। पहला है : वाजपेयी जी ने एक वक्तव्य दिया है कि सदन में यह प्रथा है·····(व्यवधान) अध्यक्ष ने मुझे अनुमति दी है।

श्री जगदीश टाइटलर : खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : अब क्यों व्यवधान पैदा कर रहे हैं?

श्री जगदीश टाइटलर : एक ओर आप कहते हैं कि कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। वे सदन का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

श्री बापू साहिब परुलेकर : वाजपेयी जी ने कहा है कि सदन की यह प्रथा है कि जब कभी नया मंत्री नियुक्त किया जाता है, उसका परिचय करवाया जाता है। परन्तु जब मंत्री को हटाया जाता है, अथवा जब वे त्याग पत्र देते हैं·····

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इस पर अपना निर्णय दे चुका हूं।

श्री बापू साहिब परुलेकर : आपने पूछा है! "नियम क्या है?" मैं आदर सहित निवेदन करता हूं कि निगम 384 के अन्तर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए, क्या आप एक स्वस्थ्य परम्परा कायम नहीं करेंगे, चाहे इसके कोई पूर्व उदाहरण नहीं है? यह मेरा एक निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से पहले से ही स्थापित परम्पराएं काफी स्वस्थ है। मैं उन्हें और अधिक स्वास्थ्य नहीं बनाना चाहता।

श्री बापू साहिब परुलेकर : यह परम्परा भविष्य में बताई जा सकती है। यह एक स्वस्थ परम्परा है और भविष्य के लिए यह एक मार्ग दर्शन होगी।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। आप तो रुस्तमे-जमां बनाना चाहते हैं।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बापू साहिब परुलेकर : मेरा दूसरा निवेदन है (व्यवधान) । मैं अभी खड़ा हुआ हूं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान.....के बारे में एक लम्बी वार्ता थी ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी नहीं । कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । अब सभा पटल पर पत्र रखें जाएंगे ।

मसाला निर्यात संवर्धन परिषद एरणाकुलम कोचीन को वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) मसाला निर्यात संवर्धन परिषद, एरणाकुलम कोचीन के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे ।

2. मसाला निर्यात संवर्धन परिषद एरणाकुलम, कोचीन के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 2146/81]

मध्य प्रदेश सशस्त्र बल के संबंध में सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के अधीन अधिनियम

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया) : मैं सभा-पटल पर सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 139 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० आ० 159 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 10 मार्च 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा सीमा सुरक्षा बल के सदस्यों को वे शक्तियां प्रदान की गई है जिनका प्रयोग मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल अधिनियम, 1968 की धारा 8 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल के समकक्ष अधिकारी कर सकते हैं, की एक प्रति रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 2147/81]

भारतीय निवेश केन्द्र नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : **श्री मगनभाई बारोट की ओर से** : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

1. भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति तथा लेखे ।

2. भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली में वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 2148/81]

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

लोक लेखा समिति

25 वां प्रतिवेदन

सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर छठा प्रतिवेदन

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा में प्रस्तुत करता हूं :—

1. सलाल पन-बिजली परियोजना स सम्बन्धित 25वां प्रतिवेदन।
2. संघ उत्पाद शुल्क से सम्बन्धित 149वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर छठा प्रतिवेदन।

———

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

नौवां प्रतिवेदन

श्री बंसीलाल (भिवानी) : मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा एयर इंडिया के कार्यकारी अधिकारियों को मिलने वाली परिलब्धियां—एक अध्ययन से सम्बन्धित सरकारी उपक्रमों से सम्बन्धित समिति (छठी लोक सभा के 42वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार में की गई कार्यवाही पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का नवां प्रतिवेदन। हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

श्री पी० वी० जी० राजु (बोबिली) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

———

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास में हुए एक प्रेस सम्मेलन में भारतीय पत्रकारों के प्रति भेदभाव का समाचार

श्री रामस्वरूप राम (गया) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर विदेश मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास में श्रीमती चार्लट हुब्बल द्वारा 16 मार्च, 1981 को बुलाये गये कथित प्रेस सम्मेलन में भारतीय पत्रकारों को भाग लेने से रोक कर उनके प्रति बरते गये भेदभाव का समाचार।"

विदेशी मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 17 मार्च के अखबारों में छपी इस आशय की खबरें देखी हैं कि दिल्ली पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री के० एन० गुप्ता ने अमरीकी नागरिक श्रीमती केरलाटी ह्यबेल से बातचीत के लिए भारतीय संवाददाताओं

को न बुलाए जाने के सम्बन्ध में अमरीकी राजदूतावास को विरोध-पत्र भेजा है और दिल्ली पत्रकार संघ के महासचिव, श्री एस० के० पाण्डे के उस वक्तव्य को भी देखा है जिसमें उन्होंने श्रीमती ह्यूबेल से अमरीकी संवददाताओं की भेंट-वार्ता के दौरान भारतीय संवाददाताओं को न बुलाये जाने को "अपमान जनक" कहा है। इन विरोधों को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्रालय ने अमरीकी राजदूतावास से कथित भेदभाव बरते जाने के सम्बन्ध में पूछ-ताछ की और इस पर बल दिया कि यदि यह बात सच है तो यह एक अवांछनीय घटना है। अमरीकी राजदूतावास के अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में जो स्पष्टीकरण दिया है, वह इस प्रकार है :

अमरीकी नागरिक श्रीमती केरलॉटी ह्यूबेल अपने पति के साथ पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स के उस विमान में यात्रा कर रही थीं जिसे 2 मार्च, 1981 को अपहरण करके काबुल ले जाया गया था। काबुल में अन्य महिलाओं और बच्चों के साथ उन्हें भी रिहा कर दिया गया था। श्रीमती ह्यूबेल, बुधवार, 11 मार्च को विमान द्वारा नई दिल्ली पहुंची और दिल्ली स्थित अमरीकी राजदूतावास ने दिल्ली में उनके रहने की व्यवस्था की जहां कि वह इस विमान अपहरण कांड के अन्तिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रही थीं। उनके दिल्ली पहुंचते ही नई दिल्ली के पत्रकारों ने अपहरण की इस घटना के बारे में उनका इन्टरव्यू लेना चाहा लेकिन उनका विचार था कि जब तक उनके पति और अन्य बंधकों को छोड़ नहीं दिया जाता तब तक वह संवाददाताओं से बातचीत नहीं करेंगी और न अपहरण के सम्बन्ध में कोई वक्तव्य ही देंगी। जब इस बात के संकेत मिल गये कि बंधकों को छोड़ दिया जायेगा तो रविवार, 15 मार्च को पहले-पहल उन्होंने संवाददाताओं से मिलना स्वीकार किया। अमरीकी राजदूतावास के समाचार प्रभाग ने यह संकेत दिया था कि 15 मार्च को दोपहर बाद वह सभी वर्गों के संवाददाताओं से मिलेंगी, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी। लेकिन इससे पूर्व ही श्रीमती ह्यूबेल ने अपना विचार बदल दिया और कहा कि चूंकि उनके पास इसकी कोई पक्की खबर नहीं है कि उनके पति को छोड़ दिया गया है और वह सचमुच सही-सलामत हैं, इसलिये वे संवाददाताओं से नहीं मिलना चाहतीं। इस प्रकार 15 मार्च को जब भारतीय तथा विदेशी पत्रकार अमरीकी राजदूतावास पहुंचे तो उनके प्राधिकारियों ने उन्हें यह बताया कि पत्रकारों के साथ भेंट-वार्ता रद्द कर दी गई है। लेकिन अगले दिन, 16 मार्च को श्रीमती ह्यूबेल नई दिल्ली स्थित अमरीकी प्रेस-प्रतिनिधियों से पूर्णतया अनौपचारिक और निजी स्तर पर बातचीत करने के लिए राजी हुई। अमरीकी राजदूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पत्रकारों के साथ उनकी बातचीत को संवाददाता सम्मेलन न माना जाए। स्थानीय अमरीकी संवाददाताओं ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया और ए० पी०, यू० पी० आई०, एन० बी० सी०, बी० ओ० ए०, टाइम मेगजीन और वाशिंगटन पोस्ट के संवाददाताओं ने सोमवार, 16 मार्च को श्रीमती ह्यूबेल से लगभग आधे घंटे तक बातचीत की।

अमरीकी राजदूतावास के अधिकारियों के अनुसार श्रीमती ह्यूबेल और पत्रकारों के बीच की बातचीत पूरी तरह से उनके विवेक का विषय है। राजदूतावास ने विदेश मंत्रालय को यह सूचित किया है कि भारतीय पत्रकारों के साथ भेद-भावपूर्ण व्यवहार करने का उनका कोई इरादा नहीं था। श्रीमती ह्यूबेल मंगलवार, 17 मार्च को नई दिल्ली से फ्रैंकफर्ट के लिए रवाना हो गई थीं।

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वान् मंत्री ने जो जवाब दिया है इस सदन में, अगर हम इसकी गहराई में जायेंगे तो हमें स्वयं इस बात का पता चलेगा कि प्रेस कांफ्रेंस में हमारे देश के जो पत्रकार बंधु थे उनको भाग नहीं लेने दिया गया ।

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जैसा कि आप जानते हैं कि हाईजेकिंग एक बहुत बड़ा पाप है और इससे बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं है। जिन कारणों से ऐसे काम होते हैं उनमें जो बड़ी शक्ति है अमेरिका, उसका बड़ा हाथ रहा करता है ।

11 मार्च को जब हाईजेक किये गये विमान को छोड़कर वे नई दिल्ली पहुंचीं तो हमारे देश के पत्रकार बंधुओं ने, जो कि लोकतंत्र के प्रहरी माने जाते हैं, इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि इस हाइजेकिंग के पीछे कौन-सी शक्ति है ताकि वे देश के लोगों को यह बता सकें कि इसके पीछे हाईजेक करने वालों का क्या मंशा था, क्या इरादा था । हमारे सारे देश की जनता का और लोगों का इस पर ध्यान लगा हुआ था कि वे यह जानें कि इसकी अहमियत क्या है, इसके पीछे राज क्या है और इसके पीछे कौन-सी शक्तियां हैं । ऐसे वातावरण में हमारे पत्रकार बंधु श्रीमती ह्वेल के पास गये यह जानने के लिए कि आपके प्लेन का जो हाईजेकिंग हुआ है और उसके कारण आपको जो कठिनाइयां हुई हैं उनसे हमारे देश का एक-एक नागरिक, एक-एक बुद्धि-जीवी, एक-एक पत्रकार बहुत दुःखी है और वह यह पता लगाना चाहता है कि इसके पीछे कौन-सी परिस्थितियां थीं, इसमें आपको क्या-क्या दिक्कतें आयीं । पहले तो उन्होंने प्रेस बन्धुओं को इग्नोर किया और बाद में यह एलान किया गया कि 16 मार्च को प्रेस कांफ्रेंस करेंगी ।

मान्यवर, प्रेस कांफ्रेंस में तमाम पत्रकार बंधु होते हैं—चाहे वे रूस के हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे भारत के हों, सभी को बुलाने की बात होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान टाइम्स में जो 17 मार्च, 1981 को रिपोर्ट प्रकाशित हुई है वह यह है :—

> "हमें दुःख है, महोदय ! हम गौरी चमड़ी वाले हैं । अमरीकन दूतावास में अमरीकी क्लब में आयोजित किया गया आज का प्रेस सम्मेलन केवलमात्र विदेशी समाचार पत्रों के लिये था ।"

इन सारी बातों से पता चलता है कि अमरीका एक रंग-विभेद वाला कंट्री है। सिर्फ दिखावे के तौर पर ही के डेमोक्रेसी की बात करते हैं, प्रजातंत्र की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा तानाशाही प्रवृत्तियों का समर्थन किया है और हमेशा कोई न कोई बहाना बनाते रहते हैं । हमारे रिप्यूटेड जर्नलिस्ट श्री के० एन० गुप्ता और श्री एस० के० पाण्डे ने कहा है कि यह पूरे हिन्दुस्तान का ह्यूमिलिएशन है । यह सिर्फ पत्रकार-बंधुओं का ही ह्यूमिलिएशन नहीं है । इससे इस बात की गम्भीरता का पता चलता है कि हिन्दुस्तान के प्रति अमरीका की नीति क्या है । अमरीका हिन्दुस्तान के बारे में क्या सोचता है । अमरीका हिन्दुस्तान को हमेशा टेंशन में रखना चाहता है और यह कार्य इसीलिए किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ? मैं सीख रहा हूं ।

श्री रामस्वरूप राम : मैं इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए तजुर्बेकार और विद्वान् मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस नापाक रवैये के बारे में, जो उनके द्वारा अपनाया गया, क्या इसकी जांच कराई जाएगी ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : श्रीमन्, मैं पहले ही कह चुका हूं कि उनके पास से जवाब आया है, उनका यह रवैया नहीं रहा और इसलिए विशेष जांच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री रामस्वरूप राम : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक सवाल पूछने का और मौका दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं; प्रश्न यह नहीं है। आपका समय पूरा हो चुका है। दो प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जाती।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमुगाम्ये) मैं नहीं समझता कि आयोवा अमरीका की महिला सहित किसी भी व्यक्ति के सीमित 'ब्रीफिंग' या प्रेस सम्मेलन में किन्हीं व्यक्तियों को बुलाने और किन्हीं को न बुलाने के अधिकार पर आपत्ति उठाई जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है और किसी को इस पर आपत्ति नहीं हो सकती। परन्तु अब मेरी जानकारी के अनुसार इस सम्मेलन में बुलाये गये इन व्यक्तियों में एक भारतीय था जो अमरीकी एजेन्सी के संवाददाता के रूप में काम कर रहा है। इसके कारण मेरे मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है। प्रश्न यह है : भारत तथा अन्य सभी देशों में विशेषरूप से एशियाई देशों में अफ्रीकी देशों में तथा लेटिन अमरीकी देशों में-गुट निरपेक्ष देशों में अमरीकी दूतावास तथा अन्य महाशक्तियों के दूतावास अपने निकट पत्रकारों के विशेष समूह को रखते हैं जिनको वे अनुचित प्रश्रय देते हैं। अमरीकी दूतावास, संयुक्त राज्य सूचना सेवा, जो कि उनका सांस्कृतिक क्षेत्र है अब जिसका नाम अन्तर्राष्ट्रीय संचार एजेन्सी है—के पास बहुत अधिक पैसा है और मेरी जानकारी के अनुसार इस धनराशि का उपयोग प्रायः पत्रकारों के एक विशेष समूह को प्रसन्न रखने के लिए किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, ये पत्रकार जानते हुए अथवा अनजाने में यहां पर अमरीकी हितों का प्रचार करते हैं। कई बार अमरीकी हितों का यह प्रचार अथवा अन्य महाशक्तियों के हितों का प्रचार, भारत में नहीं तो एशिया में बहुत से अन्य इसी प्रकार के देशों में, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, अफ्रीका में, लेटिन अमरीका में, वहां के शासन को अस्थिर करने में योगदान कर सकता है और किया है। अतः मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह संयुक्त राज्य सूचना सेवा द्वारा वितरित धनराशियों पर कोई नियन्त्रण रखते हैं, हालांकि अन्य महाशक्तियां भी मेरे ध्यान में हैं, परंतु यहां पर प्रश्न अमरीकी दूतावास से ही सम्बद्ध है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या सरकार जहां तक समाचार पत्रों का संबंध है, तथाकथित सांस्कृतिक जानकारी और सांस्कृतिक गतिविधियों के नाम पर संयुक्त राज्य सूचना सेवा अब आई० सी० ए० द्वारा पैसा बांटने पर कोई नियन्त्रण रखती है।

पत्रकारों तथा समाचार पत्रों के अन्य व्यक्तियों को कई बार ऐसे तरीकों से जैसे कि उनको अध्ययन दौरों पर गोष्ठियों आदि में अमरीका भेज कर खुश रखा जाता है जो कानूनी कहे जा सकते हैं। पत्रकार भारत सरकार की अनुमति से वहां पर जाते हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह उन पत्रकारों की सूची सभा पटल पर रख सकती है जो पिछले तीन वर्षों में अध्ययन दौरों, गोष्ठियों तथा इसी प्रकार के अवसरों पर संयुक्त राज्य सरकार अथवा संयुक्त राज्य दूतावास अथवा संयुक्त राज्य सरकार के सहयोगी संगठनों के आमन्त्रण पर संयुक्त राज्य अमरीका गये हैं।

दूसरी बात मैं जो उठाना चाहता हूं वह यह है कि यह केवल अमरीकी दूतावास ही नहीं है जैसा कि यहां पर कहा गया है जो समाचार पत्रों के संवाददाताओं को अनुचित प्रश्रय देता है।

स्वयं हमारी सरकार जानते हुए अथवा अनजाने में उनको अनुचित प्रश्रय देती है। आपको पता है कि जब अमरीकी राष्ट्रपति प्रेस सम्मेलन बुलाते हैं तो विदेशी संवाददाताओं को कभी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती और अन्तर्राष्ट्रीय संबंध पारस्पारिकता के आधार पर चलते हैं। इन परिस्थितियों में हमारे बड़े-बड़े नेताओं द्वारा विदेशी संवाददाताओं को प्रश्न पूछने की अनुमति क्यों दी जाती है और वे पारस्परिकता के नियम का पालन क्यों नहीं करते। हमारी सरकार को अमरीकी सरकार के साथ यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिए जिससे कि इस नियम को जिसका वे पालन करते रहे हैं, बदला जाये ताकि विदेशी संवाददाता और उनके साथ भारतीय संवाददाताओं को भी पारस्परिकता के आधार पर अमरीकी राष्ट्रपति से प्रश्न पूछने की अनुमति मिले।

सरकार स्थायी आवास के आधार पर स्थायी मान्यता प्रदान करती है। परन्तु यह सर्व विदित तथ्य है कि वे करों से बचने के लिए प्राय: 89 दिनों से अधिक अवधि के लिए इस देश में नहीं ठहरते। क्या सरकार इस पर नियन्त्रणा रखती है। सरकार का मान्यता के वापस लेने अथवा इस बात को देखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि उनके द्वारा सरकारी खजाने को देयराशि की अदायगी की जाये। इसके अरिरिक्त मेरी जानकारी यह है कि कुछ ऐसे विदेशी संवाददाता हैं जो करों से बचने के लिए यह घोषणा करते हैं कि उनकी आय 3000/- रु० से अधिक नहीं है। हमारी सरकार इस बारे में बहुत उदार और उदासीन है। तथापि, स्वयं हमारे लोगों के मामले में, उनके लेखों की छानबीन की जाती है।

मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इन बातों के बारे में कुछ बतायें।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैंने देखा है कि अधिकतर प्रश्न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से नहीं उठते अथवा बिना छानबीन के उनका उत्तर देना मेरे लिए उचित नहीं होगा। मैं माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई जानकारी अथवा उन सभी संवाददाताओं की सूची जो अमरीकी सरकार के आमन्त्रण पर अमरीका गए हैं उनको अथवा सदन को उपलब्ध कर दूंगा। सूची सदन को उपलब्ध की जा सकती है। उस बारे में कोई दिक्कत नहीं है।

उस महिला से मिलने वालों में एक भारतीय के होने के बारे में मेरे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है। परन्तु मैं इतना निश्चित रूप से जानता हूं कि विदेशी समाचार पत्रों के कुछ संवाददाता भारतीय हैं। अत: इस रूप में भी वह भारतीय वहां पर हो सकता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या वह आमंत्रित था ? अथवा वह स्वयं वहां गया था ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह एक नियमित प्रेस सम्मेलन नहीं था। पहले से आयोजित प्रेस सम्मेलन रद्द कर दिया गया था। अगले दिन यह एक अनौपचारिक मिलन था और दूतावास अधिकारियों के अनुसार श्रीमती हव्वर ने इस बात पर बल दिया कि इसको नियमित प्रेस सम्मेलन न माना जाये। अत: मैं समझता हूं कि यह प्रश्न स्पष्ट कर दिया गया है। हमने मामला उठाया और उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया। हमें उस पर और आगे जाने की जरूरत नहीं है और यह मामला यहीं पर समाप्त माना जाना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं नियम 355 के अधीन इसे उठा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में मैं छानबीन के बिना उत्तर नहीं दे सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही यह कह चुके हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री नवल किशोर शर्मा : श्री रामस्वरूप राम के प्रश्न का उत्तर देते समय मंत्री महोदय ने 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे समाचार के सम्बद्ध भाग का उत्तर नहीं दिया है जिसमें कहा गया है "हमें दुख: है, महोदय। हम गौरी चमड़ी वाले हैं।" यह सारी समस्या की जड़ है। यद्यपि यह अनौपचारिक बातचीत हो सकती है, जैसा कि अमरीकी दूतावास ने दावा किया है, यद्यपि अमरीकी दूतावासे ने पहले दिन एक नियमित प्रेस सम्मेलन आयोजित किया था। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का महत्व अमरीकी दूतावास के भारतीय पत्रकारों के प्रति व्यवहार के संबंध में है। जांच करने की बात यह है कि क्या यह उत्तर कि "हमें दुःख है, महोदय, हम गोरी चमड़ी वाले हैं।" अमरीकी दूतावास द्वारा दिया गया था। यद्यपि माननीय मंत्री ने श्री फैलीरो को दिये अपने उत्तर में यह कहा है कि इस मामले को आगे नहीं उठाया जाना चाहिये, परन्तु मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या अमरीकियों द्वारा रंग के आधार पर किया गया यह भेदभाव उचित है, विशेष रूप से.....

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : रंग के आधार पर नहीं, एक भारतीय वहां पर था।

श्री नवल किशोर शर्मा : डा० स्वामी कहते हैं कि एक भारतीय वहां पर था। परन्तु हम तथ्य नहीं जानते। मंत्री महोदय द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि वहां पर एक भारतीय उपस्थित था। परन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, हालांकि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से नहीं उठता, कि क्या यह अमरीकी सरकार के भारत के प्रति कठोर रवैये का द्योतक नहीं है। क्योंकि, हमने समाचार पत्रों में छापे समाचार देखे हैं जिनमें कहा गया है कि अमरीका पाकिस्तान को भारी पैमाने पर शस्त्रास्त्र दे रहा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का विषय होना चाहिए था।

श्री नवल किशोर शर्मा : इस अन्तर्राष्ट्रीय घटना को देखते हुए और रीगन प्रशासन के गुट-निरपेक्ष देशों, विशेषरूप से भारत के प्रति रवैये को देखते हुए क्या यह अमरीका प्रशासन के कठोर रवैये का द्योतक नहीं है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : सबसे पहले मैं नहीं समझता कि इसमें रंग का कोई प्रश्न है। जहां तक अमरीकी रवैया कठोर होने की बात है हमें इस प्रकार की घटनाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिये। बहुत से अन्य ऐसे संकेत हो सकते हैं, उनके बारे में यदि मामला उठाया जाये तो मैं वक्तव्य दे सकता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार करेंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, अमरीकी दूतावास में भारतीय पत्रकारों के प्रति अपमानजनक व्यवहार की यह घटना समय से पहले नहीं घटी है। वास्तव में, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है, हमें अमरीकी रवैये के बारे में और बड़े झटके सहन करने पड़ेंगे। मैं समझता हूं

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कि मूल प्रश्न रंग का नहीं है हालांकि यह भी इसके साथ है। वास्तविक प्रश्न रवैये का है और मैं यह मानने को मजबूर हूं कि अमरीकी प्रशासन में परिवर्तन के संदर्भ में एक निश्चित परिवर्तन हुआ है.....

एक माननीय सदस्य : उद्दण्डता

प्रो० के० के० तिवारी : और यह तथ्य अमरीकी परम्पराओं का अंग है। और यह वस्तुतः अमरीकी परम्पराओं, उपनिवेशवाद की परम्पराओं, साम्राज्यवाद तथा अमरीका के लिए प्रभाव डालने वाला है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह इन सभी शक्तियों में आगे है। (व्यवधान) महोदय, डा० स्वामी मेरी बात में बाधा डालते रहोगे।

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। वह ऐसा नहीं कर सकते।

प्रो० के० के० तिवारी : जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिन्द महासागर, दिएगो गार्शिया से लेकर डा० स्वामी तक अमरीकी लोग हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। (व्यवधान) भारतीय पत्रकारों के प्रति अमरीका का यह रवैया हमारे बारे में, विशेषकर तीसरे विश्व के देशों के बारे में वे जो कुछ सोचते हैं उसका द्योतक है। ये लोग वियतनाम में मध्ययुगीन अत्याचार, कम्पूचिया पर दानवी षड्यन्त्र और उसके बाद नामीबिया के स्वाधीनता सेनानियों की हत्या में दक्षिणी अफ्रीकी शासकों के साथ अपनी बेशर्म साठ-गांठ तथा एल साल्वाडोर में हो रहे सबसे बाद के जाति विनाश के लिए उत्तरदायी थे। इन सभी घटनाओं में अमरीका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

संयोगवश, मैं एक और घटना का उल्लेख करता हूं जिसे, मुझे कहते हुए खेद है, हमारी सरकार द्वारा उल्लेखनीय स्थिरभाव से लिया गया और जो घटना भारतीय लोकतन्त्र तथा भारत सरकार के कार्यकरण के मूल्यांकन के बारे में आस्ट्रेलिया के उच्च आयुक्त के लिखित वक्तव्य से सम्बन्धित थी। उन्होंने चुपके से उस रिपोर्ट को आस्ट्रेलिया सरकार को दिया और उसे जानबूझ कर अमरीकी समाचार-पत्रों तथा आस्ट्रेलियाई समाचार-पत्रों में दे दिया गया और अर्थ का अनर्थ करने वाली टिप्पणियां इस आशय की थी कि भारतीय लोकतंत्र समाप्त हो रहा है तथा तानाशाही निकट है और मुझे बताया गया है कि वह पत्रकार भारत में अभी-भी प्रभावी बनता जा रहा है। किसी अन्य देश में उसे उस देश की सीमाओं से बाहर निकाल दिया जाता परन्तु वह अभी-भी यहां है। अतः सब बातों को मिलाकर मैं किस प्रकार देखता हूं कि यह घटना सम्पूर्ण रूप से अमरीकी रवैया है और मैं विदेश मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह वास्तविक प्रश्न को न टालें। यह घटना मामूली घटना हो सकती है, यद्यपि मैं इसे मामूली घटना नहीं समझता, परन्तु यह भारतीय पत्रकारों का और भारतीय जनता का एक अपमान है। हमें इसे समग्र रूप से देखना चाहिए।

अमरीका ने जैसाकि आप सभी जानते हैं—और प्रतिदिन समाचार-पत्रों में आ रहा है—हमारी प्रतिष्ठा मिटा दी है यद्यपि उन्होंने डा० स्वामी की प्रतिष्ठा नहीं मिटाई है। परन्तु देश के रूप में भारत, राजनीतिक अस्तित्व के रूप में भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है, अमरीकी लोगों द्वारा इसकी प्रतिष्ठा मिटा दी गई है और जैसा कि श्री शर्मा ने बताया है कि वे हमारे पड़ोस में 2 बिलियन डालर के हथियार भेज रहे हैं और ऐसा करके अमरीकावासी भारत में अस्थिरता लाने के लिए कटिबद्ध है, वे इस देश में अस्थिरता लाने के लिए कटिबद्ध हैं। इस संदर्भ में देखने से मैं समझता हूं कि यह कहना भारत के प्रति अमरीकी रवैये के बारे में बहुत-सी

बातों का द्योतक है और अब समय आ गया है जबकि हमें, मैं समझता हूं मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार ने ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी है। वह इस मामले से अवगत है और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस मामूली घटना पर गंभीरतापूर्वक विचार किया करें, यद्यपि मैं इसे मामूली घटना नहीं मानता हूं जैसा कि उनके द्वारा बताई गई है, अब इस घटना पर विचार किया जाये। मैं समझता हूं कि हमें अपनी नीतियां तैयार करनी चाहिए क्योंकि अमरीका वाले समझते हैं कि श्वेत रंग के होने के नाते उन पर अश्वेतों के प्रति एक दायित्व है। और वे यहां या तीसरे विश्व के किसी भी देश में अश्वेतों को सभ्य बनाने, शिक्षित करने और उनका शोषण करने के लिए हैं। इस रवैये का दृढ़ता और साहस पूर्वक मुकाबला करना होगा। अतः मैं माननीय विदेश मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस घटना पर हमारी प्रतिक्रियाओं, जिन पर उन्होंने ध्यान दिया है, अस्थिरता उत्पन्न करने में अमरीकी भूमिका तनावों की स्थितियां पैदा करने में और हमारी सीमाओं के समीप बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वन्दिता लाने में अमरीकी भूमिका के संदर्भ में मंत्री महोदय इस घटना पर कुछ प्रकाश डालें। और यह भी बतायें कि उपरोक्त परिस्थितियों में इस घटना का अर्थ क्या है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, मैं इस घटना को न तो मामूली समझता हूं, न बड़ी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : प्रो० तिवारी की थीसिस पर चर्चा की जाये।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जहां तक अन्य पहलुओं का सम्बन्ध है, अब केवल छः दिन रहे हैं जबकि हमें विदेश मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर हमें वाद-विवाद करना है तथा माननीय सदस्य उस समय शायद इन सभी बातों की पुनरावृत्ति करेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उनको इस प्रकार निरुत्साहित मत कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे कही हुई बात समझा जाये।

———

समिति के लिए निर्वाचन

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 के नियम 4 और 5 के साथ पठित केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निर्देश दें, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 के नियम 4 और 5 के साथ पठित केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निर्देश दें, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मूर्ति के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

— — —

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कन्याकुमारी जिला में रबड़ पर आधारित उद्योग की स्थापना

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : मैं नियम 377 के अधीन वक्तव्य दे रहा हूं।

देश में कन्याकुमारी जिला रबड़ पर आधारित उद्योगों अथवा टायर कारखाने की स्थापना के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। हमारे देश में यहां पर रबड़ का प्रति एकड़ उत्पादन सबसे ज्यादा है और गुणात्मक की दृष्टि से भी इसका सबसे ऊंचा स्थान है। रबड़ के उत्पादन की मात्रा में इसका दूसरा स्थान है। यह केरल के ठीक बाद है यद्यपि कन्याकुमारी जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथापि वहां सरकारी क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में एक भी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है। उद्योगों की स्थापना के लिए वहां अन्य मूल सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इस जिले में साक्षरता की प्रतिशतता भी अधिक है। वहां शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है। अतः सरकार अभ्यावेदन पर अनुकूल निर्णय लेकर कन्याकुमारी जिले में रबड़ पर आधारित उद्योगों अथवा टायर कारखाने की स्थापना के लिए शीघ्र आदेश जारी करे।

(दो) आन्ध्र प्रदेश में अंगोल को तम्बाकू तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान कोयले की सप्लाई

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : मैं नियम 377 के अधीन वक्तव्य दे रहा हूं।

तम्बाकू तैयार करने का मौसम दिसम्बर से मार्च तक का होता है। आंध्र प्रदेश में तम्बाकू तैयार करने के लगभग 35,000 'बर्न' (भट्टियां) हैं जिनमें से अधिकांश सुकाराय जिले में हैं।

तम्बाकू तैयार करने के लिए तीन लाख टन से अधिक की आवश्यकता होती है। तम्बाकू तैयार करने वाले उद्योग की समूची आवश्यकता के लिए कोयले की मांगें सिंगरेणी कोलियरीज कं० लि० हैदराबाद के समक्ष रखी जाती हैं। इस बार इस कोलियरी ने इस वर्ष केवल 75,000 टन कोयला सप्लाई किया जो आवश्यकता का एक चौथाई भी नहीं है।

यद्यपि कोलियरी ने रेल प्राधिकारियों से अनुरोध किया तथापि वे तम्बाकू उत्पादों को यह कहते हुए कोयला सप्लाई करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर रहे हैं कि कोयला खानों में उत्पादन की कमी के कारण रेलवे समूचे उत्पादन को रेलवे बोर्ड के अनुदेशों पर केवल बिजली घरों और रेलवे के लिए ढो रहा है।

तम्बाकू तैयार करने का काम एक मौसम विशेष में होता है और यदि इस वर्ष मार्च से पहले कोयला सप्लाई नहीं किया गया तो तम्बाकू उत्पादकों को बहुत हानि होगी। करोड़ों रुपये की हानि होगी। उससे न केवल किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा अपितु विदेशी मुद्रा में कमी के कारण सरकार पर भी प्रभाव पड़ेगा।

अतः मैं रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि तम्बाकू तैयार करने की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए कम से कम प्रतिदिन एक रेक कोयला ओंगोल के लिए भेजा जाये।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि एक रेक तो आ गया है परन्तु अभी बहुत-से और रेकों की आवश्यकता है ।

(तीन) केरल में काजू उद्योग में संकट

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : उपाध्यक्ष महोदय, केरल में काजू उद्योग, जहां 1·5 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है, को आयातित कच्चे काजुओं की कमी के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है और गैर-सरकारी काजू परिष्करणकर्ताओं द्वारा तमिलनाडु और कर्नाटक जहां वे सस्ते श्रमिकों का शोषण कर सकते हैं, कि पड़ौसी राज्यों में परिष्करण का काम चोरी-छिपे करने के सुनियोजित प्रयास का सामना करना पड़ रहा है ।

काजू के स्वदेशी उत्पादन से उद्योग की कुल आवश्यकता का मुश्किल से एक चौथाई भाग पूरा होगा । अत: उद्योग को अफ्रीकी देशों से कच्चे काजुओं के भारी आयात पर निर्भर करना पड़ा । केन्द्र ने 1970 से एक सुविचारित तथा अच्छी योजना स्वीकृत की है जिसके द्वारा आयात को भारतीय काजू निगम के माध्यम से सारणीबद्ध किया गया था । यह योजना इस उद्योग को विनाशकारी और घातक प्रतिद्वन्दिता, जिसमें काजू परिष्करणकर्त्ता अन्तर्गत थे और जिसके परिणामस्वरूप बहुत से कारखाने बंद हो गये तथा श्रमिकों में बहुत अधिक बेरोजगारी हो गई, से बचाने के लिए स्वीकृत की गई थी ।

परन्तु गड़बड़ उस समय पुन: आरम्भ हुई जब केरल सरकार ने न्यूनतम मजदूरी लागू की और श्रमिकों के लिए अन्य कानूनी लाभ आरम्भ किये । इस पर बड़े परिष्करणकर्ताओं ने अपने कुछ एककों को जानबूझकर बन्द रखा जिससे हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गये और उन्होंने तमिलनाडु और कर्नाटक में उपलब्ध सस्ते श्रमिकों का उपयोग करते हुए वहां चोरी-छिपे परिष्करण कार्य आरम्भ कर दिया । केरल सरकार ने उद्योग तथा श्रमिकों को बचाने के लिए काजू विकास निगम स्थापित किया जिसने बन्द पड़े कुछ कारखानों का अधिग्रहण किया । इस समय निगम के अधीन 35 कारखाने हैं जिनमें 35,000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि अब भारत सरकार ने काजुओं के आयात में कुछ परिवर्तन करने का विचार किया है । यद्यपि उसने आयात के सरणीकरण की मूल नीति में संशोधन नहीं किया है तथापि उसने गैर-सरकारी काजू परिष्करणकर्त्ताओं को इस शर्त पर ऐसे गैर-परम्परागत स्रोतों से काजू का आयात करने की अनुमति दे दी है कि वह 50 प्रतिशत आयातित काजू भारतीय काजू निगम को दे । गैर-सरकारी तौर पर आयात किया गया काजू केरल नहीं पहुंचा है । उसे राज्य के बाहर परिष्कृत किया गया यद्यपि आयातकर्ता केरल के वही काजू निर्माता हैं जो भिन्न-भिन्न नामों से आयात कर रहे हैं । साथ ही काजू विकास निगम को केरल सरकार द्वारा निगम के उपयोग के लिये काजुओं के आयात के लिये दी गई अनुमति केन्द्र द्वारा अस्वीकृत कर दी गई ।

भारतीय काजू निगम आयात बढ़ाने के लिए हर समय प्रयास नहीं कर रहा है । गत वर्ष, आयात नहीं के बराबर था । अत: मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि काजू के आयात के प्रश्न पर सम्बन्धित अफ्रीकी देशों के साथ सर्वोच्च स्तर पर विचार करे और भारतीय काजू निगम के माध्यम से अधिकतम मात्रा में काजू आयात करे तथा आयातित काजुओं को कारखानों को उपलब्ध कराये । गैर-सरकारी परिष्करणकर्त्ताओं को किसी भी स्थिति में काजू आयात न करने दिया जाये ।

साथ ही, मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि वह दक्षिणी राज्यों को काजू उद्योग में समान मजूरी पर सहमत होने के लिए राजी करे ताकि एक राज्य में उपलब्ध सस्ते श्रमिकों का अन्य राज्यों के उद्योग में बाधक बन कर उपयोग न करने दिया जाये।

(चार) तमिलनाडु में सूखा तथा पीने के पानी की कमी के लिए धनराशि

श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन (करूर) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1980-81 में वर्षा न होने के कारण तमिलनाडु के अधिकतर जिले सूखे से बहुत बुरी तरह ग्रस्त हैं। ऐसा पता चला था कि केन्द्रीय सरकार वहां की स्थिति का जायजा लेने के लिए और सूखा ग्रस्त क्षेत्र के लिए तमिलनाडु की मांग का मूल्यांकन करने के लिए वहां तथ्यों का अध्ययन करने के लिए एक दल भेजेगी तथा यह दल शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट देगा।

1977 के तूफान और भारी बाढ़ के बाद तमिलनाडु राज्य में वर्षा बिल्कुल नहीं हुई और अभी भी नहीं हो रही है जिसके परिणामस्वरूप वहां सभी ओर पेय जल की कमी है। खेतिहर मजदूर, छोटे और सीमांत किसान, कृषि क्षेत्र में काम करके जीविका कमाने वाले तथा ढुलाई का काम करने वाले लोग अपने-अपने गांव छोड़कर भागने को तैयार हैं और वहां पशु भी जिन्दा नहीं रह पा रहे हैं।

मद्रास के तिरुचिरापल्ली जिले के कुछ स्थानों पर 'पैर और मुंह' की महामारी से 1500 से भी अधिक सांड, बछड़े, गाय और भैंसें मर चुकी हैं, अब ऐसा लगता है कि यह बीमारी दावानल की तरह तेजी से चारों ओर बढ़ती जा रही है। पशु चिकित्सालयों में औषधियों और टीकों की कमी है और ऐसा भय है कि यह बीमारी शीघ्र ही सम्पूर्ण तमिलनाडु राज्य में फैल जाएगी। पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय को इस स्थिति का अध्ययन करना चाहिए और वहां शीघ्र ही प्रभावकारी दवाइयां भेजनी चाहिए जिससे पशुओं को नष्ट होने से बचाया जा सके।

केन्द्रीय सरकार के तथ्य-अध्ययन दल को वहां का तुरन्त दौरा करना चाहिए और वहां तुरन्त ही सभी सम्भव राहत उपाय किए जाने चाहिए। तमिलनाडु में पशुओं और मनुष्यों के भविष्य में होने वाले विनाशों से बचने के लिए वहां केन्द्र की ओर से अनाज, औषधियों और राशियों का और अधिक नियतन किया जाना चाहिए। लोगों को भूखा मरने से बचाने के लिए वहां 'काम के बदले अनाज' और 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम' को युद्ध स्तर पर कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

चूंकि वहां पर लोगों को पेय जल की तलाश में मीलों दूर जाना पड़ता है इसलिए सूखे हुए कुओं को और अधिक गहरा करने के लिए, नए कुंए खोदने के लिए तथा नए नलकूप लगाने के लिए और अधिक राशियों का नियतन किया जाना चाहिए। तमिलनाडू में लोगों की दशा बहुत ही शोचनीय व दर्दनाक है।

इसलिए, मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि तथ्य अध्ययन दल की रिपोर्ट मिलने से पहले वह पहली किश्त के रूप में तमिलनाडु सरकार को 30 करोड़ रुपए की सहायता राहत कार्यों के लिए तुरन्त प्रदान करें।

(पांच) दिल्ली में आवास समितियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन के लिए पट्टे के कागजात को स्वीकृति प्रदान करना

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं :

भारत सरकार ने दिल्ली में प्रवास हेतु बहुत सी योजनायें बनाई थीं। इस नीति के अनुसार पिछले 20 वर्षों में बहुत सी ग्रुप हाउसिंग योजनायें स्वीकृत हुई हैं। इन समितियों को जमीन भी पिछले 15-20 वर्षों से दे दी गई है। तब से बहुत सी ऐसी समितियों ने अपना विकास कार्य भी कर लिया है और गाढ़ी कमाई के लाखों रुपये जनता ने, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, इनमें खर्च किए हैं। इनमें से कुछ समितियां जो कि वर्ष 1961 में बनी थीं, अभी तक अपने सदस्यों को जमीन नहीं दे पाई है। एक ऐसा ही उदाहरण जो मेरे ध्यान में है वह है योजना आयोग एवं सांख्यिकी विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों की समिति। इस समिति के सदस्य भी अन्य समितियों के सदस्यों की तरफ से शीघ्र जमीन मिल जाने के इच्छुक हैं, जमीन विकास कार्य भी एक साल से अधिक हुए पूरा हो गया है। उनके मकान बनने की कार्यवाही तुरन्त शुरू हो सकती है अगर सरकारी महकमे कागजी कार्यवाही पूरा कर दें। यह बड़ी ही हास्यास्पद बात है कि देश की योजना बनाने वाले खुद अपने लिए योजना नहीं बना पाए हैं।

ऐसा समझा जाता है कि यह समस्या आवास मंत्रालय द्वारा लीज पेपर्स क्लियर न करने की वजह से है। प्रत्येक सदस्य का रजिस्ट्रेशन भी सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को करना है।

मैं इस विषय में योजना एवं आवास मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे स्वयं इस मामले में गौर करें एवं योजना आयोग की समिति के सदस्यों को शीघ्र जमीन एलाट करवायें।

(छः) दिल्ली महानगर परिषद के निर्वाचन

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय आज सदन में उठाना चाहता हूं :

दिल्ली मैट्रोपोलिटन कौंसिल, दिल्ली को 20 मार्च 1980 को भंग किया गया था। कानून के अनुसार कौंसिल के चुनाव 6 महीने के भीतर होने चाहिए। किन्तु सरकार ने गत वर्ष चुनाव को 6 महीने के लिए टाल दिया। चुनाव को टालने का कोई औचित्य नहीं था।

दिल्ली संघ शासित क्षेत्र है। यहां न निर्वाचित विधान सभा है और न निर्वाचित स्थानीय संस्थाओं को ही काम करने का अवसर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम भंग किया जा चुका है। नई दिल्ली नगरपालिका को पूरी तरह सरकारी संस्था बना दिया गया है। दिल्ली की जनता अपना दुखड़ा कहाँ रोये ? किसके पास शिकायत लेकर जाए ?

मैं मांग करता हूं कि दिल्ली मेट्रोपोलिटन कौंसिल के चुनाव अविलम्ब कराये जायें। दिल्ली नगर निगम के चुनाव भी साथ ही होने चाहिए। यदि सरकार चुनावों को फिर से टालने का फैसला करती है तो यह दिल्ली निवासियों के साथ अन्याय है और लोकतन्त्र पर कुठाराघात होगा।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प,

और

दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक

श्री रीतलाल प्रशाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा, 21 जनवरी, 1981 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (1981 का अध्यादेश संख्या 2) का निरनुमोदन करती है।"

तत्पश्चात् लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।
लोकसभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् दो बजकर पाँच मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

सभापति महोदय : श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : सभापति महोदय, दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 1981 जो आया है, यह न तो संवैधानिक है, न नियमानुकूल है और न ही उचित है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि इसके लिए जो आर्डीनेन्स लाया गया था, उसको ला कर सरकार द्वारा एक अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया गया है।

सिखइज्म की जो परम्परा है, उस परम्परा के अनुसार गुरु नानक जी, गुरु गोविन्द सिंह जी और बहुत से हमारे देश के दूसरे संतों ने इस पंथ को चलाया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : असंसदीय कार्य मंत्री सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : सभापति महोदय, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल के द्वारा इस धार्मिक संस्था को राजनैतिक ढांचे के अन्दर लाने का दुष्प्रयास किया गया है। इससे सिख धर्म के अन्दर जो उसकी पवित्रता है और जो उसका पवित्र उद्देश्य था देश की सेवा, राष्ट्र की रक्षा का, उसमें एक भारी दलदल पैदा हो जाती है।

सभापति महोदय : आपने प्रतिनिधित्व करना शुरू किया है सिख धर्मावलम्बियों का ?

सभापति महोदय : 'असंसदीय उक्तियां' तो मैंने सुनी हैं लेकिन 'असंसदीय मंत्री' पहली बार सुन रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : 'विषम।

सभापति महोदय : अथवा यह एक श्रद्धांजलि है जो श्री वर्मा आज अर्पित कर रहे हैं ?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : आप जानते हैं कि इस देश के अन्दर एक अकाली दल है और उधर कांग्रेसी सिख हैं, उन्हें कांग्रेसी सिख कह सकते हैं, दूसरों को अकाली सिख कह सकते हैं और इसके अलावा निरंकारी सिख भी हैं। इस तरह से कई गुटों में वे हैं। जो पहले एक गुट था, वह अब सिखों के बहुत से गुटों में बंट गया है और इस तरह से कई गुटों में अगर सिख बंट जाएं, तो जो उनके गुरुओं ने उपदेश दिया था देश की सेवा करने के लिए, वह कहाँ पूरा होगा। उन गुरुओं ने इन सब लोगों को कच्छा, कड़ा, केश, कृपाण और कंघी, ये जितनी चीजें हैं, रखने को कहा था और अगर कानून के चक्कर में राजनैतिक घनचक्कर इस धर्म को खींचता है, तो यह संभावना है कि इससे कोई लाभ तो नहीं होने वाला है बल्कि हानि बहुत बड़ी होगी।

समापति महोदय : 'चक्कर' तो सुना था, मगर यह 'घनचक्कर' क्या है ?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : 'घनचक्कर' और राजनीति और कूटनीति, उसको इसमें मिला दीजिए, तो उस प्रकार से एक सही चित्र नहीं बन पाता है।

मैं यह समझता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार, यह स्पष्ट प्रावधान है कि जब कोई बहुत आवश्यकता हो जाए, कोई भयंकर समस्या पैदा हो जाए देश के अन्दर और कोई उपाय ही न रह जाए, तब तो हम अध्यादेश ला सकते हैं लेकिन दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के छः चुनाव पहले हो चुके हैं और ये छः चुनाव बिना किसी झंझट के, बिना किसी तकरार के और बिना किसी लड़ाई के बहुत शान्तिपूर्ण ढंग से हुए थे, तो इस सातवें चुनाव में कौन सी ऐसी आफत आ गई थी कि यह अध्यादेश लाना पड़ा। पार्लियामेंट के सेशन के लिए हमको 9 जनवरी को समन मिल गया था और 16 फरवरी से वह चलना था। और उसके बीच में 21 जनवरी को इन्होंने राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी कराया। इस तरह से एक आदमी को उसमें लाने का प्रयास किया और उस आदमी को लाने का प्रयास किया जिसकी कि; 1925 के गुरुद्वारा अधिनियम के बाद; 1971 में जो गुरुद्वारा अधिनियम बना था जिसके प्रावधान के अनुसार क्वालिफिकेशन नहीं थी। 1971 में बने अधिनियम में योग्यता का प्रावधान है और वह धारा 16 (3) को इसके द्वारा अब समाप्त किया जा रहा है। इस धारा को अध्यादेश से समाप्त करके एक ऐसे व्यक्ति को उसमें लाया गया है जिसका कि नाम सुना है कि जत्थेदार संतोखसिंह है। वह मास्टर तो नहीं हैं, टेलर मास्टर कहे जा सकते हैं। मास्टरी योग्यता उनके पास नहीं है। वह ज्ञानी भी नहीं है। मेरे दिल में अपने ज्ञानी जी के प्रति बहुत आदर है।

न मैं सिख हूं, न मैं अकाली हूं, न मैं निरंकारी हूं लेकिन जहां तक सिख धर्म को शुद्ध रखने का प्रश्न है, इसकी पवित्रता को अक्षुण्ण रखने का प्रश्न है, उस दृष्टि से मैं ज्ञानी जी और सिख धर्म के और लोगों का आदर करता हूं।

सभापति महोदय : ज्ञानी जी को उन सारे प्रश्नों का भी ज्ञान है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : जत्थेदार साहब ने आज तक अपनी वर्षगांठ नहीं मनायी होगी लेकिन 21-22 फरवरी को उन्होंने अपनी वर्षगांठ ताजमहल होटल में मनायी। मैं नहीं जानता कि पहले उन्होंने अपनी वर्षगांठ किसी अकबर होटल में या रणजीत होटल में मनायी हो। इस तरह से उन्होंने अपनी वर्षगांठ मनायी।

अगर किसी व्यक्ति विशेष को ही किसी संस्था में लाना है और उसके लिए यह सब कुछ करना है तो यह मंशा शुद्ध नहीं कही जा सकती। मैं कहता हूं कि धार्मिक स्थानों का यह राजनीतिकरण है। किसी व्यक्ति विशेष को कहीं इसलिए लाया जाए क्योंकि वह आपकी पार्टी का सदस्य है और उसका इस संस्था में होना जरूरी है तो यह राजनीतिकरण है।

इसी तरह से पंजाब में भी 13 में से 12 सदस्य हो गये हैं। इस पर ऐसा लगता है कि वहां पर भी राजनीति है और राजनीतिक प्रभाव में वहां की समिति में भी लाने का प्रयास किया गया है। यहां भी जो चुनाव हुए, उसमें आपको बहुमत नहीं मिला। इसके लिए आपने राजनीतिक हंगामा किया और पुलिस को बिठा कर वहां एक आदमी को लाने का प्रयास किया।

इस तरह से आप अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थानों में राजनीति ला रहे हैं। वहां पर भी राजनीति लाने की आपकी भीतरी मंशा लगती है।

मैं तो सिख समाज से विलोंग नहीं करता। लेकिन जहां तक मुझे सूचना मिली है, जिसकी कि आपस में बहुत चर्चा है कि वहां विस्फोटक स्थिति पैदा हो गयी है। 1925 में भी उन्होंने

लगातार संघर्ष करके यह बात मनवायी थी कि उनकी संस्थाओं में डेमोक्रेटिक ढंग से चुनाव हों। अकाली दल वालों ने इसके लिए संघर्ष किया था। उसमें यह रखा गया था कि ऐसे व्यक्ति उनकी धार्मिक संस्थाओं में आने चाहिएं जो सिख धर्म में विश्वास करते हों, उनके रीति-रिवाज को मानते हों। ऐसे ही व्यक्ति चुनाव लड़ कर आने चाहिएं। वे किसी पार्टी वालों को नहीं चाहते थे। लेकिन आप पंजाब में 13 में से 12 को ले आयें। यहां भी आप ऐसा ही चाहते थे लेकिन सुना है कि यहां आपके लोग नहीं आ सके। आप यहां भी चाहते थे कि सभी लोग आपके आ जाएं, आपका ही यहां भी कब्जा हो जाए।

आपने मुसलमानों को संस्थाओं पर भी कब्जा करने का प्रयास किया। मुरादाबाद और अलीगढ़ में जो घटनाएं घटीं उनमें आपके हाथ साफ नहीं हैं। यह चीज खतरनाक है और आप अपने दामन में दाग लगाएंगे, यह अच्छा नहीं है।

सभापति महोदय : दिल साफ है या नहीं, यह देखें।

श्री रीतलाल प्रशाद वर्मा : दिल साफ होगा ताकि पार्टी वहां इनकी मजबूत हो जाए। इसके लिए इनका दिल बहुत साफ है। दूसरा मंशा नहीं है। उस ओर इनका ध्यान है। लेकिन सामाजिक हित का जहां तक प्रश्न है यह ठीक नहीं है। इनकी पार्टी के लिए तो यह श्रेयस्कर है, यह तो ठीक है। आप यह भी देखें कि निरंकारियों की समस्या सारे देश में है। वे भी सिख हैं। बाबा गुरबचन सिंह की हत्या की गई। अभी तक उसकी ठीक से जांच नहीं हो पाई है। इसको ले कर हंगामे, हड़ताल, धरने प्रदर्शन भी हुए हैं।

श्री जी० एस० निहालसिंहवाला (संगरूर) : जिनकी वकालत कर रहे हैं उन्होंने मारा है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : जांच तो करा लेते। इससे क्यों डरते हैं ? जो दोषी है उसको जेल भेजो, कड़ी सजा दो।

सभापति महोदय : उसके बारे में आप पूरी तरह ब्रीफ्ड नहीं हैं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैं छोड़ देता हूं। समय भी कम है। देश के हित में, सिख धर्म के हित में यह अच्छा होता कि इस बिल को वापिस ले कर कांस्टीट्यूशन में जो वर्तमान व्यवस्था है उसको बनाए रखा जाता। हमारे रूल्ज आफ बिजिनेस और कंडक्ट आफ बिजिनेस इन लोकसभा जो हैं उसके रूल 71 (1) और (2) में यह कहा गया है कि कोई भी बिल आर्डिनेंस का स्थान लेने के लिए जब पेश किया जाए तो उसके अन्दर कारणों और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से लिखा जाए, स्पष्ट रूप से उसकी टिप्पणी दी जाए। लेकिन यहां यह नहीं बताया गया कि किन कारणों से आर्डिनेंस इशू करना पड़ा, क्या अर्जेंसी थी। यह चीज इनके दल के लिए शायद श्रेयस्कर है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको स्वछंद रहने दें, राजनीतिक घुसपैठ न करें, लोकतांत्रिक ढंग से कमेटी को चुनाव करने दें। चूंकि आपका बहुमत है इसलिए यह बिल पास तो हो जाएगा और हो सकता है कि आपके दल के हित में यह चीज हो लेकिन यह देश हित में नहीं है, सिख धर्म के हित में नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको आप वापिस ले लें।

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया।

"यह सभा 21 जनवरी, 1981 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित दिल्ली सिख गुरुद्वारा

(संशोधन) अध्यादेश 1981 (1981 का अध्यादेश संख्या 2) का निरनुमोदन करती है।"

गृह मंत्री (श्री जैलसिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 को और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

मेरे पहले जो रेजोल्यूशन पेश हुआ है उसमें इसका विरोध किया गया है और कहा गया है कि इस संशोधन को न लाया जाए। दलील यह दी गई है कि इससे धार्मिक पवित्रता को हानि पहुंचेगी, नुकसान होगा और राजनीतिक रंगत इसमें आ जाएगी। यह भी उन्होंने कहा है कि अध्यादेश जारी नहीं होना चाहिये था। मैं सभा पटल पर एक स्टेटमेंट रख चुका हूं कि हमको आर्डिनेंस जारी करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। दुबारा उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जहां तक उनका ख्याल है कि धार्मिक पवित्रता को इससे कुछ नुक्सान पहुंचेगा या राजनीति आएगी यह भी बेबुनियाद है। किसी ने उनको गलतफहमी में डाला है। यह बहुत साधारण सी तरमीम है। पहले इसमें यह शर्त थी कि इतनी क्वालिफिकेशन जिसके पास हो वही पदाधिकारी बन सकता है गुरुद्वारा प्रबन्धक बोर्ड का, दूसरा नहीं बन सकता है। कहीं भी किसी भी इलैक्टिड संस्था के लिए इस तरह की शर्तें नहीं रखी गई है, न पार्लियामैंट के मैम्बर के लिए और न लैजिस्लेचर के मैम्बर के लिए और यहां तक कि राष्ट्रपति के लिए भी नहीं।

दरहकीकत यह अनडेमोक्रेटिक स्टेप था और उस वक्त जो नियम गलत किया। उसकी हम दुरुस्ती कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि माननीय सदस्य शायद मेरा ख्याल है बिहार से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने कहा कि मैं सिख नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं बिहार जहां गुरु गोविन्दसिंह का जन्म हुआ पटना साहब में उनको पूरा अधिकार है कि वह जो चाहें अपनी राय दें। उनको यह कहने की जरूरत नहीं है कि मैं सिख नहीं हूं।

सभापति महोदय : लेकिन बात कहें अकल की।

श्री जैल सिंह : और सिख मत में कोई ऐसी भिन्नता नहीं है जो इन्सान को इन्सान से तोड़ने की बात करे।

सभापति महोदय : गुरु गोविन्द सिंह जी का जन्म हुआ था पटना साहब में जिसका प्रतिनिधित्व माननीय रामावतार शास्त्री जी करते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : पटना का प्रतिनिधित्व मैं करता हूं। श्री जैलसिंह कहेंगे आप कुछ यह मुझे मालूम है। लेकिन जब कहेंगे तब देखेंगे।

माननीय सदस्य का जो एक भ्रम है कि किसी एक आदमी के लिये यह किया जा रहा है, यह उनकी गलतफहमी है। हमारे भारत में लिट्रेसी अभी तक 50 परसेंट भी नहीं पहुंची है और खासकर स्त्रियों में तो 40 परसेंट भी नहीं है। तो हम जो यह शर्त उड़ा रहे हैं ऐजूकेशनल क्वालिफिकेशन की अब कोई शर्त नहीं होगी इसका फायदा सबके लिये होगा। 10, 40 परसेंट के बजाय सेंट परसेंट लोगों को यह अधिकार मिल जाएगा। हम किसी एक आदमी को निशाना बना कर या उसको फायदा पहुंचाने के लिये नहीं करते हैं। इस संशोधन के बाद बिल में किसी किस्म की रुकावट नहीं रहेगी, जितने भी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबन्धक बोर्ड के मेम्बर हैं उनमें से जो भी चाहे इस पद के लिये यानी प्रेसीडेंट के लिये या और दूसरे पदों के लिये खड़ा हो सकता है, वह

पदाधिकारी हो सकता है। इसलिये जो उनका भ्रम है वह मैं समझता हूं अब निकल जाना चाहिए।

अभी समय नहीं आया रिजोल्यूशन वापस लेने का। जब समय आयेग तो मैं कुछ और भी उनसे प्रार्थना करूंगा, क्योंकि यह आदमी बहुत शरीफ हैं और उससे ऐसा लगता है कि वह थोड़ी सी गलती भी कर लें तो उसको सुधार लेंगे।

हमारे गुरु चरणसिंह जी ने कहा था आप वकालत किसी और की करते हैं और हिमायत किसी और की करने आये हैं। तो मैंने समझा यह भी भूल है। लेकिन नहीं बहुत समझदारी है। उन्होंने यह समझा कि बात वह कीजिये जिसके सौ पहलू हों, कोई पहलू तो रहे बात बदलने को। तो पहलू बदलने का रह गया है, जब समय आयेगा तो मैं फिर कहूंगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

अब श्री परुलेकर अपना भाषण शुरू करें।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : महोदय सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए जल्दी ही मौका दे दिया है।

मैं सांविधिक संकल्प का समर्थन और इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं इस विधेयक का विरोध इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इसमें से खंड 3 निकाल दिया गया है बल्कि कुछ अन्य कारणों से इसका विरोध कर रहा हूं। यह विधेयक लाकर सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 का घोर अनादर किया है। यदि आपके पास मूल विधेयक की प्रति है तो आप उस मूल खंड को मूल रूप में देखें जिसे सरकार अब निकाल देना चाहती है, जो निम्न प्रकार है :

"कोई भी व्यक्ति दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष अथवा अन्य पदाधिकारी के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह कम से कम मेट्रीक्युलेट न हो अथवा उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से हायर सेकेन्डरी की परीक्षा उत्तीर्ण न की हो।"

मुझे इस खंड के निकाले जाने पर आपत्ति नहीं है लेकिन सरकार अथवा माननीय गृह-मंत्री की वह बुद्धिमता मेरी समझ में नहीं आयी जिसके आधार पर वह 'ज्ञानी' शब्द को निकाल देना चाहते हैं। यदि आपने इसमें 'ज्ञानी' शब्द को रखा होता तो मेरे लिए इस विधेयक विशेष का समर्थन करना आसान हो जाता। आप चाहते हैं कि इस बोर्ड विशेष का प्रधान 'अज्ञानी' हो। हाँ, मेरा हिन्दी का ज्ञान सीमित है।

एक माननीय सदस्य : 'ज्ञानी' तो एक ऐसी योग्यता है जिसके लिए प्रमाण पत्र दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री बापूसाहिब परुलेकर : 'अज्ञानी' लोग बहुत से हैं। सौभाग्य से आज प्रातः मैंने हिन्दी का शब्दकोष देखा था। उसमें इसके लिए न केवल 'प्रमाणपत्र-प्राप्त' शब्द दिया गया है बल्कि इसके लिए उसमें 'सुविज्ञ' भी दिया हुआ है : अतः शब्दकोष बनाने वालों के अनुसार 'ज्ञानी' का अर्थ है ऐसा

व्यक्ति जो बुद्धिमान हो। मेरे विचार से सरकार प्रस्तुत विधेयक लाकर यह नहीं चाहती कि 'सुविज्ञ' लोग इसमें आए।

सभापति महोदय : मेरे विचार से 'ज्ञानी' शब्द का अर्थ बुद्धिमान व्यक्ति से है।

श्री बापू साहिब परुलेकर : ठीक मैं यही कहना चाहता हूं। आप नहीं चाहते कि उसमें बुद्धिमान लोग हों। हो सकता है कि 1971 में, जबकि यह विधेयक पहली बार लाया गया था, सिख समुदाय में कुछ 'अज्ञानी' लोग रहे होंगे और 10 वर्ष की अवधि के बाद अब सभी 'ज्ञानी' हो गए हैं। इस बात पर मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री मेरा सन्देह दूर करें।

अब मैं विधेयक के उद्देश्य और कारणों के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख करना चाहूंगा।

"2. इस आशय के अभ्यावेदन मिलने पर कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता लागू किया जाना लोकतन्त्र के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध था"

श्रीमन् उद्देश्य और कारणों के विवरण में वह दिया गया है। मैं अब माननीय गृहमंत्री का ध्यान एक और महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहता हूं। वर्ष 1971 में, जब यह विधेयक पहली बार लाया गया था, तब इस पर विचार के दौरान राज्यसभा के एक सदस्य श्री एल० के० अडवानी ने इस आशय का एक संशोधन पेश किया था कि यह शब्द निकाल दिया जाए। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री ने उस वाद-विवाद को अवश्य ही पढ़ा होगा। उस समय सरकार ने श्री अडवानी के संशोधन का यह कहकर विरोध किया था कि उसने बोर्ड की राय ले ली है। और उन्होंने सिख लोगों की भी राय ले ली है। उस समय आप लोगों द्वारा ही इस बात का विरोध किया गया था। उस समय आप लोगों ने कहा था कि लोकतन्त्र के सिद्धान्त के आधार पर विधेयक में यह खण्ड अर्थात खण्ड तीन बना रहना चाहिए क्योंकि सिख समुदाय के अधिकांश लोग इसे चाहते हैं। उस समय आपने लोकतन्त्र की वह परिभाषा दी थी। लेकिन अब आप लोकतंत्र की दुहाई देते हुए इस शब्द को निकालना चाहते हैं और यह तर्क दे रहे हैं कि लोकतन्त्र में कहीं भी किसी कानून के द्वारा शैक्षिक योग्यताएं नहीं निर्धारित की गई हैं। उस समय आपकी 'लोकतन्त्र' की परिभाषा यह थी और अब एक गतिशील दशक के बाद अर्थात् 1981 में आपकी 'लोकतन्त्र' की परिभाषा वह है। मुझे डर तो यह है कि कहीं आप वर्ष-प्रतिवर्ष और हर नया विधेयक लाते समय 'लोकतन्त्र' की परिभाषा न बदलते रहें।

एक माननीय सदस्य : यह 'ज्ञानी' राजनीति है।

श्री बापू साहिब परुलेकर : मैं सरकार और माननीय गृह मंत्री पर यह आरोप लगाता हूं कि इस विधेयक को बुरी भावना से लाया गया है और आप 'बुरी भावना" शब्द को 'लोकतन्त्र" शब्द का जामा पहनाना चाहते हैं। इसलिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है। अभी-अभी माननीय गृह मंत्री ने उचित कहा है कि यदि कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा होना चाहता है तो इसके लिए शैक्षिक योग्यताएं अनिवार्य नहीं हैं। श्रीमान् क्या मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि इस विशिष्ट धारा को शामिल करते समय 1971 में सभी सिखों से परामर्श लेने की जरूरत पड़ी थी ? 1971 में, मेरे विचार से विधेयक तत्कालीन मंत्री श्री पंत द्वारा लाया गया था और वे उन्होंने कहा था कि इस विधेयक को तैयार करने में, सरकार का मुख्य दृष्टिकोण यह था कि दिल्ली के सिख समुदाय से परामर्श किया गया था और इस विशिष्ट धारा

को शामिल करने के लिए उनकी स्वीकृति ले ली गई थी। आगे, उस समय, बोर्ड में न्यायधीशों सहित सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे और उन सभी से परामर्श किया गया था। यह भी वह आधार था कि यह विशिष्ट धारा शामिल की गई। यह वास्तविक लोकतन्त्र है। मैं माननीय गृह मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि क्या इस विशिष्ट धारा को लाते समय, अध्यादेश को एक तरफ छोड़ दीजिये, उन्होंने सिख समुदाय से परामर्श किया है, उस प्रकार से जैसे उन्होंने 1971 में परामर्श दिया था। यदि नहीं, तो उनसे परामर्श क्यों नहीं लिया गया ?

फिर, यह शैक्षिक योग्यता बहुत ही सख्त नहीं है। दिल्ली के गुरुद्वारों की वार्षिक आय 4 करोड़ रुपये है और सम्पत्ति का भी प्रबन्ध करना होगा। शैक्षिक योग्यता केवल प्रधान के लिए अथवा अन्य पदाधिकारियों के लिए है और सामान्य सदस्यों के लिए नहीं। कोई भी सिख, ज्ञानी अथवा अज्ञानी, बोर्ड का सदस्य हो सकता है। परन्तु शैक्षिक योग्यताएं केवल पदाधिकारियों के लिए निर्धारित की गई है और यह केवल इस विशिष्ट पृष्ठ भूमि के कारण है।

इन परिस्थितियों के अन्तर्गत मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे यह बताएं कि जिस प्रकार उन्होंने सिख समुदाय के नेताओं से इस विशिष्ट धारा को शामिल करने के लिए परामर्श किया था, क्या इस बार भी उन्होंने उनसे परामर्श किया है ? यदि हां, तो वे आदरणीय व्यक्ति कौन हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

फिर, यह इस विधेयक के गुणों के संदर्भ में है। जैसा कि मैंने कहा है, गुण महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे जिस बात का दुख हुआ है और जो प्रत्येक माननीय सदस्य को पीड़ा पहुंचाएगी यह वह तरीका है जिसमें यह विशिष्ट विधेयक इस विशिष्ट अध्यादेश के द्वारा सदन के समक्ष लाया गया है।

हमारे पास कुछ तारीके हैं। प्रधान का चुनाव 27 फरवरी, 1981 को किया जाना था और यह अध्यादेश 21 जनवरी, 1981 को लाया गया था। मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस समस्त सदन को बताएं कि क्या चुनाव फरवरी के महीने में हुआ था और वह चुनाव संसद के इस विशिष्ट सत्र शुरू होने से पूर्व हुआ था क्या यह भी सच है कि निर्वाचित व्यक्ति विशिष्ट योग्यताधारी नहीं है। मैं सकारात्मक वक्तव्य नहीं दूंगा ; मैं केवल सूचना मागूंगा और इस से हम अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यदि यह ऐसा हुआ तो क्या श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा का वक्तव्य अथवा उनके द्वारा लगाया गया आरोप कि आप इस अध्यादेश को केवल अपने दल के उस व्यक्ति का समर्थन करने के लिए लाए हैं जो अपेक्षित शैक्षिक योग्यताधारी नहीं हैं और गुरुद्वारों को अपने अधिकार में रखने के लिए लाए हैं, ठीक है या नहीं। यदि ऐसा है तो, क्या यह संविधान के अनुच्छेद 123 का तथा शक्ति का दुरुपयोग नहीं है ? मेरी शिकायत, अध्यादेश और विधेयक को जिस तरीके से लाया गया है, उस बारे में है।

मैं इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से समझ सकता हूं जैसा गृह मंत्री ने कहा है, वह चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इस विशिष्ट गुरुद्वारे का अध्यक्ष, अथवा प्रधान अथवा सदस्य बनने का अवसर प्राप्त हो। ठीक है। परन्तु आपने सूत्र के शुरू होने तक की प्रतीक्षा क्यों नहीं की ? इस सदन में विधेयक को सीधे लाने में क्या आपत्ति थी और अध्यादेश को जारी करने की क्या आवश्यकता थी ? जो विवरण आपने सभापटल पर रखा है और जो वक्तव्य आपने सदन में

दिया है, मुझे खेद है कि मैंने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर मुझे नहीं मिल पाया है। संविधान के अनुच्छेद 123 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किन्हीं अपवादात्मक परिस्थितियों में शक्ति का उपयोग अध्यादेश जारी करने के लिए किया जा सकता है। फिर मेरे विचार से गृह मंत्री ने न केवल एक गलत बात की है अपितु उन्होंने प्रधान मंत्री और सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल को भी बहुत गलत सलाह दी है और राष्ट्रपति को विशिष्ट अध्यादेश जारी करने के लिए गलत और बुरी सलाह दी है। यदि अध्यादेश जारी न किया जाता तो कोई विपत्ति नहीं आती। विधेयक को लाया जा सकता था। उत्तर केवल वही है जिसकी ओर मैंने पहले ही इशारा किया है कि आप उस विशिष्ट व्यक्ति को जिसके पास निर्धारित योग्यता नहीं थी को इस विशिष्ट मामले का कर्णधार बनाना चाहते थे और उसका चुनाव फरवरी में अर्थात इस वर्तमान सत्र के शुरू होने से पूर्व होना था।

मैंने सिख नेताओं के विचार जानने के बारे में बात की थी जैसा 1971 में किया गया था। अब आप कहते हैं कि लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि इसे दूर किया जाए। यह सुमत आपको कब आई? 1971 से 1981 तक कोई भी व्यक्ति हमको आपके ध्यान में नहीं लाया; और आपके ज्ञान में—जैसे आप ज्ञानी जी हैं—आपने इस विशिष्ट कानून में विशिष्ट त्रुटि की ओर ध्यान नहीं दिया। इसलिए वह कौन सी तारीख थी, कौनसा मिनट था, कौन सा सैकण्ड था जब आपको यह सुमति आई कि यह अलोकतन्त्रीय है। यह लोकतन्त्र के आधारभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध है। इसलिए, मुझे सिखों के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना है। कानून के द्वारा एक सामान्य तरीका बिलकुल अपर्याप्त है। मुझे अवश्य ही राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल से कहना चाहिए कि वे अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत शक्तियों का आयोग करें।

क्या यह दुरुपयोग नहीं है? यदि यह दुरुपयोग है, मैं कहता हूं कि न केवल मैं स्वयं, न केवल विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ही अपितु सभी ऐसे व्यक्तियों और सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने संविधान के नाम पर शपथ ली है—महोदय, उन्हें संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद का आदर करना है—को इस विधेयक का विरोध करना चाहिए क्योंकि इसे एक अध्यादेश के माध्यम से लाया गया है। आप अपना विधेयक वापिस लें। अध्यादेश की अवधि समाप्त होने दें और फिर आप विधेयक लाएं। आप जिस प्रकार से यह कर रहे हैं—आप उदाहरण स्थापित कर रहे हैं—यह कुचेष्ठा है जो आप कर रहे हैं। और मैं आप पर यह आरोप लगता हूं कि पक्षपात के उद्देश्य से आपने इस विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से बैक-डोर से पूरा स्थापित किया है—यह एक काली कार्यवाही है; और मैं इसकी निन्दा करता हूं। और इसलिए, मैं इस विशिष्ट विधेयक का विरोध करता हूं और मैं अध्यादेश का समर्थन करता हूं। (व्यवधान) महोदय मैं अपनी गलती ठीक करता हूं मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

एक माननीय सदस्य : उस भाग को हटा दिया जाय।

सभापति महोदय : उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है।

श्री बाबू साहिब परुलेकर : मैंने अपनी गलती सुधार ली है। मैं आशा करता हूं कि भूल सुधार कार्यवाही वृतांत में आ गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब वे अपने आपको दस वर्षों के पश्चात् ठीक कर रहे हैं तो, हम अपने आपको अभी क्यों नहीं ठीक कर सकते?

सभापति महोदय : कर सकते हैं, वर्षों गम्भीर रूप से विचार करने के पश्चात् उन्होंने अपना मत बदला है। अब श्रीमती ब्रार।

• **श्रीमती गुरब्रिन्दर कौर ब्रार** (फरीदकोट) : सभापति महोदय, होम मिनिस्टर साहब जो देहली सिख गुरुद्वारा अमंडमेंट बिल लाए हैं, मैं उसकी सपोर्ट में खड़ी हुई हूं। अभी हमारे मोअज्जिज कुलीग ने कहा था कि मैं आर्डिनेंश को सपोर्ट करता हूं और फिर दो मिनट के बाद खड़े हो कर कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं।.....(व्यवधान).....बात यह है कि जो दिल की बात होती है वह सामने आ ही जाती है।

आप ने जरूर कहा है कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, यह तो सबको पता है, ज्यादा डीटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि मेट्रीकुलेट, या हायर सेकेंड्री या ज्ञानी पास होना 1971 के देहली सिख गुरुद्वारा ऐक्ट के मुताबिक जरूरी है। मैं अपने कुलीग से कहती हूं, आपको शायद पता नहीं है कि हमारी जितनी रेलीजस संस्थाएं हैं डिस्ट्रिक्ट लेवेल पर, स्टेट लेवेल पर, यह मैं पंजाब की बात कर रही हूं, उनके अंदर गुरुद्वारा के मैनेजमेंट बोर्ड में ज्यादातर जो लोग हैं, जरूरी नहीं है कि मैट्रिकुलेट हों। ज्यादा जरूरत जो हमें है अपनी रेलीजस बाडीज के ऊपर, वह है ईमानदारी की, इंटेग्रेशन की और डिवोशन की। पालिटिक्स से दूर रह कर जितना इन संस्थाओं में सुधार हो सके, उसकी जरूरत है।

हंसने की बात नहीं है क्योंकि आप इसको अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। आप हंसते हैं तो हंसें लेकिन मुझे खुशी है कि आपको दिलचस्पी है सिख रेलिजस बाडीज में। मेरा कहने का मतलब यह था कि ये लोग ज्यादा पढ़े नहीं होते लेकिन उनको गुरुद्वारों का सुधार करने में रुचि होती है। इसके लिए पहले जो महन्त होते थे उनकी जिम्मेदारी थी। इसमें बड़े अकाली एजिटेशन्स हुए तो उनके लिए करना पड़ा, गुरुद्वारा सुधार ऐक्ट के मुताबिक उनके हाथों में गुरुद्वारे दिए गए। इसमें बहुत से लोग अनपढ़ हैं लेकिन अनपढ़ का मतलब यह नहीं है कि वे बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं, वे अपने मजहब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इसी तरह से कोई ज्ञानी सिर्फ डिग्री लेने से ही नहीं बन जाता है। जैसा कि आपने कहा कि 4 करोड़ का बजट है इसलिए ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है अचैर अच्छा सडमिनिस्ट्रेटर हो। मैं आपसे भी आगे जाती हूं। जैसे पादरी लोग होते हैं वे बड़े पढ़े-लिखे होते हैं, पी. एच. डी. वगैरह करते हैं और रेलिजस बाडीज में अच्छे लेक्चर देते हैं, वे आलिम फाजिल होते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं और मैं नहीं कहती कि खाली रेलिजस डिग्री लेने से ही इनसान काबिल बन जाता है। गुरुद्वारों के प्रेसीडेन्टशिप के लिए या मैनेजमेन्ट बोर्ड का मेम्बर बनने के लिए होम मिनिस्टर साहब जो अमेन्डमेन्ट 1971 के ऐक्ट में लाए हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है।

आपने यह सवाल किया कि 1971 से 1981 तक उन्होंने क्यों नहीं सोचा तो ज्ञानी जी सिर्फ पिछले साल ही होम मिनिस्टर बने हैं। ये एक ग्रास रूट वर्कर हैं, गांव के रहने वाले हैं, इनको पता है कि गांव का आदमी अनपढ़ भी हो लेकिन यह देखना होगा कि उसको मजहबी चीजों में कितनी रुचि है और इसमें अगर हम बार लगाते हैं कि मैट्रीकुलेशन की डिग्री हो तो उसके क्या मायने हैं ? मैट्रीकुलेशन डिग्री लेकर कोई कितना आलिम फाजिल हो जाता है ? इसलिए मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप इस बात पर ज्यादा जोर न दें।

आप जानते हैं कि शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो प्रेसीडेन्ट चुना जाता है उसके ऊपर भी कोई कानून लागू नहीं है कि कितना पढ़ा होना चाहिए। मैं समझती हूं सिख कौम पहले के मुकाबले अब काफी पढ़ाई करती जा रही है, उसने काफी तरक्की की है और आगे भी करेगी। लेकिन वहां पर ऐसी कोई चीज लागू नहीं है तो क्या वजह है दिल्ली सिख गुरुद्वारा में ऐसी चीज रखी जाए। इसलिए मेरा ख्याल है कि यह जो क्लाज है वह नहीं होनी चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि अकाली पार्टी के अकेले मेम्बर इस हाउस में हैं वे भी आज यहां पर नहीं आये हैं। न तो हमें सुनने के लिए और न ही अपनी बात कहने के लिए यहां पर वे आए। कई दफा लोग यह समझते हैं कि सारे सिखों की जिम्मेदारी उन्हीं के सिर पर है। यहां पर कांग्रेसी जो हैं उनमें सिख नहीं हैं इसलिए पार्टी की जिम्मेदारी का कोई सवाल नहीं है लेकिन मैं एलेक्शंस में जाती हूं तो साफ कहती हूं कि मजहब दूसरी चीज है और पालिटिक्स दूसरी चीज है। मजहब और पालिटिक्स को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। मैं तो दावे से कहती हूं, अगर मेरे अपोजिट कोई अकाली मेम्बर खड़ा हुआ है, कि उसको वोलो गुरुग्रंथ साहब के कुछ शब्द बोले और मैं भी बराबर बोलूं। इन लोगों के दिमाग के अन्दर यह बात आ गई है कि ये जो मजहबी पार्टीज हैं, वे ही मजहब की ठेकेदार हैं—यह गलत बात है।

मैं, चैअरमैन साहब, आपकी मार्फत ज्ञानी से एक बात कहना चाहती हूं—कुछ इस किस्म की बात होनी चाहिये कि जो मजहबी लोग सियासी पार्टीज में होते हैं, एम० पी० या एम० एल० ए० बनने की तरफ भी उनका झुकाव होता है—यह नहीं होना चाहिये। एक तरफ उनको काम करना चाहिये। अगर वह एम० पी० या एम० एल० ए० बनना चाहते हैं तो बनें, फिर दूसरी तरफ उनको नहीं रहना चाहिये। इस चीज में आपको सुधार करना चाहिए। आपने देखा होगा कि लोग इसको स्टेप बना कर, स्टेज बना कर, पोलिटिक्स में आते हैं।

दिल्ली सिख गुरुद्वारे का बजट 4 करोड़ रुपये का है, मैं तो 3 करोड़ रुपये का समझती थी, लेकिन चेअरमैन साहब ने कहा कि 4 करोड़ का है। इसी तरह से अमृतसर में चढ़ावा चढ़ता है। सुबह ढाई बजे से "सुखमनी साहब" का पाठ शुरू हो जाता है और रात 11-12 बजे तक चलता है। लोग बड़ी श्रद्धा से वहां आते हैं और आम लोग भी माथा टेकते वक्त एक रुपया चढ़ाते हैं। यह एक तरीका था—अच्छे काम के लिए धन इक्ट्ठा करने का। गुरु गोविन्दसिंह जी महराज, 10वीं पातशाही, ने इसे शुरू किया था। जब जुल्म के खिलाफ मुकाबला होता था तो जो लोग दरबार में आते थे, 5 पैसे, 7 पैसे जिससे जो बनता था भेंट करता था और इस तरह से जो पैसा इकट्ठा होता था वह अच्छे काम में खर्च किया जाता था। जो लोग वहां चढ़ावा चढ़ाते हैं, वे श्रद्धा से चढ़ाते हैं, तहेदिल से चढ़ाते हैं। लेकिन यह पैसा कहां जाता है ? यह पैसा वे लोग फिर पोलिटिक्स में खर्च करते हैं। इस बात को हम ज्यादा जानते हैं। जो लोग बम्बई या मद्रास से आते हैं, वे इनकी सियासत से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं।

मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती। लेकिन मुझे खुशी है कि होम मिनिस्टर साहब एक बहुत अच्छा अमेण्डमेन्ट लाये हैं और सब सिखों को मौका दिया है कि जो भी गुरुद्वारा सुधार के काम में आगे आना चाहे, वह आये और अपनी इन्टीग्रिटी और ईमानदारी के साथ काम करे। इस पैसे से कालिजिज और स्कूल खुल सकते हैं। मुझे खुशी है कि यहां पर गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल खुला हुआ

है जहां पर बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं। इस तरह की दूसरी इंस्टीचूशन्ज खोली जा सकती हैं, अस्पताल बनाये जा सकते हैं, न कि आपस में लड़ते रहें, कभी कुछ करें कभी कुछ करें।

मैं ज्ञानी जी को इस अमेण्डमेन्ट के लाने के लिये फिर से धन्यवाद देती हूं और, चेअरमैन साहब, आपका भी धन्यवाद है, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : जब आप पदासीन होते हैं तो ऐसा लगता है उन्हें प्रेरणा मिल रही है।

सभापति महोदय : यदि सभी लोगों को प्रेरणा मिलती है तो मैं अपने आपको भाग्यशाली समझूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध न करता परन्तु विधेयक को लाने में जो दलगत हित और गलत उद्देश्य है उनके कारण मैं इसका विरोध करता हूं। यह बहुत ही चिन्ता की बात बनती जा रही है—यह पहले ही बहुत चिन्ता की बात बन चुकी है कि न तो देश के लोगों के अधिकारों में वृद्धि के लिए और नहीं किसी आवश्यक आर्थिक अथवा सामाजिक कल्याण उपायों के लिए अपितु दिन प्रतिदिन के सामान्य मामलों के लिए ही विधि निर्माण की शक्ति का सहारा लिया जाता है।

अन्त: सत्रावधि के दौरान अध्यादेश बनाने के लिए बराबर शक्ति का सहारा लेने पर कई माननीय वक्ताओं के इस सदन में अपना असन्तोष और क्षोभ व्यक्त किया है। हमने देखा है कि किस प्रकार जीवन बीमा निगम अध्यादेश जारी किया गया था; विशेष वाहक बन्ध पत्र योजना भी एक अध्यादेश के अन्तर्गत जारी की गई थी। यहां तक कि गुरुद्वारा समिति को दिए जाने वाले मुआवजे को भी एक अध्यादेश के द्वारा विनियमित होने की सम्भावना है। उद्देश्य स्पष्ट रूप से इतना पक्षपात पूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति विधेयक, जो कुछ और नहीं है अपितु अध्यादेश की अनुवर्ती कार्यवाही है और जो इस देश में सर्वोच्च विधि निर्माण मंच पर पूर्ण और उचित चर्चा को रोकने के लिए प्रस्थापित किया गया था, का विरोध किए बिना नहीं रह सकता। वे संसद के समक्ष इस निश्चित विश्वास के साथ यह जानते हुए आए हैं कि उनके पास अपेक्षित समर्थन है और कोई भी प्रस्ताव हो, वे उसे पास करवा लेंगे और वे पहले से ही किए गए एक बुरे कार्य के लिए हमारा समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है। यदि यह विधेयक पास न भी हो तो उस गड़बड़ को भूतलक्षी तारीख से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि जहां तक गुरुद्वारा समिति का सम्बंध है जब ज्ञानी जी लोकतन्त्र की बात करते हैं, तो अध्यादेश राज, जो इस सरकार ने शुरू किया है वह सरकार की लोकतन्त्रीय प्रणाली के विरुद्ध है। इसलिए, मैं इस विधेयक का विरोध इस आधार पर करता हूं कि ऐसा माना जा रहा है कि संसद यह कार्य करेगी ही, जो कि लोकतन्त्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है, लोकतन्त्र का चाहे कोई भी ब्रांड हो; यह 1971 का के० सी० पंत लोकतन्त्र हो अथवा 1981 का ज्ञानी जी लोकतन्त्र। यह ठीक नहीं है। इस अध्यादेश के पीछे जो कारण है श्री परुलेकर साहिब ने उन्हें बहुत ही उचित प्रकार से उठाया है।

जैसा मैंने कहा है, मैं इस का विरोध न करता यदि इस विधेयक के उद्देश्य का स्पष्ट

पता न चलता। यदि गुरुद्वारों के पदाधिकारियों के पदों के उम्मीदवारों के लिए केवल शैक्षिक योग्यताओं पर लगे प्रतिबन्धों को ही हटाने का उद्देश्य होता तो मैं इसका विरोध न करता, क्योंकि मंत्री जी बिलकुल ठीक हैं। देश में सर्वोच्च पद के लिए अथवा इस सदन की सदस्यता के लिए कोई भी शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। समिति के सम्बन्ध में शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित करने वाले हम कौन होते हैं, यद्यपि यह एक बहुत ही शक्तिशाली समिति है, जिसके पास बृहत् वित्तीय स्रोत है, चार करोड़ रुपये के जो कि इस समिति द्वारा व्यय किए जा सकते हैं, चाहे ऐसा उत्तरदायित्व पूर्ण भावना और निष्ठा से किया जाना है? मैं इसे अच्छी तरह से समझता हूं। फिर हमारे पास कोई शैक्षिक योग्यता का स्तर निर्धारित करें? यह व्यवसायिक निकाय नहीं हैं। व्यावसायिक प्रबन्धकों के पास व्यवसायिक योग्यताएं होनी चाहिए। परन्तु कृपया इस कार्यवाही का समय देखें। 1971 में यह बहुत ही ठीक था। 1971 में जब मूल अधिनियम के लिए विधेयक पुनःस्थापित किया गया था, तो इस प्रावधान की व्यवस्था देश में अकाली सदस्यों के वर्ग के द्वारा, अकाली विचारों में वर्गों और सिखों के विचारों पर बिना ध्यान दिए की गई थी। इस धारा को हटाने के लिए संसद में विशिष्ट संशोधन लाया गया था। परन्तु उसी विचार की तत्कालीन सरकार ने, उन्हीं राजनीतिक लोगों और उन्हीं नेताओं के साथ, इस धारा को प्रबन्ध में न्यूनतम स्तर बनाए रखने के तर्क के आधार पर इसे बनाए रखने का आग्रह किया था। 1971 से 1981 तक ज्ञानी जी गृह मंत्री नहीं थे। मैं नहीं जानता कि क्या हमें छोड़ दिया गया है, सदन को छोड़ दिया गया है अथवा गुरुद्वारों को छोड़ दिया गया है अथवा यह देश का दुर्भाग्य है कि उस समय वे सरकार में नहीं थे, मैं इस बारे में आश्वस्त नहीं हूं।' परन्तु यह एक सरकारी विधेयक है सरकार इसके लिए उत्तरदायी है। (**व्यवधान**)

श्री एच० के० एल० भगत : आप सौभाग्यशाली थे कि आप को श्री चरणसिंह जैसे नेता मिले।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री चरणसिंह कुछ समय के लिए सरकार में थे और उन्होंने उनके पुनः सत्ता में आने की प्रक्रिया को गति प्रदान की यदि श्री भगत को इससे कोई संतोष मिलता है तो वे संतोष प्राप्त कर सकते हैं मुझे उसके बारे में चर्चा नहीं करनी है। प्रश्न यह है कि 1971 से 1977 तक वर्तमान सत्ताधारी दल सत्ता में था। तब भी चुनाव हुए थे और किसी ने भी शैक्षिक योग्यता को हटाने की बात नहीं सोची थी। अचानक ही जब 1981 के ये चुनाव आए, देश के लिए अचानक ही यह इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि राष्ट्रपति को तुरन्त कार्यवाही करनी पड़ी। संविधान के अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत राष्ट्रपति केवल उसी अवस्था में कार्यवाही कर सकते हैं जब कुछ ऐसी परिस्थितियां हों जिनमें तुरन्त कार्यवाही आवश्यक हो और यदि तुरन्त कार्यवाही न की जाए तो देश को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। यदि शीघ्र कार्यवाही न की गई तो जन-हित खतरे में पड़ जाएगा। अब, अचानक 10 वर्षों के बाद शीघ्र कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है और वह भी एक अध्यादेश द्वारा। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को नकारेंगे। वह एक बार पहले ही यह नकार चुके हैं कि यह किसी व्यक्ति-विशेष के लिए नहीं है। वह यह भी कह चुके हैं कि इससे पार्टी का कोई हित जुड़ा नहीं हुआ है। लेकिन इस देश में हर आदमी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। कम से कम देश के ऐसे अधिसंख्यक लोगों को, जो इन संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, यह पता है कि ऐसा क्यों किया गया है। क्योंकि

यह एक अध्यादेश द्वारा और अब एक विधेयक द्वारा निर्मित कानून अथवा कार्यपालिका द्वारा बनाया गया एक ऐसा विधान है, जिससे कि उस निर्णय को लागू किया जा सके जो एक विशेष पद पर एक खास आदमी को मनोनीत करने हेतु पहले लिए गए कार्यकारी निर्णयों पर वैधानिक स्वीकृति देने से सम्बन्धित है। एक बार यह निर्णय लिया जा चुका है कि उन्हें उस पद पर लगाया जायेगा, ऐसा लगता है कि उन्हीं के द्वारा 1971 में पास किए गए कानून में कोई कमी है। अब क्या किया जाए ? संसद का सत्र नहीं चल रहा है। आपको उसकी कोई परवाह नहीं है, एक अध्यादेश पारित करें, उन्हें ऐसी योग्यता प्रदान कर दें, जिससे कि वे चुनाव लड़ सकें। इससे इस देश में कौन मना कर सकता है ? क्या इस अध्यादेश को पारित करने का उद्देश्य ऐसे व्यक्ति को योग्यता प्रदान करना नहीं था, जिसे उस पद पर लगाए जाने के लिए चुन लिया गया था ? यदि ऐसा नहीं किया गया होता तो हम इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़े न होते। वैधानिक प्रक्रियाओं और इस सदन की कार्यवाहियों का इस देश में एक विशेष पद पर हर एक व्यक्ति-विशेष का निर्वाचन कराने में मदद करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इस देश का शासन चलाने में कब तक व्यक्ति-विशेष का महत्व रहेगा ? इसके बारे में हमें कुछ अनुभव हो चुके हैं।

हम देख चुके हैं कि एक विशेष व्यक्ति के चुनाव के लिए देश को कहां तक निष्क्रिय बना दिया गया; देश का कानून बदल दिया गया, संविधान बदल दिया गया। अब एक अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए, अपेक्षाकृत छोटे दर्जे के व्यक्ति के लिए, संविधान में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं था, लेकिन एक अध्यादेश द्वारा कानून में परिवर्तन किया जाना आवश्यक था। अत: व्यक्तित्व के आधार पर यदि किसी व्यक्ति विशेष के लिए कानून बदला जाता है, यदि संसद की संवैधानिक शक्तियों को इस प्रकार अपने अनुकूल बनाया जाता है जैसाकि किया जा रहा है, तो इस स्थिति में हमें सत्तावाद के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं और भविष्य सुरक्षित नहीं है। अध्यादेश का उद्देश्य निष्कपट नहीं था और यह विधेयक भी निष्कपट नहीं है। धार्मिक संस्था के कृत्यों में हस्तक्षेप करने का यह एक प्रयास है, एक भौंडा प्रयास है। इसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि इसके आधार पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है और वे तो केवल कानून में संशोधन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को, जो अन्यथा योग्य नहीं होता, चुनाव लड़ने के योग्य बना दिया गया है, ताकि इस संस्था पर इस की भारी धनराशि सहित, नियन्त्रण करने के लिए राजनीतिक नियुक्ति की जा सके।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं यहां ऐसे धार्मिक पहलुओं पर चर्चा नहीं कर रहा हूं—कि क्या वहां धार्मिक उत्सव सम्पन्न किए जा रहे हैं अथवा नहीं, या क्या वहां इस समय सक्षम लोग हैं अथवा नहीं। यह इस कानून की परिधि से बाहर की बात है। हम उसका जिक्र करना नहीं चाहते। अपने मामलों को विनियमित करने के लिए यह पूरी तरह से उस समुदाय का स्वतान्त्रय अधिकार है। लेकिन अध्यादेश के रूप में सरकार की ओर से हस्तक्षेप किये जाने सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति का थोपे जाने की ओर ध्यान दिलाना हमारा लक्ष्य है। अत: हमारे विचार में यह सदाशयपूर्ण वैधानिक कृत्य नहीं है। अध्यादेश बनाने की शक्ति का कैसे दुरुपयोग किया जा सकता है, यह इसी बात का एक नग्न उदाहरण है और लोकतन्त्र की संसदीय प्रणाली, जो हमारे यहां विद्यमान है उसके लिए यह

खतरनाक है। अतः यदि हमें 1971 का 'पंत' टाइप लोकतन्त्र पसंद नहीं था, तो देश के लिए 'ज्ञानी'-टाइप लोकतन्त्र भी उचित नहीं है।

श्री जी० एस० निहाल सिंहवाला (संगरूर) : यह जो 1971 का दिल्ली गुरुद्वारा एक्ट है इस में तरमीम करने वाला बिल है यह बहुत ही सिम्पल बिल है। बहुत जोर से अपोजीशन वालों ने इस पर कई बातें कहीं हैं। मैं सिर्फ दो चार बातें ही कहना चाहता हूं।

एक वाहिद दिल्ली गुरुद्वारा एक्ट है। इस डैमोक्रेटिक सैट अप में उस में नई कंडिशंज लगी हुई हैं। मैं समझता हूं कि हर इंसान को जो डैमोक्रेसी में यकीन रखता है इस बिल का स्वागत करना चाहिए। एक डिसक्रिमिनेशन था दिल्ली के सिखों के साथ जो दिया जा रहा था और उसको रिमूव किया जा रहा है। पंजाब में सिखों की सबसे बड़ी संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी है। उसके प्रेजीडेंट श्री गुरचरण सिंह तोहरा है। तोहराजी के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी नहीं है। वह सिखों के सबसे बड़े आफिस के प्रधान हैं। सिखों की दो अकाली पार्टीज बनी हुई हैं जो अपने आपको रिलिजस बाडीज कहते हैं। वैसे तो कोई भी सिख कहला सकता है जो सिखिज्म में विश्वास रखता है और गुरुओं में यकीन रखता है। लेकिन ये लोग अपने पालिटिक्स में सिखी ले आए हैं और क्लेम करते हैं कि वे ही सिख हैं, दूसरा कोई सिख नहीं है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि इस बार पंजाब में सिख कम्युनिटी ने 13 में से 12 कांग्रेसियों को चुन कर भेजा है और सिर्फ एक अकाली पार्टी का आया है। फिर भी क्लेम करते हैं कि हम सिखों के ठेकेदार हैं।

एक और बात आप देखें। जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है एक ही बार अकाली दल कम्युनिस्टों के साथ मिलकर, सी० पी० आई, सी० पी० एम० और जनता पार्टी के साथ मिल कर सरकार बना पाया है और वह भी सिर्फ दो साल ही चली है और बाकी तीस साल उसकी सरकार नहीं बन सकी और वह भी मैजोरिटी में नहीं आया। सिखों की जो बाडी है एस० जी० पी० सी० उस में कोई कंडिशन नहीं है, पार्लियामेंट के मैम्बर के लिए कोई नहीं है, चीफ मिनिस्टर के लिए कोई नहीं है, हिन्दुस्तान में बड़े से बड़े औहदे के लिए कोई कंडिशन नहीं है लेकिन दिल्ली गुरुद्वारा जो एक बाई प्रोडक्ट है पंजाब का, यहां क्यों हो ? वहां कोई कंडिशन नहीं लगती है तो यहां क्यों लगे ? इसलिए इसको उड़ाने के लिए यह बिल लाया गया है और इसका सिखों को तथा बाकी सभी भारत के लोगों को वागत करना चाहिए।

यह कहा जाता है कि सरकार दखल देती है। आप सुन कर हैरान होंगे चौधरी चरणसिंह के जमाने में दिल्ली के गुरुद्वारों के लिए इलैक्शन हुए थे 28 नवम्बर 1979 को और तब पंजाब के तमाम अकाली मिनिस्टिर सरकारी गाड़ियां लेकर पंजाब हाउस में, कपूरथला हाउस में आ बैठे थे, सरकारी गाड़ियों का खुलकर इस्तेमाल किया गया था, लोगों को खरीदा गया था और दो मैम्बरों को किडनैप करके मंसूरी ले गए थे और वहां उनको छिपा कर रख लिया था।

एक बात आपकी जानकारी के लिए और कहना चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट आया है, दिल्ली के जो गुरुद्वारा कमेटी के उस वक्त मैम्बर थे उन्होंने यूनानिमस रिजोल्यूशन किया था कि हमारे से यह कंडीशन उठायी जाय जो भी एजूकेशनल कंडीशन लगी हुई है। वह तमाम के तमाम मैम्बर अब संत लोंगेवाला के साथ हैं और गुरुचरण सिंह तोहरा के साथ हैं जो इस अमेंडमेंट को अपोज करते हैं। जनाब्वाला, अकालियों की यह बात है कि 1967 में जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने अपर हाउस अबालिश कर दिया, और इधर उनके लीडर आकर के पांव पकड़ रहे थे कि हमारे हाउस

को रहने दो। तो मैं समझता हूं इनका यह पेशा है कि किसी न किसी तरह की गड़बड़ की जाय। और इनका अनहोली अलायेंस कम्युनिस्टों के साथ है जो अकाली अपने को धर्म का ठेकेदार कहते हैं जब कि कम्युनिस्ट लोग धर्म को मानते नहीं हैं। लेकिन फिर भी यह लोग वकालत करेंगे अकालियों की। क्या दूसरे सिक्ख इनको बुरे लगते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमेंट है यह बहुत जरूरी था, एक जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको हमारे गृह मंत्री जी ने दूर कर दिया इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, आपके माध्यम से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और श्री वर्मा द्वारा रखे गए संकल्प का मैं समर्थन करता हूं।

अभी-अभी मैंने कांग्रेसी-सदस्य का भाषण सुना है। हम, बंगाल में, सिखों का बहुत आदर करते हैं। हमारे साहित्य के सबसे बड़े कवि टैगोर ने सिखों की सराहना की है और उन्होंने गुरु गोबिन्द सिंह की प्रशंसा की है, उन्होंने उन सिखों की हिम्मत का गुणगान किया है, जिन्होंने देश के लिए अनेक लड़ाईयां लड़ी हैं और स्वतंत्रता संग्राम में उनका बलिदान किसी से भी कम नहीं है। मैं समझता हूं कि 1971 में जो कमी रह गई थी, उसे अब ठीक कर दिया जाना चाहिए। कुछ खास इस किस्म की योग्यताएं थोपने के मामले में भेदभाव क्यों बरता जाए कि किसी पद के निर्वाचन के लिए अमुक को मैट्रिक पास होना चाहिए या ज्ञानी अथवा अज्ञानी होना चाहिए ? लेकिन यह हम नहीं समझ पाए। यह काम साधारण तरीके से क्यों नहीं किया गया ? इस छोटे से काम के लिए भी अध्यादेश का सहारा क्यों लिया गया। इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैं नहीं समझता कि अकालियों तथा सी० पी० आई० और सी० पी० एम० के बीच कोई अपवित्र गठबंधन है और यह भी हो सकता है कि दिल्ली गुरुद्वारों के पिछले चुनावों के दौरान किसी मन्त्री अथवा अन्य किसी व्यक्ति ने कुछ व्यक्तियों का अपहरण कर लिया हो और उन्हें मसूरी ले गए हो लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि आपने अध्यादेश का सहारा क्यों लिया और इस विधेयक को लाने के लिए सामान्य नियमों को ही क्यों नहीं अपनाया गया।

दूसरी बात यह है कि इससे दुर्गन्ध आती है जो सही नहीं है। दुर्गन्ध क्यों आती है ? जैसा कि मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने बताया है ! कृपया समय पर ध्यान दीजिए जनवरी, 1981 में यह अध्यादेश लाया गया और आपकी संसद का सत्र 16 फरवरी से शुरू होना था। आप प्रतीक्षा क्यों नहीं कर सकते थे ?

उपाध्यक्ष महोदय : 'हमारी संसद' कहिए।

श्री नारायण चौबे : आपकी संसद सहित हमारी संसद। इसका 16 फरवरी को सत्र शुरू होना था। ज्ञानी जी के सिर पर या सरकार के सिर पर ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ना था कि मात्र कुछ दिनों तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी ? आप इसे सामान्य वैधानिक प्रक्रिया द्वारा पारित करवा सकते थे। वास्तव में आपने एक विशेष पद के लिए एक व्यक्ति विशेष को नियत करने का निर्णय लिया हुआ था। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको अपने नियमों, विनियमों में परिवर्तन करने का सहारा लेना पड़ता है। मात्र यही कारण है कि आपने अध्यादेश का रास्ता अपनाया। अतः लोकतन्त्र के बारे में आपके भाषणों, अन्य तर्क पूर्ण शब्द और वाक्यांशों में ज्यादा दम नहीं है। यदि लोकतन्त्र के हित में आपको यह करना होता तो आप इसे पहले कर देते। आपको यह काम 1971 में कर देना चाहिए था, जब इसका सम्पूर्ण विपक्ष ने विरोध किया था या

फिर आपको संसद का सत्र शुरू होने तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपका यह कृत्य कुछ ऐसी दुर्गन्ध देता है, जो गैर लोकतन्त्री और गैर-संवैधानिक है। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और श्री वर्मा द्वारा रखा गया संकल्प स्वीकार कर लिया जाए। मैं ज्ञानीजी को ज्ञानी कहता हूं इसका अर्थ है :

अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनः शलाकया,
तरपदं दर्शितं येन तस्मे श्री गुरुवे नमः ॥

वे ज्ञानी हैं और वे इसे वापिस ले सकते हैं। यदि वे इसे वापिस ले लेते हैं और सामान्य प्रक्रिया द्वारा इसे पारित कराते हैं, तो मैं इसका समर्थन करूंगा। यह काम इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि इसके लिए अध्यादेश लाया जाता। पाकिस्तान हमला नहीं कर देता। चीन हमला नहीं कर देता। कोई भी हमारे पर हमला नहीं कर देता। ईरान और इराक के बीच शान्ति के प्रयास में कोई बाधा नहीं आती, मैं विधेयक का विरोध करता हूं और श्री वर्मा द्वारा रखे गए संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : इसके लिए एक घण्टा नियत किया गया था और हम एक घण्टे से ऊपर ले चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि एक घण्टे की समयावधि समाप्त हो चुकी है अतः महिला सदस्य कृपया अपना भाषण शीघ्र ही समाप्त करने का प्रयास करें।

श्रीमती सुखबंस कौर (गुरदासपुर) : मैं संकल्प का विरोध करती हूं और दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 में प्रस्तावित उस धारा 16 का समापन करने सम्बन्धी संशोधन का समर्थन करती हूं, जो अत्याधिक गैर-लोकतन्त्री किस्म की है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 के बनने से पहले दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारों, शिक्षा संस्थाओं और सम्बद्ध एसोसिएशनों की देखभाल गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति करती थी। दिल्ली की सिख जनता की सर्वसम्मत मांग पर संसद ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 बनाया था। इसके अनुसार एक संवैधानिक निकाय का गठन किया गया था। यही निकाय अब गुरुद्वारों और सम्बद्ध संस्थाओं की देखभाल करता है। इसी सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 को बनाते समय धारा 16 की उपधारा (3) में यह अभूतपूर्व व्यवस्था की गई थी :

> "कोई भी व्यक्ति प्रधान अथवा अन्य पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह कम से कम मैट्रिक पास या मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय या बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास न हो अथवा ज्ञानी न हो या इसके बराबर की शैक्षिक योग्यता न रखता हो।"

यह व्यवस्था एक नई बात थी, क्योंकि इस देश में राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, सरकार के मंत्रियों जैसे उच्चतम पदों अथवा हमारे लिए भी कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं है। मेरे विचार में यह अत्यधिक अलोकतांत्रिक बात है कि हम एक सिख के लिए अथवा धार्मिक निकाय के लिए ऐसी कोई व्यवस्था करें। यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि धार्मिक संस्था के चुने गए अथवा मनोनीत निकाय के लिए किसी भी शैक्षिक योग्यता की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए और कोई भी शैक्षिक योग्यता सिख धर्म अथवा सिख धर्म की संस्था में आस्था, सेवा या बलिदान जैसे मानवीय कारणों की विकल्प नहीं होनी चाहिए। पंजाब राज्य में गुरुद्वारों की

देखभाल एस० जी० पी० सी० द्वारा की जाती है, जो पंजाब गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के अन्तर्गत स्थापित की गई थी। उस अधिनियम में भी ऐसी कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। अब भी एस० जी० पी० सी० अनेक महत्वपूर्ण गुरुद्वारों की देख-भाल कर रही है। एक माननीय सदस्य ने यह फरमाया है कि 3 करोड़ रुपये के बजट का प्रबन्ध करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए हमें यह योग्यता रखनी चाहिए। मैं उस दोहरे मानदण्ड को नहीं समझ पा रही हूं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। यदि एस० जी० पी० सी० 3 करोड़ रुपये या 4 करोड़ रुपये के बजट का बिना इस योग्यता के प्रबंध कर सकती है, तो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी क्यों नहीं कर सकती।

हमारे सामने आज मुद्दा यह है कि क्या यह संशोधन ठीक है अथवा गलत है। मेरे विचार में यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि संसद उस दोष को ठीक करने का प्रयास कर रही है जो 1971 के अधिनियम में था और यह इसे उसमें से निकाल कर समाप्त कर रही है मैं यहाँ यह भी बताना चाहती हूं कि जब कि हम यहां उस अधिनियम के बारे में वाद-विवाद कर रहे हैं, जो सिख धर्म से सम्बन्धित है, हमारे सिख साथी, अकाली दल के एक-मात्र सदस्य यहां अपने विचार रखने या विरोध प्रकट करने के लिए उपस्थित नहीं हैं।

विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि इसका राजनीतिक उद्देश्य है। मेरे विचार में यह इस प्रकार से राजनीतिक है कि वे अपने लिए इसकी तरफदारी कर रहे हैं, न कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, जो राजनीतिक है या कुछ ऐसा कर रहे हैं, जो राजनीतिक है।

एक अन्य बात, जो मैं बताना चाहूंगी, वह यह है कि अनेक बार यह पूछा गया है कि ऐसा क्यों किया गया है, यह संशोधन यहां क्यों लाया गया है। मैं बताना चाहूंगी, जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य पहले कह चुके हैं, कि इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए सरकार से अनुरोध करने की सभी सदस्यों द्वारा सिफारिश की गई थी, 1976 में एक संयुक्त संकल्प स्वीकार किया गया था। हाल ही में, जनवरी में पुनः सरकार से यह सिफारिश की गई और सरकार ने, मुझे कहना चाहिए, बड़ी बुद्धिमत्ता से ठीक प्रकार से यह कदम उठाया और यह संशोधन लाया गया।

इसके लिए मुझे सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। मुझे बोलने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : महोदय, मेरा अनुरोध है कि दिल्ली के कम से कम एक सदस्य को 2-3 मिनट दिए जाने चाहिए। मैं केवल 2-3 मिनट का समय लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री एच० के० एल० भगत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विधेयक पर बोलने के लिए मुझे 2-3 मिनट का समय दिया।

मुझे खुशी है कि सी० पी० एम० के सदस्यों ने, चाहे किसी भी कारण से हो, गुरुद्वारों के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त की है। मुझे आशा है और मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें प्रकाश और बुद्धि दे, जिसकी उन्हें बहुत जरूरत है।

जैसा कि माननीय महिला सदस्य ने अभी-अभी कहा था, कि प्रश्न यह है कि जो कुछ किया जा रहा है वह सही है या गलत है। मूलतः यही मुद्दा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की

पार्टी से सम्बद्ध मेरे माननीय दोस्त फरमा रहे थे कि श्री एल० के० अडवानी ने उस समय कहा था कि कांग्रेस कुछ गलत कर रही है। जो कुछ उन्होंने उस समय कहा था ज्ञानी जी अब कह रहे हैं। इसलिए उन्हें उसका उलट ही कहना चाहिए। मैं नहीं जानता कि कौन ज्ञानी बन गया है और कौन अज्ञानी बन गया है।

अन्त में, यह कहा जा रहा था कि यह सब कुछ राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है और मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरासर गलत है। पहली बात तो यह है कि न तो हमने कोई उम्मीदवार चुना है और न ही हम किसी को चुन सकते हैं, न हम किसी पर आश्रित हैं और न हमारी पार्टी दिल्ली के सिखों में से किसी व्यक्ति विशेष पर आश्रित है। दिल्ली के सिख हमसे ज्यादा सक्षम हैं, हमसे अधिक जानते हैं। उन्होंने दिल्ली को अत्याधिक योगदान दिया है। वे अपनी, अपने गुरुद्वारों की हममें से किसी से भी अधिक अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं।

मैं पंजाब के कांग्रेस (आई) से सम्बन्ध राजनीतिज्ञों सहित सभी राजनीतिज्ञों से यह अनुरोध करता हूं कि दिल्ली के मामले में दखल न दें और दिल्ली के सिखों पर ही इस मामले को छोड़ दें। हम सभी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी को और मुझे स्वयं, इसमें दखल नहीं देना चाहिए और हमें यह पता है कि—मैं तो कहना ही नहीं चाहता दिल्ली के सिख किसी भी व्यक्ति के प्रयास के बावजूद, इक्का-दुक्का लोगों को छोड़कर हमारे साथ हैं। वे इनमें फूट डालना चाहते हैं। हम उनमें फूट नहीं डालना चाहते। इसमें किसी व्यक्ति-विशेष का प्रश्न नहीं है। कोई भी चुनाव लड़ सकता है। यह योग्यता देश में किसी भी पद के लिए अथवा ऐसे ही किसी औहदे आदि के लिए लागू नहीं है। यदि हमने कुछ गलत किया है, तो उसमें सुधार कर रहे हैं। इन्हें इसका समर्थन करना चाहिए और इसकी प्रशंसा करनी चाहिए।

बस यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री जैल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि विरोध करने वाले मेम्बरों ने भी इस अमेंडमेंट का विरोध नहीं किया। वह कहते हैं, मानते हैं कि यह इन्नोसेंट है। वह यह भी मानते हैं कि अगर आर्डिनेंस न होता फिर हम सपोर्ट करते। अब जो बात हो गई वह तो हो गई। कमान से जो तीर निकल जाता है, जो जबान से लब्ज निकल जाता है वह वापस नहीं आता है। तो यह तो है, इसके मामले में मैं पहले अपना स्टेटमेंट दे चुका हूं, इसलिए इसके लिए तो मैं किसी बहस में नहीं पड़ता। लेकिन जो आनरेबल मेम्बर उस तरफ बैठे हैं उन्होंने इस अमेंडमेंट के साथ अपने कुछ विचार दे दिए। वह कहते हैं कि यह गलत डेमोक्रेसी है। दुनिया में कई तरह की डेमोक्रेसी के लोग हैं। हम किसी कम्यूनिस्ट मुल्क को यह नहीं कह सकते कि वह डेमोक्रेटिक नहीं हैं। वह भी कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक लोग हैं और अमेरिका जैसे मुल्क में जहां पर प्रेसीडेंट के अधिकार ज्यादा हैं वह भी कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, यू के वाले भी कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं। डेमोक्रेसी की कई रूपरेखाएं हैं—आप जानते हैं फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट हो या दूसरा हो या एक आनरेबल मेम्बर ने एक बार कहा था कि लिस्ट होनी चाहिए, पार्टी की लिस्ट पर वोट पड़े, नाम पर नहीं होना चाहिए, इस तरह से कई रूपरेखाएं हैं। लेकिन मेरे एक आनरेबल दोस्त ने कहा कि यह ज्ञानी डेमोक्रेसी जो है यह ठीक नहीं है। दरहकीकत यह मेरी तरफ इशारा था। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से मैं ज्ञानी हूं, इसलिए मुझसे पूछा भी गया। आनरेबल मेम्बर बापू साहब ने पूछा कि ज्ञानी कौन होते हैं? तो ज्ञानी दो तरह के होते हैं। ज्ञान का

मतलब है नौलेज, जो ज्ञानवान हो, नौलेजेबल परसन हो उसको ज्ञानी कहते हैं। लेकिन विद्वानी, बुद्धिमानी, ज्ञानी और एम ए ये चार डिग्रियां पंजाबी में होती हैं। एम ए तक यह प्रचलित है और यह पाकिस्तान में भी पंजाबी के लिए लाहौर यूनिवर्सिटी में डिग्रियां दी जाती हैं। एक आनरेबल मेम्बर ने अमेंडमेंट दिया है कि ज्ञानी लब्ज रख लिया जाय। उनकी बात है बड़ी अच्छी और उनकी बात पर मैं हृदय से इत्तफाक भी करूं, मगर मैं उनकी अमेंडमेंट मंजूर नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने ज्ञानियों की तो बड़ी हिमायत कर दी। मैं उनकी हमदर्दी का मशकूर रहूंगा लेकिन अमेंडमेंट मैं मंजूर नहीं कर सकता।

पता नहीं भगवान की कुदरत का क्या खेल होगा, इस डेमोक्रेसी ने इंसान को कितना बदल दिया ? इतना बदल गया इन्सान कि इस तरफ बैठ जायं तो और बात करते हैं और उस तरफ बैठ जायं तो और बात करते हैं और सेम परसन, इसी बदली हुई दुनिया में हमें विचरना है क्योंकि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कई बातें जहां बहुत अच्छी हैं वहां कुछ मुश्किलें भी पैदा होती हैं। अब आप मानिए—

आपको जो भला कहावे।
तिसे भलाई निकट न आवे॥

धर्म के तौर पर देखा जाय तो सिख गुरुओं ने यह कहा है कि जो इन्सान अपने आप को भला कहलवाता है उसके नजदीक भलाई नहीं आती। अपनी तारीफ सुनना अच्छी बात नहीं है, अपनी तारीफ करवाना अच्छी बात नहीं है और अपनी तारीफ खुद करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आजकल के जमाने में खुद तो करें नहीं, दोस्तों से करवायें नहीं और विरोधी करते नहीं, तो एलेक्शन कैसे लड़ा जाय ?

हमारे कम्युनिस्ट पार्टियों के आनरेबल मेम्बर्स ने बड़ा बुद्धिमानी का लेक्चर दिया और उस लेक्चर से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं याद रखता हूं, विद्वानों के लेक्चर को याद रखना चाहिए और महापुरुषों का कहना है कि इन्सान को जितनी देर हो सके, बुद्धिमानों की संगति में रहना चाहिए। लेकिन मैं सी पी आई के भूतपूर्व मेम्बर कामरेड भान सिंह भौरा के वह विचार, जो 1971 में उन्होंने इस बिल के सम्बन्ध में इस सभा में प्रकट किए थे, आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा :

"इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रेजिडेन्ट चुना जायेगा वह या तो मैट्रिकुलेट होना चाहिए या हायर सेकेन्ड्री पास होना चाहिए। फर्ज कीजिये जो लोग चुने जाते हैं उनमें से कोई भी मेट्रीकुलेट नहीं है। तो क्या वह प्रेजिडेन्ट नहीं बनेगा ? जो भी व्यक्ति चुनकर आता है उसको आप प्रेजिडेन्ट बनने से डिबार नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि वह मैट्रीकुलेट नहीं है या हायर सेकेन्ड्री पास नहीं है। जो लोग चुने जायेंगे यह उनके साथ ज्यादती होगी कि उनको प्रेजिडेन्ट नहीं बनाया जायेगा। अगर इस तरह रक्खा जायेगा तो क्या होगा कि अगर कोई भी मैट्रिकुलेट या हायर सेकेन्ड्री नहीं होगा तो इस तरह का आदमी ढूंढा जायेगा और उसको कोआप्ट किया जायेगा क्योंकि आखिर किसी को प्रेजिडेन्ट तो बनाना ही है। मैं समझता हूं कि इस तरह की चीज इस बिल में न रखी जाये।"

मैं जनसंघ के नेताओं की बात नहीं दोहराता क्योंकि आज उन्होंने बहुत शराफत से काम लिया है। **(व्यवधान)**

एक आनरेबल मेम्बर ने यह कहा कि जो पहले बिल आया था वह गुरुद्वारा बोर्ड की मंशा के मुताबिक आया था और इसमें सिख कम्युनिटी से पूछना चाहिए था, पहले उनसे पूछा गया था लेकिन अब पूछा नहीं गया। यह भी उनकी गलतफहमी है जिसको मैं दूर करना चाहता हूं।

12 जून, 1976 को गुरुद्वारा बोर्ड ने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया और वह हमको भेजा गया। वह हमारे रिकार्ड में है जिसमें लिखा है:

"हम अनुभव करते हैं कि उपरोक्त व्यवस्था आलोकतन्त्रीय है। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए यह अनावश्यक और असंगत है कि देश में अन्य किसी भी निर्वाचित पदाधिकारियों, जैसे राज्य मुख्य मंत्री के मामले में भी ऐसी शर्त नहीं रखी गई है। इस खंड को समाप्त किया जाना चाहिए।"

यह रेजोल्यूशन उनके बोर्ड की तरफ से आया था। पहले जो बोर्ड था 1971 में वह नामिनेटेड था लेकिन अब यह इलेक्टेड था। यह बात सही है कि जिस रोज रेजोल्यूशन पास किया गया.....

श्री मुकुन्द मंडल (मथुरापुर) : महोदय, अब साढ़े-तीन बजे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री अपनी बात अगले अवसर पर जारी रख सकते हैं। हमें अब गैर-सरकारी सदस्य कार्य शुरू करना है। इससे पहले, श्री वेंकट सुब्बया सभापटल पर पत्र रखेंगे।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 के कतिपय उपबन्धों को छः महीने की और अवधि के लिए निलम्बित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया) : मैं दिनांक 20 मार्च, 1981 की उस अधिसूचना संख्या सां० आ० 197 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 20 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसमें दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 31 के अन्तर्गत जारी किया गया, दिनांक 20 मार्च, 1981 का राष्ट्रपति का आदेश दिया हुआ है जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के कतिपय उपबन्धों को 21 मार्च, 1981 से छः महीने की और अवधि के लिए निलम्बित किया गया। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 2149/81)

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : हम अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। दिल्ली में चुनाव फिर स्थगित किए जा रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादव पुर) : इस बात की कोई सूचना नहीं दी गई है। कुछ भी नहीं। यह सब क्या है ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आपको तो जल्दी चुनाव करवाने चाहिये थे।

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : करवायेंगे।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : जो कुछ इन्होंने अब पढ़ा है—महोदय, क्या यह उस मामले के जवाब में है जो माननीय सदस्य ने सुबह नियम 377 के अन्तर्गत उठाया था ?

———

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

18 वां प्रतिवेदन

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 18 वें प्रतिवेदन से, जो 18 मार्च 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 18 वें प्रतिवेदन से, जो 18 मार्च, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधेयक पुरः स्थापित

(एक) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) विधयक

धारा 4, 5 आदि का (संशोधन)

श्री मुकुन्द मंडल (मथुरापुर) : मैं बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 का और आगे संशोधन करने के विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 का और आगे संशोधन करने के विधेयक का पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

मुकुन्द मंडल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(दो) एकान्तता अधिकार विधेयक

श्री वी० एन० गाडगिल (पुणे) : मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को एकान्तता अधिकार देने के विधेयक का पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि भारत के प्रत्येक नागरिक को एकान्तता अधिकार देने के विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(तीन) विकलांग, निशक्त और मानसिक रूप से अवरुद्ध व्यक्ति कल्याण विधेयक

श्री बी० वी० देसाई (रायचूर) : मैं सरकार द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों, जो विकलांग, निशक्त और मानसिक रूप से अवरुद्ध पैदा हुए हैं, का कल्याण करने के विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि सरकार द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों, जो विकलांग, निशक्त और मानसिक रूप से अवरुद्ध पैदा हुए हैं, का कल्याण करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बी० वी० देसाई : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(चार) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (हमीरपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की हमीरपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने के विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की हमीरपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने के विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रो० नरायण चन्द पराशर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(पांच) पेंशन (विनियमन) विधेयक

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : मैं केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों की पेंशन को विनियमित करने के विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि केन्द्रीय सरकार के पेंशन-भोगियों की पेंशन को विनियमित करने के विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उत्तमराव पाटिल.....उपस्थित नहीं हैं।

नेत्रहीन व्यक्ति रोजगार विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम प्रो० मधु दंडवते द्वारा रखे गए नेत्रहीन व्यक्ति (रोजगार) विधेयक पर आगे विचार करना शुरू करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा अपनी बात आगे कहना शुरू करें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, हम श्री मधु दंडवते जी की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं, वे प्रशंसा के पात्र हैं, कि.....

उपाध्यक्ष महोदय : आप 7 मिनट पहले ही ले चुके हैं। अब आपको अपनी बात समाप्त करनी है।

श्री मूलचन्द डागा : बड़ी मेहनत करके, बड़ी निष्ठा के साथ, उन्होंने जो बिल रखा है, उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी उसको देखा होगा, वह जरूर पारित होना चाहिए या उसका सर्कुलेशन होना चाहिये—मेरी ऐसी राय है। आज विश्व के अन्दर 45 करोड़ ऐसे आदमी हैं जो विकलांग हैं और हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तान की सरकार ने जो फिगर्स दी हैं उसके अनुसार 4 करोड़ 6 लाख आदमी विकलांग हैं। उन्होंने यह भी बतलाया है कि हिन्दुस्तान में 90 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो दृष्टिहीन हैं, 2 लाख 30 हजार ऐसे लोग हैं जो दृष्टिदोष के शिकार हैं, जिनको कम नजर आता है। इस विकलांग वर्ष में आपने जो बिल पेश किया है—इसमें दो बातें मुख्य हैं। पेश करने की भावना क्या है ? विकलांग आप से दया नहीं मांगता। वह अपनी मांगों के साथ अपने जीवन का अधिकार मांगता है, स्वाभिमान के साथ वह रहना चाहता है। वह यह नहीं चाहता कि आप उस पर दया करें। उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए और इसलिए माननीय सदस्य ने यह बिल पेश किया है और मैं इस बात को अच्छा समझता हूं। अगर हम लोग, हिन्दुस्तान के इन 90 लाख लोगों को रोजगार में लगा दें, तो हम देश की बड़ी सेवा करेंगे और एक अच्छा काम करेंगे क्योंकि हिन्दुस्तान की जो संस्कृति है, जो उसकी परम्परा है, जो उसका धर्म है, वह हमको ये सारी बातें बताता है। अभी इनको नौकरी नहीं मिलती है और अगर इनको नौकरी मिल जाती है, तो बहुत ज्यादा अच्छा उपयोग उनका हो सकता है।

एक बात मैं मधु दंडवते जी से यह कहना चाहता था कि उन्होंने जो बिल पेश किया है, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, जिनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। ऐसा बिल उन्होंने बनाया है, जिसके रूल्स बनाने में एक साल लग जाएगा। इसमें इन्होंने जगह-जगह पर और बहुत सारी क्लोजों में लिखा है "एज प्रेस्क्राइब्ड"। तो इसमें कितना खर्च होगा, और किस तरह से दृष्टिहीन व्यक्ति नौकरी प्राप्त कर सकता है। इस तरह की चीज रखने से तो एक पाबन्दी सी लग जाती है। इस विषय में यह नहीं बताया गया है कि कितनी उम्र का आदमी नौकरी पाएगा ?

प्रो० मधु दंडवते : चाइल्ड लेबर नहीं हो सकता ?

श्री मूलचन्द डागा : वह नहीं हो सकता है, माना, लेकिन यह नहीं बताया कि कितनी उम्र तक के दृष्टिहीन आदमी को आप नौकरी देंगे ? क्या 40 साल के आदमी को आप सर्विस देंगे और सर्विस देने का तरीका क्या होगा ? इसमें लिखा है कि एक रजिस्ट्रार होना चाहिए। अब क्योंकि अलग-अलग रजिस्ट्रार होंगे, इसलिए एक चीफ रजिस्ट्रार होगा। फिर कंडीशन डाली गई है। वहां डाक्टरों का एक बोर्ड होगा।

डाक्टरों का बोर्ड बैठेगा और वह सर्टीफाई करेगा कि यह आदमी दृष्टिहीन है, यह अपनी आंखों से देख नहीं सकता है। एक बोर्ड बैठेगा वह एक विशेष बोर्ड होगा।

और बोर्ड बैठने के बाद अगर कोई डिस्प्यूट रह जाए उसके अन्दर उसका निर्णय सरकार द्वारा किया जाएगा तो यह जो आपने तरीका अख्तियार किया है, दृष्टिहीन लोगों को नौकरी दिलाने का तरीका क्या अख्तियार किया है, इसमें सारा उसको नौकरशाही के अन्दर बांध दिया है और फिर आपने यह क्लाज दिया है :

> "इस अधिनियम एक अंतर्गत पंजीकरण के लिए एक नेत्रहीन व्यक्ति आवेदन कर सकता है....."

पहले-पहल अंधे आदमी को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और वह फार्म क्या होगा ? वह निर्धा-

रित किया जाएगा किस फार्म में क्या बातें होंगी ? आखिर आप जानते ही हैं कि कानून एक मकड़ी का जाल है और कोई भी आदमी इसके ऊपर नहीं आ पाता । मैं तो ऐसा समझता हूं कि आप जितने ज्यादा कानून बनाएंगे, उतना ज्यादा जनता से दूर होंगे और जितने कम आपके कानून होंगे, उतने जनता के पास होंगे ।

"कोई नेत्रहीन व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन उस पंजीकरण अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता के अन्दर वह निवास करता है, ऐसे रूप में और ऐसे तरीकों से आवेदन कर सकेगा, जो कि विहित की जाएं ।"

यह तो एक्ट में होना चाहिए था लेकिन आप इतने सारे रूल्स बनाने के बारे में सोच रहे हैं । अब वह तरीका क्या है, "ऐसे रूप में और ऐसे तरीके से"—वह रूप क्या है ? यह तो आप एनेक्सर में लगा देते वह रूप नौकरशाहों द्वारा विहित किया जाएगा अथवा आप उन्हें शान्ति प्रदान करेंगे । ऐसा फार्म बनाएंगे और उसमें वे कहेंगे एक एफीडेविट दो । ब्लाइंड आदमी कहां से एफीडेविट देगा और कैसे मजिस्ट्रेट से सर्टीफाई कराएगा ?

"(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने पर, पंजीकरण अधिकारी ऐसी जांच करवा सकेगा"

तब, महोदय, मैं आपका ध्यान खंड 7 के उपखंड 2 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है :

"(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदनपत्र प्राप्त हो जाने पर, पंजीकरण प्राधिकारी ऐसी जांच करवा सकेगा जैसी कि वह आवश्यक समझे और यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक नेत्रहीन व्यक्ति है और उसके पास निहित अर्हताएं हैं तो वह उसका नाम रजिस्टर में दर्ज कर लेगा और उसे निहित फार्म में एक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा या पहिचान पत्र देगा ।"

यह कितना लम्बा प्रोसीजर है । उसको क्या पावर है ? वह क्या इंक्वायरी करेगा ; वह इंक्वायरी करने के बाद एक सर्टिफिकेट इशू करेगा ।

अब वह आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने पर पंजीकारक एक जांच कराएगा । कोई नेत्रहीन व्यक्ति एक आवेदन पत्र लेकर आता है और पंजीकारक उसे जांच के लिए भेज देगा । इसके अलावा जांच एक ऐसे तरीके से करायी जाएगी जिसे वह उचित समझता हो ।

अब एक प्रोसीजर बना दिया है । अंधा कितनी जगह घूमेगा ? वह जो नेत्रहीन हो गया है उसको आपने इतना घुमाया है । दंडवते जी अंधों से सहानुभूति तो बहुत रखते हैं लेकिन मेरी समझ में इतना घुमाने का कारण नहीं आया । क्या आप उसको परिक्रमा कराना चाहते हैं और वह भी इतनी लम्बी-चौड़ी ? हमारी श्रम मंत्री जो जब उत्तर देंगी तो यह सब बतायेंगी । पहले तो वह रजिस्टर्ड हो जाए, अपनी रजिस्ट्री करा लें । उसके बाद उसकी इंक्वायरी हो । फिर नोटिफिकेशन निकलेगा यह सारी बातें हैं ।

धारा 10 : "धारा 9 के अधीन अधिसूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, पंजीकरण प्राधिकारी अपने पास पंजीकृत नेत्रहीन व्यक्तियों की ऐसी सूची भेजेगा..."

इसके बाद इसमें प्रावधान किया गया है :

"कोई नियोक्ता किसी नेत्रहीन व्यक्ति को इस आधार पर अस्वीकार नहीं करेगा कि वह एक विशिष्ट रोजगार नहीं कर सकता जब तक कि विशेषज्ञों का बोर्ड इसे प्रमाणित नहीं करता।"

इस प्रकार हम देखते हैं कि विशेषज्ञ आते हैं और डाक्टर आते हैं।

मधु दंडवते जी ने एक बहुत अच्छा शब्द पकड़ लिया है कि कोई भी क्लाज हो उसमें लिख दिया है कि एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड।

"समुचित सरकार ऐसी रीति से जो कि विहित की जाए, विशेषज्ञों का एक बोर्ड नियुक्त करेगी·····।"

इसकी नियुक्ति एक ऐसे तरीके से की जाएगी जो कि विहित किया जाए।

मैं तो कहता हूं कि आप अंधे को नौकरी दिलाइए लेकिन आप कह रहे हैं···"

"समुचित सरकार ऐसी रीति से, जो कि विहित की जाए, विशेषज्ञों का बोर्ड नियुक्त करेगी जो प्रत्येक मामले में निश्चित करेगा कि कोई नेत्रहीन व्यक्ति आधुनिक उपकरणों की सहायता से कोई रोजगार कर सकता है अथवा नहीं। विशेषज्ञों के बोर्ड का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा···।"

"केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार, यथा स्थिति, तीन सौ रुपए प्रतिमास का बेरोजगारी भत्ता देगी···।"

अब आप कहते हैं कि तीन सौ रुपए एक अंधे को मिले। बहुत अच्छी बात है, अगर तीन सौ रुपए एक अंधे को मिलता है और मिलना चाहिए। लेकिन हिन्दुस्तान के बारे में आप जानते हैं, हमारे शास्त्री जी को भी ज्ञान है। क्या यह तीन सौ रुपए पोसिबल हो सकेंगे ? जिसके यहां कोई कमाने वाला नहीं है आज भी हिन्दुस्तान में उसको 60 रुपए देते हैं। मेरे ख्याल से हर राज्य में पेंशन देते हैं। कोई राज ऐसा नहीं होगा जिसमें कि यह व्यवस्था न हो। कोई आदमी गुनाह करेगा तो उसको छः महीने की सजा या दो हजार रुपए जुर्माना होता है तो वह कौन देगा ? इस सेक्शन को आप पढ़िए···

दूसरे अतिरिक्त, इस बात का प्रावधान नहीं किया गया है कि एक नियोक्ता को जो इसका विरोध करता है, किस तरह दण्डित किया जाएगा। क्या संक्षिप्त मुकदमा चलेगा अथवा लम्बी प्रक्रिया अपनायी जाएगी ? कौन दण्ड देगा ?

इस में आप प्रोसीज के चक्कर में भी लोगों को डाल रहे हैं। आप कहते हैं :

"जहां कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है, तो ऐसे विभाग का प्रधान उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

आप मंत्री रह चुके हैं। आप के दिमाग में आया और इसके बाद आपने लिख दिया :

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे विभाग के प्रधान को इस अधिनियम के अधीन किसी भी दण्ड से दण्डनीय नहीं बनाएगी···

दोनों का क्या मतलब है ? एक तरफ आप सजा देने की बात कहते हैं हैड आफ दी डिपार्टमेंट को और फिर कह रहे हैं कि अगर उसमें गलती नहीं है तो न मिले। आप चाहते हैं और चाहते भी नहीं। अब आप देखें कि कौन सजा को मान लेगा ? गवर्नमेंट का आदमी इनक्वायरी

करके इस तरह की बात कहेगा ? फिर इस तरह के न हमारे पास साधन हैं और न लीगल एंड टू दी पूअर की बात हो पाई है । डायरैक्ट बात आपको कहनी चाहिए थी ।

अभी प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने विकलांग वर्ष के अवसर पर एक बात कही थी । मैं उसका रेलेवैंट पोर्शन पढ़ कर सुनाना चाहता हूं ।

नेत्रहीन व्यक्तियों सहित सभी शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए रोजगार का पता करने के लिए प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों को निर्देश जारी किए हैं ।

ये निर्देश, उनके पुनर्वास के लिए प्रदत्त कई रियायतों के बावजूद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, खास तौर पर नेत्रहीन व्यक्तियों की असंतोषजनक रोजगार स्थिति पर श्रीमती गांधी की गहरी चिन्ता के परिणाम हैं ।

प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मंत्रालय और विभाग डिप्टी सेक्रेटरी की श्रेणी के एक सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति करेगा ।

रोजगार के ग्रुप 'सी' और 'बी' श्रेणियों के आरक्षण आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन पर कड़ी निगरानी रखने हेतु श्रम मंत्रालय में गठित किए जा रहे निगरानी सेल को कार्य का तिमाही मूल्यांकन भेजा जाएगा ।

श्रम मंत्री जी जब जवाब दें तो बताएं कि इसकी अनुपालना हो रही है या नहीं ? फिर क्या उनके साथ में यह चीज है ? सितम्बर से लेकर अब तक आठ नौ महीने हो गये हैं । आठ नौ महीने में कुछ पैदा होता ही है । इन दो महीनों में आपने कितने आदमियों को नौकरियां दे दी हैं ? एग्रिकल्चर मिनिस्टर बैठे हैं, ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री बैठे हैं, मकवाना साहब बैठे हैं, इन्होंने कितने लोगों को दे दी हैं ? केवल उपदेश और भाषण ही नहीं होने चाहिए । उनका इम्प्लमेंटेशन भी होना चाहिए ।

मैं दंडवते जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कानूनी रूप से सरकार को पाबन्द करने की कोशिश की है । बहुत मेहनत करके यह बिल बनाया है । लेकिन इसमें बहुत सी गोल-मोल बातें हैं, बहुत ज्यादा इन को घुमाने की कोशिश की है । इससे ये लोग यों ही थक जाएंगे ।

देश के अन्दर बच्चे भी बहुत ज्यादा अंधे होते हैं । विटामिन की कमी के कारण सरकार के आंकड़ों के अनुसार पच्चीस हजार बच्चे हर साल अंधे हो जाते हैं । हम समाजवादी कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, वैलफेयर स्टेट की बात करते हैं । वैलफेयर स्टेट केवल अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में छाप देने के लिए बात नहीं होनी चाहिए । फोटो निकाल देना, अध्यक्ष बन जाना, एक दो अंधों को एकत्र करके फोटो खिंचवा लेना, किसी को बैसाखी दे देना ही काफी नहीं है । दिल से काम होना चाहिए । वर्ना नहीं होना चाहिए । कानूनी संशोधनों को मान कर उनको लागू करना चाहिए और सख्ती से उनको असली रूप देना चाहिए और अगर न मानना हो तो वैसा कह देना चाहिए । उपदेश देते रहने से, आश्वासन देते रहने से, सब्ज बाग दिखाते रहने से कुछ होने वाला नहीं है ।

प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर एक डिपार्टमेंट को अपनी फिगर्स देनी पड़ेगी कि कितने अंधों को आपने नौकरी दी - अंधे जरूर होते हैं लेकिन उनको ज्ञान होता है । तो आपको भी ज्ञान मिल जायगा और भ्रष्टाचार भी दूर हो जाएगा । अंधे के सामने कुछ दे भी दोगे तो देखेगा नहीं ।

प्रो० मधु दण्डवते : सिविल सप्लाई विभाग में सबसे कम नौकरी दी गई है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने बहुत अच्छा मौका दिया इस विषय पर सोचने और चर्चा करने का जो इतना अच्छा बिल बनाकर माननीय दण्डवते जी ने रखा है उससे मालूम होता है कि आप अर्थशास्त्री ही नहीं बल्कि कानून के भी ज्ञाता हैं। हमारी श्रम मंत्री जी बैठी हुई हैं इनका दिल तो नरम है, देखते हैं कि आप कितने अंधों को नौकरी देती हैं। हमारे निर्माण और आवास मंत्री भी बैठे हुए हैं वह बतायेंगे कितने अंधों को आपने नौकरी में रखा। जो मिनिस्ट्री नौकरी नहीं देती उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं, इतना बता दें।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि संसद का प्रत्येक सदस्य इस बात की प्रतिज्ञा करता है कि अपनी पांच वर्ष की पदावधि के दौरान वह कम से कम एक नेत्रहीन को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए रोजगार दिलवाएगा तो पांच वर्ष में कम से कम 500 नेत्रहीनों को रोजगार मिल जाएगा।

प्रो० मधु दण्डवते : परन्तु इन लोगों में ऐसे लोग शामिल नहीं होने चाहिए जो राजनीतिक दृष्टि से अंधे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा अपने निर्वाचन क्षेत्र में कर रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन् इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री जेवियर अवाकल : (एर्नाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अवसर पर बोलने और सभा में व्यक्त किए गए विचारों का भागीदार होने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में स्पष्ट रूप से विचार किया जाना चाहिए। इस विधेयक पर इस पृष्ठभूमि में विचार किया जाना चाहिए कि हमारे देश में नेत्रहीनों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। हमारे देश में लगभग 10 लाख लोग नेत्रहीन हैं और लगभग पांच लाख लोग मोतियाबिन्द के रोगी हैं। नेत्रहीनों की समस्या कितनी बड़ी है इस बात का संकेत प्रो० मधु दण्डवते ने अपने प्रारंभिक भाषण में किया है। अब मैं एक अन्य महत्वपूर्ण बात पर आता हूं, जिसे नकारा नहीं जा सकता। हमारे देश में लगभग 12000 बच्चे जो बारह वर्ष से कम उम्र होते हैं, प्रतिवर्ष नेत्रहीन हो जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में ये बच्चे दृष्टिहीन क्यों हो जाते हैं? इसका मुख्य कारण यह है कि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में विटामिन 'ए' नहीं मिल पाता है। हमें अपने वलगत स्वार्थों से ऊपर उठकर और सच्चे मन से इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है। हमारे यहां जैसा कि मैंने पहले कहा है, प्रतिवर्ष 12 वर्ष से कम आयु के लगभग 12000 बच्चे विटामिन 'ए' की कमी के कारण दृष्टिहीन हो जाते हैं और पोषक आहार न मिलने के कारण 21 वर्ष से कम आयु के लगभग 30 प्रतिशत लोग दृष्टिहीन हो जाते हैं। ये ऐसे तथ्य हैं जिनका खण्डन नहीं किया जा सकता। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में लगभग 90 लाख लोग नेत्रहीन हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या विकलांगता से ग्रस्त है। इसका अर्थ यह है कि हमारे यहां 680 लाख लोग विकलांग हैं। इस प्रकार हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग इस प्रकार पिछड़ेपन से ग्रस्त है। कहा जाता है कि गरीबी सबसे बड़ी अड़चन है जिसमें इस देश में इन लोगों को अपना जीवन गुजारना होता है। इस विधेयक के प्रस्तावक इन लोगों को 3 प्रतिशत रोजगार दिए जाने की मांग करते हैं। आंकड़ों पर विचार करने पर मैं पाता हूं कि केवल 3500 नेत्रहीन व्यक्तियों ने रोजगार के लिए स्वयं को पंजीकृत कराया है। उस संख्या में से केवल 1230 लोग रोजगार पा

सके थे। जरा सोचिए तो सही, कि 90 लाख नेत्रहीन लोगों में से केवल 3500 नेत्रहीन लोगों ने रोजगार के लिए अपने नाम दर्ज कराए थे उनमें से केवल 1230 लोगों को रोजगार मिला है। यह कैसी नीति है। हम कहां खड़े हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह विधेयक बहुत ही उपयुक्त समय पर लाया गया है और यह देश की इस बारे में सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए आवश्यक भी है। इस देश में नेत्रहीनों और अन्य विकलांगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होता है। इस मानवीय समस्या से निपटने में हम एकदम विफल हो गए हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले से तीन मंत्रालयों अर्थात् स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय और श्रम मंत्रालय का सम्बन्ध है। मैं नहीं जानता कि कितने अन्य विभाग इस मामले से सम्बन्धित हैं। क्या यह उचित समय नहीं है कि इस सम्बन्ध में अब एक संगठित प्रयास किया जाए। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह इस मामले में अपने प्रयासों में किस प्रकार से समन्वय स्थापित करती है। हाल ही में दिल्ली, मद्रास तथा अन्य स्थानों पर नेत्रहीन लोगों की समस्याओं पर विचार करने के लिए अनेक गोष्ठियां हुई हैं। मैंने इन विचार-गोष्ठियों की कार्यवाहियों को पढ़ा है जिनसे मालूम होता है कि इन लोगों के सामने चार प्रकार की समस्याएं हैं।

एक कठिनाई प्रशिक्षण स्कूलों की कमी है। मैंने माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछा है कि नेत्रहीनों के लिए प्राथमिक स्तर पर और हाई स्कूल स्तर पर कितने प्रशिक्षण विद्यालय हैं। देश में हमने ऐसे कितने विद्यालयों की स्थापना की है। दूसरी समस्या, जो उन्होंने अत्यन्त स्पष्ट रूप से और बहुत उचित रूप से उल्लेख की है, अध्यापन साधनों की कमी है। हाल ही में बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इन लोगों के लिए अध्यापन साधनों को प्राप्त करने में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई है। उनके लिये विशेष प्रकार के अध्यापन सहायता के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है और हमारे पास उनकी कमी है। क्या हम देश में उनका निर्माण करते हैं? उनकी सप्लाई करने का तरीका क्या है? उन्हें प्राप्त करने का तरीका क्या है? कौन-कौन-सी एजेंसियां इन वस्तुओं की व्यवस्था कर रही है? हम इन सभी बातों को जानना चाहते हैं।

तीसरी और अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या, जिस पर उन्होंने प्रकाश डाला है, इस मामले में अर्हता प्राप्त स्टाफ का न होना है। इस देश में 90 लाख नेत्रहीन व्यक्तियों के परिणाम की तुलना में हमारे पास पर्याप्त अर्हता प्राप्त स्टाफ नहीं है। हमारे पास अर्हता प्राप्त कर्मचारी नहीं हैं। क्या उनके लिए कोई प्रशिक्षण स्कूल है? इन नेत्रहीन व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिये अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कितने प्रशिक्षण स्कूल हैं? यह एक गम्भीर मामला है जिस पर सरकार द्वारा शीघ्र ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण मामला, जो इन गोष्ठियों में प्रकाश में आया है, होस्टलों, भोजन और अन्य मामलों में कम सुविधाओं का होना है। भोजन और अन्य सुविधाओं के मामले में हम इन लोगों के साथ अमानवीय अथवा अवमानवीय रूप में बहुत खराब व्यवहार करते हैं। इस सदन में मैंने इन चार समस्याओं को रखा है और जिन पर हाल के महीनों में विभिन्न गोष्ठियों में प्रकाश डाला गया है।

मैं विभिन्न धर्मार्थ और कल्याणकारी संस्थाओं को धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने कृतज्ञता व्यक्त किये बिना ही और बिना किसी उम्मीद के स्वयं को इस क्षेत्र में समर्पित

किया था। इस देश में इन धर्मार्थ और कल्याणकारी संस्थाओं द्वारा दिये गए योगदान की यह सदन उपेक्षा नहीं कर सकता है। जहां सरकार और अन्य लाभ प्रयोजन वाली एजेंसियां देख-रेख नहीं करती है, वहां इन संस्थाओं को आना पड़ता है। इन स्वार्थरहित संस्थाओं, जो किसी अन्य चीज की तुलना में मानवता से अधिक प्रेम करती हैं, को इस कार्य के लिए आगे आना पड़ता है।

अपने राज्य का हवाला देते हुए मुझे विशेष रूप से एक संस्था के बारे में उल्लेख करने में गर्व होता है। यदि मैं इसका उल्लेख नहीं करता हूं तो मेरे विचार से मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इन नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए कार्य में सम्बद्ध हूं। 'लिट्ल फ्लावर आई हास्पिटल आफ अंगमाली' नामक संस्था ने केरल के नेत्रहीनों के लिए महान सेवा की है। एक सुविख्यात नेत्र विशेषज्ञ डा० टोनी फर्नांडीज ने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। हमें यह कहते हुए गर्व होता है कि उन्होंने मानवता के लिए इस क्षेत्र में महान कार्य किया है। वह ऐसी संस्था है जो मानवता और लोगों के दुखों के लिए देख-रेख करती है। इस अस्पताल को देखने जाना उचित है।

प्रो० एन० जी० रंगा : (तिरुमला)।

श्री जेवियर अराकल : जी, वहां विभिन्न संस्थायें हैं। जब हमारी आंखें होती हैं तो हम आंखों का महत्व नहीं जानते। जिनके अंग होते हैं वे अंगों के महत्व की सराहना नहीं करते। जहां ईश्वर ने हमें यह दृष्टि दी है वहाँ उसने हमें अपने हृदयों में अंधा बना दिया है मैं इसे इसी प्रकार कहूंगा।

मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि और अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहिए। मैं जानता हूं कि इस विधेयक, जैसा कि श्री डागा ने कहा है, से बहुत ज्यादा कार्य नहीं होने वाला है लेकिन इसने इस समस्या के बारे में इस सदन और जनता के मस्तिष्क और आंखों को खोलने में बहुत कुछ किया है। यदि हम गंभीर रूप से इन लोगों के बारे में कुछ कराना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि इनके लिए पर्याप्त संख्या में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहिए। 1974 में एक समेकित योजना थी लेकिन यह असफल हुई थी। क्या सरकार ने इस योजना से कुछ सीखा है ? मैं यह प्रश्न करता हूं। मैं नहीं जानता कि किस मंत्री को उत्तर देना है। हमारे देश में और अधिक व्यावसायिक केन्द्र खोले जाने चाहिए। मुझे पता चला है कि हमारे देश में हाई स्कूल तक प्रशिक्षित नेत्रहीन व्यक्तियों के लिये 125 प्रशिक्षण स्कूल हैं। यह काफी नहीं है। यही समय है जब हम इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धनराशि निर्धारित करें।

मैं जानता हूं कि आपने मुझे काफी समय दिया है। मैं प्रधान मंत्री द्वारा 17 मार्च, 1981 के आस-पास इंटरनेशनल फेडरेशन आफ 'दी ब्लाइंड के प्रेजीडेंट को लिखे गये एक पत्र का उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें हमारी प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से बताया है कि नेत्रहीनों और अपंग व्यक्तियों की उचित तरीके से देख-रेख की जायेगी और उन्हें सभी सुविधाएं दी जायेंगी। हमें यह कहते हुए गर्व है कि यह सरकार इस देश में नेत्रहीन व्यक्तियों की समस्याओं से अवगत है और उनके लिए कुछ कार्यवाही करने के लिए अपने प्रयासों में निष्कपट है। अतः हमारे प्रधान मंत्री ने इस देश में नेत्रहीन व्यक्तियों के कल्याण के लिए अपने समर्पण को अत्यन्त स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से गंभीरतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वह उन नेत्रहीन

व्यक्तियों जिनके अपने हृदय में अधिकार नहीं हैं—की सहायता के लिए अपना श्रेष्ठ प्रयास और प्रयत्न करे।

अब मैं अपना आभार एक अच्छी टिप्पणी के लिये करता हूं जो मुझे 'ब्लाइंड एसोशिएशन आफ केरल' से प्राप्त हुई है जिनके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री से एक मशीन का आयात करने संबंधी कुछ रियायत प्राप्त कर सका। उन्होंने कहा है "हम बाहरी दुनिया के लिए नेत्रहीन हैं। लेकिन हमारी अन्तरात्मा नेत्रहीन नहीं है जो हम अन्य लोगों की अच्छाई को न देख सकें।" यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमें आँखों के होते हुए हृदय से अन्धा नहीं होना चाहिए। जिन व्यक्तियों की आंखें नहीं होती है वे हृदय से अन्धे नहीं होते हैं हमें आगे आना चाहिये और राष्ट्र को इन अपंग व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिये। धन्यवाद।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मैं केवल आधे मिनट का समय चाहता हूं। मैं डा० मोदी के लिए कृतज्ञता की भावना व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि यह सदन भी मेरे साथ विख्यात डाक्टर मोदी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने में शामिल होगा। जिन्होंने हजारों ओपरेशन किए हैं और मोतियाबिन्द का इलाज किया है और रोगियों को ईश्वर द्वारा दी गई दृष्टि को पुन: प्रदान किया है।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : कुछ और नाम भी जोड़े जाने चाहिएं। उन्होंने केवल डा० मोदी का उल्लेख किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप बाद में नहीं बोलेंगे ?

श्री उत्तम राठौर : मैं बोलूंगा लेकिन हमें कुछ और नाम जोड़ने चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे जोड़े जा सकते हैं। अब श्री सुधीर गिरि।

श्री सुधीर गिरि (कनई) : माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मामलों को मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुनता रहा हूं। दृष्टिहीनता अत्यन्त भयानक असमर्थता है जो एक मानव को प्राप्त हो सकती है। यह मानव जाति का अत्यन्त आघात पहुंचाने वाले रोग हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए, जिसको दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है, यह विश्व में अत्यन्त घोर दुर्भाग्य है। यही कारण है जिससे प्रो० मधु दण्डवते इस विधेयक को लाये हैं। मैं उनकी सच्चे दिल से प्रशंसा करता हूं और इस विधेयक को अत्यन्त व्यापक बनाने के लिए मैं उनके द्वारा किए गए अत्यन्त सच्चे प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं।

यदि नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता है तो इससे हमारे देश के कार्यकारी बल में वृद्धि होगी। मैं इस विधेयक में व्याप्त कमियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सर्वप्रथम जब कभी नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार देने की बातचीत हुई है तो नेत्रहीन व्यक्तियों में केवल प्रबुद्ध व्यक्तियों को ही यह अवसर मिलेगा। गाँव में रह रहे नेत्रहीन व्यक्तियों को यह अवसर कभी भी प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वे इतने गरीब और निरक्षर हैं तथा अन्ध-विश्वासों से घिरे हुए हैं। इस प्रकार वे आगे आने और अपना नाम पंजीकृत कराने में असमर्थ होंगे जैसा कि इस विधेयक में प्रस्ताव है। अत: मैं सुझाव देता हूं कि देश के समग्र आर्थिक पहलुओं की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि गांवों में रह रहे नेत्रहीन व्यक्तियों को पंजीकरण कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराने में अवसर प्राप्त हो सके जैसाकि इस विधेयक में प्रस्तावित है।

रोजगार के मामले में हमें पता चला है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के नियोजक इन अपंग व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए प्राथमिकता नहीं देते हैं। अत: एक उचित तंत्र होना चाहिए और इस तंत्र को प्रभावी बनाना चाहिए ताकि गैर-सरकारी क्षेत्र के नियोजकों को बाध्य होकर इन नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार देना पड़े। सरकारी क्षेत्र में सामान्य तौर पर इन पदों को भर लिया जाता है जो इन रोजगार कार्यालयों में आरक्षित रखे जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपने पश्चिम बंगाल, में इस समस्या का समाधान कर लिया है तो आपको वह बातें यहां पर बतानी चाहिए। यह अत्यन्त उपयोगी होंगी।

श्री सुधीर गिरि : आप भली-भांति जानते हैं कि राज्य सरकार की अपनी सीमा है जो धन सम्बन्धी सीमा है।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन हृदय की कोई सीमा नहीं है।

श्री सुधीर गिरि : नेत्रहीन व्यक्तियों के मामले में ही केवल हृदय नहीं होते हैं अपितु अधम व्यक्तियों के मामले में भी, जो देहातों में रह रहे हैं, यह बात लागू होती है। शायद आप इन लोगों के बारे में नहीं जानते हैं अपितु हम उनके बारे में जानते हैं क्योंकि हम गांवों से आए हुए हैं। (**व्यवधान**) मेरे विचार से उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। यदि उन्हें इनका पता होता तो वह एक विभिन्न राजनीतिक अर्थव्यवस्था का सहारा न लेते।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति गांव से आया हुआ है।

श्री सुधीर गिरि : इस सदन में हममें से अधिकांश का गांवों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। वे गांवों में जाते हैं और वहां से वोट खरीद लेते हैं। वे इस प्रयोजन के लिए धनराशि खर्च करते हैं लेकिन वे गांवों के लोगों के उत्थान के लिए, जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं।

योजना आयोग के अनुसार स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 34 वर्ष बीत जाने पर भी कुल जनसंख्या का 48.5 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे है। ऐसा क्यों है ? अत: मैं विवश होकर ऐसा कह रहा हूं। कृपया इसे अन्यथा न लें।

मुझे कुछ सुझाव देने हैं। मेरा पहला सुझाव यह है कि सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों में नेत्रहीन लोगों के लिए न केवल आरक्षण किया जाना चाहिए अपितु उनके लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं भी होनी चाहिए। वे लोग, जो शिक्षित नहीं हैं जिनके पास स्वयं पंजीकरण कराने हेतु किसी प्रकार की योग्यता नहीं है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए उन्हें ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि वे अपनी आजीविका स्वयं कमा सकें। इस प्रयोजन के लिए प्रश्चिम बंगाल में एक विशेष क्षेत्र में नेत्रहीनों के लिए सहकरिता का प्रस्ताव है। जिससे कि इन नेत्रहीन लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकें तथा वे अपनी रोजी-रोटी कमा सकें।

अत: लघु उद्योग तथा दस्तकारी का कार्य वहां उपलब्ध किया जाना चाहिए और इस नेत्रहीन लोगों को आजीविका कमाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में, मैं बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की भूमिका पर जोर देना चाहूंगा। ये बैंक धनाढ्य लोगों को ऋण देते हैं। यदि उन्हें कुछ स्वैच्छिक संगठनों को ऋण देने के लिए बाध्य किया जाये, तो ये स्वैच्छिक संगठन इन नेत्रहीन लोगों के लिए कुछ रोजागार उपलब्ध करा सकते हैं। वे इतना कर सकते हैं। और मैं यह महसूस करता हूं कि इस विधेयक में इस पहलू

पर विचार किया जाना चाहिए। प्रो० मधु दण्डवते ने कहा है कि ऐसे नेत्रहीन लोगों के लिए जो बेरोजगार पंजिकाओं (रजिस्टरों) में अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं। प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए एक चिकित्सा बोर्ड होना चाहिए।

किन्तु 1978 में यह पाया गया था कि जय प्रकाश नारायण अस्पताल के कुछ डाक्टरों ने ऐसे कुछ लोगों को ऐसे प्रमाण-पत्र जारी कर दिए थे जो विकलांग नहीं थे किन्तु उन्हें प्रमाण-पत्र में विकलांग घोषित किया था और इसके आधार पर जो लोग विकलांग नहीं थे, उन्हें दफ्तरों में रोजगार मिल गया। अतः इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन बातों की पुनरावृत्ति न हो तथा वे लोग, जो विकलांग नहीं हैं उनका पंजीकरण बेरोजगार पंजिका मे नहीं होना चाहिए।

यदि हमारी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था होती, तो प्रो० मधु दण्डवते को यह विधेयक न लाना पड़ता। हमारे कुछ नेता समाजवाद की बात करते हैं। यहां तक कि हमारे संविधान में संशोधन किया गया है। "समाजवाद" शब्द को सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। किन्तु "समाजवाद" का क्या हुआ ? समाजवादी देशों में ऐसे विधेयक बिल्कुल भी नहीं लाये जाते। क्योंकि वहाँ के संविधानों में रोजगार के अवसरों तथा अधिकारों की गारण्टी के उपबन्ध हैं। अतः मेरा कहना है कि अकेला श्रम मंत्रालय इस बड़ी समस्या को हल करने में समर्थ न होगा, क्योंकि इस प्रयोजन के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को कार्य करना होगा और यदि सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था समाजवाद में परिवर्तित करना है, तब हम हर समस्याओं को हल कर सकते हैं।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : मैं प्रो० मधु दण्डवते द्वारा प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करता हूं। यदि यह भी कहा होता कि शारीरिक दृष्टि से विकलांग लोगों के लिए भी आरक्षण किया जाना चाहिए, तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती। आप कह सकते हैं कि जहां तक लोगों का नेत्रहीन लोगों का सम्बन्ध है हमारा देश केवल चर्चा करता है। मैं अब तक समझता था कि हमारे देश में नेत्रहीन लोगों की कुल संख्या लगभग 40 लाख है, किन्तु मेरे विद्वान मित्र ने बताया है कि यह संख्या 40 लाख नहीं है अपितु एक करोड़ के आसपास है—90 लाख से अधिक है। हमने इस विशेष वर्ग की पूर्णरूपेण अवहेलना की है। केवल 20 वीं सदी के प्रारम्भ में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने देश में नेत्रहीन लोगों को शिक्षा देने पर विचार किया था। बम्बई एक ऐसा राज्य है जिसने इसमें पहल की और हमने अन्ध विद्यालय शुरू किए, जिसके फलस्वरूप आज हमारे यहां 175 अन्ध विद्यालय हैं जो लिखना, पढ़ना और हिसाब सिखाते हैं तथा प्रशिक्षण केन्द्र भी चल रहे हैं जो विभिन्न व्यवसायों में उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। मैं यह भी उल्लेख करूंगा कि नेत्रहीन किसानों के लिए कुछ कृषि प्रशिक्षण फार्म भी हैं, एशिया में सबसे बड़ा फार्म गुजरात के फांसा में है। नेत्रहीन लोगों सहित शारीरिक दृष्टि से विकलांग लोगों की प्रतिशतता ग्रामीण क्षेत्रों में काफी ज्यादा है और इसीलिए मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक अंध विद्यालय खोले जाएं।

किंतु दुर्भाग्य से यह देश, शहरी सभ्यता का देश है। हम पहले लोग हैं जिन्होंने 20 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के दूर दराज के क्षेत्र में बुधरी नामक गांव के ग्रामीणों के लिए पहला अंध विद्यालय खोला। क्या मैं आपको बताऊं कि मुझे यह प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई ? यह प्रेरणा डा० राजेन्द्र

व्यास से मिली, जो 11 वर्ष की आयु में अंधे हो गए थे। वे बम्बई के एक बड़े डाक्टर के पुत्र थे। उन्होंने केवल बी० ए० ही नहीं किया अपितु एम० ए० एल-एल० बी० भी किया और पी० एच० डी० भी किया। वे सभी नेत्रहीन लोगों के हितार्थ सोत्साह कार्य कर रहे हैं। वे नेत्रहीनों के लिए रायल कामनवैल्थ सोसाइटी में नेत्रहीनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब प्रो० रंगा ने डा० मोदी के बारे में कुछ उल्लेख किया तो मैंने सोचा कि मुझे डा० राजेन्द्र व्यास का उल्लेख अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वे नेत्रहीन लोगों के कल्याण के लिए उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं।

अंधता के विभिन्न कारण हैं। जैसा कि श्री डागा ने बताया कि इसका सबसे बड़ा कारण विटामिन ए की कमी है। दूसरा कारण चेचक है, जिसका उन्मूलन कर दिया गया है। तीसरा कारण नेत्र सम्बन्धी बीमारियाँ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : विटामिन 'ए' की कमी का उल्लेख श्रीअराक्कल ने भी किया था।

श्री उत्तम राठौर : मैं इस बारे में प्रसन्न हूं। यद्यपि हमने चेचक का उन्मूलन कर दिया है, फिर भी नेत्रहीन लोगों की संख्या में कमी नहीं हो रही है। इसकी जानकारी हमें बहुत जल्दी मिल जाएगी जब जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होंगे। मेरा सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित अस्पतालों के जरिए विटामिन ए की गोलियाँ ज्यादा उदारता से वितरित की जानी चाहिए। डा० कपूर ने जो सीतापुर नेत्र अस्पताल के निदेशक थे, तथा जिन्होंने सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की श्रंखला शुरू की थी, मुझे बताया कि हमारी सरकार उस भावना से सहयोग नहीं कर रही, जिसकी हम आशा करते हैं। यह सुनकर मुझे धक्का लगा। नेत्रहीनों के लिए रायल कामनवैल्थ सोसाइटी हमें विटामिन 'ए' की गोलियां देना चाहती है और वे चाहते हैं कि सरकारी अस्पतालों द्वारा इनका वितरण हो। किन्तु हम इनका वितरण ठीक ढंग से नहीं कर रहे। क्यों? मैं सरकार से चाहता हूं कि वह इन औषधियों के वितरण के लिए उपाय करें।

जहाँ तक रोजगार का संबन्ध है, हमें बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा 18 रोजगार केन्द्र खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ ब्यूरो भी हैं, जो नेशनल एसोसिएशन आफ ब्लाइण्ड की ओर से कार्य कर रहे हैं। पंजीकृत लोगों की संख्या 500 के आसपास जानी जाती है। ये शिक्षित लोग हैं। किन्तु उन अशिक्षित लोगों के लिए जो वयस्क हैं, और सड़कों पर भीख माँगते घूमरहे हैं, क्या किया गया है? क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? हमने एक कानून पारित कर दिया है जो लोगों को भिक्षा मांगने से रोकता है। क्या आप इसके बदले उन्हें कुछ देने जा रहे हैं अथवा नहीं? इसलिए मेरा सुझाव है कि पहले हमें गांवों में जाना चाहिए और इस बात की जांच करनी चाहिए कि अंधता का पहला कारण समाप्त किया जाए और उन्हें लिखना, पढ़ना और गणित सिखाया जाना चाहिए तथा उन्हें कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, जिसके बाद उन्हें कोई रोजगार दिया जा सके।

जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है, वहां दो वर्ग हैं। एक है आवासीय संस्थायें, यहां नेत्रहीनों को निःशुल्क भोजन और आवास दिया जाता है तथा उन्हें कार्य करने के लिए कहा जाता है और उन्हे जेब खर्च के लिए कहा जाता है कुछ राशि दी जाती है। दूसरा वर्ग निःशुल्क रोजगार है। इसमें नेत्रहीन लोगों की रक्षा के लिए सरकार को आगे आना है। हमने देखा है कि केन्द्रीय सरकार ने कुछ कार्य किया है। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब मैं मंत्री था तब भी महाराष्ट्र सरकार ने इस आशय का एक संकल्प पारित किया था एक कार्मकारी

आदेश जारी किया था कि 3 प्रतिशत रिक्तियाँ शारीरिक दृष्टि से विकलांग तथा नेत्रहीन लोगों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए । किन्तु ये कार्यकारी आदेश दिखावे के लिए है कोई भी व्यक्ति अधिकारियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता । अन्ततोगत्वा इनका लाभ क्या हुआ ? क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं ? नागपुर के एक डा० दिवाकर हैं, जो सम्पूर्ण जीवन में प्रथम श्रेणी प्रथम रहे थे । वे शारिरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्ति हैं जिन्हें एम० एस० में स्वर्ण पदक मिला है । वे लन्दन गए और एफ० आर० सी० एस० किया । जब उनका आदेश हुआ तो दुर्भाग्यवश उन्हें लकवा मार गया । वे भारत आये और सरकार से अनुरोध किया, "मुझे कोई रोजगार दिया जाए, क्योंकि मैं काम करना चाहता हूं ।" मैंने भी प्रयास किया, किन्तु मुझे बेहद दुःख है कि मुझे निदेशक द्वारा यह बताया गया कि ये कार्यकारी आदेश हैं, जो केवल श्रेणी तीन तथा चार की नौकरियों के लिए ही हैं । इस व्यक्ति ने जो अस्पताल में रहा, हमने रेडियोलॉजी में एम० डी० किया । फिर भी महाराष्ट्र सरकार उसे कोई रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकी । जब डा० निकन जो प्लास्टिक सर्जरी के प्रोफेसर थे, अंधे हो गए, उनकी सेवायें जारी रही । उन्हें सबसे दक्ष डाक्टर के रूप में पाया गया । छात्रों ने भी उन्हें सबसे ज्यादा सक्षम पाया । इतना ही नहीं । मैंने मिल्टन, सूरदास का उल्लेख नहीं किया अथवा डा० तहा हुसैन का उल्लेख नहीं किया जो तीन वर्ष की आयु में अंधे हो गये थे । कुरान की आलोचना में कुछ लिखने पर इजिप्ट सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया । कर्नल नासर ने इसी व्यक्ति को शिक्षा मंत्रालय का प्रभारी बनाया । यह वही व्यक्ति था, जिसने न केवल शिक्षा का बजट अपितु वैज्ञानिक तथा अनुसंधान के लिए भी 3.5 लाख पाउण्ड से बढ़ाकर 44 लाख पाउन्ड कर दिया । वे सक्षम लोग हैं । हमें यह बात महसूस करनी है और उन्हें काम पर लगाना है । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पश्चिम द्वारा ऐसा किया गया थे अब उन्होंने देखा कि अनेक सिपाही या तो अंधे हो गए हैं और या शारीरिक दृष्टि से विकलांग । उन्होंने सोचा कि इन लोगों को कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उनकी सेवाओं का उपयोग करना चाहिए । मैं एक सज्जन श्री मैंक फालेण्डर से मिला, जो नेत्रहीन था । यह व्यक्ति द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक योद्धा था ।

पश्चिम से हमने यह धारणा ली है । मैं तो केवल यह सुझाव देना चाहूंगा कि हमें काफी आगे जाना है । वास्तव में वे कोई दया नहीं चाहते । स्टीफन ज्वैग ने बीसवीं सदी में 'विवेयर ऑफ पिटी' तथा 'ए लैटर फाम एन अननोन वीमेन' लिखकर यह प्रकट किया । इस पहलू को महसूस किया जाना चाहिए । हमें श्रेणी-1 के पदों के लिए उन्हें सुविधायें उपलब्ध करानी चाहिए, जैसा कि उन्होंने लाल आडवानी के मामले में किया है - किन्तु बाद में उससे वापस जाने के लिए कहा गया । मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया गया । अब वे देहरादून संस्थान में कार्य रहे हैं । **(व्यवधान)**

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस कार्यकारी आदेश को बदला जाना चाहिए । न केवल नेत्रहीन लोगों के लिए अपितु शारीरिक दृष्टि से विकलांग लोगों के लिए पदों का आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए एक सांविधिक उपबन्ध होना चाहिए । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे श्रेणी एक और श्रेणी दो के कुछ पदों पर आरक्षण करायें ।

मुझे महाराष्ट्र का एक और मामला याद है । श्री वाडे गांवकर ने नागपुर विश्वविद्यालय से एस० एल० बी० किया । नागपुर विश्वविद्यालय उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं करा सका । बाद

में बम्बई विश्वविद्यालय ने उनकी मेरिट पर विचार करने के बाद रोजगार दिया। अब जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ने उन्हें विजिटिंग प्रोफेसर के पद हेतु आमन्त्रित किया है। वे अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर व्याख्यान देते हैं।

अंत में, मैं मिल्टन की कविता 'आन हिज ब्लाइंडनेस' का उल्लेख करना चाहता हूं। मिल्टन 40 वर्ष की आयु में अन्धे हो गये थे। वह धर्म प्रचारक, पादरी बनना चाहते थे परन्तु बन न सके। जब वह अन्धे हो गये तो उन्होंने लिखा :—

"जब मैं यह सोचता हूं कि मेरी रोशनी किस प्रकार चली गई, जिसके कारण मेरा ज्ञान व्यर्थ हो गया है, 'हालांकि मैं अपने बनाने वाले की सेवा करना चाहता हूं। फिर मैं अपने आप पूछता हूं कि क्या मेरा बनाने वाला मेरी रोशनी छीन कर मेरे से इस प्रकार की कोई अपेक्षा कर सकता है ? स्वयं ही मेरे अन्तःकरण से मुझे उत्तर मिलता है कि मेरे निर्माता, मेरे भगवान को ऐसी किसी प्रश्न की अपेक्षा नहीं है। हजारों लोग उसकी आज्ञा का पालन करने को तत्पर रहते हैं। और जो खाली खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं वे भी उसकी सेवा करते हैं।"

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय):—जो नेत्र हीनों और विकलांगों के सम्बन्ध में विधेयक पेश हुआ है वह आज के समय में मानवीय, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं प्रो० मधु दंडवते जी की भावना से सहमत हूं। विकलांग अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष हम मना रहें हैं। ऐसे समय में इस विधेयक का महत्व और भी बढ़ जाता है।

मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहती हूं। पूर्व वक्ताओं ने आंकड़े दे ही दिए हैं। हम सभी जानते हैं और सहमत भी हैं कि विकलांगों और विशेषकर नेत्रहीनों की समस्या बड़ी जटिल है। लेकिन दंडवते जी का जो विधेयक है वह ब्यूरोक्रेसी का इस तरह का मायाजाल है जिसमें अगर नेत्रहीनों को फंसाया जाएगा और वे इन सारे प्रोसेसिस के माध्यम से जाना चाहेंगे तो निरुत्साहित हो जाएंगे। इसलिए इसको सहल बनाना चाहिए था।

विकलांगों और विशेषकर नेत्रहीनों को कानूनी सुरक्षा तो मिलनी ही चाहिए। जैसे परिवार में जो सम्पत्ति होती है अमूमन देखा जाता है कि जो नेत्रहीन होता है या विकलांग होता है, उसको उससे वंचित कर दिया जाता है। वह नहीं होना चाहिए। जो असामाजिक तत्व है, सड़कों पर जो नेत्रहीन जाते हैं, वे उन पर कोई पत्थर फेंक देते हैं या उनको परेशान करते हैं। इस पर भी रोक लगनी चाहिए। सरकार का और समाज के लोगों का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वे उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध करें।

बायो साइकौलजी में कम्पेसेटरी विहेवियर का नियम है। देखा गया है कि जो जन्मांध होते हैं उनमें कुछ विशेष गुण होते हैं। उनमें जन्म जात कुछ गुण होते हैं। कोई कोई बहुत अच्छा संगीतज्ञ होता है। कोई बड़ा अच्छा कवि होता है। अगर ऐसे गुण न होते तो हमारे समाज में सूर पैदा नहीं हुआ होता। मिल्टन का भी अभी जिक्र किया गया है। वह पैदा नहीं होता। सूर किसी कालेज में नहीं पढ़ा, वहां जाकर उसने डिग्री हासिल नहीं की लेकिन कृष्ण के बारे में जो लिखा, बाल सुलभ भावनाओं को लेकर लिखा, वह सब जन्मजात गुणों का द्योतक है। उनकी जो भावनाएं थी जिनको उन्होंने सारे संसार के सामने अंकित किया, उसका कहीं उदाहरण नहीं है। उसका उदाहरण नहीं है। कृष्ण के बालपन का जो सूर ने वर्णन किया है किस तरह मक्खन खाते हैं और किस तरह अपनी माता यशोदा से रूठते हैं और मिल्टन ने जो पैरेडाइज

लौस्ट और पैरेडाइज रीगेन्ड लिखा है यह उनके अभूतपूर्व गुणों को दर्शाते हैं, यद्यपि वह अन्धे थे। अभी भी हमारे बच्चों में कितने सूर और मिल्टन हैं जो आगे जाकर वह स्थान प्राप्त कर सकते हैं यदि हम उनको वैसा बनाने की सुविधा प्रदान करें। ठीक है नियम और कानून के घेरे में तो बांधना ही है, लेकिन साथ साथ समाज के दृष्टिकोण को भी बदलना होगा। हमें देखना होगा किस प्रकार इनको समाज के एक उपयोगी नागरिक बनाते हैं। हम उनको अपने समाज में स्वीकार करके तब सिखायें। उनकी जो दिव्य ज्योति है उससे भी कुछ हमको ग्रहण करना और जो उनके हृदय की भावनायें हैं उसकी कद्र करके अपने समाज और परिवार में उनको उचित स्थान देना चाहिए।

एक बात और कहना चाहती हूं कि जो महिलायें होती हैं। वह मर्दों पर अपनी रोजी रोटी के लिए निर्भर करती हैं, लेकिन अगर कोई महिला अंधी हो जाती है तो उसकी डबल डिपेंडेंस हो जाती है। उसको समाज और परिवार के लोग एक प्रकार से बहिष्कृत समझते हैं। मैं श्रम मंत्राणी जी से कहना चाहती हूं कि महिलाओं के लिए उन्हें कुछ विशेष प्रयोजन और नौकरी की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके लिए नौकरियों में आरक्षण देना चाहिए, जैसे नर्सरी स्कूल या कला के क्षेत्र में उनको आरक्षण मिलना चाहिए ताकि वह बच्चों की देखभाल कर सकें। मेरे क्षेत्र में राम सुमिरन शिल्प शाला है, जब मैं जाती हूं और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को देखती हूं, और वह बच्चे जिनको अपने मां बाप का प्यार नहीं मिला, वह बच्चे इतने सुन्दर और कलात्मक प्रवृत्तियों से भरे हुए हैं कि देख कर आश्चर्य होता है। सुन्दर-सुन्दर काठ के खिलौने बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं। अभी हाल में वहां एक नाटक का प्रदर्शन हुआ था जिनमें उन्होंने अपनी रचनात्मक भावनाओं को दिखाया कि देश को आगे बढ़ाने में किस तरह से नागरिकों का सहयोग होना चाहिए, उसे देखकर मैं दंग रह गई। मंत्री महोदय से मेरी मांग है कि उस संस्था को वह ग्रान्ट दें। इस ओर मैं विशेष रूप से ध्यान इसलिए आकर्षित कर रही हूं क्योंकि वह संस्था अपने ढंग की एक है और ऐसा कर के समाज के सामने एक उदाहरण पेश कर सकते हैं।

हमारी सरकार इस समस्या की ओर सजग है, और प्रधान मंत्री ने अक्तूबर और नवम्बर में बार-बार कहा था और एक मानीटरिंग सैल की स्थापना हुई मैं नहीं जानती उसका प्रतिवेदन प्राप्त हुआ कि नहीं, लेकिन श्रम मंत्री जी देखें कि वह प्रतिवेदन अभी तक क्यों प्राप्त नहीं हुआ है, और उसके अनुरूप कार्य करना है। केन्द्रीय मंत्रालयों के सारे विभागों को आदेश दिया गया है। कितने महीने हो गये, अभी तक उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ है। मैं जानना चाहती हूं कितने लोगों को अभी तक नौकरी दी गई है? शायद एक, दो लोग ही होंगे। मुझे खुशी है कि पी० एन्ड टी० विभाग ने निर्णय लिया था कि विकलांगों को नौकरी दी जाएगी। उसी तरह से सभी विभागों को इस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मान्यवर, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे तुरन्त बोलने का मौका दिया, और उसके बाद में माननीय दंडवते जी को धन्यवाद देता हूं और बधाई कि उन्होंने इतना अच्छा बिल सदन के सामने पेश किया। आज इसकी आवश्यकता थी क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष चल रहा है जिसमें रूलिंग पार्टी की सरकार ने, जिस दिन वह दिवस था, उसी दिन अंधों की पिटाई की थी जो एक शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसी

स्थिति में इस बिल का लाया जाना बहुत ही आवश्यक था, माननीय श्री दंडवते जी ने इस बिल को लाकर बहुत बड़ा काम किया है। मैं नहीं समझता कि इस सरकार के मन में मनुष्यता, मानवता के प्रति कोई आदर है।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :—कुछ नहीं है, सब कुछ आप ही के पास है ?

श्री हरिकेश बहादुर : जिस दिन विकलांगों का अन्तर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा था और अन्धे लोग प्रधान मंत्री जी के पास ज्ञापन देने के लिए, मिलने जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : यह बिल्कुल गलत बात है।

श्री हरिकेश बहादुर : यह अलग बात है कि कुछ कम ही लोगों को चोट आई हो। इतना ही नहीं, अगर अन्धों की सारी समस्याओं का इन्होंने समाधान कर दिया होता, तब तो इन्हें आवश्यकता होती कि कुछ और लोगों को अन्धा बनाया जाये। कुछ ऐसा करते तो ठीक था, लेकिन अन्धों की सारी की सारी समस्याएं ज्यों की त्यों ही पड़ी हैं, जहां तहां देश में अन्धे भटक रहे हैं भिक्षा मांग रहे हैं फिर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भागलपुर में कैदियों को अन्धा बनाने का कार्य किया है।

आज दुनिया के अन्दर कुल 30 मिलियन अन्धे लोग हैं और केवल हमारे देश में ही उनकी संख्या 9.10 मिलियन के बीच में है। इतने लोगों की समस्या है, उसका कोई समाधान आज तक नहीं हो पाया है, फिर भी कुछ और लोगों को अन्धा बनाने का क्या मतलब है, इस को माननीय मंत्री जी को सदन के सामने स्पष्ट करना चाहिए। माननीय मन्त्री जी मेरी बात को ध्यान से सुनें।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : आपको तो मैं खूब सुनती हूं।

श्री हरिकेश बहादुर : इन 9,10 मिलियन अन्धे लोगों में से केवल साढ़े 3 हजार लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है जाब के लिए, उसमें से भी केवल साढ़े 12सौ के करीब नौकरी पा सके हैं, बाकी सब बेकार हैं और अपने जीवन में तरह-तरह की यातनाएं भुगत रहे हैं, यहां तक कि बहुत से अन्धे लोग भिक्षा मांगते हैं, कुछ भोजन के लिए। समाज में क्योंकि वह भिक्षा मांगते हैं, इसलिए हेय दृष्टि से देखे जाते हैं। उनको भिक्षा भी नहीं मिलती है, और उनकी दुर्दशा हो रही है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को कारगर उपाय लागू करने चाहिएं ताकि इन्हें रोजगार प्राप्त हो सके।

मैं सरकार से बात के लिए अनुरोध करूंगा कि अन्धों के प्रशिक्षण के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए अधिक से अधिक स्कूल खोले जायें। अन्धों के अन्दर एक विशेष प्रकार की प्रतिभा होती है, उंगलियों से छूकर वह पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एक अन्धे व्यक्ति के बारे में मैं जानता हूं कि वह उंगलियों से छूकर वस्तुओं के रंग बता सकता है कि कौन सा रंग है। इतनी प्रतिभा उनके अन्दर छिपी होती है इसी प्रतिभा को उभाड़ने की आवश्यकता है। यही कारण था कि सूरदास और मिल्टन का नाम लिया गया है जो कि बहुत अच्छी व्याख्या चीजों की कर सके हैं। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि एक प्रतिमा अंतर्निहित होती है, जिसका उद्घाटन करना आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब कि इस तरह के प्रशिक्षण के स्कूल खोले जायें।

हमको तो एक बात की और सम्भावना है कि बहुत चीजों की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम अंधों को प्रशिक्षित करें तो वह कल्पनातीत कुछ खोज कर लें और उससे पूरी मानव जाति का लाभ हो सके। यह खोज बहुत आवश्यक है। इसलिए अन्धों के प्रति विशेष व्यवस्था की आवश्यकता है। जहां कहीं अन्धों के स्कूल आज हैं, वहां पर होस्टल अच्छे बनाये जाने चाहिएं, लेकिन आज जो सुविधाएं वहां दी जाती हैं, वह बहुत ही खराब होती हैं। वहां खाने और रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए जहां कहीं भी इस प्रकार के स्कूल खोले जायें, वहां उन लोगों के रहने के लिए भी अच्छे आवास की व्यवस्था होनी चाहिए और खाने-पीने का अच्छा इन्तजाम करना चाहिए। सरकार को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है।

जहां तक उनको रोजगार देने का सम्बन्ध है, यह तो सम्भव नहीं होगा कि हर किस्म की नौकरी में उनके लिए जगहें रिजर्व की जायें, लेकिन बहुत से काम अन्धे बहुत आसानी से कर सकते हैं। उन कामों के लिए अन्धे लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

हमारे क्षेत्र में, गोरखपुर जिले में, एक आंखों का अस्पताल है, जिसका नाम है सीतापुर आई हास्पिटल। इस अस्पताल ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को बहुत सेवा की है और उसमें बहुत योग्य डाक्टर काम करते हैं। उन्होंने ऐसे बहुत से लोगों को फिर से ज्योति प्रदान की है, जिनकी आंखें खराब हो रही थीं और आंखों की ज्योति नष्ट हो रही थी। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में उस अस्पताल की विशेष रूप से सराहना की जाती है। असंख्य लोग वहाँ चिकित्सा कराने के लिए जाते हैं।

मैं मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाके में यह जो हास्पिटल बना हुआ है, वह उसके विकास पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि वह इस समस्या को हल करने में काफी बड़ा योगदान कर सकता है। वहां आधुनिक मशीनें लगाई जायें और सरकार की तरफ से उसको अधिक से अधिक अनुदान दिया जाए।

मैं सरकार से फिर निवेदन करूंगा कि अन्धों के लिए रोजगार की विशेष व्यवस्था की जाये। मैं श्री दंडवते जी के विधेयक का पुनः समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, मैंने अपने मित्र, श्री हरिकेश बहादुर, के भाषण को बड़ी गम्भीरता से सुना है। उनको सुनने से पहले मैं केवल दो प्रकार के अंधों के विषय में जानता था : एक तो जो जन्मांध होते हैं, और दूसरे, जो बाद में किसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण अंधे हो जाते हैं। लेकिन उनकी बात को सुनने के बाद मेरी समझ में चार प्रकार के अंधों की बात आने लगी है : तीसरे, जो प्रेमांध होते हैं और चौथे, जो विरोध करने में अंधे हो जाते हैं। हरिकेश भाई कांग्रेस-विरोध में अंधे हैं, अन्यथा माननीय श्री दंडवते ने एक मानवीय समस्या की ओर इशारा करने वाला जो इतना अच्छा बिल यहां पर रखा है, उसको वह राजनैतिक पुट देने की कोशिश न करते।

आज जहां विश्व में हमारी मानवता के कुछ हिस्सों में चाँद तक और अंतरिक्ष में जाने की होड़ लगी हुई है, जहां दुनिया के कुछ मुल्क अरबों अरब रुपये शस्त्रों को जुटाने और अधिक सुविधाओं को जुटाने में खर्च कर रहे हैं, वहां मानवता का एक बहुत बड़ा हिस्सा दरिद्रता, भूख और

गरीबी में जी रहा है। मैं समझता हूं कि हमारी अपंगता की समस्या-चाहे वह अंधा होने की अपंगता हो या कोई दूसरी अपंगता—देन है, विरासत है गरीबी और भूख की। हम देखते हैं कि विश्व के 43 या 45 करोड़ अपंगों में से अधिकांश लोग अफ्रीका, मध्य एशिया, लैटिन अमरीका, भारत और अड़ोस-पड़ोस के मुल्कों में हैं। ये वे मुल्क हैं, जहां गरीबी का साम्राज्य है।

इस समस्या को मूल रूप से हल करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी गरीबी की समस्या को हल करें। हमारे गांवों और शहरों में अधिकांश जन्मांध या बाद में अंधे हो जाने वाले लोग उन्हीं परिवारों में पैदा होते हैं, जो गरीब होते हैं, जिन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता है। मैलन्युट्रीशन के कारण ही यह समस्या पैदा होती है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी को इस समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि हम न्युट्रीशन की प्राबलम को हल करें। हमें यह प्रबन्ध करना चाहिए कि हमारे बच्चों को अच्छा खाना मिले विटामिन्ज मिलें।

दूसरी इस से लगी हुई समस्या यह है कि जो लोग अन्धे हो गए हैं उनकी समस्या का निराकरण कैसे किया जाय। मैं समझता हूं कि माननीय दण्डवते साहब ने जिस समस्या की तरफ इशारा करने के लिए यह विधेयक यहां पर रखा है, उस में उनका उद्देश्य सरकार को किसी तरीके से प्रतिबन्धित करने का नहीं है, उन के बिल की मंशा जहां तक मैं समझ पाया हूं मात्र सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना है कि इस मानवीय समस्या को हल करने के लिए सरकार को कारगर तरीके से युद्ध-स्तर पर कार्य करना चाहिए।

अभी हमारे कई मित्रों ने जैसा कहा और मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधान मंत्री को और उनकी सरकार को कि उन्होंने इस समस्या को बड़ी प्राथमिकता से हल करने के लिए कोशिश की है। इसके लिए माननीय योजना मंत्री जी के संयोजकत्व में उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है और प्रदेश की सरकारों को तथा केन्द्र के जितने मंत्रालय हैं उनको निर्देश दिया है कि अपंगों को अपने यहां रोजगार देने में वे प्राथमिकता से काम लें। लेकिन जहाँ हम इस के व्यावहारिक पक्ष को देखते हैं कि जो हमारी संविधान प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था है, कई सरकारें प्रान्तों का ऐसी हैं, अभी पिछले दिनों सदन ने उस पर विचार किया है, कई सरकारों ने जो संविधान प्रदत्त अधिकार थे लोगों के उनको देने से इनकार किया है, उन को नहीं दिया है या उनको ठीक से लागू नहीं किया है, तो जहां हमारी मशीनरी ऐसे कामों को करने में कोताही बरतती हो वहां मात्र निर्देश देने से या प्रपत्र जारी करने से वे इस काम को कर देंगी, इस में मुझे बड़ा सन्देह है। इसलिए श्रम मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि सरकार को इस मामले में गहराई से विचार करके कुछ इस तरीके का प्रावधान करना चाहिए ताकि प्रत्येक विभाग के लिए यह जरूरी और लाजिमी हो सके कि वह अपने यहां अपंगों को रोजगार दें और जिस विभाग में अपंगों को रोजगार न मिले उसके जो विभागाध्यक्ष हों, साल के अन्त में या उसके लिए कोई डेड लाइन बना दी जाय कि इस समय तक जो अपने यहां इतने लोगों को रोजगार न दें उनको दण्डित किया जाय। जब तक हम इस तरीके का प्रावधान नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूं कि हम कितना ही यहां पर कहें, कितना ही इसके लिए मंशा जाहिर करें, इस से कोई मामला हल नहीं होगा।

दूसरा निवेदन मैं सरकार से यह भी करना चाहूंगा कि जो हमारे अपंग हैं उन को ट्रेनिंग देने का उत्तरदायित्व सरकार को लेना चाहिए। बहुत कम अन्धे या इस तरीके के विकलांग लोग

ट्रेनिंग लेने के लिए आगे आ पाते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, वे गरीब होते हैं, तो सरकार को इसे अपनी एक जिम्मेदारी मान लेनी चाहिए कि हम इस तरह के अपंगों को ट्रेनिंग देंगे, उनको इस लायक बनाएंगे ताकि उनको यह महसूस न हो सके कि हम किसी तरीके से घटिया दर्जे के लोग हैं। एक तरफ प्रकृति ने उन के साथ ज्यादती की है, इसलिए सरकार को उन के दुख को बंटाने में उनके साथ सहयोग करना चाहिए।

एक और निवेदन है कि सरकार को अपंगता के लिए इंश्योर करना चाहिए। जो अपंग पैदा होते हैं सरकार उन को इस बात की गारंटी करें कि उनको हम किसी न किसी रूप में रोजगार देंगे और किसी न किसी रूप में उनके जीवन-यापन की समस्या को हल करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय दण्डवते जी का जो बिल है, हो सकता है उसमें बहुत सारी टैकनिकल खामियां हों और शायद माननीय दण्डवते जी खुद अपने बिल को वापस ले लें, लेकिन उन्होंने अपने बिल के माध्यम से जो हमारा ध्यान खींचने की कोशिश की है इस मानवीय समस्या की तरफ, उनकी उस मंशा के साथ मैं अपनी सहमति प्रकट करता हूं।

श्री पी० के० कोडियन (अंडूर) : अन्य सदस्यों के साथ मैं भी इस विधेयक को लाने के लिए प्रो० दण्डवते को बधाई देता हूं। यह बहुत ही सामयिक है और मेरे विचार से इसको लाने का उद्देश्य केवल यही उद्देश्य है कि हमारे देश के नेत्रहीन लोगों को रोजगार दिया जाये।

मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाये चूंकि सरकार नेत्रहीनों के हितों के संरक्षण के लिए विधेयक लाने में असमर्थ रही है; इसके बावजूद कि श्रम मंत्री द्वारा पिछले वर्ष अगस्त मास में नेत्रहीनों के राष्ट्रीय फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में यह सिफारिश की गई थी कि कानून बना कर उनके हितों की रक्षा की जाए। मुझे पता चला है कि शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने जिसे इस उद्देश्य का विधेयक तैयार करने को कहा गया था, एक कार्यदल गठित किया था और अद्यतन जानकारी यह है कि कार्यदल के प्रतिवेदन की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है। इस पृष्ठभूमि में प्रो० मधु दण्डवते के विधेयक में जो भी कमियां हों, फिर भी यह सामयिक एवं स्वागत योग्य विधेयक है जिसका समर्थन सारे सदन द्वारा किया जाना चाहिए था और सरकार को इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

अनेक माननीय सदस्यों ने नेत्रहीनों की बड़ी समस्या का उल्लेख किया है। यह समस्या है उनके समुचित प्रशिक्षण एवं समुचित पालन पोषण की। कुछ माननीय सदस्यों ने गांवों में नेत्रहीनों का उल्लेख किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में एक करोड़ नेत्रहीनों में से अधिकांश निरक्षर हैं क्योंकि वे गांवों में रहते हैं। यदि प्रो० मधु दण्डवते के विधेयक के उपबन्धों को लागू भी कर दिया जाये तो भी गांवों में रहने वाले इन अनपढ़ नेत्रहीनों को किसी प्रकार का रोजगार मिलने की कोई संभावना नहीं है। जब तक वे अनपढ़ और ज्ञानहीन हैं, उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है, उनको बेसहारा रहना पड़ेगा हमारे देश में लाखों नेत्रहीन व्यक्ति शहरों में बेसहारा और भिखारी के रूप में रहते हैं। हम प्रतिदिन उनको देखते हैं।

नेत्रहीनों की इस समस्या के साथ-साथ अन्य वर्गों में लाखों विकलांग व्यक्ति भी हैं। हमारे देश में नेत्रहीनों तथा अन्य विकलांग लोगों की समस्याओं को देखते हुए देश तथा जनता के सामने इतना बड़ा काम है कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर ही हल किया जाना चाहिए। प्रो० मधु दण्डवते

के इस महान प्रयास का समर्थन करते हुए मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या माना जाना चाहिए और इस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक तन्त्र बनाया जाना चाहिए। मैं यह सुझाव देता हूं कि अनपढ़ लोगों सहित विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं पर विचार करने, उनको प्रशिक्षण देने आदि के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड गठित किया जाये, चूंकि यह केवल मात्र उनमें से शैक्षिक अथवा व्यवसायिक दृष्टि से अर्हता प्राप्त को रोजगार देने का ही प्रश्न नहीं है परन्तु यह उनको शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने का प्रश्न है जबकि उनमें से अधिकांश आज किसी भी काम को करने के लिए अर्हता प्राप्त नहीं है और हमारे उनके जीवन से जूझने योग्य बनाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की कमी है। अतः नेत्रहीनों सहित इन विकलांगों को प्रशिक्षण देने की समस्या को राष्ट्रीय आधार पर लिया जाना चाहिए और इस समस्या से सम्बद्ध विभिन्न मंत्रालयों अर्थात् श्रम मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा वित्त मंत्रालय और स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों से युक्त एक राष्ट्रीय बोर्ड आवश्यक मार्गदर्शन करे। ये सभी विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय मिलकर इस राष्ट्रीय बोर्ड में इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर हल करने के लिए समन्वित ढंग से काम करें।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन नेत्रहीनों के लिए अधिक कर्मशालाओं, आश्रय-स्थल वाली कर्मशालाओं की व्यवस्था की जाए जहां पर इन को कुछ प्रशिक्षण दिया जा सके और इनको खिलौने बनाने जैसा अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य लाभपूर्ण रोजगार दिया जा सके जैसा कि एक महिला सदस्या ने सुझाव दिया है। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि उनको प्रशिक्षण देने तथा उनको सरकारी विभागों एवं सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से बाहर रोजगार दिलाने की इस समस्या की ओर अधिक ध्यान दिया जाये क्योंकि सरकार के विभिन्न विभागों तथा गैर-सरकारी एवं सरकारी उपक्रमों में रोजगार के अवसर बहुत सीमित रहते हैं। इसी कारण मैं माननीय मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि इन लोगों को प्रशिक्षण देने तथा उनको रोजगार देने के लिए कर्मशालाओं की स्थापना करने की इस समस्या की ओर अधिक ध्यान दिया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः प्रो० मधु दण्डवते के विधेयक की सराहना करता हूं और मुझे विश्वास है कि सारे सदन द्वारा इसका समर्थन किया जायेगा।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं। प्रो० दण्डवते जी तथा कुछ अन्यों सदस्यों ने जैसा कहा हैं कि जितनी नीतियां इस सम्बन्ध में बनाई गई हैं, यदि उनका सही ढंग से कार्यान्वयन हुआ होता तो आज वह स्थति न होती जो इस समय है। मैं मंत्री महोदय और सदन की जानकारी के लिए बतलाना चाहता हूं कि आज विभिन्न राज्यों में विभिन्न श्रेणियों की नौकरियों में विकलांगों के लिए आरक्षण है। आन्ध्र प्रदेश में आप ने विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण रखा है, गुजरात में 4 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 3 प्रतिशत, जम्मू-काश्मीर में 3 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 3 प्रतिशत, उड़ीसा में 1 प्रतिशत, राजस्थान में 2 प्रतिशत, त्रिपुरा में 2 प्रतिशत, पश्चिमी बंगाल में 2 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 2 प्रतिशत, चण्डीगढ़ में 3 प्रतिशत, दिल्ली में 3 प्रतिशत, गोवा-दमण-दीव में 3 प्रतिशत, पाण्डिचेरी में 3 प्रतिशत, कर्नाटक में 2 प्रतिशत, हरियाणा में 3 प्रतिशत। हर प्रदेश में आरक्षण है, लेकिन इन से पूछा जाय कि इन नीतियों का कार्यान्वयन कितना हुआ है ? मैं समझता हूं—मंत्री महोदया हमको अपने जवाब में बतलायेंगी कि कितना कार्यान्वयन हुआ है।

इस बिल में प्रोफेसर साहब की मंशा यह है कि केन्द्रीय सेवाओं में भी आरक्षण किया जाय। मैं देख रहा था—आप ने दो बार बैठक की है। प्रधान मंत्री जी ने भी नेत्र-विहीनों के फैडरेशन के साथ बैठक की थी और इस सदन में आश्वासन भी दिया गया था कि हम उन के लिए बहुत सारी चीजें करने जा रहे हैं, योजना बना रहे हैं। श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में 5 अगस्त को बैठक हुई, उसके बाद 14 अगस्त को बैठक हुई। निजी क्षेत्र के मुख्य नियोजकों के साथ बैठक हुई—इतना सब होने के बाद भी परिणाम कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उनको कहीं भी रोजगार नहीं मिल पाता है। आप चाहे जो नीति बना लीजिये, लेकिन नीयत साफ नहीं होगी तो उस को रोजगार देने के कोई ठोस उपाय नहीं निकल सकेंगे। अभी मैंने आप के सामने स्टेट्स की फिगर्स पढ़ कर सुनाई, जितने भी सरकारी विभाग हैं, यदि प्रत्येक अपनी-अपनी जवाबदेही सम्भाल लेता तो विकलांगों और नेत्रविहीनों की समस्या का काफी हद तक निपटारा हो गया होता।

अभी डिप्टी स्पीकर साहब चेयर पर थे। उन्होंने कहा यदि एक-एक एम० पी० एक-एक आदमी को लेले तो 500 लोगों की समस्या का समाधान हो जायगा। लेकिन एम० पी० क्या करेगा, क्या उनको स्टेनो रख लेगा ? हां, यह हो सकता है कि अगर एक एम० पी० दो अन्धों के लिए आप को लिखे और आप इतना यहां कह दें कि हम उन दो अन्धों को नौकरी दे देंगे, तो हम लोग इसको मानने के लिए तैयार हैं.....

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : आप भी तो कुछ कीजिए।

श्री रामविलास पासवान : हम क्या कर सकते हैं, बोलिए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आप साधन दीजिए, सब होगा।

श्री रामविलास पासवान : हम तो इतना ही कर सकते हैं कि सो प्रशिक्षित अंधे हैं, उनको आप की नालिज में ला दें। आप को बता दें कि ये मैट्रिक पास हैं, प्रशिक्षित हैं लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि नौकरी तो आप देंगी।

इसमें यह भी लिखा है कि जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंटस हैं, वे स्वैच्छिक संस्थाओं से कहें कि तुम हमारी मदद करो लेकिन अभी तक क्या किया गया है ? डब्लू० एच० ओ० की रिपोर्ट निकली है और उस रिपोर्ट के मुताबिक यदि 20 पैसे प्रति बच्चे पर प्रति दिन विटामिनों पर खर्च किये जाएं, तो वे बच्चे अंधे नहीं हो सकते हैं। एक तरफ जो अंधे हैं, उन को रोजगार देने की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ प्रतिदिन अंधों की संख्या बढ़ती जा रही है विटामिनों के अभाव में और पौष्टिक पदार्थों के भाव में। क्या प्रतिदिन 20 पैसे प्रति बच्चे के लिए आप व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान) कहिए तो मैं बोल दूं लेकिन घंटी बज रही है। बहुत सी पोस्टें हैं, जिनमें उनको लगा सकते हैं। आप तो हम लोगों की नेता हैं और आप अपना योगदान भी दे रही हैं। हम लोग एसेम्बली में भी एक साथ थे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे एनाऊन्सर की पोस्ट है, केन-बीवर, संगीतज्ञ और लैथ आपरेटर का पद है, ये सारे पद ऐसे हैं, जिनमें इनको लगाया जा सकता है और उन को आप काम दे सकते हैं।

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि न इस पक्ष के लोगों को और न उस पक्ष के लोगों को यह मानने में कोई आपत्ति होगी कि उन लोगों की मदद की जाए। सरकार यह जरूर सोच सकती है कि मधु दण्डवते जी का प्रस्ताव है, इस को कैसे मान लें और कैसे इनको क्रेडिट मिल जाए। इसलिए वह कोई दूसरा रास्ता निकालें। इस प्रस्ताव को मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं

होगी और न होनी चाहिए लेकिन कम से कम आप यह तो कर सकते हैं कि जो आप के विभाग हैं, आपके विभिन्न विभाग हैं, उन पर आप कड़ाई कीजिए ताकि जो कानून आप बनावें उस का इम्पलीमेंटेशन हो, जो नीति आप बनावें, उस का पालन कड़ाई से करावें। इस देश में जो विकलांग हैं और जो नेत्रहीन हैं, उनकी क्या समस्या होती है, इस का पता इस बात से चल जाता है कि जब हम आंखें बन्द कर लेते हैं तो आंख बन्द कर लीजिए, तो समूचे संसार में अंधेरा ही अंधेरा

"मूंदहु आँख कतहु कुछ नाहीं।"

है, ऐसा मालूम पड़ता है। इसलिए जो पर्मामेंट अंधे हैं, तो उनकी क्या दुर्गति होगी, यह हम और आप सभी जानते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से इतना आग्रह करूंगा कि जो नीति वे बनावें, उसको कड़ाई से लागू करावें।

इन शब्दों के साथ मैं प्रो० मधु दण्डवते के बिल का समर्थन करता हूं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : सरकार माननीय सदस्य, प्रो० मधु दण्डवते द्वारा इस विधेयक का प्रस्ताव करते समय व्यक्त किए गए विचारों की सराहना करती है।

महोदय, मैंने माननीय सदस्यों, श्री डांगा, श्री अराकल, श्री गिरि, श्री राठोर, श्रीमती कृष्णा शाही, श्री हरिकेश बहादुर, श्री रावत, श्री कोडियन तथा श्री पासवान द्वारा दिये गए भाषणों को भी ध्यानपूर्वक सुना है। उनके अधिकतर सुझाव शिक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बद्ध हैं। मैंने उनको नोट किया है और वे सम्बद्ध मंत्रालय को सूचित कर दिए जायेंगे।

एशिया के बहुत से अन्य देशों की तरह भारत के पास भी देश के नेत्रहीन लोगों की संख्या के बारे में पर्याप्त एवं विश्वसनीय जानकारी नहीं है। तथापि, एक अथवा दो एजेन्सियों द्वारा नमूना सर्वेक्षण भेजे गए हैं। परन्तु दोनों के आंकड़ों में भारी अन्तर है, क्योंकि अपनाई गई पद्धतियों में भी अन्तर था। भारत के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग ने अनुमान लगाया है कि भारत में नेत्रहीनों की संख्या 10 लाख है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए गहन अध्ययन का अनुमान यह है कि नेत्रहीनों की संख्या 90 लाख है।

वास्तव में, सरकार नेत्रहीनों सहित शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की समस्याओं के प्रति चिंतित है और उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अनेक कदम उठाये जा चुके हैं।

देश के विभिन्न भागों में काम कर रहे 18 विशेष रोजगार केन्द्र शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिलवाते हैं। देश भर में रोजगार केन्द्रों में दर्ज 5000 नेत्रहीनों में से लगभग आधे इन रोजगार केन्द्रों के रजिस्टरों में दर्ज हैं। ग्यारह व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र उनकी व्यावसायिक एवं शारीरिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते हैं तथा उनके पुनर्वास में सहायता देते हैं।

छठी योजना में प्रशिक्षण कर्मशालाएं स्थापित करने तथा इन केन्द्रों में से कुछ में ग्रामीण विस्तार सेवाएं आरम्भ करने के भी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने केन्द्रीय मन्त्रालयों। विभागों में तथा सरकारी उपक्रमों में तुलनीय पदों में रिक्त स्थानों का 3 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए आरक्षण करने के आदेश जारी कर रखे हैं, जिनमें नेत्रहीनों का कोटा 1 प्रतिशत है। 16 राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश,

जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़, दिल्ली, गोवा-दमन और दीव, पांडिचेरी, कर्नाटक तथा हरियाणा ने भी इसी प्रकार के आदेश जारी करके 1 प्रतिशत से 4 प्रतिशत रिक्त स्थान शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए आरक्षित किए हैं। केन्द्रीय मंत्रालयों /विभागों तथा सरकारी उपक्रमों में इन आदेशों के कार्यान्वयन की प्रगति पर निरन्तर नजर रखी जा रही है। केन्द्रीय/विभागों द्वारा दी गई जानकारी से पता चलता है कि 20 जनवरी 1981 के दिन 745 नेत्रहीन व्यक्ति केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा केन्द्रीय सरकार उपक्रमों में काम कर रहे थे।

प्रधान मंत्री ने जून 1980 में यह इच्छा व्यक्त की थी कि विकलांगों, विशेष रूप से नेत्रहीनों के लिए रोजगार के अवसर जुटाने के लिए तेजी से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने विशेष रूप से यह इच्छा व्यक्त की थी कि ऐसी नौकरियों का पता लगाने के लिए एक त्वरित एवं व्यापक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए जिन पर नेत्रहीन तथा अन्य विकलांग काम कर सकते हैं ताकि उसके विकलांगों को उन पर लगाने के लिए कदम उठाए जा सकें।

श्रम मंत्रालय द्वारा एक पुस्तिका प्रकाशित की जा चुकी है जिसमें ग्रुप 'ए' तथा 'बी' के उन पदों का उल्लेख है जिन पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है। ग्रुप 'सी' और 'डी' के सम्बन्ध में इसी प्रकार का प्रकाशन छप रहा है। इस बीच ऐसे पदों की सूची सभी मंत्रालयों/विभागों को उनके मार्गदर्शन के लिए पहले ही परिचालित की जा चुकी है।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि फरवरी 1981 के अंत तक किसी उपयुक्त पद पर कम से कम एक नेत्रहीन को नियुक्त किया जाए। पांच मंत्रालयों/विभागों से अब तक प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि तीन व्यक्तियों को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है और चार अन्य को नियुक्त किया जा रहा है। अन्य मंत्रालयों से कहा जा रहा है कि स्थिति के बारे में शीघ्र जानकारी दें।

यह आदेश भी जारी किए गए हैं कि भारत सरकार के कार्यालयों में कुर्सियों को बुनने का काम नेत्रहीनों से ही कराया जाए और जहां पर भी काम काफी हो वहां पर कुर्सी बुनने वाले का एक पद बनाया जाए और उसे नेत्रहीन व्यक्ति से भरा जाए।

शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में सरकारी प्रयासों को तेज किया गया है और अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के संदर्भ में उनका विस्तार भी किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के फलन के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही योजना तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है जिसमें सम्बद्ध हितों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। समाज कल्याण मंत्री इसके चेयरमैन हैं।

इस समिति के तीन कार्यकारी दल इस समय विकलांग व्यक्तियों के विभिन्न पहलुओं, अर्थात् रोजगार, अपंगता का निवारण और इसका शीघ्र पता लगाना और शिक्षा तथा अपंग बच्चे के शिल्प विकास के बारे में जांच कर रहे हैं। वास्तव में खुले और शैड आदि में रोजगार सम्बन्धी कार्यकारी दल और विकलांगों की शिक्षा के बारे में कार्यकारी दल अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं। पहले कार्यकारी दल ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों में मजूरी रोजगार तथा स्व० नियोजन को बढ़ावा देने के मार्गोपायों की सिफारिश की है। अन्य दल ने इनके लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसरों में वृद्धि करने के मार्गोपायों की सिफारिश की है।

समाज कल्याण मंत्रालय ने यह जांच करने के लिए भी एक कार्यकारी दल का गठन किया है कि विधायी कार्यवाही से विकलांग व्यक्तियों की आर्थिक एकता को कहां तक बढ़ावा मिल सकता है और यदि यह आवश्यक है तो ऐसा विधान बनाया जाये।

माननीय सदस्य ने नेत्रहीन व्यक्तियों की सहायता के लिये सहायक साधनों के विकास की आवश्यकता का उल्लेख किया है जिससे कि वे अधिक कारगर ढंग से कार्य कर सकें। इसके बारे में दो विकल्प नहीं हो सकते हैं। सदन को जानकर खुशी होगी कि देहरादून स्थित नेशनल इंस्टीच्यूट फार दी विजुअली हेंडीकेपड प्रौद्योगिकीय नवीनताओं के बारे में अनुसंधान कार्य में लगा हुआ है जिससे कि नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसरों को पता लगाने में सहायता मिल सके और विभिन्न क्षेत्रों में उनके रोजगार को बढ़ावा मिल सके।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने एक विशेष तरीका निकाला है जो एक सेन्टर लेथ (खराद) मशीन को चलाने में नेत्रहीन व्यक्ति ही सहायता करता है और एक ऐसा यंत्र बनाया है जो विद्युतचालित करघे पर टूटे हुए धागे का पता लगाने में उसकी सहायता करता है। एक अन्य प्रकार का उपकरण भी बनाया जा रहा है जिससे नेत्रहीन व्यक्ति के लिए एक टेलीफोन स्विचबोर्ड का नियंत्रण करना सुगम हो सके।

'डा० राजेन्द्र प्रसाद सेन्टर फार औपथेलमौलोजी' ने भी कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिये विशेष आवर्धक साधनों का विकास किया है।

समाज कल्याण मंत्रालय उन संस्थाओं को सहायता अनुदान देता है जो विकलांग व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ और उनके लाभकारी रोजगार के लिये सरल नवीनताओं को लाने के लिए अनुसंधान कार्य करती हैं।

मैं उल्लेख कर चुकी हूं कि श्रम मंत्रालय ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त ग्रुप 'ग' और ग्रुप 'घ' के पदों की एक सूची बनाई है और इसे केन्द्रीय मंत्रालयों को उनके मार्ग-दर्शन के लिए परिचालित किया है।

मैं यह कहना चाहती हूं कि यह सूची यह भी दर्शाती है, जहां कहीं आवश्यक है, कि इन विशिष्ट पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन-कौन से उपकरण प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए सहायक हो सकेंगे।

उदाहरणार्थ यह सूची दर्शाती है कि नेत्रहीन व्यक्ति स्टेनोग्राफर के रूप में कार्य कर सकते हैं बशर्ते कि उन्हें 'डिक्टाफोन' और आंगुलिक टाइपराइटर उपलब्ध कराये जायें। इलेक्ट्रानिक बीप और उत्कीर्ण अंकों से सज्जित छोटे बोर्डों सहित टेलीफोन ओपरेटरों के रूप में और आंगुलिक नियंत्रण सहित उपलब्ध कराई गई लिफ्टों में लिफ्टमैन के रूप में इन्हें रोजगार दिया जा सकता है।

इस प्रकार सरकार न केवल विकलांग व्यक्तियों की समस्या को हल करने के लिए कार्यवाही कर रही है अपितु विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास से सम्बन्धित समस्याओं के समस्त विषय को शामिल करते हुए विधान की आवश्यकता और सम्भाव्यता के प्रश्न पर भी विचार कर रही है जबकि माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया यह विधेयक नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार देने तक ही सीमित है। इन परिस्थितियों में मैं माननीय सदस्य को यह विधेयक वापस लेने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने जब यह विधेयक सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया था तो मैंने यह केवल मानवीय आधारों पर किया था। मेरा आशय इस विधेयक पर चर्चा में कोई राजनीतिक व्यंजना प्रवेश कराने का नहीं था।

श्रीमान, मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि इस विधेयक के पीछे छिपी हुई भावना इस सदन के सभी वर्गों द्वारा पूरी तरह से समर्पित की गई है।

यहां पर सुझाये गये नौकरशाही तरीकों के बारे में कुछ मतभेद हो सकते हैं। जब विधेयक को कार्यान्वित किया जाना है तो यह घटित होता ही है। माननीय मंत्री स्वयं महसूस करेंगे कि जब कभी सरकार द्वारा कार्यकारी आदेश जारी जाता किया है तो सौभाग्य से अथवा दुर्भाग्य से नौकरशाही सदैव आड़े आती है। कार्यकारी आदेश के कार्यान्वियन के बारे में किसी न किसी प्रकार की नौकरशाही की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार मैं नौकरशाही के खिलाफ नहीं हूं अपितु मैं केवल नौकरशाही तंत्र के खिलाफ हूं। इस बारे में कोई तंत्र बनाया जाना चाहिये और इस विधेयक में यही प्रस्ताव किया गया है।

इस समय इस विधेयक में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है। यह सुनिश्चित करने के लिए किसी सांविधिक तन्त्र की व्यवस्था की जाये जिससे कि नेत्रहीन व्यक्तियों, जो शारीरिक रूप से पूरी तरह से विकलांग व्यक्तियों का एक महत्वपूर्ण और प्रयुक्त वर्ग है, की मुसीबतें दूर हों।

महोदय, ऐसा कोई आश्वासन नहीं है कि जो कुछ भी निर्णय किया गया है। उसे कार्यान्वित किया जायेगा। अतः मैंने एक दण्डात्मक प्रावधान का सुझाव दिया है। यदि नियोजक इस विधेयक की अपेक्षा का पालन नहीं करता है तो उसे छह महीने का कारावास भुगतना पड़ेगा अथवा इसके बदले उसे 2,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इन सभी बातों पर यहां पर विचार किया गया है।

श्री डागा ने पूछा है कि इतनी बड़ी मशीनरी क्यों होनी चाहिये। यदि आप एक बार इसे अनिवार्य कर देते हैं कि नियोजक को 3 प्रतिशत तक नौकरियां अवश्य देनी चाहिये तो इससे विवाद उत्पन्न होंगे। यही कारण है कि विशेषज्ञों का एक बोर्ड बनाया जाना सदैव आवश्यक होगा। यह मशीनरी सरकार को होने वाली कठिनाई में सहायता में सहायता देगी। यही कारण है कि इन मामलों में विचार करने के लिए विशेषज्ञों के इस बोर्ड के लिए इस विधेयक में प्रावधान किया गया है।

नेत्रहीन व्यक्तियों का पंजीकरण होना चाहिये। कोई भी व्यक्ति मंत्री महोदय के पास आ सकता है और कह सकता है 'श्रीमान्, मैं प्रायः नेत्रहीन हूं।' तत्काल ही यह मान नहीं लिया जा सकता कि वह व्यक्ति नेत्रहीन है और इसलिये किसी प्रकार का पंजीकरण होना चाहिये, कोई सलाहकार बोर्ड होना चाहिये और इस प्रयोजन के लिए विशेषज्ञों के कुछ सदस्य होने चाहिये। सभी मशीनरी इस अनुमान के आधार पर सुझाई गई है कि किसी प्रकार का एक विधेयक पेश किया जायेगा ताकि उसे अधिनियम के रूप में पारित किया जाये। अतः ये सभी प्रावधान आवश्यक हैं। मैं कार्य विधि के बारे में चिंतित नहीं हूं अपितु मैं परिणामों के बारे में चिंतित हूं। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने ठीक ही उल्लेख किया है कि हम इस सदन के सदस्य, रूपात्मकता के बारे में बिलकुल चिंतित नहीं हैं और न ही हम कार्य विधि के बारे में चिंतित हैं। केवल परिणामों में रुचि रखते हैं चाहे वे परिणाम एक कार्यकारी आदेश अथवा किसी अधिनियम अथवा

एक विधेयक द्वारा प्राप्त हों। इन्हें परिणाम निकालने चाहियें। नेत्रहीन व्यक्ति इससे चिंतित नहीं है कि उसे श्री मधु दण्डवते द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक के कारण कोई नौकरी प्राप्त हुई है अथवा माननीय मंत्री द्वारा कार्यान्वित किये गये आदेश के कारण नौकरी प्राप्त हुई है। नेत्रहीन व्यक्ति इस बारे में चिंतित नहीं है कि क्या वह कांग्रेस आई० का एक सदस्य है अथवा विपक्ष का एक सदस्य है। उसे पूरी तरह से अन्धकार दिखाई देता है। उसके लिए यह असंगत है कि कौन सा राजनीतिक दल इसके लिए श्रेय लेना चाहता था। और मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि मैं नेत्रहीन व्यक्तियों के हितों की उपेक्षा करके अन्त तक राजनीतिक लाभ नहीं उठाऊंगा। अतः मैं इससे चिंतित नहीं हूं कि यह श्रेय मुझे मिले क्योंकि मैंने इस विधेयक को पेश किया है। यदि कोई कार्यकारी आदेश लाया जा रहा है तो इसका कारण इस सदन में मतैक्य और इस सदन के सभी वर्गों द्वारा व्यक्त की गई भावनायें हैं और मंत्री महोदया ने इस विधेयक का पूर्वानुमान कर लिया था। भावी योजना सहित वह इतनी सक्षम माननीय मंत्री हैं कि वह पूर्वानुमान कर सकीं कि इस सदन में विभिन्न सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचार क्या होंगे। अतः उन्होंने सभी योजनाओं को बताते हुए एक सुस्पष्ट तैयार भाषण दिया था। मुझे खुशी है कि उन्होंने पूर्वानुमान लगा लिया था कि इस मामले पर इस सदन में कोई मतभेद नहीं होगा और इसलिये उन्होंने जो कुछ किया गया है उसकी सही जानकारी दी है। उन्होंने आंकड़े भी दिये हैं। लेकिन उद्धृत की गई प्रतिशतताओं में थोड़ी सी त्रुटि है। उद्धृत की गई प्रतिशततायें विभिन्न राज्यों में आरक्षित नौकरियों की प्रतिशततायें हैं। उन्होंने कहा है कि ये प्रतिशततायें हैं 1 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक अलग-अलग हैं। लेकिन ये प्रतिशततायें शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली नौकरियों के लिए आरक्षित हैं और नेत्रहीन व्यक्ति इसका एक वर्ग है और यह एक छोटा वर्ग नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह पता लगाना कि कितने नेत्रहीन व्यक्ति थे, अत्यन्त मुश्किल है। ऐसी बहुत सी सामाजिक संस्थायें हैं जिनसे ये ब्यौरे प्राप्त किये जा सकते हैं। इस सदन में श्री राठौर जैसे कुछ माननीय सदस्यों का होना हमारे लिये सौभाग्य है जो नेत्रहीन संस्थाओं और प्रशिक्षण केन्द्रों से सम्बद्ध हैं। प्रोफेसर रंगा जैसे सदस्य भी हैं जो बहुत से डाक्टरों और मेडिकल प्रैक्टीशनरों से सम्बद्ध हैं और जो इस विशेष कार्य से सम्बद्ध हैं और सुनिश्चित करते हैं कि मोतियाबिन्द खत्म हो जाये तथा इनका आपरेशन हो और कम से कम उन व्यक्तियों को कुछ दृष्टि वापस मिल जाये जो संभाव्य नेत्रहीन हैं। इस बारे में पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं। कच्चे आंकड़ों से संकेत मिलता है कि पूरे विश्व में नेत्रहीन लोगों की जनसंख्या 3 करोड़ है और यदि मैं इस मामले में गलती नहीं कर रहा हूं तो देश में नेत्रहीन व्यक्तियों का अनुमान लगभग 10 लाख है जो केवल मिस्र के बाद है। यह वर्तमान स्थिति है। यहां पर एक समस्या है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के एक बड़े वर्ग को जो नेत्रहीन ही हैं, नौकरियां किस प्रकार दी जायें। केवल यह ही नहीं कहना है कि शारीरिक रूप से विकलांग सभी व्यक्तियों को नौकरियां दी जायेंगी। यही कारण है कि नेत्रहीन व्यक्तियों ने एक पृथक संघ और एक पृथक महासंघ का गठन किया है। नेशनल फेडरेशन आफ ब्लाइण्ड मैन ने देश के प्रधान मंत्री के साथ एक बैठक की थी और मुझे यह जानकर खुशी है कि यह वार्ता ठीक आधारों पर हुई थी मुझे बताया गया है कि किसी प्रकार का समझौता हो चुका है जिससे उनकी धमकीपूर्ण हड़ताल और आन्दोलन रुक गये हैं। उसकी समस्याओं को हल किया जा रहा है।

हमारा एक ऐसा देश है जहां हम सदैव यह कहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय विवाद भी बातचीत

के माध्यम से निपटाये जाने चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति के कारण नेत्रहीनों की समस्याएं बातचीत के माध्यम से सुलझाई जा सकती हैं इसलिए हमारे लिए उनकी समस्याओं का समाधान करना सम्भव होगा।

जो विवरण वहां पढ़कर सुनाया गया है उसे मैंने बहुत ध्यान से सुना है और जो मंत्री महोदय द्वारा अब तक किये गये कार्य के बारे में हैं। वस्तुतः मुझे जो कुछ किया गया है उससे पूरा संतोष नहीं हैं और उस पक्ष के सदस्यों को भी पूरा संतोष नहीं होगा। और किसी ने न पूछकर स्वयं श्री डागा ने मंत्री महोदय से प्रश्न पूछा है कि जब से प्रधान मंत्री ने अपनी पुनीत कामना और इच्छा व्यक्त की है कि विकलांगों के लिए काफी कुछ करना होगा, जबसे उन्होंने यह घोषणा की है तब से अब तक इस दिशा में किये गये कार्य का ठीक-ठीक विवरण क्या है। जो विवरण पढ़कर सुनाया गया है उसमें कोई सार नहीं है। निस्संदेह प्रयास सही दिशा में है। कम से कम यह सही दिशा में तो है। एक बार यह कहा गया था कि मुसोलिनी की इटली में गाड़ियां ठीक समय पर चल रही थीं। उसका उत्तर यह था कि गाड़ियां समय पर तो चल रही थीं परन्तु वे गलत दिशा में चल रही थीं। यदि गाड़ियां सही दिशा में चलें तो मुझे प्रसन्नता होगी। चाहे गति कम हो अथवा अधिक, उसकी मुझे ज्यादा चिन्ता नहीं है। यदि आपने एक बार सही दिशा में चलना शुरू कर दिया, बशर्ते यह पटरी से न उतर जाये, तो उसके सही गन्तव्य स्थान तक पहुंचने की सम्भावना है। अतः यदि कार्यपालिका के आदेश के माध्यम से विधेयक के इस विशेष सार को वास्तव में क्रियान्वित किया जायें तो मुझे संतोष होगा। मुझे संतोष होगा कि कुछ ठोस अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये, जो इस कार्यपालिका के आदेश का उल्लंघन करें उनके विरुद्ध कुछ उपाय किये जायें। कार्यवाही सदैव कर्मचारियों के विरुद्ध ही नहीं की जाती है, कभी कभी कार्यवाही मालिकों के विरुद्ध भी की जानी होती है क्योंकि ऐसा कोई विभाजन नहीं है कि मालिक जीवन के पूरे नीति-शास्त्र के सार का प्रतिनिधित्व करते हैं और कर्मचारी जीवन के सभी पापों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुणों और अवगुणों का वैसा कोई विभाजन नही है।

मंत्री महोदय ने केवल सरकार के विभिन्न विभागों का उल्लेख किया है परन्तु सरकार के विभागों के क्षेत्र के बाहर और सरकारी क्षेत्र के बाहर इस देश में बहुत बड़ा गैर-सरकारी क्षेत्र भी है। मैंने अपने विधेयक में न केवल सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी विभागों का ही उल्लेख किया है अपितु गैर-सरकारी क्षेत्र का भी उल्लेख किया है। इस देश में नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का उत्तरदायित्व केवल सरकार और सरकारी क्षेत्र का ही क्यों हो? बजट के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र सभी प्रकार की रियायतें चाहता है, गैर-सरकारी क्षेत्र वृद्धि और विकास के लिए सभी प्रकार के प्रोत्साहन चाहता है परन्तु क्या गैर-सरकारी क्षेत्र का कोई सामाजिक दायित्व बिल्कुल नहीं है? और उनको मानना होगा कि उनका भी कोई सामाजिक दायित्व है। यह महात्मा गाँधी की भूमि है जिन्होंने कहा कि गैर-सरकारी क्षेत्र के व्यक्तियों के पास यदि सम्पत्ति हो भी तो वे उसे रखें परन्तु आम आदमी के हितों के संरक्षक के रूप में काम करें। इस देश के गैर-सरकारी क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए महात्मा गाँधी ने यह बात कही थीं।

जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, क्या इसका कोई दायित्व नहीं होना चाहिए? आपका कार्यपालिका का आदेश केवल सरकारी क्षेत्र और सरकारी विभागों तक कार्य करेगा परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों और गैर-सरकारी फर्मों का क्या होगा? वह बहुत बड़ा क्षेत्र

है। उनको भी किसी न किसी तरीके से उपयोग में लाया जाना चाहिए। मैं यह आग्रह नहीं करता कि यहां और अब एक ही बार में सब कुछ किया जाये परन्तु मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि समूचा सदन आश्वस्त है। मैं आभार प्रकट करता हूं कि गैर-सरकारी सदस्य के इस विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रो० रंगा और पंडितजी जैसे धुरंधर व्यक्ति भी सभा में उपस्थित रहे हैं। ऐसा उनकी अत्यधिक रुचि के कारण है। मैंने यहां यह देखा है कि चाहे कोई विपक्ष का हो अथवा सत्तारुढ़ दल का, सभी ने अपने भाव व्यक्त किये हैं।

हम इतिहास के सबक को नहीं भुला सकते। हमने सूरदास और मिल्टन तथा बेथोवन का अध्ययन किया है। बेथोवन बहरे थे और वे दोनों नेत्रहीन थे। परन्तु वे लोग भी जो इन शारीरिक अपंगताओं से पीड़ित थे, जो इन मानवीय कमियों से पीड़ित थे, उन्होंने भी जीवन में सृजनात्मकता को व्यक्त किया है। किसी ने उत्तम गीत लिखे तो किसी ने उत्तम कविता और किसी ने जीवन में संगीत का सृजन किया। ये सृजनात्मकता की अभिव्यक्तियां हैं उन लोगों की है जो विकलांग थे। विकलांगों की भी जीवन में कुछ इच्छाएं एवं आकांक्षाएं होती हैं। जब उचित ढंग से व्यक्त की जाये और जब उनको उन प्रेरणाओं को व्यक्त करने के उचित अवसर मिलें तो वे अपनी सृजनात्मक योग्यता को उचित ढंग से मूर्त रूप दे सकते हैं। और ऐसा ही होगा यदि सरकार विधेयक की भावना को समझे। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने मेरे द्वारा प्रस्तुत विधेयक को समझा है। मैं उन पूर्वी ग्रही व्यक्तियों में से नहीं हूं जो यह आग्रह करते हैं कि मेरी ऐसी भावना हो कि विधेयक या तो पारित हो या अस्वीकृत। मैं ऐसा पूर्वाग्रह पूर्ण दृष्टिकोण नहीं रखना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय द्वारा की गई अपील का प्रत्युत्तर देना चाहता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा उसके आधार पर तथा भविष्य में आप जो कुछ आश्वासन दे सकेंगे, उसके आधार पर तथा राष्ट्रीय नेत्रहीन परिसंघ के साथ आप क्या-क्या वार्ता कर सकेंगे उसके आधार पर, महोदय, मैं इस विधेयक को वापस लेने की सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : श्री मूलचंद डागा के नाम से एक संशोधन है। मैं अब इस संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :

(संशोधन संख्या—1) "कि विधेयक को इस पर 30 जून 1981 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रो० मधु दंडवते क्या आप इसे वापस ले रहे हैं ?

प्रो० मधु दंडवते जी : जी, हां।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार दिलाने तथा आनुषंगिक या तत्संगत विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार दिलाने तथा आनुषंगिक या तत्संगत का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक के बारे में (अनुच्छेद 326 का संशोधन)

सभापति महोदय : यह विधेयक, संविधान (संशोधन) विधेयक, (अनुच्छेद 326 का संशोधन) श्री जार्ज फर्नान्डीस के नाम है। उन्होंने सूचना भेजी है कि चूंकि वह प्रधान मंत्री के साथ किसी बैठक में गये हुए हैं इसलिए आज विधेयक को पेश नहीं कर सकेंगे।

उन्होंने अनुरोध किया है कि विधेयक अगली बार पेश किया जाये परन्तु उसके लिए नियम के अनुसार चलना होगा।

———

छोटे किसान सहायता विधेयक

श्री के० लकप्पा : (ठुमकुर) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि छोटे किसानों को ऋण और विभिन्न राज सहायता देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, मेरे विधेयक के उद्देश्य और कारण ये हैं कि इस समय वित्तीय कठिनाइयों से गुजर रहे किसानों को कृषि कार्यों की लागत पूरी करने, कृषि उपकरण, उन्नत बीज आदि खरीदने और कार्यों की लागत के अनुरूप मूल्य पर अपने उत्पाद बेचने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, यह विधेयक पेश करने में मेरा इरादा यह है कि इस समय देश की 30 प्रतिशत आबादी गाँवों में रह रही है और उनका मुख्य पेशा कृषि है। कांग्रेस सरकार द्वारा किये गये भूमि सुधारों और अधिकांश राज्यों, जहाँ भूमि सुधार हुए हैं, के बाद छोटे जोतधारियों को भूमियों के वितरण के कारण तथा छोटे किसानों और काश्तकारों के नाम से जमीनें पंजीकृत कर वाये जाने के कारण क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आज इस देश के लगभग 80 प्रतिशत किसानों के पास बागान फसलों के कुछ प्रतिशत को छोड़कर, जहाँ उन्होंने अधिक भूमि प्राप्त कर ली है, क्योंकि वह उद्योग के क्षेत्र में आता है छोटी-छोटी जमीनें हैं।,

मेरे तर्क का आधार यह है। हमें यह देखना है कि क्या भूमि सुधारों के बाद छोटे किसानों की मूल आवश्यकयाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये गये हैं। इस सदन को इस मुद्दे पर विचार करना है।

यह विधेयक पिछली लोक सभा के सामने रखा गया था परन्तु इसको विचार के लिए नहीं लिया जा सका और यह व्ययगत हो गया। अतः मैं इसे पुनर्जीवित कर रहा हूं।

मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने किसानों जहां तक भूमिहीन कृषकों के दुर्बल वर्गों के लिए बजट में भारी राशियों के उपबन्ध किये हैं। इन वित्तीय संस्थाओं के कार्य चालन के तरीकों पर फिर से विचार किया जाना होगा। इन किसानों को पैसा देने की सारी प्रणाली की समीक्षा की जानी होगी।

देश में काम कर रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों को जनता के कमजोर वर्गों तथा गरीब किसानों—सीमान्त किसानों तथा छोटे किसानों की सहायता करने का काम सौंपा गया है। कांग्रेस सरकार ने

लघु किसान विकास एजेन्सी और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रमों जैसी अन्य योजनाएं भी लागू की हैं। इन सभी बातों का उद्देश्य देश की ग्रामीण जनता की सहायता करना है। परन्तु आज भी ऐसी कुछ दिक्कतें हैं जिनका किसानों को सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा इन दिक्कतों को दूर नहीं किया गया है। मैं उनका उल्लेख करूंगा। इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणों के वितरण के लिए अपनाई गई पद्धति युक्ति संगत तर्कों पर आधारित नहीं है। किसान छोटे जमा कर्त्ता हैं और देश भर में इन बैंकों की शाखाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का मुख्य अंश बड़े किसानों, निहित स्वार्थों और कई बार व्यापारियों को मिलता है। इस देश की 80 प्रतिशत जनता इन बैंकों के पास पैसा जमा कर रही है। परन्तु उनके हितों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। वास्तव में, इस देश को निर्धन लोगों को इस धन की अधिक जरूरत है।

कांग्रेस सरकार द्वारा 1960 से 1969 के दशक के दौरान कुछ कदम उठाये गये थे। 1978-79 के दौरान उनके विपरीत कार्य किया गया। हम छोटे किसानों के सम्बन्ध में सारी स्थिति का फिर से पुनरीक्षण कर रहे हैं। हमने बड़ी-बड़ी से रैलियां आयोजित की हैं। किसान वित्तीय सहायता तथा अपनी उपज का लाभप्रद मूल्य मांग रहें हैं। वे राजसहायता दरों पर उवर्रक चाहते हैं और फसल के विपणन के लिए सुविधाएं माँगते हैं। इन किसानों को हर सम्भव सहायता की जानी चाहिए।

आज संगठित क्षेत्र को सभी लाभ प्राप्त हो रहे हैं परन्तु इस असंगठित क्षेत्र, अर्थात् छोटे किसानों तथा सीमान्त किसानों को संगठित क्षेत्र की तुलना में पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहे हैं। अतः गैर संगठित क्षेत्र की ओर भी ध्यान दिया जाना होगा। इस प्रयोजन के लिए एक उपयुक्त प्रणाली तैयार की जानी है। सहकारी समितियां, ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं ऐसे ढंग से काम नहीं कर रहे जो छोटे किसानों के हितों के अनुरूप हो। किसानों को जब ऋणों की आवश्यकता होती है उनको ऋण नहीं दिये जाते। इस बारे में बनाये गये नियम गरीब किसानों के हितों के अनुरूप नहीं हैं। आवेदित ऋण को पाने के लिये उसे अनेक दिनों, महीनों तथा वर्षों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। परन्तु बड़े उद्योगपति बिना किसी दिक्कत तथा बैंकों में प्रतीक्षा किये बिना भारी राशियां ले जाते हैं। परन्तु गरीब किसान के सामने आज कोई विकल्प नहीं है सिवाए इसके कि वह बैंकों में जाकर प्रतीक्षा में बैठे इन किसानों के ग्रामीण क्षेत्रों में दलालों के पीछे भागना पड़ता है। अतः दलालों द्वारा, अफसरशाही द्वारा तथा मध्यम वर्ग द्वारा इन किसानों का शोषण किया जाता है। इन गरीब किसानों का देश के हर किनारे में गला घोंटा गया है। सरकार ने निर्णय किया है कि इन निर्धन किसानों को वित्तीय सहायता किन्हीं एजेन्सियों के माध्यम से दी जाये। परन्तु ये वित्तीय संस्थाएं इन निर्धन किसानों को पर्याप्त सहायता नहीं दे रही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि देशभर में सहकारी समितियों को भी नया रूप दिया जाना होगा। उनके पुनर्गठन की आवश्यकता है। राज्यों में ऋण प्राप्त करने के लिए की गई प्रक्रिया, यहां तक कि इस बारे में जारी निदेश भी बहुत दुरूह हैं जिनके परिणामस्वरूप वे आवश्यकता के समय पैसा नहीं ले सकते, उनको आवश्यकता के समय उर्वरक नहीं मिलता। उनको इन बैंकों से सहायता पाने के लिए इधर-उधर चक्कर लगाने पड़ते हैं। सहकारी बैंकों तथा अनुसूचित बैंकों द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया न केवल दुरूह है अपितु कठोर भी है। इन गरीब किसानों को क्या सुरक्षा दी गई है।

भूमि-सुधारों के बाद उनके लिये फसल बीमा सुरक्षा नहीं है। वे वर्षा के मौसम में जुआ खेल रहे हैं। वे अपने अस्तित्व के लिये जुआ खेल रहे हैं और वे प्रकृति के प्रकोपों के विरुद्ध जुआ खेल रहे हैं। जब इस देश में सभी बड़े लोगों को राहत दी जा रही है, जब देश में सभी निहित स्वार्थ सफलता से काम कर रहे हैं और राहत एवं अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता समय पर पा रहे हैं तो गरीब किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा। इस तथ्य के बावजूद कि उनकी संख्या 80 प्रतिशत है, सभी दल उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, हम भी उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं—केवल किसान ही यहां शासन कर रहे हैं—उनकी ओर ध्यान दिया जाना होगा और इस प्रकार की दिक्कतों में तथा अफसरशाही आदि की देरिओं में उनको राहत दी जानी होगी। हमें ऐसा तरीका बनाना है जिससे सरकार द्वारा बजट में उनके लिये निर्धारित पैसा उनको मिल सके। यह ठीक है कि सरकार ने उनकी सहायता करने की ओर बहुत रुचि दिखाई है। इस बात के लिये प्रोग्राम तैयार किये गये हैं और देश भर में परिचालित किये गये हैं कि उनके लिये कुछ योजनाएं तैयार की जायें। उनके लिये सिंचाई योजनायें तथा अन्य योजनायें तैयार की जाती हैं जिससे उनको कुछ राहत मिल सके। वास्तव में इन योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच सका है क्योंकि अफसर शाही द्वारा इसमें विलम्ब किया जाता है और समय पर कार्यवाही नहीं की जाती।

कुछ समय पूर्व लघु किसान विकास एजेन्सियां बनाई गई थीं और इस मामले में हमारी प्रधान मंत्री ने बहुत अधिक रुचि दिखाई। वे एजेन्सियां देश भर में गईं और जानकारी एकत्र की, कुछ आंकड़े इकट्ठे किये परन्तु वे ठीक नहीं हैं। अफसरों द्वारा एकत्र किये गये आंकड़े ठीक नहीं होते। सरकार द्वारा एकत्र की गई जानकारी भी ठीक नहीं है। राजसहायता के बारे में एकत्र किये गये आंकड़े भी ठीक नहीं हैं। उनमें बहुत अधिक अन्तर है। कई बार, यह 33 प्रतिशत तक है और कई बार यह 25 प्रतिशत तथा कई बार जनजातीय क्षेत्रों में यह अन्तर 15 प्रतिशत है।

इस देश में प्राकृतिक संसाधनों का बाहुल्य है। देश में पानी का बाहुल्य है। छोटे और लघु किसानों को पम्प सैटों, बिजली, उर्वरक राजसहायता आदि लेने के लियेअपने आप को संगठित करना होगा। विपणन केन्द्र किसानों के लिए सहायक सिद्ध नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें बड़े नगरों में व्यापारिक लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। विपणन केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में संगठित नहीं किये गये हैं जहां पर कि कृषि उत्पादन पैदा होते हैं। गरीब किसानों के लिये विपणन सुविधायें नहीं हैं, परिवहन सुविधायें नहीं हैं, अन्य संचार सुविधाएं तथा अन्य संचार प्रणालियां नहीं हैं। फसल ढांचा भी तैयार नहीं किया गया है—वर्षा तथा अन्य बातों के आधार पर किस मौसम में कहां पर क्या फसल होगी। सभी विनियमित प्रणालियां भी तैयार नहीं की जाती हैं। अतः वे पूरी तरह से अंधेरे में हैं। जहां तक ग्रामीण मजदूरों तथा किसानों का संबंध है वे पूरी तरह से अंधेरे में हैं। अतः मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सारी प्रणाली की पुनः जांच की जाये। बजट में धनराशियों का उपबन्ध करने का कोई लाभ नहीं। बजट में इस वर्ष भी भारी राशि के उपबन्ध हैं परन्तु इसका तब तक कोई लाभ नहीं जब तक इन एजेन्सियों के माध्यम से उचित ढंग से वह धन किसानों तक न पहुंचे और तभी निर्धन किसानों, को लाभ होगा। अतः मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार गरीब किसानों की समस्याओं के सारे विषय की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति लाये। वह सीमान्त किसानों, छोटे किसानों की संख्या, राजसहायता, उर्वरकों, दिये गये फसल-ऋणों तथा दिये गये फसल-ऋणों के स्वरूपों के बारे में आंकड़े एकत्र करें। इन सभी बातों की जांच की जाये

और तीन मास के भीतर सरकार को रिपोर्ट दे ताकि छोटे किसानों को दी जाने वाली सहायता पूरी एवं ठीक ढंग से उन्हें मिल सके। आज, मेरे मित्र, श्री पी० राजगोपाल नायडु तथा प्रो० रंगा यह मांगकर रहे हैं कि फसल बीमा व्यवस्था की जाये। सरकार काफी समय तक यह कहती रही है "यह विचाराधीन है।" परन्तु आज तक निर्णय नहीं किया गया है। आज भी लोग मांग कर रहे हैं कि छोटे किसान की सहायता की जाये। आप उड़ीसा से हैं, जो कि एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और आप भी जानते हैं कि किसान, भूमि सुधारों के बाद, भारी कमियों का सामना कर रहे हैं और उनको वित्तीय संस्थाओं से कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा। मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि हमारे वित्त मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ग्रामीण बैंकों की संख्या में वृद्धि की जायेगी और छोटे किसानों को ऋण सहायता तथा मदद देने की प्रणाली संगठित करने के लिए उनकी स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में की जायेगी। मैं यह पूछता हूं कि उद्योगपतियों को पिछड़े क्षेत्रों में रियायती दरों पर ऋण किस कारण से दिये जा रहे हैं। कई बार ऋण माफ भी कर दिये गये हैं। निर्धन किसानों को राज-सहायता दी गई है परन्तु राजसहायता बहुत ही नगण्य है और उर्वरक राजसहायता भी बहुत नगण्य है और कृषि आदान बहुत कम दिये जाते हैं। आदानों की कीमतें बहुत अधिक हैं। इन सभी बातों का उत्तर दिया जाना चाहिए। हमें उन वस्तुओं की कीमतें बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही जो गरीब किसानों के उपयोग की हैं। हमारी भूमि उपजाऊ है। जनबल का बाहुल्य है और नदियां जल से भरी हैं, ऋण उपलब्ध हैं और उर्वरक भी उपलब्ध है परन्तु गरीब किसानों के लिए आधार सुविधाएं उपलब्ध नहीं की गई हैं। इसका क्या कारण है। आधार सुविधाएं उपलब्ध की जानी होंगी और यदि बजट में उपबन्धित धन राशियां इस देश के कोने-कोने में गरीब किसानों तक न पहुंची तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। कृषि का आधार कृषि आधारित उद्योग होने चाहिएं और आज के बड़े-बड़े उद्योग इन गरीब किसानों की सहायता नहीं करेंगे। विपणन के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं बनाई गई है। बिचौलिए और व्यापारी गरीब किसान का शोषण कर रहे हैं। वे प्रकृति पर निर्भर हैं। प्राकृतिक संसाधनों का बाहुल्य है परन्तु संगठनात्मक ढांचा और अफसर-शाही की देरियों, प्रक्रिया सम्बन्धी देरियों के कारण गरीब किसानों को बहुत नुकसान पहुंचा है और वे मूल्य वृद्धियों तथा उन अन्य बातों को सहन नहीं कर सकते जो आधार सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। इसी कारण से हम आज छोटे किसानों की ओर से यह मांग कर रहे हैं कि कृषि मूल्य आयोग में, जो आज अफसरशाही का ही प्रतिनिधित्व करता है, छोटे किसानों के प्रतिनिधि भी होने चाहिएं। सारे देश में कृषि मूल्य आयोग वास्तविक चित्र और ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति को सामने प्रस्तुत नहीं कर सका है अतः कृषि वस्तुओं के मूल्य नियत करने से पूर्व आंकड़े एकत्र किये जाने चाहिए।

यदि निर्धन किसानों को जीवित रहना है, तो इस देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तुरन्त लाना होगा। यह है हमारी सरकार और हमारे दल का कार्यक्रम। इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसमें विलम्बन किया जाये। विलम्ब से लोगों को नुकसान होगा। इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि स्थिति से निपटने के लिए न केवल क्रान्तिकारी कदम उठाये जाएं अपितु कृषि मूल्य आयोग में देश के विभिन्न भागों के छोटे किसानों—वास्तविक किसानों को शामिल किया जाए। कृषि मूल्य आयोग का मार्गदर्शन अधिकारी वर्ग को नहीं करना है। अधिकारियों को निर्धन किसानों की वर्तमान स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े बिल्कुल भी वास्तविक नहीं हैं। देश में सभी वर्ग के लोगों द्वारा

इसकी आलोचना की गई थी। हमारी सरकार और हमारा दल सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में लगा हुआ है। हम जो बता रहे हैं वह यह है कि सामाजिक—आर्थिक परिवर्तन और हरित क्रांति को गांवों से शुरू होना चाहिए और निर्धन किसानों को बैंक व्यवस्था से ऋणों का अधिकांश भाग मिलना चाहिए इसलिए, मार्गदर्शी सिद्धांतों को जारी करना होगा। किसान को प्रतिभूति देनी पड़ती है। कुछ भी हो, उसके पास पाँच अथवा छः एकड़ भूमि है। वे वर्षा पर निर्भर करते हुए, जब पानी के लिए कोई भी भरोसेमन्द व्यवस्था के बिना रहते हैं। परन्तु राज्य द्वारा जलकर लगाए जाते हैं। उसे केन्द्रीय कर के साथ साथ राज्य कर भी देने होते हैं। प्रत्येक वस्तु का भुगतान करना होता है। परन्तु दुर्भाग्यवश; उसे अपनी वस्तुओं के उचित मूल्य नहीं मिल रहे हैं। जबकि अन्य व्यक्तियों को बिना प्रतिभूति के धन प्राप्त हो रहा है और जब निर्धन किसान बैंक में जाता है तो उसे जमानत देने के लिए कहा जाता है। इन निर्धन किसानों के लिए जमानत सरकार को देनी चाहिए। सरकार को निर्धन किसानों को पर्याप्त जल पूर्ति के लिए भरोसा देना चाहिए और इसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि सड़कों का निर्माण उचित ढंग से हो और सभी सुविधाएं उचित प्रकार से उपलब्ध की जांए। उद्योगों को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाय और उन्हें शहरी क्षेत्रों में न लगाया जाय। यदि निर्धन और सीमान्त किसानों को ठीक प्रकार से संगठित किया जाय और उनकी ठीक ढंग से देख भाल की जाय, और यदि उन्हें उचित प्रकार से सुरक्षा की जाय और उन्हें विना किसी प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाईयों के आसानी से धन दिया जाय तो कृषि उद्योग केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही विकसित होंगे। ये सभी सुविधायें किसानों को अभी प्राप्त होनी हैं। बड़े व्यापारी और दुकानदार बैंकों में जाते हैं और उन्हें ओ० डी० भी आसानी से मिल जाती है परन्तु जब छोटे किसान जाते हैं, वे उन्हें पैसा नहीं देते। जब हरिजन जाते हैं, वे पैसा नहीं देते। जब आदिवासी जाते हैं, वे उन्हें पैसा नहीं देंगे क्योंकि में निर्धन किसान हैं। देश में सर्वत्र यह व्यवस्था व्याप्त है। इसलिए हम भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वे इन सबकी जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाए। क्योंकि यह एक ऐसा विधेयक है जो इस देश के लोगों के दिलों और भावनाओं को छूता है। यह हमारा उत्तरदायित्व भी है। भारत सरकार ने कदम भी उठाए हैं। हमारी प्रधान मंत्री ने कदम उठाए हैं और हम 20 सूत्री कार्यक्रम चला रहे हैं। इसलिए, ये सभी कार्यक्रम आयोजित और क्रियान्वित करने हैं। सहकारी क्षेत्र और बैंकिग व्यवस्था के नियमों को सरल बनाया जाना है। वही पुराने नियम अब भी लागू हैं। मेरे राज्य कर्नाटक में, मुख्य मंत्री ने कई राज्य सहायताओं और कर्नाटक में निर्धन किसानों के लिए रियायतों की घोषण की है। परन्तु नियम यह है कि जहां केवल फसलें होती हैं, उन्हें ही फायदा प्राप्त होगा। किसी भी अधिकारी ने यह रिकार्ड में नहीं लिखा है। इसलिए, हमारे मुख्य मंत्री द्वारा राजसहायता की घोषणा करने के बाद भी लोगों को यह मिल नहीं रही है। इसलिए, हमें उन नियमों को बदलना होगा। जो नियम आजकल लागू हैं वे प्रक्रिया का मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं। ये नियम ब्रिटिश राज्य के पुरावशेष हैं। इसलिए इनका कोई लाभ नहीं है। भारत सरकार धन का आवंटन कर रही है परन्तु वह धन वास्तविक किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाय। एक उच्च स्तरीय निकाय का गठन किया जाय। छोटे किसानों का, विपणन, लाभदायक मूल्य, मूलभूत ढांचे, आदि सहित अपने हितों की रक्षा करने के लिए कृषि मूल्य आयोग में अपना प्रतिनिधि होना चाहिए। उवर्रक राज सहायता, बिजली आदि सुविधाएं

उपलब्ध की जानी चाहिए। और इस उच्च स्तरीय समिति द्वारा एक वास्तविक भावी योजना की रिपोर्ट दी जाय ताकि क्रियान्वयन आसान और शान्तिपूर्ण ढंग से हो। फिर वहां महान परिवर्तन होगा क्योंकि हमने अच्छा बजट बनाया है। हमने बहुत अधिक पैसा कृषि क्षेत्र को दिया है। इसका लाभ हमारे समाज के निर्धन किसानों, सीमान्त किसानों, कमजोर वर्गों जैसे निर्बल वर्गों को पहुंचेगा।

इसलिए, मैं आशा और विश्वास करता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी। मैं आशा करता हूं कि वे मेरे विधेयक की सराहना करेंगे।

सभापति महोदय : श्री रामसिंह यादव द्वारा एक संशोधन रखा गया है—वे यहां नहीं हैं। श्री राजगोपाल नायडु।

श्री पी० राजगोपाल नायडु (चित्तूर) : आप भली भांति जानते हैं कि छोटे किसानों में दो विशिष्ट वर्ग हैं। उनमें से एक वर्ग ऐसा है जिन्हें अपनी भूमि अपने पूर्वजों से मिली है। दूसरा वर्ग उन किसानों का है जिन्हें हदबन्दी तथा बन्जर भूमि के वितरण से भूमि प्राप्त हुई है। कई लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसे भूमि मिली है। परन्तु वे संसाधनों की कमी के कारण वे उसे विकसित नहीं कर पाए हैं। इसलिए उनकी भूमि को समतल बनाने, कुएं खोदने और अन्य प्रकार से विकास कार्यों के लिए उन्हें धन उपलब्ध कराना होगा। वे आधान मांगते हैं.....। अब, उन्हें आधान समय पर और उचित मूल्यों पर नहीं मिल पाते। फसल उगाने के पश्चात्, उन्हें लाभदायक मूल्य नहीं मिल पाते। जब तक उन्हें लाभदायक मूल्य न दिए जायें, वे इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे और विकास नहीं कर पाएंगे। यदि धनी किसान को कुछ सीमा तक अलाभकारी मूल्य भी दिए जायें तो वह सहन कर लेगा। परन्तु छोटे किसान, यदि उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं दिया जाता, तो वे आर्थिक रूप से समाप्त हो जाएंगे। जब वह बाजार में आता है, यदि उसे लाभकारी मूल्य भी दिया जाता है, तो वह उसे सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए, उसे अपना फालतू सामान बेचना पड़ता है। उसके पास भण्डारण क्षमता नहीं है। इसलिए, सरकार को उसे ऋण देकर और उसके उत्पादों को गोदामों में रखकर उसकी सहायता करनी चाहिए ताकि उसे अपने उत्पाद अलाभकारी मूल्यों पर न बेचने पड़े। इस प्रकार की सम्पूर्ण सहायता देने पर भी वह मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए, राज सहायता प्राप्त उद्योग उपलब्ध कर उसकी सहायता की जानी चाहिए। जब तक वे राज सहायता प्राप्त उद्योग वे शुरू नहीं करते वे आर्थिक रूप से सुदृढ और आत्म निर्भर नहीं बन पायेंगे। हम योजनायें शुरू करते हैं। परन्तु इन योजनाओं का लाभ केवल धनी व्यक्तियों को ही मिलता है।

सभापति महोदय आप अपना भाषण अगली बार जारी रखेंगे।

सभा अब सोमवार 23 मार्च, 1981 को समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

6.00 म० प०

लोक सभा सोमवार 23 मार्च, 1981, 2 चैत्र, 1903 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।